त्रयोदश माला, खंड 14, अंक 2

मंगलवार, 20 फरवरी, 2001
1 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद
(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...51...
Date ...8/1/02...

(खण्ड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 20 फरवरी,2001/ 1 फाल्गुन,1922 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
23	30	महानगर विकास मंत्री	महासागर विकास मंत्री
60	नीचे से 6	श्री सैयद शाहनबाज़ हुसैन	श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन
81	9	महासागर विमानन मंत्री	महासागर विकास मंत्री
83	16	श्री पी.वेत्रिसेलवन	श्री वी.वेत्रिसेलवन
232	11	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा.मुरली मनोहर जोशी)	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा.मुरली मनोहर जोशी)
319	4	श्री अशोक एन. मोहोल	श्री अशोक ना. मोहोल

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 20 फरवरी, 2001/1 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	
अध्यक्ष महोदय	1–2
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	2
श्रीमती सोनिया गांधी .	3
श्री सोमनाथ चटर्जी .	3–5
श्री के. येरननायडू .	5
श्री मुलायम सिंह यादव .	6–7
श्री टी.आर. बालू	7
श्री राशिद अलवी	7–9
श्री पी.एच. पांडियन .	9–10
श्री अनंत गंगाराम गीते .	10
श्री शरद पवार .	10–11
श्री भान सिंह भौरा .	11
श्री नीतीश कुमार .	11–13
श्री चन्द्रशेखर .	13
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	13–14
श्री अमर राय प्रधान	14
श्री एस.जयपाल रेड्डी	14–15
श्री जी. एम. बनातवाला .	15
डा. सुशील कुमार इन्दौरा .	15
श्रीमती कृष्णा बोस .	15–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20 .	16–60
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 179 .	60–416

लोक सभा

मंगलवार, 20 फरवरी, 2001/1 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को हमारे एक सम्मानित सहयोगी, श्री इन्द्रजीत गुप्त के दुःखद निधन की सूचना देनी है श्री इन्द्रजीत गुप्त वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 1960 से 1967 तक दूसरी और तीसरी लोक सभा में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता दक्षिण–पश्चिम; वर्ष 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवीं लोक सभा में अलीपुर, वर्ष 1980 से 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा में बसीरहाट, वर्ष 1989 से 1999 तक नौवीं से बारहवीं लोक सभा में मिदनापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते श्री गुप्त प्यार से "सभा के पिता" के रूप में जाने जाते थे।

एक कुशल प्रशासक श्री गुप्त ने वर्ष 1996 से 1998 तक केन्द्रीय मंत्रीपरिषद में गृह मंत्री के रूप में सेवा की।

एक जाने माने और संसदविद श्री गुप्त, 1995–96 के दौरान रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सभापति रहे और 1999 से अब तक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति थे। वह विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे, जैसे वर्ष 1990–91 के दौरान नियम समिति, 1985–1989 के दौरान और 1998 से सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, 1998–2000 के दौरान रक्षा संबंधी समिति; 1986–1987 के दौरान याचिका समिति, 1986–87 और 1989 के दौरान कार्य मंत्रणा समिति; 1990–91 के दौरान ग्रंथालय समिति; 1990 के दौरान लोक सभा सचिवालय नियम, 1955 की समीक्षा संबंधी समिति।

एक लोकप्रिय मजदूर संघ नेता श्री गुप्त ने विभिन्न मजदूर संघों का प्रतिनिधित्व किया और श्रमिकों के समक्ष आने वाली समस्याओं को उजागर करने में कोई समय नहीं गंवाया।

श्री गुप्त एक विद्वान थे। उनकी दो पुस्तकें "कैपीटल एंड लेबर इन द जूट इंडस्ट्री" और "सैल्फ रिलायंस इन नैशनल डिफैंस" प्रकाशित हुईं। अनेक देशों की यात्रा करने वाले श्री गुप्त 1975 में लंदन में आईपीयू सम्मेलन में और 1976 में मैड्रिड में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे। वह 1990 में नामीबिया में प्रधान मंत्री के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी थे।

एक कुशल और सक्रिय संसदविद्, श्री इन्द्रजीत गुप्त को 1922 में 'उत्कृष्ट सांसद' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त का निधन थोड़े दिन बीमार रहने के बाद आज प्रातः कोलकाता में 81 वर्ष की आयु में हो गया।

हम इस सम्मानित मित्र के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवदेना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, एक और साथी, सहयोगी मित्र और संसद में जो दिग्गज के रूप में पहचाने जाते थे, हमारे बीच में से उठ गए हैं। 1960 से मैंने उन्हें संसद के सदस्य के रूप में देखा। वह अपनी पार्टी की विचारधारा से पूरी तरह प्रतिबद्ध थे, लेकिन अपने विचारों को शालीन भाषा में रखते थे, तर्क उपस्थित करते थे। उनके साथ मतभेद थे लेकिन उनका व्यक्तित्व सब के लिए आकर्षक था। उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता थी, विचारों के प्रति प्रतिबद्धता थी, पारदर्शी प्रामाणिकता थी। लगातार संसद के सदस्य के नाते वह जहां विचारों को व्यक्त करते रहे, वहां संकट के समय आम सहमति बनाने में उनका बड़ा योगदान था। वह ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे, उसी के माध्यम से राजनीति में आए। उन्होंने मजूदरों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किया। भारत में, भारत के बाहर वह श्रम हितों का प्रतिनिधित्व करते थे और निरंतर चिंता में रहते थे कि देश की समस्याएं किस तरह से हल हों और किस तरह से दलितों की, शोषितों की स्थिति में सुधार हो। उनकी उपस्थिति एक प्रेरणा देती थी। संसद के शोर–शराबे में वह अलग नहीं रह सकते थे लेकिन उसमें भी अपनी एक मर्यादा बनाए रखते थे। हम सबके उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। आज उनके निधन से लोक सभा की अपार क्षति हुई है। जैसा मैंने कहा कि वह एक दिग्गज थे और आज एक दिग्गज हमारे बीच में से उठ गया है। मैं उनके प्रति अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचा दें।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त का निधन केवल संसद और पश्चिम बंगाल ही नहीं राष्ट्र के लिए भी क्षति है। वह लोक सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। वह जब भी हस्तक्षेप करते थे सभी बड़ी शांति और आदर के साथ उन्हें सुनते थे। उनका विश्लेषक मस्तिष्क सबसे जटिल राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों का चित्रण करने में इतना कुशल था कि उनके श्रोता उससे हमेशा आश्वस्त हो जाते थे। देश के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में उनकी समझ बड़ी ही उल्लेखनीय होती थी।

उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और कभी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया। हम सभी और उनके सभी [illegible] वाद–विवाद की उनकी महान प्रतिभा को काफी लम्बे समय [illegible] याद रखेंगे। वे वास्तव में एक महान देशभक्त भारतीय [illegible] परिवार का तीस के दशक से उनके साथ निकट का संबंध रहा जब वह मेरी सास के साथ लंदन में पढ़ाई करते थे।

उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध रहे। हम श्री इन्द्रजीत गुप्त को एक वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ के रूप में देखते रहे जिनकी भारत के प्रति दृष्टि एकांकी न होकर सर्वांगी थी। उन्होंने किसी को भी पराया नहीं समझा। उनका उदाहरण भविष्य की पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देता रहेगा।

मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करती हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों, उनके राजनीतिक दल के सदस्यों, उनके अनुयायियों और प्रशंसकों को अपनी गहरी संवेदनायें व्यक्त करती हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, संसद के इतिहास में यह सबसे दुखद दिन है कि अब कॉमरेड श्री इन्द्रजीत गुप्त हमें सदन की अंग्रिम पंक्तियों की शोभा बढ़ाते नज़र नहीं आएंगे और मैं यहां पर, असाधारण प्रतिभा सम्पन्न राजनीतिज्ञ और संसदविद श्री गुप्त के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ है।

अब हम उनके विवेकपूर्ण तर्क नहीं सुन पाएंगे। वह एक उच्चेकोटि के वक्ता थे, हमेशा सदन के मानदंडों, नियम और प्रक्रियाओं के प्रति पूर्णतः सचेत रहते थे। वह अपने तर्कों से पूरे सदन को निःशब्द कर देते थे और जनता के हृदय को छू लेते थे। लोगों के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना की वजह से उन्हें उनका सम्मान मिला।

एक प्रखर समाजवादी के रूप में वे लोगों के उत्थान, और समाज में विषमता समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध थे और एक महान श्रमिक संघ नेता के रूप में उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए हमेशा संघर्ष किया।

वे संसद में एक सुस्थापित जन–नेता के रूप में आए और इन्होंने अपनी सेवा और योग्यता के आधार पर सदन के सभी दलों का सम्मान हासिल किया।

वे, एक सुविधाजनक और आरामदेह जीवन व्यतीत कर सकते थे, किंतु उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना। इंग्लैंड से लौटने पर वे मजदूर संघ आंदोलन में कूद पड़े और उन्हें देश की मेहतनकश जनता का मसीहा माना जाने लगा।

मुझे यहां, उनके छोटे भाई के रूप में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें रौशनी और दिशा दिखाई और जब भी कोई ऐसा अवसर आया, जब हम यह निर्णय नहीं कर पाए कि क्या करें, तो वे हमारे दिशानिर्देश के लिए हमेशा उपस्थित रहे।

आज मेरे पास अपना दुःख प्रकट करने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं जानता हूं कि उनके मन में मंत्री बनने की लालसा नहीं थी। किंतु गंभीरतापूर्वक उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया और गृहमंत्री के रूप में, जनता के प्रति उनकी सहानुभूति थी। उन्होंने हमेशा निष्पक्षता से निर्णय किए। मुझे विश्वास है कि जिन व्यक्तियों ने उन्हें मंत्री के रूप में देखा है, वे स्वीकार करेंगे कि केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के महत्वपूर्ण मंत्री होने के नाते न केवल उनका पूर्ण पारदर्शिता में विश्वास था बल्कि उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वाह में इसे अपनाया भी। मुझे नहीं पता कि अब हमें श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसा व्यक्ति कब मिल पाएगा। आज हम वास्तव में सबसे दीन हैं। श्री गुप्त के निधन से देश की संघर्षशील जनता जो अब भी अन्यायों और विषमताओं से जूझ रही है और कई प्रकार से वंचित है, उन्होंने अपने एक असाधारण नेता और एक सच्चे मित्र को खो दिया है। कई समस्याएं हमें अब भी घेरे हुए हैं। दुर्भाग्यवश, आने वाले समय में हमें उनका परामर्श व नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सकेगा। श्री गुप्त के निधन और उनके निधन पर मेरा दल और हम सभी अपना गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचा दें।

हम उनके जीवन से प्रेरणा लें। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जो किसी तरह इस संस्था की महानता को प्रभावित करे

जिसके लिए श्री गुप्त हमेशा समर्पित रहे। वे संसद की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि संसद हमारी किसी भी तरह की समस्या को हल कर सकती है और इसीलिए उन्हें उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के लिए वे पहली पसंद थे और उन्हें यह स्वतः प्राप्त हुआ।

आइए, हम सभी उनको अनुकरण करने की प्रतिज्ञा करें।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा ही दुखद दिन है। श्री इन्द्रजीत बाबू के निधन से आज सभा को गहरा आघात पहुंचा है। मेरे लिए श्री इन्द्रजीत गुप्त के बिना, इस सभा की कल्पना भी बहुत कठिन है। मात्र दो वर्षों को छोड़कर, वे प्रारंभ से ही संसद के सदस्य थे। वे ग्यारह बार इस सम्मानीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए। हमें, सभा की मर्यादा और शिष्टाचार को बनाए रखना सीखना होगा। पिछले पांच सालों से मैं इस सम्मानीय सभा का सदस्य हूं। सभा में उनका आचरण, उनका व्यवहार हमेशा गरिमामय रहा। सभा के समक्ष जब कोई संकट आया तो उन्होंने अध्यक्षपीठ को बहुत ही अच्छी सलाह दी और राजनैतिक दलों के सभी नेताओं को बताया कि इसका समाधान कैसे किया जाए। ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान मुझे उनके साथ मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। कर्त्तव्यनिष्ठा उनका विवेक और मंत्रिमंडल को दी गई उनकी सलाह इस देश के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। हमने श्री इन्द्रजीत गुप्त से बहुत कुछ सीखा। मेरा दल श्री इन्द्रजीत बाबू को हमेशा से ही चाहता रहा है। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रबाबू नायडू ने श्री इन्द्रजीत गुप्त की उनकी गांधीवादी विचारधारा, उनकी सादगी और उनकी जीवन–शैली की सदैव प्रशंसा की। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त की स्मृति में संसद भवन में एक प्रतिमा लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

वे ग्यारह बार सांसद चुने गए। वे संसद के वरिष्ठतम सदस्य थे। उन्होंने सामयिक अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्यवाही को चलाया और संसद के सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। मैं अपने दल, तेलुगुदेशम पार्टी और संसदीय दल तथा अपनी ओर से श्री इन्द्रजीत गुप्त के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष जी, आज पूरा सदन दुखी है। एक विशिष्ट माननीय सदस्य श्री गुप्त जी इस सदन के सदस्य ही नहीं बल्कि देश के भी नेता थे। सारा जीवन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने लगा दिया। हमें भी उनको जनता के बीच सभाओं में भी इस सदन के अंदर भी सुनने का मौका मिला। हमेशा उन्होंने कठिन से कठिन विषय को भी अपनी विलक्षण बुद्धि से हम सबके सामने सरल बना दिया, ऐसे विद्वान व्यक्ति वे थे।

वे केवल संसदीय प्रक्रिया के ही पारंगत नहीं थे, कई विषयों पर जिस तर्कपूर्ण ढंग से और गंभीरता से अपनी बात को रखते थे, उससे आम लोग सहमत हो जाते थे। हम उनसे उम्र में बहुत छोटे थे लेकिन कभी –कभी हमारा उनका विवाद कई सवालों को लेकर हो जाता था लेकिन फिर भी वह बुरा नहीं मानते थे, चुप रहते थे। सदन के अंदर भी कई मौके आए जब उन्होंने हमारी आलोचना भी की और हमें समझाया भी। सार्वजनिक जीवन में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी राय देकर सबको अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम करें। उनमें से एक देश के नेता को आज हमने खो दिया है। आखिरी बार वह सदन में इस तरफ बैठे थे और हमने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी तो वह बहुत निराश थे। उसके बाद शायद दोबारा वह सदन में नहीं आ सके।

जहां तक उनके बारे में कहूं, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से हो, जो बात वह उचित समझते थे उस पर वह कायम रहते थे और उसको करते थे। हम लोगों ने भी सरकार के साथ–साथ काम किया है। कई अवसरों पर हमने देखा कि वह अपनी जो राय बनाते थे, उस राय को अपने तर्कों के माध्यम से सही रखने की कोशिश करते थे। सर्वसम्मति से कोई बात तय हो जाए तो वे उसका पालन करते थे। लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। आज हम सब लोग दुखी हैं कि उनके ज्ञान से, उनके तर्कों से, उनके भाषणों से हम लोग वंचित हो रहे हैं। धीरे–धीरे एक ऐसी पीढ़ी समाप्त हो रही है जो नैतिक मूल्यों और राजनैतिक मूल्यों को अपने जीवन में धारण किये हुए थी।

उन व्यक्तियों से हम लोग वंचित होते जा रहे हैं, यह एक गंभीर चिन्ता का विषय है। उनके बताए रास्ते और उनके द्वारा दिखाए आदर्शों का हम सब लोग पालन करें, यही हम सबकी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दल की ओर से उनके परिवार, उनके शुभचिन्तकों और उनके दल तक हमारी सम्वेदना पहुंचाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, इस सभा के महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति श्री इन्द्रजीत गुप्त अब हमारे बीच में नहीं हैं। महोदय, आप उन्हें इस सभा का जनक कहा करते थे। इस सम्मानीय सभा में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, यह बात मैंने ही नहीं अपितु प्रत्येक सांसद ने उनसे सीखी थी।

महोदय, महात्मा थिरूवल्लूवर ने कुराल में कहा है,

"नेरूनाल उलानोम्तान इनरिलाई येनुम,
पेरूमाई उदैथु इव्वूलागू।"

इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कल था, वह आज नहीं है। जो व्यक्ति आज है, हो सकता है वह कल न रहे।" यही इस सृष्टि का नियम है।

महोदय, एक और कहावत है

"थक्कर थागाविलार एनबाधु अवरावाद्,
इच्छाथ्थल कानाप्पदम।"

इसका अर्थ है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके कार्य को देखिए। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सर्वहारा वर्ग की खातिर एकतंत्रवाद के निरंकुश अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया और अनेकों बार लोकतंत्र के हितों की रक्षा हेतु निरंकुशताः के विरुद्ध लड़ाई की। महोदय, राष्ट्र ने अपना एक यशस्वी पुत्र गँवा दिया है। मेरे नेता, डा. कलईनार करूणानिधि ने अपना प्रिय मित्र खो दिया है।

महोदय, द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी की ओर से शोक-संतप्त परिवार को सांत्वना संदेश देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : सर, मौत दुनियां की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज इन्द्रजीत गुप्त साहब हमारे बीच नहीं रहे। वे एक अज़ीम शख्सियत थे पिछले कुछ दिनों से जब-जब वे मिलते थे, यह ख्याल दिल में बार-बार आता था कि यह वक्त कभी भी आ सकता है और आज वह वक्त आ पहुंचा कि जो इस लोक सभा के मुस्तकिल हिस्सा बन चुके थे, जिनके बिना यह तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि लोक सभा हो सकती है, वे आज हमारे बीच नहीं रहे।

वे एक सादा इंसान थे। हिन्दुस्तान के होम मिनिस्टर बने, लेकिन इसके बावजूद वे वैस्टर्न कोर्ट के एक छोटे से कमरे में रहते थे। उनके अंदर कभी यह अहसास पैदा नहीं हुआ कि वे एक अज़ीम मुल्क के होम मिनिस्टर बने। उन्होंने जिस तरह से जिन्दगी गुजारी, उससे हम सबको सबक सीखना चाहिए। आज वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमें जो एक रास्ता दिखाया, वह पूरे देश के लिए और हम सब के लिए एक सही रास्ता है।

उनकी आयडियौलौजी से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन उनका जो यकीन और मुल्क के लिए जो सोच थी, उससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि :

[अनुवाद]

"मृत्यु और कुछ नहीं वरन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आत्मा का गमन है।"

[हिन्दी]

हमारे यहां रसूल-ए-पाक ने भी कहा है कि

"मौत रूह के इन्तकाल का नाम है जो एक जगह से दूसरी जगह मुन्तकिल होती है" लेकिन जब अपना बुजुर्ग, अपना साथी बीच में से जाता है, तो दुख होता है।

जनाब स्पीकर साहब, जब आज सुबह मैंने इस बात की इत्तला अपनी पार्टी की आल्हा बहिन मायावती जी को फोन पर दी और एक मिनट दुख का इजहार किया, तो उन्होंने कहा कि दुनियां में हर आदमी को जाना है, लेकिन दुनिया में उसके कारनामों की वजह से ही वह आदमी जिन्दा रहता है। मेरा पूरा यकीन है कि इन्द्रजीत गुप्त साहब का नाम दुनियां में हमेशा रहेगा, उनके किए कारनामें हमेशा याद रहेंगे।

इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं:

"यूं तो आये हैं सभी दुनिया में मरने के लिए,
मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस।"

मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरी तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और हमारी लीडर बहन मायावती जी की तरफ से हमारे अहसासात और हमारे ज़ज्बात उनके परिवार तक पहुंचाने की तकलीफ दोहराएं।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, यह सभा इस सभा के जनक श्री इन्द्रजीत गुप्त के असामायिक निधन पर गहन वेदना और शोक व्यक्त करती है।

महोदय, हमने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। जब मैं इस सभा में आया था, उस समय वह सामयिक अध्यक्ष थे और सदस्यों को पद और गोपनियता की शपथ दिलाा रहे थे अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से इस सभा में उनके तर्कों के बारे में सुना था क्योंकि वह संसद के वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने जीवन भर साहस और प्रतिबद्धता का परिचय दिया। वह एक बहुत सरल व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ सिद्धांतों को माना और जीवन पर्यन्त उनका अनुसरण किया। वह एक आदर्श संसदविद् थे। प्रत्येक सदस्य को उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को अपनाना होगा।

महोदय, यह शास्वत सत्य है कि मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वह यह प्रकृति का नियम है। उन्होंने यहीं जन्म लिया और अब सद्गति को प्राप्त हुए। उन्हें कुछ तकलीफ थी और यह बात उन्होंने मुझ से कही थी। एक संसदविज्ञ के रूप में वह एक उज्जवल प्रतीक स्वरूप थे। उनकी मृत्यु से इस सभा और मार्क्सवादी पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनका तथा उनके कम्प्यूनिस्ट मित्र श्री एम. के सुन्दरम जो तमिलनाडु विधान सभा में सदस्य थे का उदाहरण दे सकता हूं। उनके पास रहने के लिए छोटा सा घर भी नहीं था। उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों का पूर्णतया पालन किया था, वह मजदूर संघ के नेता थे।

मैं माननीय प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता अन्य दलों के नेताओं और इस सभा के सदस्यगण द्वारा व्यक्त शोक संवेदनाओं से सहमत हूं।

महोदय, मैं अपनी तथा अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक कषगम की ओर से, आपके माध्यम से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी दुख और संवेदना व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और इसके साथ–साथ बड़े विशाल हृदय के नेता थे। ग्यारहवीं लोक सभा से हम इस सदन में उन्हें देख रहे थे। वे जब सदन में बोलने के लिए खड़े होते थे तो सरा सदन शांत रहकर उन्हें सुनता था। जो भी बातें उन्हें कहनी होती थीं, उसे बड़ी दृढ़तापूर्वक कहते थे। वे देश के गृह मंत्री थे। जब वे मुम्बई गये तो हमारे शिवसेना प्रमुख श्री बालासाहेब ठाकरे जी से भी मिले। गृह मंत्री होते हुए जो वास्तविकता थी, जो सच्चाई थी, उसका साथ उन्होंने हमेशा अपने मंत्री काल में किया। उनका रहन–सहन बहुत ही सीधा और सादा था। इस सदन के लिए उनका व्यवहार एक आदर्श था और भविष्य में भी वह आदर्श रहेगा। जो बात उन्हें नहीं जंचती थी, उसका वे बिल्कुल साफ तौर पर विरोध करते थे। उन्होंने इस सदन में सिर्फ राजनीति के लिए कभी भी विरोध नहीं किया।

श्री येरन नायडू ने यहां एक मांग की है कि संसद में उनका स्मारक बनाया जाए। मैं भी उस मांग का समर्थन करता हूं। मैं शिव सेना की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह सत्य है कि इंद्रजीत गुप्त इस सदन में नहीं रहे। इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों से उन्होंने इस सदन के माध्यम से इस देश की बहुत बड़ी सेवा की थी।

उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत स्टूडैंट मूवमैंट, यूथ मूवमैंट से की थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया और इस देश के मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देकर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था। वे 1957 में इस सदन के सदस्य बने और तब से आज तक इस सदन के सदस्य ही रहे। कितने साल तक सदस्य थे, मैं इसे महत्व नहीं देना चाहता, उन्होंने अपनी सदस्यता का किस तरह उपयोग कि किया, इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संसद में पार्लियामैंट्री प्रोसीज़र एंड प्रैक्टिस और साथ–साथ पार्लियामैंट

की इज्जत रखने के लिए जिन लोगों ने कई सालों तक बहुत बड़ा काम किया, उनमें हम बैरिस्टर नाथ पई, श्री मधु लिमये का नाम ले सकते हैं और इसी श्रेणी में श्री इंद्रजीत गुप्त भी आ सकते है। उनकी विचारधारा साम्यवादी थी मगर संसदीय प्रजातंत्र में उनका दृढ़ विश्वास था। कई बार मतभेद होते थे, संघर्ष की भावना भी होती थी, आक्रामकता रहती थी मगर साथ–साथ संसद की मर्यादा पर भी उनका हमेशा ध्यान रहता था। उन्होंने इस देश के गृह मंत्री के नाते कुछ महीने काम किया मगर तब के पूरे काल में हमेशा यह लगता था कि इस जिम्मेदारी में उनको बहुत खुशी नहीं थी। संसद में बैठ कर देश के हितों की रक्षा के लिए कुछ अच्छी बातें थीं, उन पर अपनी विचारधारा रखने में उनके मन में बड़ी खुशी होती थी। आज वे नहीं रहे। देश की संसदीय राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक सुसंस्कृत, पारदर्शक, सत्य, ऐसे व्यक्तित्व अस्त हो गया है। मैं उनको अपने दल की ओर से व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, सदन में लीडर और लीडर ऑफ औपोजीशन ने जो ख्याल व्यक्त किए हैं, मैं उनके साथ सहमत हूं। मैं श्री गुप्त जी के नजदीक रहा। पांचवी पार्लियामेंट में वे मेरे लीडर थे और पार्टी में भी वे हमारे लीडर रहे हैं। उन्होंने सारी जिन्दगी दबे, कुचले लोगों की बांह पकड़ी और उनके लिए लगातार लड़ते रहे। बेशक वे एक खाते–पीते घराने से संबंधित थे लेकिन उन्होंने गरीबों, डाउन ट्रॉडन का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी इसमें लगाई। सारी दुनियां की ट्रेड यूनियन लहर के वाइस प्रेसीडेंट रहे, एटक के जनरल सैक्रेटरी भी रहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सैक्रेटरी भी रहे और हर जगह उन्होंने नाम कमाया।

इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि उन्होंने जो किया है, वह हमेशा याद रखा जायेगा और उनको याद करने के लिए यहां पर कोई यादगार जरूर बननी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, इन्दजीत बाबू के निधन से हम सभी मर्माहत हैं। वे न सिर्फ इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य थे, बल्कि सर्वश्रेष्ठ सांसद भी थे। मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के वे प्रतीक पुरुष थे। संसदीय लोकतंत्र में उनकी अटूट आस्था थी। मैं उनको नौंवी लोक सभा से देखता रहा हूं, सुनता रहा हूं। मुझे उनको नजदीक से जानने और समझने का भी अवसर प्राप्त हुआ। दल की संख्या के हिसाब से जब भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारम्भ होती थी तो उनकी बारी कई लोगों के बाद आती थी, लेकिन जब कभी भी वे अपनी बात रखते थे तो उनकी बिल्कुल विशिष्ट शैली होती थी और उनके पहले जितने लोग बोल चुके होते थे उनसे अलग ढंग से अपनी बातों को वे रखते थे और उनकी बातों का प्रभाव इस सदन में पड़ता था। हर कोई उनकी बातों को तल्लीनता के साथ सुनता था। हम लोगों को और खास कर के हमारी पीढ़ी के लोगों को बहुत कुछ उनसे सीखने का अवसर मिला है। 11वीं लोक सभा के दौरान जब वे गृह मंत्री थे तो मुझे भी ऐसा लगता था कि उनको इस पद में रुचि नहीं है, अरुचि है। कई बार कई अवसर ऐसे आये, जब यह बात प्रकट हो जाती थी, लेकिन उस दौरान भी वे स्पष्टवादी थे। इससे कई बार विवाद भी पैदा हुए, खास करके कश्मीर समस्या को लेकर। उन दिनों वहां की जो स्थिति थी, उसको देखते हुए कुछ टूरिस्ट्स के साथ कुछ घटनाएं घटी थीं तो उस समय इस सदन में बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ था। उन्होंने कहा था कि लोग ऐसी परिस्थिति में वहां जाते क्यों हैं, उन्हें वहां जाने से परहेज करना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह बात बहुत सच्चाई के साथ कही थी और परिस्थिति को देखकर तर्क के हिसाब से कही थी। तब विपक्ष के हमलों को उन्हें झेलना पड़ा था, लेकिन उससे यह बात साफ होती थी कि मंत्री रहते हुए भी जो बात उन्हें सही लगती थी, वही वे बोलते थे। उनके निधन से आज जो अपूरणीय क्षति हुई है, उसको कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने जो रास्ता हमें बताया है, जो आचरण उन्होंने हमें सिखाया है, उसका हम अवलम्बन करें, उसका हम पालन करे तो शायद यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो भी यहां भाषण दिये हैं, उनका लोक सभा सचिवालय की तरफ से संकलन प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि संसद् के अन्दर और संसद् के बाहर लोग उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकें और अब जबकि मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति का ह्रास होता जा रहा है, शायद उनके उन वक्तव्यों से हम कुछ प्रेरणा ग्रहण कर सकें और उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकें। अपने विरोधियों के प्रति भी उनका सदव्यवहार रहता था और हमारे जैसे उनकी तुलना में कम उम्र के लोगों के प्रति भी उनका बड़ा स्नेह रहता था। जब कभी भी कोई बात ठीक ढंग से हम लोग रख पाते थे तो वे शाबाशी देते थे। जब कोई चूक हो जाती थी तो जरूर अपने अंदाज में आगाह करने की कोशिश भी करते थे। अब उनके नहीं रहने से ऐसा लगता है

कि सदन का एक अभिभावक हमारे बीच में नहीं रहा । हम उनके गुणों की जितनी चर्चा करें, वह सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। हम आपसे आग्रह करेंगे कि हम सबकी शोक संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचा दें। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ. प्र.) : अध्यक्ष जी, श्री इन्द्रजीत गुप्त की मौत से देश में एक महान राष्ट्रभक्त, एक विचारक, संसदीय प्रणाली का ज्ञाता, किसानों, मजदूरों और श्रमिक वर्ग का एक सहायक और हम सबका एक पथ–प्रदर्शक हमारे बीच से मिटा दिया है। उनकी मृत्यु से न केवल यह संसद शून्य हुई है, भारत की राजनीति भी शून्य हुई है। दमन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोगों के लिए एक बड़े व्यक्ति का अभाव सदा खटकता रहेगा। इस महान व्यक्तित्व की स्मृति को मैं नत–मस्तक होकर प्रणाम करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) ; अध्यक्ष महोदय, आपने, सदन के नेता ने, विपक्ष के नेता ने और अन्य राजनीतिक दलों के सम्मानित नेताओं ने जो महान संसदविद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है और शोकउद्‌गार व्यक्त किए हैं, हम और हमारी पार्टी उनके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय, उस सम्मानित और मर्यादित व्यक्तित्व के सबसे पुराने सदस्य को देखने–सुनने का मुझे भी मौका मिला। वे उच्चकोटि के विचारक और सोचने वाले थे। आज जब अचानक सूचना मिली कि कोलकाता में उनका निधन हो गया, तो हमें आघात लगा। कुछ दिनों से वे अस्वस्थ थे। हमने उनसे मिलकर कहा था कि अब आप ठीक हो जाएंगे तो उन्होंने निश्चल भाव से कहा कि हां, मैं बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वे हमारे बीच में नहीं रहे। देश को, सदन को और सम्पूर्ण जगत को उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। वे वामपंथी आंदोलन के एक बड़े स्तम्भ थे, सम्मानित नेता थे, किसान–मजदूर, दबे हुए लोगों के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया और लड़ने का काम किया तथा देश की महान सेवा की। वे एक महान व्यक्तित्व थे। हम उनसे सीख लेते थे। जब वे सदन में खड़े होकर किसी समय अपनी बात रखते थे तो हम लोग एकाग्रचित और शांत होकर उनकी बात को सुनते थे और प्रेरणा हासिल करते थे। वे धर्मनिरपेक्षता के एकजुट होने के पक्षधर थे। उनके नहीं रहने से देश को बहुत भारी अपूर्णीय क्षति हुई है। सभी माननीय सदस्यों ने सही कहा है कि उस तरह के व्यक्तित्व का स्मारक होना चाहिए, जिसको देखकर आने वाले लोग और बचे हुए लोग प्रेरणा हासिल कर सकें और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जो गरीब, दलित, कमजोर वर्गों के लोगों की सेवा और उनके शोषण के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा हासिल कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि शोक संवेदना उनके परिवार और उनके पार्टीजनों तक पहुंचा दें कि इस कठिन घड़ी का वे मुकाबला कर सकें।

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूचबिहार) : अध्यक्ष महोदय, इंद्रजीत दा नहीं रहे। मौत ने उन्हें हमसे छीन लिया।

मैं अपनी तथा अपने दल फारवर्ड ब्लाक की ओर से श्री इन्द्रजीत गुप्त को श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमने श्रमिक वर्ग और किसानों के एक अच्छे मित्र को खो दिया है। विशेषतौर पर वापमंथी सदस्यों के रूप में हमने अपना संरक्षक खो दिया है।

आपने ठीक ही कहा था कि वे इस सभा के जनक थे हमने उस बात को महत्व नहीं दिया। परन्तु आज हम उस बात को महसूस करते हैं। मैं इस सम्मानीय सभा का लम्बे अरसे से सदस्य हूं। यह मेरा आठवां कार्यकाल है। और इस लम्बी अवधि के दौरान मैं अनेक सांसदों के सम्पर्क में आया हूं। परन्तु मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि इन्द्रजीत गुप्त सर्वोत्तम थे।

मैं उनकी स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्‌डी (मिरियालगुडा) : महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

हमें कुछ समय से यह लग रहा था कि यह वक्त आने वाला है। उसके बावजूद भी हम स्वयं को ढाढस नहीं दिला पा रहे हैं।

एक संसदविद् के रुप में उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वह अद्वितीय थे। हमारे लोकतंत्र ने सत्यमूर्ति से लेकर बहुत से महान संसद्‌विदों को जन्म दिया है परन्तु उनकी अपनी शैली थी। वह अद्वितीय संसद्‌विद थे। उनकी अपनी विशिष्ट शैली थी। वह एक यशस्वी सांसद थे और व्यक्तिगत सम्पर्क में उनका व्यवहार बाल सुलभ था। मनुष्य के रुप में, वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह इस मायने में अतुलनीय व्यक्ति थे कि वे अनिन्दय थे। उनकी सरलता झलकती थी। और वेस्टर्न कोर्ट उनकी सरलता के प्रतीक के रूप में रहेगा।

हालांकि वह कट्टर बॉलशेविक थे, विडंबना की बात यह है कि वह ईमानदारीपूर्वक संसदीय मानदंडों और परंपराओं का पालन करते थे। हमारे जैसे अनेक लोगों के लिए वह प्रतिमूर्ति थे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है।

हमारे देश को उनके समान व्यक्तित्व वाला अन्य व्यक्ति मिलना मुश्किल होगा।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, हम सभी इस सभाके पितृ–समान व्यक्ति श्री इंद्रजीत गुप्त के निधन पर शोकाकुल हैं।

उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था। सभा में उनका भाषण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनके योगदान का जीता जागता प्रमाण हैं।

अपनी सदस्यता अवधि के दौरान श्री इन्द्रजीत गुप्त और मैं वेस्टर्न कोर्ट में पड़ोसी रहे हैं। गृह मंत्री होने के बावजूद भी वे वेस्टर्न कोर्ट में ही निवास करते रहे।

हम सभी इस महान व्यक्तित्व और श्रमिक वर्ग के समर्पित ता के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं।

आपके माध्यम से, मैं अपनी तथा पार्टी की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) ; अध्यक्ष महोदय, आज देश ने इन्द्रजीत गुप्त जी के रूप में एक महान नेता और आम गरीब आदमी के सहायक को खोया है। इन्द्रजीत जी उस वक्त राजनीति में लोकसभा में आए थे, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन जब राजनीतिक चर्चाएं चलती थीं, और खास कर मेरी पार्टी के नेता देवी लाल जी से कभी इस बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि इन्द्रजीत गुप्त जी एक निडर, बहादुर योद्धा थे। अगर हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से कभी इस बारे में चर्चा होती थी तो वे कहते थे कि इन्द्रजीत गुप्त जी एक सुलझे हुए राजनीतिक, कूटनीतिक विचारक थे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से चौधरी देवीलाल जी की तरफ से, मुख्य–मंत्री हरियाणा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में संवदेना प्रकट करता हूं और सब लोगों की तरफ से इन्द्रजीत गुप्त जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपने दल की नेता, सुश्री ममता बनर्जी की ओर से श्री इन्द्रजीत गुप्त के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करती हूं। वह सामयिक अध्यक्ष थे और तीन बार उन्होंने मुझे शपथ दिलाई है। मुझे उन्हें करीब से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे याद है कि जब वह गृह मंत्री थे तो वे मंत्री के कमरे तक सीमित न रहकर हमारे साथ केन्द्रीय कक्ष में बैठकर कॉफी पिया करते थे अथवा इडली खाया करते थे। उनकी बातें सुनना हमें अच्छा लगता था। जब कभी भी ने बोलने के लिए खड़े होते तो हम उन्हें शांति से सुनने के लिए बैठ जाते थे। क्योंकि हम जानते थे कि हमें एक अच्छा भाषण और अच्छी बात सुनने को मिलने वाली है।

महोदय, मैंने देखा था कि अंतिम दिनों में वे कुछ अधिक उदास हो गए थे। वह उदास इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने आरंभिक सदस्यता काल में संसद की जो गरिमा देखी थी, चर्चा का जो स्तर देखा था, उसका अब नितांत अभाव था। वह उदास हो जाया करते थे और हमें इसके बारे में बताया करते थे। मेरे विचार से, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम स्वयं में समर्पण की भावना उत्पन्न करें और इस सभा की मान–मर्यादा तथा संसदीय वाद–विवाद का ऊंचा–स्तर, बनाये रखने के लिए भरसक प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। इन शब्दों के साथ, अपने दल तथा अपने सहयोगियों की ओर से मैं शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। मुझे आशा है कि आप यह संदेश उनके समर्थकों तथा उनके परिवार तक पहुंचा देंगे।

अध्यक्ष महोयद : अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोडी देर मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खडे रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में युद्धविराम के बाद की स्थिति

***1. श्री दिनेश चन्द्र यादव :**

श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकपक्षीय युद्धविराम की घोषणा किए जाने के पश्चात् भी जम्मू और कश्मीर में स्थिति नही बदली है;

(ख) यदि हां, तो युद्धविराम की अवधि बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) कश्मीर समस्या के समाधान के लिए अभी तक आतंकवादियों/पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(घ) युद्धविराम की घोषणा किए जाने से पूर्व और उसके पश्चात्, आतंकवादियों द्वारा किये गये हिंसक हमलों में तुलनात्मक रूप से कितनी संख्या में नागरिक/सुरक्षाकर्मी/आतंकवादी मारे गए अथवा आहत हुए और इसके परिणामतः कितनी संपति का नुकसान हुआ;

(ङ) क्या आतंकवाद–प्रतिरोधी संगठनों ने आतंकवादियों के विरुद्ध सीमित कार्रवाई करने की अनुमति मांगी है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार का इस एकपक्षीय युद्धविराम को किस सम्भावित समय–सीमा तक जारी रखने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) प्रधान मंत्री की शान्ति पहल का जनता और मुख्यधारा में शामिल राजनैतिक दलों की अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य में आम हालात में प्रत्यक्ष परिवर्तन देखने में आया है। तथापि, सीमा/नियंत्रण रेखा को छोड़कर हिंसा के स्तर में कोई उल्लेखनीय कमी देखने में नहीं आई है क्योंकि उग्रवादी शान्ति पहल का विरोध कर रहे हैं।

(ख) सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सम्पूर्ण सुरक्षा स्थिति, विशेषकर, सीमापार से आतंकवाद के कत्यों और सिविलियन आबादी के प्रति उनके अपराधों की पुनरीक्षा की है। यह महसूस किया गया था कि हिंसा खत्म की जानी चाहिए और शान्ति, जिसका जम्मू और कश्मीर के लोगों ने स्वागत किया है, को हर प्रकार से मौका दिया जाना चाहिए। तद्नुसार शान्ति पहल की अवधि को बढ़ाया गया था।

(ग) उग्रवादी ग्रुपों ने शान्ति पहल को अस्वीकार किया है और उग्रवादी अभियानों और हिंसक गतिविधियों को तेज करने और जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया है। यह खेद की बात है कि सीमापार हमारे पड़ोसी ने शान्ति की आवश्यकता को नहीं समझा है और सीमापार से आंतकवाद को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और उकसाना जारी रखा है। पाकिस्तान ने आई एस आई के समर्थन से काम कर रहे उग्रवादियों पर लगाम लगाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है।

(घ) शान्ति पहल से पहले की अवधि/शान्ति पहल की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में हुई उग्रवाद संबंधी घटनाएं नीचे दी गई हैं:–

घटनाएं	19.9.2000 से 27.11.2000 (70 दिन)	28.11.2000 से 5.02.2001 (70 दिन)
हिंसा की कुल घटनाएं	746	707
मारे गए सुरक्षा कर्मी	95	54
जख्मी हुए सुरक्षा कर्मी	164	214
मारे गऐ सिविलियन	134	201
जख्मी हुए सिविलियन	182	374
मारे गए उग्रवादी	389	153

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 2000-जनवरी, 2001 की तुलना मे अक्तूबर–नवम्बर, 2000 में सम्पतियों को हुआ नुकसान नीचे दिया गया है:–

सम्पत्ति का प्रकार	शान्ति पहल से पूर्व (अक्तू–नवम्बर, 2000)	शान्ति पहल के दौरान (दिसम्बर, 2000–जरवरी, 2001)
सरकारी भवन	–	13
शिक्षा भवन	–	7
प्राइवेट मकान	93	50
दुकानें	1	23
अस्पताल	–	1

(ङ) और (च) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, सुरक्षा बलों ने शान्ति पहल लागू रहने की अवधि के लिए रणनीति बनाई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रणरेखा पर घुसपैठ विरोधी अभियान जारी रखना, अल्प संख्यकों, बिखरी हुई और दूरस्थ क्षेत्रों की आबादी के संरक्षण के लिए क्षेत्र प्रभुत्व और अन्य कदम, महत्वपूर्ण संस्थानों और सुरक्षा कैम्पों आदि की सुरक्षा और इसी के साथ–साथ भीतरी प्रदेशों में आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष अभियान शुरू

करने पर रोक लगाना शामिल है। अपराध तथा कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को देश के कानून के अनुसार निपटाया जा रहा है।

सुरक्षा स्थिति का लगातार प्रबोधन किया जा रहा है और सुरक्षा बलों को रमजान शान्ति पहल की बढ़ाई हुई और चल रही अवधि के दौरान उग्रवादियों की किसी भी विद्रोही कार्रवाई पर समुचित रुप से प्रतिक्रिया करने के आशय से पूरी तरह से सतर्क रहने के निदेश दिए गए हैं।

(छ) रमजान शान्ति पहल की वर्तमान अवधि 26 फरवरी तक बढ़ाई गई है। शान्ति पहल को आगे जारी रखना जम्मू और कश्मीर में वास्तविक स्थिति सहित संगत सभी कारकों के व्यापक आकलन पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का आमूल सुधार

*2. **डा. जसवंतसिंह यादव** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का आमूल सुधार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इन कार्यक्रमों के कितना प्रभावी और सार्थक बन जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1999 से कुछ ग्रामीण विकास योजनाओं को पुनर्गठित किया है। इन योजनाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति (सिट्रा), ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम), गंगा कल्याण योजना (जी के वाई) और दस लाख कुंओं की योजना (एमडब्ल्यूएस) नामक (पूर्ववर्ती) स्वरोजगार एवं इससे संबद्ध कार्यक्रमों को, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) नामक एक कारगार स्वरोजगार योजना में बदल गया है, जिसमें गरीबों को स्वसहायता समूहो में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, ढांचागत सहायता और विपणन जैसे स्वरोगार के सभी पहलू शामिल हैं जिसका उद्देश्य प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाना और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश छोटे उद्योग स्थापित करना है। (पूर्ववर्ती) जवाहर रोजगार योजना जिसका प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी सृजन और गौण उद्देश्य ढांचागत विकास था को बदलकर एक नई योजना जवहार ग्राम समृद्धि योजना बना दिया गया है। जिसका प्राथमिक उद्देश्य मांग आधारित ग्रामीण ढांचागत सुविधा का सृजन करना और गौण उद्देश्य मजदूरी रोजगार सृजन करना है। 60 : 40 के मजदूरी सामग्री अनुपात की शर्त में भी रियायत की गई है और एक जिले के लिए आबंटित समस्त निधियां 70 : 15 : 15 के अनुपात में पंचायती राज संस्थानों के सभी तीनों स्तरों के लिए एक जिले में निधियां के पूर्व आबंटन की बजाए अब ग्राम पंचायत स्तर पर वितरित की जाती है। सुनिश्चित रोजगार योजना की मांगजनित योजना से आंबंटन आधारित योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के दोनों स्तरों अर्थात जिला परिषदों और मध्यस्तरीय पंचायतों के लिए निधियां आबंटित की जा रही हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयोजन से इन योजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रणाली को केन्द्र और राज्य के बीच 80 : 20 के अनुपात से 75 : 25 के अनुपात में परिवर्तित किया गया है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित 63 प्रायोगिक जिलो में सामुदायिक आधारित भागीदारी के लिए सुधार किए गए हैं। क्षेत्र सुधारों में समुदाय द्वारा आंशिक पूंजीलागत और समस्त संचलन एवं रखरखाव वहन के साथ ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में मांगजनित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण जलआपूर्ति परियोजनाओं को आयोजना, स्वीकृत और कार्यान्वयन की शक्तियां जिला/ग्राम स्तरीय समितियों को सौंपी गई हैं।

पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को कार्यक्रम के कार्यान्वयन को अधिक केन्द्रीकृत, प्रभावकारी तथा परिणामोन्मुख बनाने के लिए उनकी भूमि बढ़ा दी गई है।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक ईकाईयों में घाटा

*3. **श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :**

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप्प हो जाने/विद्युत–संकट के कारण रसायन और उर्वरक इकाईयों को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे घाटे को कम करने की दृष्टि से प्रत्येक इकाई हेत डीजल जनरेटर खरीदने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) उत्तरी क्षेत्र में स्थित बारह उर्वरक संयंत्रों में से नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन.एफ.एल.) के तीन संयंत्र और डंकन इंडस्ट्रीज लि. (डी आई एल) के एक संयंत्र में उत्तरी–विद्युत ग्रिड में बिजली फेल हो जाने के कारण अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 की अवधि में लगभग 26,000 टन यूरिया के उत्पादन की हानि हुई। उर्वरक संयंत्रों में डीजल जनरेटरों का प्रतिस्थापन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझा जाता है।

उत्तर प्रदेश के औरैया स्थित गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि. के पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स को उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड में बिजली फेल हो जाने के कारण हानि हुई। उत्पादन हानि और दबाव में कमी/वृद्धि के कारण हुई हानि क्रमशः 3.2 करोड रुपए और 0.7 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स को जनरेटर द्वारा चलाए जाने लायक डिजाइन नहीं किया गया है और यह बड़ी क्षमता वाले क्रिटिकल ड्राइव के लिए वाष्प शक्ति पर निर्भर है। तथापि, बिजली फेल होने की स्थिति का सामना करने हेतु सेवाएं चालू रखने के लिए संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में डीजल जनरेटर लगाए गए हैं, ताकि संयंत्र को सुरक्षित रूप से बंद कर पाना संभव हो सके।

निर्माणाधीन इस्पात-संयंत्र

***4. श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निर्माणाधीन इस्पात–संयंत्रों का काम नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा कर लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक निर्माणाधीन संयंत्र के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) निर्माण–कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार लोहा और इस्पात उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और स्थान–स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों की शर्त पर लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है। इस नई नीति के अंतर्गत नौवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कोई नया/ग्रीन फील्ड इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं था। अतः इस अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में कोई इस्पात संयंत्र निर्माणाधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली होमगार्ड

***5. श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने **बम्बई होमगार्ड अधिनियम, 1956** और 1959 के प्रावधानों के अनुसार 'दिल्ली होमगार्ड' की स्थापना की है और महानगर में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उसकी तैनाती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 'दिल्ली होमगार्ड' को इस समय क्या वेतनमान तथा कौन–कौन सी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को हाल में 'अखिल भारतीय होमगार्ड कल्याण एसोसिएशन' की ओर से इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है एवं उसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली में होम गार्ड्स संगठन की स्थापना संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर यथा विस्तारित बम्बई होम गार्ड्स अधिनियम, 1947 के अंतर्गत एक स्वयंसेवी निकाय के रूप में उपरलिखित अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों की सुरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा और लोक सुरक्षा से संबंधित उन्हें सौंपे जाने वाले कार्यों और ड्यूटियों के निष्पादन के लिए की गयी थी।

(ग) दिल्ली में होम गार्ड्स को 8 घण्टे की प्रत्येक ड्यूटी के लिए 90/– रुपए की दर से डयूटी भत्ता, 10/– रुपए प्रतिदिन की दर से वाहन भत्ता और सात ड्यूटियों के लिए 3/– रुपए की दर से धुलाई भत्ता अदा किया जाता है। इसके अलावा, उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं:–

(i) मुफ्त वर्दी

(ii) दिल्ली होम गार्ड्स कल्याण और हितकारी निधि से वित्तीय सहायता

(iii) ग्रुप पर्सनल एक्सिडेंट पालिसी के अन्तर्गत 1.00 लाख रुपए का बीमा कवर और

(iv) सक्रिय ड्यूटी पर तैनाती के समय मूल्य/जख्मी होने के मामले में अनुग्रह पूर्वक अदायगी।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। ज्ञापन में उठाए गए मामलों का संबंध मुख्यरूप से होम गार्ड्स की सेवाओं को नियमित करने और उन्हें वेतन और पेंशन देने, चिकित्सा सुविधाएं देने, बम्बई होम गार्ड्स अधिनियम के उन्मूलन, होम गार्ड्स को छुट्टी प्रदान करने, और कथित वर्तमान परिपाटी जिसके अन्तर्गत होम गार्ड्स स्वयंसेवकों को वरिष्ठ अधिकारियों के घरेलू नौकर के रूप में सेवा करने को रखा जाता है, को खत्म करने के संबंध में है। उक्त ज्ञापन महानिदेशक नागरिक सुरक्षा द्वारा सभी राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचार जानने के लिए अग्रेषित किया

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय-शिक्षकों की मांगें

***6. श्री विलास मुत्तेमवार :**

डा. (श्रीमती) सुधा यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षक पिछले कुछ समय से अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की मांगे भी सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महानगर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) उच्चतर शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण तथा उन्हें कायम रखने के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समय-समय पर कई उपाय किए हैं। इन प्रयासों के एक भाग के रूप में तथा उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकृष्ट करने और उन्हें शिक्षण व्यवसाय में बनाए रखने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों के शिक्षकों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों में समय-समय पर संशोधन किया गया है। इस संबंध में अद्यतन संशोधन सरकार के दिनांक 27 जुलाई, 1998 के आदेश द्वारा किया गया है। एक विवरण संलग्न है जिसमें इस योजना के अंतर्गत अध्यापकों को दिए गए वेतन पैकेज तथा अन्य प्रोत्साहनों और लाभों की मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख है। वेतन में संशोधन के फलस्वरुप 1.1.96 से 31.3.2000 तक की अवधि के लिए राज्य विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों को बकाया धनराशि के भुगतान के लिए राज्य सरकारों को अब तक लगभग 1500/- करोड़ रु. की धनराशि दी जा चुकी है तथा शिक्षकों को बकाया राशि के भुगतान के लिए 300/- करोड़ रु. से भी अधिक की धनराशि केन्द्रीय विश्वविद्यालय को दी जा चुकी है।

तथापि, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक संघ, व्यवस्था-तन्त्र संबंधी मुद्दों तथा अपनी कैरियर प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को बेहतर बनाने से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में मांगे उठाते हैं। इन संघों द्वारा उठाए गये मुद्दों का संबंध निम्नलिखित मुद्दों से है- विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध, कुलाध्यक्ष द्वारा कुलपतियों को वापस बुलाना; कुलपतियों को आपातकालीन शक्तियाँ, सांविधिक निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधित्व, कुलाध्यक्ष द्वारा चयन समितियों में नामजद सदस्यों के कार्यकाल में अन्तर, और उच्चतर शिक्षा प्रणाली का वाणिज्यीकरण; कॉलेजों में कार्यरत रीडरों की प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति; शिक्षकों से संबंधित कैरियर प्रोन्नति योजना का एक जनवरी, 1996 से कार्यान्वयन; पुस्तकालयाध्यक्षों को शिक्षकों के समतुल्य बनाना; लब्ध प्रतिष्ठित प्रोफेसरों को सुपर टाईम स्केल देना; लेक्चररों को सुपर चयन ग्रेड देना; रीडर से प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति हेतु सम्पूर्ण सेवाविधि का समयोजन; तथा चयन समितियों में प्रेक्षकों की नियुक्ति।

सरकार ने शिक्षकों की मांगों की जांच की है और इस संबंध में स्थिति इस प्रकार है:-

(i) जहां तक वित्तीय कुप्रबंधन के रोकने का संबंध है, विश्वविद्यालयों के वित्त समितियों के रुप में तन्त्र से पहले ही विद्यमान है जिनमें केन्द्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों के ही प्रतिनिधि होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय को इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किये हैं। अनियमितताओं ~~के मामले में समुचित कार्यवाही की~~ जाती है।

(ii) कुलपतियों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों के लिए

अधिनियमित किये गये अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की उन कार्यवाहियों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है जो अधिनियम, संविधियों अथवा अध्यादेशों के अनुरूप नहीं हों।

(iii) सरकार आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग को सीमित करने हेतु कुलपतियों को इस आशय के मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि केवल आपात स्थिति में ही आपतकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाए।

(iv) विश्वविद्यालयों की शैक्षिक परिषदों, कोर्टों, प्रबंध बोर्डों में शिक्षकों के प्रतिनिधि होते हैं।

(v) इस आशय के प्रयास किये जा रहे हैं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की चयन समितियों में कुलाध्यक्ष द्वारा नामजद किये जाने वाले सदस्यों की नामजदगी शीघ्र की जाए।

(vi) शिक्षा का वाणिज्यकरण नहीं करने संबंधी व्यवस्था इस विषय पर सरकार की नीति में तथा न्यायालय के निर्णय में पहले से ही मौजूद है।

(vii) कैरियर प्रोन्नति योजना के अधीन रीडर से प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति योजना विश्वविद्यालय के विभागों में कार्यरत रीडरों के लिए लागू है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि यह योजना कॉलेजों में कार्यरत रीडरों के लिए लागू नहीं है इस संबंध में सरकार की नीति वही है जिसकी सूचना उसके दिनांक 27 जुलाई, 1998 के पत्र में दी गई हैं।

(viii) यह निर्णय किया गया कि शिक्षकों से संबधित कैरियर प्रोन्नति योजना का कार्यान्वयन विश्वविद्यालय तथा कॉलेजो शिक्षकों के वेतन संशोधन योजना के संबंध में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से किया जाएगा।

(ix) सरकार निम्नलिखित योजनाओं पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकारों के परामर्श से विचार कर रही है– (क) पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए कैरियर प्रोन्नति योजना; (ख) लब्ध प्रतिष्ठ प्रोफेसर; और (ग) उन योग्य शिक्षकों को पुरस्कार देकर मान्यता देना जिन्होंने पी.एच.डी./एम.फिल डिग्री प्राप्त नहीं की है परन्तु शिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है।

(x) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय किया है कि कैरियर प्रोन्नति योजना के अधीन रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के विचारार्थ 12000–18300 रु. के वेतनमान में रीडर के रूप में 8 वर्ष की सेवा लाजिमी तौर पर न्यूनतम पात्रता बनी रहेगी।

(xi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि प्रेक्षक चयन समिति का भाग नहीं हैं और विचार–विमर्श में भाग नहीं लेते हैं। तथापि वे इस बात पर नजर रखते हैं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप प्रक्रिया का उचित रूप से पालन किया गया है या नहीं।

विवरण

विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन से संबंधित योजना के अधीन शिक्षकों को दिये गये वेतन पैकेज तथा अन्य प्रोत्साहनों और लाभों के संबंध में मुख्य–मुख्य बातें

वेतन पैकेज के संबंध में मुख्य–मुख्य बातें

ग्रेड	संशोधन से पूर्व वेतनमान	31.12.95 की स्थिति के अनुसार	संशोधित वेतनमान	30.9.2000 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
लैक्चरर	2200–4000	6500/–	8000–13500	15000/–
लैक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान)	3000–5000	8800/–	10000–15200	18000/–
लेक्चरर (चयन ग्रेड)/रीडर	3700–5700	10500/–	12000–18300	22000/–
प्रोफेसर	4500–7300	11000/–	16400–22400	30,000/–

एम. फिल./पी.एच.डी. डिग्री धारकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

संशोधन पूर्व	संशोधित
1	2
लेक्चरर के रूप में भर्ती के समय पी.एच.डी. डिग्री धारकों को 3 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ	लेक्चरर के रूप में भर्ती के समय पी.एच.डी डिग्री धारकों को 4 अग्रिम वेतनवृद्धियां
लेक्चररों के रूप में भर्ती के समय एम. फिल. डिग्री धारकों को एक अग्रिम वेतन वृद्धि	लेक्चररों के रूप में भर्ती के समय एम. फिल. डिग्री धारकों को दो अग्रिम वेतनवृद्धियां
पहले कोई व्यवस्था नहीं थी	एम. फिल. डिग्री धारक उन शिक्षकों को एक अग्रिम वेतनवृद्धि जो अपनी भर्ती के दो साल के भीतर पी.एच. डी. डिग्री प्राप्त कर लेते हैं।
पहले कोई व्यवस्था नहीं थी	उन शिक्षकों को उस समय दो अग्रिम वेतनवृद्धियां जब वे अपने सेवा कैरियर में पी. एच. डी. डिग्री प्राप्त कर लेंगे।
पहले कोई व्यवस्था नहीं थी	दो अग्रिम वेतनवृद्धियां जब किसी शिक्षक को चयन ग्रेड/ रीडर का पद प्राप्त हो जाता है।

कैरियर प्रोन्नति योजना को अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बनाया गया है

संशोधन पूर्व		संशोधित	
ग्रेड	अर्हक सेवा अवधि	ग्रेड	अर्हक सेवा अवधि
लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान)	पी. एच. डी. डिग्री धारक लेक्चरर के रूप में 5 वर्ष	लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान)	पी. एच. डी. डिग्री धारक लेक्चरर के रूप में 4 वर्ष
	एम.फिल. डिग्री धारक लेक्चरर के रूप में 7 वर्ष		एम. फिल. डिग्री धारक लेक्चरर के रूप में 5 वर्ष
	जिस लेक्चरर नें पी. एच. डी./ एम. फिल. डिग्री न ली हो उसके लिए 8 वर्ष		जिस लेक्चरर ने पी. एच. डी. डिग्री/एम. फिल डिग्री न ली हो उसके लिए 6 वर्ष
लेक्चरर (चयन ग्रेड/ रीडर)	लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में 8 वर्ष	लेक्चरर (चयन ग्रेड/ रीडर	लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में 5 वर्ष
प्रोफेसर (विश्वविद्यालय विभाग में कार्यरत)	कैरियर प्रोन्नति योजना की व्यवस्था नहीं थी। (निम्न वेतनमान में योग्यता पर आधारित पदोन्नति योजना)	प्रोफेसर (विश्वविद्यालय विभाग में कार्यरत)	रीडर के रूप में 8 वर्ष (कैरियर प्रोन्नति योजना के अधीन नियमित प्रोफेसर ग्रेड में)

अन्य लाभ

* शिक्षक फेलोशिप योजना में संशोधन किया गया है; (क) फेलोशिप की संख्या की कोई सीमा नहीं रखी गई है; (ख) फेलोशिप की अवधि बढ़ा दी गई है।

* अतिथि संकाय के लिए मानेदय को प्रति व्याख्यान 150 रु. से बढ़ाकर 250 रु. कर दिया गया है।

* प्रारंभिक नियुक्ति के समय पी.एच.डी. डिग्री धारक शिक्षकों के लिए पूर्ण पेंशन लाभों हेतु 3 वर्ष की समय–सीमा को हटा दिया गया है।

* शिक्षक की भर्ती के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है।

* अधिवर्षिता की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गयी है और साथ ही पात्र शिक्षकों के लिए 65 वर्ष की आयु तक पुनर्नियोजन का प्रावधान किया गया है।

कोयला क्षेत्र में निजी भागीदारी

***7. श्री बी. के. पार्थसारथी :**

श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खनन और उसकी खोज के संबंध में इस समय सरकार की नीति क्या है;

(ख) कोयला उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय की व्यापक आलोचना हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोयला खानों के निजीकरण के मुद्दे को लेकर विभिन्न कोयला खानों के कामगार हड़ताल कर रहे हैं;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी आर्थिक हानि हुई है और कितना उत्पादन गिरा है; और

(च) क्या कोयला क्षेत्र के स्तर के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) और (ख) उन्नत खन्न प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1972 में निजी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1993 में लौह तथा इस्पात, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगी कंपनियों द्वारा गृहीत उपयोग के लिए और खान से प्राप्त कोयले की धुलाई के लिए कोयले के खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई। बाद में सीमेंट उत्पादन में लगी कंपनियों को भी उनके गृहीत उपयोग के लिए कोयले के खनन की अनुमति दी गई।

योजना आयोग और कोयला मंत्रालय द्वारा अगले दशक के लिए कोयले की मांग और आपूर्ति के बारे में हाल ही में किए गए मूल्यांकन से 2001–2002, 2006–07 और 2011–12 के दौरान क्रमशः 41.94 मिलियन टन, 162.28 मिलियन टन और 260.30 मिलियन टन की कमी का पता चलता है। कोयले की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र एकमात्र तौर पर समुचित संसाधनों को जुटाने में समर्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए, केन्द्र सरकार ने गृहीत उपभोग के प्रतिबंध के बिना ही भारतीय कंपनियों को कोयला खनन करने और समुचित विधायी परिवर्तनों के अधीन कोयले की खोज का काम करने देने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

(ग) से (ङ) कुछ श्रमिक संघ कोयला सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने का विरोध करते आ रहे हैं। सी.आई.टी.यू. से संबद्ध एक श्रमिक संघ संगठन–आल इंडिया वर्कर्स फेडेरेशन ने कोयला खनन में निजी क्षेत्र के प्रवेश के विरोध सहित अपनी अनेक मांगों के समर्थन में 20 नवम्बर, 2000 से 22 नवम्बर, 2000 तक हड़ताल की। उपरोक्त हड़ताल के कारण कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों में उत्पादन और आर्थिक स्तर पर क्रमशः 7.5 लाख टन और 36 करोड़ रु. (लगभग) का घाटा हुआ।

(च) राज्य सभा में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 रखा गया है, जिसका उद्देश्य कोयले और लिग्नाइट के नए खंडों में गैर–गृहीत कोयले का खनन करने और कोयले और लिग्नाइट संसाधनों का पता लगाने के लिए भी भारतीय कंपनियों को अनुमति देना है। 10 वीं और 11 वीं योजना अवधियों के अंत में कोयले की मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने की दृष्टि से देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए ये संशोधन अनिवार्य है। कोयला क्षेत्र को उन्नत करने में उठाए गए कदमों में उत्पादकता, क्षमता उपयोग, गुणवत्ता और उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।

गुजरात में भूकंप के कारण ग्रामीण अवसंरचना को क्षति

***8. श्री दिन्शा पटेल :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का, गुजरात में हाल में आए भूकंप से प्रभावित हुए क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना के विनाश/क्षति का तत्स्थानिक आकलन करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूकम्प पीड़ित लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में लोक कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद की सहायता से कतिपय योजनाओं को अंतिम रूप देने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्रामीण अवसंरचना के पुनर्स्थापन के लिए केन्द्र सरकार का गुजरात की किस प्रकार सहायता करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (च) 26 फरवरी, 2001 भूकम्प से गुजरात के विभिन्न भागों में जन और धन की व्यापक हानि हुई है। गुजरात सरकार ने वहां हुए नुकसान का प्रारंभिक आकलन किया है और भारत सरकार ने प्रभावित लोगों को तत्काल राहत मुहैया कराने के लिए तदर्थ सहायता के रूप में 500.00 (31.3.2001 को) करोड़ रुपये जारी किए हैं और प्रधानमंत्री राहत कोष से 10 करोड़ रुपये जारी किये हैं।

हवाई, रेल और सड़क यातायात पुनः बहाल कर दिया गया है। कच्छ सहित सभी गांवों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह बहाल सभी प्रभावित क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू किया है। सैटेलाइट फोन, हाटलाइन्स, एच.ए.एम. रेडियों और मोबाइल टेलीफोन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। सभी प्रभावित गांवों में जल आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है तथा प्रभावित परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की आवधिक रूप से मुफ्त आपूर्ति की जाती है। सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के जरिए अस्थायी शैडों और मोबाइल मेडिकल इकाइयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराई जा रही हैं। अस्थाई आवासीय सामग्री जैसे तिरपाल, प्लास्टिक/जी.आई.शीटें तथा टैंट उपलब्धता के आधार पर प्रभावित परिवारों को सप्लाई किये जा रहे हैं।

लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) ने स्वैच्छिक संगठनों के जरिए, गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए कपार्ट की क्षेत्रीय समिति स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय बनाये हुए है।

माननीय प्रधानमंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है तथा रिपोर्टों के आधार पर उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी 13 और 14 फरवरी, 2001 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गुजरात को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य आबंटन के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियां रिलीज की गई हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूकम्प प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए एक लाख आवास निर्मित करने हेतु सहायता देने तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि रिलीज करने पर सिद्धांत रूप में सहमति हुई है। गुजरात सरकार भी शोकसंतप्त परिवारों को हरेक मृत वयस्क व्यक्ति के लिए 1.00 लाख रुपये तथा अवयस्क व्यक्ति के लिए 60,000 रुपये के हिसाब से अनुग्रह राशि दे रही है।

[हिन्दी]

अपराधों का अध्ययन करने के लिए समिति

***9. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :**

श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस के सामने आ रही अपराध समस्या और पुलिस संगठन की खामियों का अध्ययन करने तथा संघीय अपराध को भारतीय दण्ड संहिता में शामिल करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या भारतीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद ने सम्पूर्ण देश में पुलिस बल द्वारा 'तूतीकोरिन प्रयोग' को अंगीकार कर लेने का सुझाव दिया था?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) नई सहस्त्राब्दी में पुलिस के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तरीके सुझाने हेतु श्री के. पदमनाभैया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) राज्य सरकारों से संबंधित अनेक सिफारिशों को सीधे कार्यान्वित किया जा सकता है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इन सिफारिशों का समयबद्ध रूप से कार्यान्वित करने की सलाह दी गयी है। शेष सिफारिशों की आगे जांच करने की आवश्यकता है और इन्हें कार्यान्वित करने के तौर तरीके निकाले जा रहे हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा-अभ्यास

***10. श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जनवरी, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचार पत्र में 'पोलिसेस डगी सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रूव्हस एम फेल्योर'; शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में दिए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) सभी छद्म अभ्यासों को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान दिल्ली में कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और गुप्तचर ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में कितने आतंकवादी अभी भी खुले आम घूम रहे हैं; और

(ङ) इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। गणतन्त्र दिवस समारोहों के संबंध में किए गए पुलिस प्रबन्धों की कुशलता को जांचने की कार्रवाई के एक अंग के रूप में राजपथ के आस–पास के क्षेत्र में 25 डमी आई ई डीज लगाए गए थे। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने दो को छोड़कर लगाए गए ऐसे सभी आई ई डीज़ का पता लगा लिया। इस कार्रवाई के परिणामों पर 23 जनवरी, 2001 के पूर्वाभ्यास के पश्चात् हुई अधिकारियों की बैठक में विचार किया गया।

(घ) वर्ष 2000 के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके सहयोगियों सहित 43 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और एक को मार गिराया। चालू वर्ष के दौरान 15 फरवरी, 2001 तक 4 अन्य आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में स्वच्छंद घूमने वाले आतंकवादियों की संख्या के बारे में ठीक–ठीक सूचना नहीं है।

(ङ) दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में पुलिस गश्त को गहन करना, महत्वपूर्ण स्थानों पर सशस्त्र पिकटें तैनात करना, आसूचना तंत्र को मजबूत करना, अपराधियों और आतंकवादियों के छिपने के संभावित ठिकानों पर निकट रूप से निगरानी रखना और लगातार छापे मारना, विशेषरूप से भीड–भाड़ वाले बाजारों, मनोरंजन स्थलों पर व्यक्तियों और सामान की जांच करना, गेस्ट हाउसों और धार्मिक स्थलों की चैकिंग करना प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवाद–निरोधी सैल स्थापित करना सम्मिलित है।

सस्ते इस्पात का आयात

'11. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :**

श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस और उक्रेन से सस्ते इस्पात का आयात किए जाने से देश में इस्पात की कीमतों में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों से सस्ते इस्पात का आयात रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) इस्पात–उद्योग की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात के निर्यात से हुए लाभ–हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए दिए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां। रूस और युक्रेन सहित कुछ देशों से कम कीमत पर इस्पात के आयात और इसके पाटन से देश में इस्पात के मूल्यों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा है।

(ख) नामज़द प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने रूस और युक्रेन से एच आर क्वायलों, एच. आर. पत्तियों/चादरों/प्लेटों और बॉयलर गुणवत्ता वाली प्लेटों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगा दिया है। सरकार ने इस्पात की कतिपय मदों के सस्ते आयात को रोकने के लिए उनके न्यूनतम मूल्य भी अधिसूचित किए हैं।

(ग) सरकार ने इस्पात उद्योग की मदद करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल है:–

* अवसंरचना विकास के लिए अधिक आबंटन।
* इस्पात की मांग में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू करना।
* इस्पात विकास और वृद्धि संस्थान (आई एन एस डी ए जी) स्थापित करना।

* उत्पाद और सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना और इस्पात के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर शुल्क में कमी करना।

* स्टाक यार्डों और एकीकृत इस्पात संयंत्रों से प्रेषित किए जाने वाले इस्पात पर उत्पाद शुल्क परिकलित करते समय भाड़ा और संभाल प्रभारों को शामिल नहीं करना।

(घ) आंकड़े एकत्र करने और उनकी गणना करने की मौजूदा पद्धति द्वारा निर्यात से हुए लाभ/हानि का अलग–अलग ब्यौरा प्राप्त नहीं होता।

(ङ) निर्यात में वृद्धि करने के लिए सेल ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

* प्लेटों और एच. आर. क्वायलों के लिए सेल के परंपरागत बाजारों में पुनः प्रवेश के लिए व्यापारिक मामलों में प्रतियोगी बनना।

* स्थापित बाजारों में विपणन मौजूदगी बनाए रखना और नए/गैर–परंपरागत बाजार तलाश करना।

* एच. आर. क्वायलों/स्लिट, हाईटेंशन गुणवत्ता वाली प्लेटों जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात करना।

[हिन्दी]

विश्व का सबसे बड़ा टेलिस्कोप लगाना

*12. **श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विश्व का सबसे बड़ा टेलिस्कोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस टेलिस्कोप को लगाने में किसी अन्य देश से सहायता ली गई है;

(घ) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनसे सहायता ली गई है, उनसे किस प्रकार की सहायता ली गई है; और

(ङ) उक्त टेलिस्कोप की स्थापना करने से विज्ञान के क्षेत्र में देश को क्या–क्या लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान द्वारा जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक सहायता प्राप्त स्वायत्तशासी संगठन है, सितम्बर, 2000 में दक्षिण–पूर्वी लद्दाख के हान्ले नामक स्थान पर एक 2–मीटर प्रकाशिक/अवरक्त दूरबीन स्थापित की गई। इस दूरबीन का संचालन हान्ले में सरस्वती पर्वत, दिग्पा–रत्सा–री से किया जा रहा है जो मध्य समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यद्यपि यह विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन नहीं है लेकिन इसे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला होने की विशिष्टता जरूर प्राप्त है। इस दूरबीन को बंगलौर के समीप स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसन्धान तथा शिक्षण केन्द्र, होस्कोट से रिमोट की सहायता से संचालित किया जाता है। भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बंगलौर द्वारा हान्ले में दूरबीन, डाटा डाउन लिंक केन्द्र तथा बुनियादी सुविधाएं स्थापित की गई है। इस दूरबीन को स्थापित करने में किसी भी दूसरे देश की सहायता नहीं ली गई थी।

यह दूरबीन ब्रह्माण्ड की उष्ण, समय की भिन्नता के परिदृश्य, आकाशीय वस्तुओं, जिनमें सौर मण्डल की वस्तुएं (जैसे ग्रह, उनके चन्द्रमा, धूमकेतु, ग्राहिका), तारे, आकाश गंगा तथा दूसरी दूरस्थ आकाशगंगाएं, नवतारे, सुपरनवतारे इत्यादि शामिल हैं, की भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन करने से सहायक सिद्ध होगी। भारतीय खगोलीय वैधशालाओं की स्थापना के लिए हान्ले में कई नई बुनियादी सुविधाएं सृजित कर ली गई हैं जिनमें वैद्युत ऊर्जा के लिए सौर विद्युत प्रणालियां, बंगलौर के साथ उपग्रह संचार सम्पर्क तथा संभार तंत्र, सहायक प्रणालियां शामिल हैं। इनका उपयोग विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/वैज्ञानिक संस्थानों के खगोलज्ञों, भू–भौतिकविदों तथा वैज्ञानिकों द्वारा अन्य वैज्ञानिक अध्ययन कार्यों के लिए किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के बारे में सिफारिशें

*13. **मोहम्मद अनवारूल हक :**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने यह सिफारिश की है कि बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास के प्रावधान को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 का एक भाग बनाया जाए–जैसा

कि दिनांक 17 जनवरी, 2001 के "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" समाचार–पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या आयोग को इस संबंध में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण समिति (एन.सी.पी.एन.आर.) की ओर से एक याचिका भी प्राप्त हुई है,

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ङ) दिनांक 17 जनवरी, 2001 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने यह कहा है कि बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास से संबंधी उपबंधों को भूमि अर्जन अधिनियम का एक भाग बनाया जाए अथवा इस संबंध में अलग से एक विधान अधिनियमित किया जाए ताकि ऐसे उपबधों को न्यायालयों में विचार योग्य बनाया जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय को लिखे दिनांक 9 जनवरी, 2001 के अपने पत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह सूचित किया है कि आयोग को राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण समिति से एक याचिका प्राप्त हुई है जिसमें उक्त समिति (एन.सी.पी.एन.आर.) ने प्रस्तावित भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक में परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन और पुर्नवास के संबंध में उपबधों को शामिल करने के लिए सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने हेतु कहा है।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को संशोधित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं और प्रस्तावों की इस प्रयोजन के लिए गठित मंत्रियों के एक दल द्वारा जांच की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ हाल ही में विचार–विमर्श भी किया गया है।

कोयला खानों में घाटा

*14. **श्री पवन सिंह घाटोवार** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स" के पास इस समय स्थानवार कुल कितनी कोयला खानें हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार इनमें से कितनी खानें घाटे में चल रही हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक खान को कितना–कितना घाटा हुआ;

(ग) इसके खान–वार क्या कारण हैं; और

(घ) इन खानों के कार्यकरण में सुधार करने और इनका घाटा रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठा गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एन.ई.सी.) में इस समय कोयला की कुल 7 (सात) खाने हैं, जिनका ब्यौरा निम्नवत है:–

क्र.सं.	खान/कोलियरी का नाम	स्थान	क्या भूमिगत/ओपनकास्ट खान है।
1	2	3	4
1.	जैपोर–डिल्ली कोलियरी	पी.ओ.–एनटीपीसी, जिला–डिब्रूगढ़, असम	भूमिगत खान
2.	तिपोंग कोलियरी	पी.ओ. तिपोंग, वाया लेडो, जिला–तिनसुकिया, असम	–वही–
3.	बारागोलाई कोलियरी	पी.ओ. बारागोलाई, वाया मारग्रेटा जिला–तिनसुकिया, असम	–वही–

1	2	3	4
4.	लेडो कोलियरी	पी.ओ.–लेडो, जिला–तिनसुकिया, असम	–वही–
5.	टिक्का कोलियरी	पी.ओ.–लेडो, जिला–तनसुकिया, असम	ओपनकास्ट खान
6.	तिरप कोलियारी	पी.ओ.–डेडो, जिला–तिनसुकिया, असम	–वही–

नार्थ ईस्टर्न कोल्फील्ड्स की सिमसंग, दक्षिण गारो हिल, मेघालय में एक अन्वेषणात्मक कोयला खान भी है, तथापि, सिमसंग कोलियरी में अभी कोयला उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है।

(ख) आज की तारीख में चारों भूमिगत खानें घाटें में चल रही हैं। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक खान को हुआ घाटा निम्नवत हैं:–

(आंकड़े करोड़ रु.)

खान/कोलियारी का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000
जेपोर–डिल्ली कोलियरी	–2.95	–3.21	–3.50
तिपोंग–कोलियरी	–19.60	–21.20	–24.60
बारगोलाई कोलियरी	–19.59	–20.66	–23.84
लेडो कोलियरी	–8.30	–11.50	–14.34

(ग) नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की सभी चार भूमिगत खानों में घाटे के लिए कारण निम्नवत हैं:–

(i) कठिन खनन परिस्थितियां, जैसे एकदम नत (इन्क्लाइंड) सीमें, कमजोर छत और साइड तथा आग्नेय कोयला जिसके परिणामतः इस्पात और लकड़ी के लिए सपोर्ट लागत बहुत अधिक है।

(ii) सभी खानों में अम्लीय पानी के लिए स्टेनलैस स्टील पम्पों, फाइबर ग्लास और एच. डी. ई. पी. पाइपों की आवश्यकता होती है जिसके परिणामतः पम्पिंग की लागत बहुत अधिक है।

(iii) अचानक हीटिंग प्रवण कोयले के लिए सीलिंग पर भारी खर्चे की आवश्यकता होती है। पुराने और लम्बी दूरी पर खानों में रोडवेज, ट्रकों, सपोर्ट प्रणाली और दूरसंचार के रख–रखाव में उच्च परिवहन लागत पर भारी लागत लगती है।

(iv) विस्फोटक, लकड़ी, स्टोर और इस्पात जैसे आदान स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें दूसरे राज्यों से लम्बी दूरी से लाया जाता है जिसमें भारी परिवहन लागत लगती है।

(v) लम्बे समय तक व्यवधान और कम वोल्टेज के कारण यूनिटों में विद्युत आपूर्ति बहुत खराब है।

(vi) लम्बी दूरी/डिग्री–।।। भूमिगत गैसीय खानों में वायु संचार पर बहुत भारी लागत लगती है।

(vii) सतह पर सरप्लस मानवशक्ति मूलतः कानून व्यवस्था की समस्या के कारण अनुत्पादक है। उन्हें कोल इंडिया लि. की अन्य भूमिगत खानों/अन्य खानों में स्थानान्तरित करना कठिन है।

(viii) अत्यधिक विद्रोह तथा कानून व्यवस्था की समस्याओं के कारण विस्फोटक मैगजीनों तथा विस्फोटकों का उत्तर–पूर्वी राज्यों में ढुलाई और प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को श्रमिकों की भारी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण भारी खर्चा होता है।

(घ) इन कोयला खानों में कार्यप्रणाली में सुधार करने और घाटे को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

(i) मानवशक्ति को कम करना तथा सरप्लस मानवशक्ति को या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा रही है अथवा उन्हें दूसरी कंपनियों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

(ii) साउथ लिम्ब न्यू इन्क्लाइन जैसे नए क्षेत्रों का विकास करने और ओ.सी.पी. (पी. क्यू. ब्लाक, जेपोर) तथा लेडो कोलियारी के विकास का प्रस्ताव है;

(iii) पिटहैड थर्मल पावर संयंत्रों की स्थापना के लिए असम राज्य विद्युत बोर्ड ने मारग्रेटा में 2×60 मेगवाट थर्मल पावर स्टेशन के लिए पहले ही निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(iv) थर्मल पावर स्टेशन, सलाकती के संयंत्र लोड फैक्टर में सुधार करना ताकि एन.ई.सी. से अधिक कोयले की आपूर्ति की जा सके; और

(v) एन. ई. सी. से कोयले की ढुलाई में सुधार करने के लिए रेलवे के साथ बेहतर समन्वय करना।

जनजातीय विकास सहकारी निगम का गठन

*15. **श्री अनन्त नायक : क्या जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय विकास सहकारी निगम (टी.डी.सी.सी.) का गठन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, इस संबंध में केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को कितना-कितना अनुदान उपलब्ध कराया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में प्रत्येक जनजातीय विकास सहकारी निगम द्वारा राज्यवार क्या कार्य किया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जिन राज्यों ने जनजातीय विकास सहकारी निगमों (टीडीसीसी) का गठन किया है, वे हैं; आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	निर्मुक्त अनुदान	प्रयोजन	उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1997-98	100.00	लघु वन उत्पाद कार्य	उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है।
		1998-99	–	–	–
		1999-2000	300.00	लघु वन उत्पाद कार्य	उपयोग प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त किया जाना है।
2.	बिहार	1997-98	शून्य		
		1998-99	79.00	निगम के अंश पूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण	उपयोग प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त किया जाना है।
		1999-2000	शून्य		
3.	गुजरात	1997-98	123.89	(1) गोदामों के निर्माणार्थ (2) लघु वन उत्पाद एकत्रीकरण (3) अंशपूंजी के लिए अंशदान	उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त
		1998-1999	शून्य	लघु वन उत्पाद कार्य	उपयोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त किया जाना है।
		1999-2000	150.00		
4.	केरल	1997-98	50.00	(1) अंशपूंजी अंशदान (2) चलती पूंजी के लिए	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त।
		1998-99	50.00	(1) अंशपूंजी अंशदान	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त
				(2) अंशपूंजी	
				(3) कलपेट्टा और आदिमाली में गोदामों का निर्माण	

1	2	3	4	5	6
		1999–2000	130.00	(1) वांचीयोडे, सीपाकोडे चित्तार, कोन्नी ब्लॉक पानाथाड़ी, पंगिनचूवादू में पांच गोदामों का निर्माण (2) चलती पूंजी (3) अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण	उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है।
5.	मध्य प्रदेश	1997–98	200.00	(1) अंशपूँजी के लिए अंशदान (2) 14 प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना (3) 17 भंडारणों का निर्माण	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त।
		1998–99	255.00	अंशपूंजी का सुदृढ़ीकरण	उपयोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त किया जाना है।
6.	उड़ीसा	1999–2000	शून्य	अंशपूंजी आधार के लिए	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त
		1997–98	100.00	अंशपूँजी आधार के लिए तथा	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त
		1998–99	200.00	लघु वन उत्पाद के एकत्रीकरण के लिए	
		1999–2000	200.00	लघु वन उत्पाद के एकत्रीकरण के लिए	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त
7.	महाराष्ट्र	1997–98	99.50	(1) लघु वन उत्पाद के लिए (2) गडचिरोली, चन्द्रपुर, योटमल, जुन्नेर आदि में स्थापित किया जाने वाले प्रसंस्करण यूनिटों के लिए (3) गोदामों के निमाणार्थ	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त
		1998–99	100.00	अंशपूंजी अंशदान के लिए	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त
		1999–2000	शून्य		
8.	राजस्थान	1997–98	50.00	अंशपूंजी के लिए अंशदान	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त
		1998–99	शून्य		
		1999–2000	25.00	लघु वन उत्पाद की प्राप्ति	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त
9.	त्रिपुरा	1997–98	शून्य		
		1998–99	शून्य		
		1999–2000	50.00	अंशपूंजी का सुदृढ़ीकरण	उपयोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त किया जाना है।
10.	पश्चिम बंगाल	1997–98	100.00	अंशपूँजी के लिए अंशदान	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त
		1998–99			
		1999–2000	50.00	लघु वन उत्पाद की प्राप्ति	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त

[हिन्दी]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

*16. **श्री रामदास आठवले :**

डा. संजय पासवान :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी. सी. सी. एल. की धनबाद स्थित जयरामपुर और बागडिगी कोयला खानों में पानी घुस जाने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर डूब गए थे, जैसाकि दिनांक 3 फरवरी, 2001 के "दि स्टेट्समैन" समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबंधन द्वारा खानों की सुरक्षा संबंधी मार्गनिर्देशों का पालन न किए जाने और व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से 1995 में बिहार में बी.सी.सी.एल. की गजलीटांड कोयला खान की दुर्घटना हुई थी;

(घ) यदि हां, तो गजलीटांड खान दुर्घटना के समय, उक्रेन से खरीदे गए अधिक क्षमता वाले पम्पों का प्रयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सभी कोयला कंपनियां, गजलीटांड खान दुर्घटना की जांच के लिए गठित जांच-समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालन कर रही हैं;

(च) पिछले छह महीनों के दौरान और आज तक, कोयला खानों में खान-वार तथा राज्य-वार कितनी दुर्घटनाएं हुईं और इसमें कितने लोग हताहत हुए;

(छ) मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई;

(ज) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(झ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ञ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ट) क्या इस संबंध में मजदूर संगठनों की भूमिका भी जांच के दायरे में आती है; और

(ठ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) से (ठ) दिनांक 2.2.2001 को लगभग 12.30 बजे अपराह्न में बागडिगी खान में अचानक पानी का तेज प्रवाह आया जिसमें प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक सहित तीस व्यक्ति फंस गए। तीस व्यक्तियों में से, श्री सलीम अंसारी को बागडिगी में जीवित बचा लिया गया।

यद्यपित लोडना क्षेत्र के अंतर्गत बाडडिगी कोलियरी में सीम VII में जयरामपुर की ओर बागडिगी के पट्टे वाले क्षेत्र के तहत विकास कार्य प्रगति पर था, बागडिगी कोलियरी के सीम VII के लेवल तीन शीर्षण, जो लेबल 15 से जुड़ गई, जयरामपुर कोलियरी की पुरानी खदान (1962) में पानी भर गया जिससे बागडिगी कोलियरी की सीम VII की विकसित गैलरियां जलमग्न हो गयीं।

श्रम मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा सांविधिक जांच और श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जा रही जांच न्यायालय की जांच करने के बाद दुर्घटना के कारणों की जानकारी मिलेगी।

गज़लीटांड कोलियरी की अदालती जांच के निष्कर्षों से यह इंगित नहीं होता है कि प्रबंधन द्वारा खान सुरक्षा के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन न करने से बिहार के बी. सी. सी. एल. के गजलीटांड कोलियरी में दुर्घटना घटी थी।

बागडिगी कोलियरी में प्रचलित भू-गर्भीय परिस्थितियां बागडिगी में हैवी ड्यूटी वाले प्लावन योग्य पम्पों के प्रयोग की अनुमति नहीं देती।

बी.सी.सी.एल. की गज़लीटांड खान दुर्घटना से संबंधित जांच समिति के मामले में की गई सिफारिश कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

घातक दुर्घटनाओं, सांघातिकताओं की संख्या, मृतकों के आश्रितों को दिए गए मुआवजे की राशि, खान-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

डी.जी.एम.एस. द्वारा की गई जांच के अलावा, सहायक कंपनियों के आंतरिक सुरक्षा संगठन (आई. एस. ओ.) प्रत्येक घातक दुर्घटना की जांच करता है।

सहायक कंपनियों के आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रत्येक

दुर्घटना के बारे में की गई जांच में यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता था। इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता है। दूसरा, दुर्घटना के लिए जांच द्वारा जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है और कोल इंडिया लि. के अनुशासनिक एवं आचरण नियमों के प्रावधानों के अनुसार जिम्मेवार ठहराए गएव्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियां अपनी कोयला खानों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्न कदम उठा रही है:-

1. प्रत्येक मानसून से पूर्व, प्रत्येक खान में पानी के सतही और भूमिगत स्रोतों से बाढ़ के खतरे की जांच की जाती है करना और इस दिशा में रोकथाम संबंधी उपायों हेतु कार्रवाई योजना तैयार की जाती है और इसका कार्यान्वयन किया जाता है।

2. अनुभवी खनन एव इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरों द्वारा खानों की नियमित एवं समय-समय पर सुरक्षा की जांच करना और सिफारिशों का कार्यान्वयन करना।

3. रॉक-मास-रेटिंग अध्ययन पर आधारित वैज्ञानिक अवलम्ब प्रणाली द्वारा भूमिगत खानों की विकास वाली खदानों के रुफ सपोर्ट पद्धति का डिजाइन।

4. भूमिगत खानों में स्टील सपोर्ट का प्रगतिशील प्रयोग।

5. भूमिगत खानों की विकास वाली खदानों में सपोर्ट के लिए क्विक-सैंटिंग सीमेंट कैपसूल ग्रोटेड रूफ बोल्ट्स का वृहतर प्रयोग।

6. जमीन के नीचे की खानों में एस.डी.एल. और एल. एच. डी. के प्रयोग को बढ़ाकर लोडिंग प्रचालनों का यंत्रीकरण करके मजदूरों को खनन से होने वाले खतरों को कम करना।

7. कामगारों में सुरक्षा जागरूकता बढाने के लिए कामगारों, सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण पर बल।

8. ओपनकास्ट खानों और ऊपरी खानों में दुर्घटनाएं कम करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है।

विवरण

खान-वार तथा राज्य-वार घातक दुर्घटनाओं, सांघातिकताओं की संख्या और मृतकों के आश्रितों को दिए गए मुआवजे की राशि।

राज्य	खान	दुर्घटना की तारीख	पीड़ित व्यक्ति	दिया गया मुआवजा
1	2	3	4	5
असम	लेडो	23.8.00	नारायण कापू	112680
छत्तीसगढ़	मानिकपुर ओ.सी.	8.11.00	पंचम	121050
झारखंड	पी. बी. प्रोजेक्ट	14.8.00	बृज नंदन पंडित	186900
झारखंड	पारेज ईस्ट	17.8.00	जनार्दन बेडिया	प्रक्रियाधीन
झारखंड	ब्लाक-।। ओ.सी.पी.	20.8.00	एल. के. बी. सिंह	135560
झारखंड	टोपा	1.9.00	रामचन्द्र भारती	प्रक्रियाधीन
झारखंड	जारंगडीह ओ. सी.	25.8.00	गणेश राम	प्रक्रियाधीन
झारखंड	लोडना	4.10.00	फकीरा दुसध	128000
झारखंड	गोपालीचक	16.10.00	गुलजार मियां	128330
झारखंड	दोबरी	3.11.00	नागेश्वर दुसध	194640

1	2	3	4	5
झारखंड	दोबरी	3.11.00	मो. यूसुफ मियां	172520
झारखंड	दोबरी	3.11.00	हरी राम रविदास	194640
झारखंड	दोबरी	3.11.00	रविया मांझी	128320
झारखंड	पारेज ईस्ट	14.11.00	देवचरण रजक	135560
झारखंड	पारेज ईस्ट	14.11.00	दिलीप टिग्गा	218470
झारखंड	दहीबाड़ी	17.10.00	नन्दू पासवान	प्रक्रियाधीन
झारखंड	के.बी. 5/6 पिट	21.1.00	सदन कुम्हार	प्रक्रियाधीन
महाराष्ट्र	इन्देर	16.7.00	सुभाष झिंगर	210678
महाराष्ट्र	कोलार पिंपरी ओसी	13.12.00	चरण लाल	प्रक्रियाधीन*
महाराष्ट्र	न्यू माज़री ओसी–।।	26.12.00	मो॰ अलताफ	प्रक्रियाधीन**
महाराष्ट्र	इन्देर	17.12.00	धनराज कावडू	158000
एम.पी.	अमलोहरी	1.7.00	सुखलाल	203850
एम.पी.	राजनगर आर॰ ओ॰ 5/6	19.7.00	अमर लाल	169440
एम.पी.	कपिलधारा	26.7.00	राकेश कुमार	221370
एम.पी.	पथेरखेड़ा–।।	23.8.00	एस॰ एल॰ सोनी	172520
एम.पी.	कुरजा	25.8.00	झारिया	175540
एम.पी.	पाली	15.9.00	खुशहाली	128330
एम.पी.	सतपुरा खान नं॰ 2	8.11.00	गुमान सिंह	178490
एम.पी.	मालगा	8.7.00	राम सजन	175540
एम.पी.	पिपरिया	17.11.00	अशोक कुमार कोल	203850
एम.पी.	राजनगर आर॰ ओ॰	27.11.00	कमलेश्वर	प्रक्रियाधीन
एम.पी.	जयंत	26.12.00	रामकुमरा शुक्ला	194640
एम.पी.	जमुना 9 और 10	18.1.01	रामचन्द्र	प्रक्रियाधीन
एम.पी.	धनपुरी ओसीएम	31.1.01	राजेन्द्र सिंह	प्रक्रियाधीन
यू.पी.	खादिया	20.7.00	श्री मनोज भगत	208980

1	2	3	4	5
यू.पी.	खादिया	29.9.00	राम बाबू प्रसाद	166290
पं. बंगाल	कुनुस्टोरिया	1.7.00	आर. एन. सिंह	184000
पं. बंगाल	शंकरपुर	22.7.00	सुशील भूटान	166290
पं. बंगाल	लाचीपुर	29.8.00	बनेश्वर मांझी	135560
पं. बंगाल	लोअर केन्दा	13.9.00	जोया बौरी	121050
पं. बंगाल	पांडेश्वर	21.10.00	चन्द्र दकवा	131950
पं. बंगाल	मधुजोरे 1 व 2 पिट	8.12.00	दुधनाथ राजभर	131950
पं. बंगाल	कुमारडीही–ए	8.12.00	दिवाकर साहू	156370

मृतक की पत्नी मृत्यु प्रमाण–पत्र लेकर अपने मूल निवास स्थान गयी है। उक्त कारण से मुआवजे की प्रक्रिया रोक दी गई है।

ठेकेदार ने आज तक भुगतान नहीं किया है। अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ठेकेदार के लम्बित बिल से मुआवजे की राशि निकाल दी जाएगी और मुआवजा आयुक्त के पास जमा करा दी जाएगी।

पेयजल संबंधी आंकड़ों में अनियमितताएं

*17. **प्रो. दुखा भगत** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेयजल संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किए जाते समय बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) ग्रामीण पेयजल राज्यों का विषय है। देश की ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां मुहैया करवाकर राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। अपनी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को बनाने, स्वीकृत और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंप दी गई हैं। इसलिए त्वरित ग्रमीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के संबंध में आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत नियमित आवधिक रिपोर्टों के तहत प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं इस प्रकार संकलित आंकड़ों का विश्लेषण करते समय कोई भी बड़ी अनियमितता नहीं पाई गई है। तथापि, आबादी/बसावटों की संख्या में वृद्धि होने, प्रणालियों द्वारा अपनी कार्यावधि पूरी कर लेने, अथवा बेकार हो जाने, भूजल कम होने के कारण स्रोतों के सूखने, स्रोतों के गुणवत्ता प्रभावित हो जाने, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उनके नष्ट होने आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से राज्य सरकारों द्वारा बताई गई कवरेज की स्थिति विपरीत प्रतीत नहीं हो सकती है।

[अनुवाद]

हथियारों की तस्करी

*18. **डा. रमेश चन्द तोमर :**

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान द्वारा भारत में नेपाल के जरिए अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल से लगी सीमा, तस्करों द्वारा राष्ट्र–विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए एक सुविधाजनक स्थान बन गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का नेपाल से लगी सीमाओं को मजबूत करने तथा हथियारों की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर चौकसी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसिस इंटेलिजेंस के एजेंटों द्वारा नेपाल के जरिए भारत में हथियारों की तस्करी के प्रयास किए जाते हैं।

लंबी भारत–नेपाल सीमा (1751 कि.मी.) सुभेद्य स्वरूप की होने के कारण आई एस आई एजेंटों और आई एस आई समर्थित कश्मीरी तथा सिख आतंकवादी ग्रुपों एवं अपराधियों द्वारा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। सरकार ने सीमा प्रबंधन हेतु एक सुविचारित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, पुलिस पदों का सृजन, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, आई एस आई एजेंटों के विरुद्ध आसूचना के आधार पर सुविचारित कार्रवाई, अधुनातम हथियारों, संचार प्रणाली और वाहनों इत्यादि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करना शामिल है।

[हिन्दी]

मानव अधिकारों और कर्तव्यों को एक अनिवार्य विषय बनाना

*19. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**

कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने विद्यालयों में और उच्च शिक्षा स्तर पर मानव–अधिकारों और कर्तव्यों को एक अनिवार्य विषय के रुप में शामिल करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) न्यायाधीश वर्मा समिति ने सिफारिश की है कि स्कूलों और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में मौलिक कर्तव्यों के अध्यापन के लिए पाठ्यचर्या के निर्देश और दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। समिति ने उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का भी सिफारिश की है। सरकार रिपोर्ट की जांच कर रही है और यह प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। तथापि इस संबंध में पहले ही कुछ प्रयास किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:–

- संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 51 क को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रकाशनों में मुद्रित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित नए पाठ्यचर्या ढांचे में सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को मानव अधिकारों और कर्तव्यों के अध्यापन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मानव अधिकार शिक्षा योजना को "मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा" का नाम दिया जाए।
- मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों में मॉडल पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्यचर्या विकास समिति का गठन किया गया है।
- मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा पर स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सत्रह विश्वविद्यालयों का चयन किया है।
- शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय मूल्यों से संबंधित माड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं।
- रिपोर्ट की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है अधिकतर मंत्रालयों ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन पर कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़क-सम्पर्क योजना

*20. **श्री राजैया मल्याला :**

श्री रामानन्द सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना को अंतिम रुप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो सड़कों द्वारा जोड़े गये ग्रामों तथा जोड़े जाने के लिए पहचान किए गए ग्रामों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष बचे ग्रामों को कब तक सड़कों द्वारा जोड़ दिये जाने की संभावना है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ ग्रामों का चयन करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का ग्रामीण सड़क योजना संबंधी मार्गदर्शी–सिद्धांतों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि राज्यों को ग्रामीण सड़क–सम्पर्क योजना के लिए ग्रामों का चयन करने हेतु शक्तियां दी जा सकें;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) जी, हां। दिसम्बर, 2000 में शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 1000 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाली सभी बसावटों को वर्ष 2003 तक और 500 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाली सभी बसावटों को वर्ष 2007 तक अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है बशर्ते निधियां उपलब्ध हों। सड़कों से जुड़े और अभी सड़कों से जोडे जाने वाले गांवों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–। में दर्शाये गए हैं।

(ङ) से (च) आयोजना की प्रक्रिया और गांवों का चयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाएगा और कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) ग्रामीण सड़कों के लिए 2000–2001 के लिए निधियों के राज्यवार आबंटन को बताने वाला ब्यौरा विवरण – ।। में दर्शाया गया है।

विवरण-।

सड़कों से जुड़े/नहीं जुड़े गांवों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण (स्रोत : योजना आयोग)।

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या 1991 की जनगणना	1000 और अधिक की आबादी वाले गावों की संख्या	31.3.97 तक सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या अनुमानित	शेष (कालम 4–5)	1000 से कम की आबादी वाले गांवों की संख्या	31.3.97 तक सड़कों से जुड़े गांवों की अनुमानित संख्या	शेष कालम (7–8)	सड़कों से नहीं जुड़े गांवों की कुल सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	26586	14,422	12878	1,544	12164	9954	2210	3,754
2	अरुणाचल प्रदेश	3649	116	100	16	3533	1380	2153	2,169
3	असम	23208	3,872	3807	65	19336	13497	5839	5,904
4	बिहार	67546	17,467	11925	5,542	50079	20391	29688	35,230
5	गोआ	369	200	200	0	169	168	1	1
6	गुजरात	18028	9,507	9409	98	8521	7597	924	1,022
7	हरियाणा	6759	3,470	3469	1	3289	3209	80	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	हिमाचल प्रदेश	16997	634	407	227	16363	7220	9143	9,370
9	जम्मू व कश्मीर	6241	1,474	1217	257	4767	2890	1877	2,134
10	कर्नाटक	27066	9,953	9951	2	17113	17012	101	103
11	केरल	1731	1,719	1708	11	12	10	2	13
12	मध्य प्रदेश	65526	8,935	5980	2,955	56591	12626	43965	46,920
13	महाराष्ट्र	39522	13,275	12615	660	26247	15356	10891	11,551
14	मणिपुर	2180	346	282	64	1834	720	1114	1,178
15	मेघालय	5484	144	109	35	5340	2377	2963	2,998
16	मिजोरम	785	102	102	0	683	552	131	131
17	नागालैंड	1119	281	281	0	838	713	125	125
18	उड़ीसा	50970	7173	5723	1,450	43797	19324	24473	25,923
19	पंजाब	12428	4978	4978	0	7450	7111	339	339
20	राजस्थान	37889	10766	9309	1,457	27123	10404	16719	18,176
21	सिक्किम	453	112	108	4	341	252	89	93
22	तमिलनाडु	50837	9705	9188	517	41132	16830	24302	24,819
23	त्रिपुरा	7412	400	400	0	7012	3375	3637	3,637
24	उत्तर प्रदेश	112803	37937	17105	20,832	74866	39761	35105	55,937
25	पश्चिम बंगाल	38075	10429	6918	3,511	27646	11613	16033	19,544
	कुल राज्य	623663	167,417	128169	39,248	456246	224342	231904	271,152
संघ राज्य क्षेत्र									
26	अं. व नि. द्वीप समूह	504	56	55	1	448	169	279	280
27	चण्डीगढ़	22	22	22	0	0	0	0	0
28	दा. व न. हवेली	71	38	38	0	33	33	0	0
29	दमन व दीव	24	15	15	0	9	9	0	0
30	दिल्ली	171	160	160	0	11	11	0	0
31	लक्षद्वीप	4	2	0	2	2	0	2	4
32	पांडिचेरी	264	93	93	0	171	171	0	0
	योग	1060	386	383	3	674	393	281	284
	योग	624723	167803	128552	39251	456920	224735	232185	271,436

विवरण-II

क्र. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	190
2	बिहार	150
3	छत्तीसगढ़	87
4	गोवा	5
5	गुजरात	50
	हरियाणा	20
	हिमाचल प्रदेश	60
8	जम्मू–कश्मीर	20
9	झारखंड	110
10	कर्नाटक	95
11	केरल	20
12	मध्य प्रदेश	213
13	महाराष्ट्र	130
14	उड़ीसा	175
15	पंजाब	25
16	राजस्थान	130
17	तमिलनाडु	80
18	उत्तर प्रदेश	315
19	उत्तराखण्ड	60
20	प. बंगाल	135
21	अ.नि.द्वीप समूह	10
22	दा. व ना. हवेली	5
23	दमण और द्वीव	5
24	लक्षद्वीप	5
25	पांडिचेरी	5
1	2	3
पूर्वोत्तर राज्य		
26	अरुणाचल प्रदेश	35
27	असम	75
28	मणिपुर	40
29	मेघालय	35
30	मिजोरम	20
31	नागालैंड	20
32	सिक्किम	20
33	त्रिपुरा	25
	कुल	2370

[हिन्दी]

सी. सी. एल. के अंतर्गत सामुदायिक विकास योजना

1. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) द्वारा रजहरा कोलफील्ड्स के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई और खर्च की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कोलफील्ड्स में इस योजना को लागू करने में कोई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) और (ख) जैसे कि कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है, और आज तक गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) द्वारा सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजहरा कोलफील्ड्स के लिए स्वीकृत राशि, खर्च की गई राशि और किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(लाख रु. में)

वर्ष	स्वीकृत राशि	वहन किया गया व्यय	योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा
1997–98	3.00	2.69	1. मिडिल स्कूल, लोहरा में दो कमरों का निर्माण करना 2. सी.एस.दूबे कालेज, चेनेया, रहजरा में नाली का निर्माण करना।
1998–99	4.00	3.52	1. नीमिया तोला से कोठी गांव तक गांव की सड़क की मरम्मत करना। 2. सी.एस.दुबे कालेज, चेनेया में आर.सी.सी.गेट लगाना। 3. मिडिल स्कूल, लोहरा में 2 कमरों की मरम्मत करना। 4. सी. एस. दूबे कालेज, चैनेया में बैंच, डेस्क का खरीदना। 5. सरस्वती शिशु मंदिर, कोठी, रजहरा में स्टील अलमारी, कुर्सी और डेस्क खरीदना।
1999–2000	3.00	2.27	1. नीमिया टोला से कोठी गांव तक वर्तमान सड़क में डब्ल्यू. बी. एम. करवाना। 2. सी. एस. दुबे कालेज, चैनेया में आर. सी. सी. गेट लगाना। 3. पंडवा स्कूल, रजहरा में 2 कमरों की मरम्मत करना। 4. रजहरा में 4 हैंड पम्पों का अधिष्ठापन करना। 5. सी. एस. दुबे कालेज, चैनेया में फर्नीचर खरीदना। 6. सरस्वती शिशु मंदिर, रजहरा में फर्नीचर खरीदना। 7. शिवाजी मैदान में एक हैंड पम्प की मरम्मत करवाना।

(ग) और (घ) अध्यक्ष/सचिव, आर. सी. एम. एस., रजहरा से शिकायत प्राप्त हुई है और इसका सत्यापन किया जा रहा है। सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत किए गए कार्य की मॉनिटरिंग एक मॉनिटरिंग सेल द्वारा की जाती है और जब कभी शिकायत मिलती है, उसकी जांच–पड़ताल की जाती है और उस पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति की सूची में मोरन जनजाति को शामिल करना

2. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मोरन जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस जनजाति के लोगों की जनसंख्या और निवास स्थान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी हां।

(ख) जनगणना संबंधी कार्यों के दौरान गैर–अनुसूचित जातियों तथा गैर–अनुसूचित जनजातियों के समुदायों की गणना समुदायवार नहीं की जाती है। इसलिए मोरन समुदाय की सही जनसंख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, राज्य सरकार की दिनांक 15.5.1995 की सिफारिश के साथ संलग्न असम जनजातीय अनुसंधान संस्थान रिपोर्ट के अनुसार मोरन समुदाय तिनसुखिया

जिले में पाई जाती है और इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 3 लाख है।

(ग) अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार, असम राज्य सरकार से अपनी सिफारिश के समर्थन में अतिरिक्त सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

जीवन रक्षक औषधियां

3. **श्री मोहन रावले :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कौन–कौन सी स्वदेशी कंपनियां जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक मार्का की औषधियों में जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में पृथकतः कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इन औषधियों की मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनकी आपूर्ति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 जीवन रक्षक औषधों और अन्य औषधों में भेद नहीं करता है। औषधों की जीवन रक्षक प्रकृति किसी खास स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करती है। देश में लघु क्षेत्र और संगठित क्षेत्र की इकाइयों (सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र) समेत काफी बड़ी संख्या में कंपनियां (लगभग 8000) औषध सूत्रयोगों का उत्पादन कर रही हैं।

(ख) दिसंबर, 1994 से दिसंबर, 1999 तक की अवधि के लिए 1615 दवाइयों जिनकी दिसंबर, 1999 में वार्षिक खुदरा विक्रय कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक थी, का अध्ययन दर्शाता है कि 522 दवाइयों के मूल्यों में 25% तक, 404 दवाइयों के मूल्यों में 25% से 50% तक, 284 दवाइयों के मूल्यों में 50% से 100% तक और 87 दवाइयों के मूल्यों में 100% से भी अधिक की वृद्धि हुई थी। इसी अवधि के दौरान 318 दवाइयों के मूल्यों में कमी हुई थी।

(ग) और (घ) देश में आम तौर पर औषधों की कोई कमी नहीं है। तथापि जब भी कमी की कोई सूचना मिलती है, तब राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण तत्काल निवारक उपाय करता है।

''कपार्ट'' द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

4. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) द्वारा राज्य–वार किन–किन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार को एजेन्सियों द्वारा अनियमितताएं किए जाने संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) दोषी संगठनों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है जिसमें उन्हें आगे सहायता बंद श्रेणी, काली सूची वाली श्रेणी में डालना तथा कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मामले की उचित जांच करने के बाद कपार्ट द्वारा उन्हें जारी की गई निधियों की वसूली करना शामिल है।

विवरण

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या		
		1997–98	1998–99	1999- 2000
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
2.	आंध प्रदेश	186	159	40

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	5	3
4.	असम	37	28	26
5.	बिहार	189	24	39
6.	चण्डीगढ़	–	–	4
7.	दिल्ली	6	2	1
8.	गोवा	–	–	–
9.	गुजरात	79	18	13
10.	हरियाणा	7	16	30
11.	हिमाचल प्रदेश	9	26	38
12.	जम्मू व कश्मीर	4	10	7
13.	कर्नाटक	43	19	23
14.	केरल	24	16	14
15.	मध्य प्रदेश	25	34	25
16.	महाराष्ट्र	31	23	45
17.	मणिपुर	39	24	16
18.	मेघालय	2	3	3
19.	मिजोरम	2	–	–
20.	नागालैण्ड	6	1	2
21.	उड़ीसा	96	97	78
22.	पाण्डिचेरी	1	–	–
23.	पंजाब	–	2	3
24.	राजस्थान	22	5	3
25.	तमिलनाडु	113	54	27
26.	त्रिपुरा	4	4	4
27.	उत्तर प्रदेश	178	20	57
28.	वेस्ट बंगाल	80	81	53
29.	सिक्किम	–	2	1
	कुल	1185	673	555

[हिन्दी]

उर्वरकों की खपत

5. **श्री राजो सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत कितनी है;

(ख) वर्ष 1999–2000 के दौरान राज्य को उपलब्ध कराई गई यूरिया और अन्य उर्वरकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उर्वरकों की आपूर्ति प्रत्येक राज्य को उनकी मांग के अनुरूप की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में उनकी मांग के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) 1999–2000 के दौरान बिहार में नाइट्रोजन 70.07 किलो, फॉस्फेट 20.81 किलो एवं पोटाश 6.31 किलो प्रति हैक्टेयर की अनुमानित खपत थी।

(ख) यूरिया एक मात्र नियंत्रित उर्वरक है जिसकी मांग की पूर्ति प्रत्येक राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आबंटन द्वारा की जाती है। अन्य सभी उर्वरक विनियित्रित हैं एवं उनकी उपलब्धता एवं आपूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। प्रमुख उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी एवं एमओपी की 1999–2000 के दौरान बिहार में उपलब्धता एवं बिक्री निम्नांकित है:–

लाख मी. टन में

	खरीफ 1999			रबी 1999–2000		
	यूरिया	डीएपी	एमओपी	यूरिया	डीएपी	एमओपी
उपलब्धता	861.65	240.80	55.00	796.21	238.14	77.29
बिक्री	692.11	186.67	37.23	663.56	201.95	64.15

(ग) जी, हां। प्रत्येक राज्य को यूरिया की आपूर्ति उनकी मांग के अनुसार थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसा कि उपरोक्त भाग (ख) में कहा गया है कि यूरिया अब एकमात्र उर्वरक है जिसकी मांग की आपूर्ति प्रत्येक राज्य में वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आबंटन द्वारा होती है। अपर्याप्त घरेलू उत्पादन की स्थिति में, सरकार यूरिया का आयात करती है।

1999–2000 के दौरान 5.33 लाख टन यूरिया का आयात किया गया था।

मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए ''ग्राम समूह पेयजल और सिंचाई योजना'' के अंतर्गत आबंटन

6. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक मध्य प्रदेश और राजस्थान को ''ग्राम समूह पेयजल और सिंचाई योजना'' के अंतर्गत कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ख) इन राज्यों में इस योजना के अंतर्गत शामिल किये गए क्षेत्रों का पृथक–पृथक स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): चूंकि भारत सरकार द्वारा ''ग्राम समूह पेयजल और सिंचाई योजना'' नामक कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है इसलिए मध्य प्रदेश और राजस्थान को इस योजना के अंतर्गत निधियां आबंटित नहीं की गई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

7. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 तथा 2001 के दौरान और आज तक प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी मात्रा में उर्वरकों की मांग की गई तथा इंडियन पोटाश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एफएसीटी, कृभको और एसओआईसी द्वारा कितनी मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की गई है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश को लगभग सभी प्रकार के उर्वरकों की आपूर्ति कम मात्रा में की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त राज्य को उर्वरकों की आपूर्ति अपेक्षित मात्रा में करने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उर्वरकों की कम आपूर्ति के कारण राज्य सरकार को हुए घाटों के लिए उन्हें प्रतिपूर्ति प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (च) एस ओ आई सी नाम कोई उर्वरक आपूर्तिकर्ता नहीं है। तथापि, यह माना जाता है कि उल्लिखित उर्वरक आपूर्तिकर्ता स्पिक है।

यूरिया एक मात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत है एवं जिसका राज्य वार आकलन एवं आबंटन आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) एक व्यापारिक कंपनी है एवं यूरिया का उत्पादन नहीं कर रही है। आई पी एल, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर. सी. एफ.), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एलएफएल), फैक्ट, कृभको एवं स्पिक के द्वारा वर्ष 2000–01 के दौरान विभिन्न राज्यों को किया गया यूरिया का आबंटन एवं आपूर्ति संलग्न विवरण–। में दर्शाया गयी है। आन्ध्र प्रदेश को यूरिया की आपूर्ति राज्य की आवश्यकतानुसार रही है एवं राज्य सरकार के लिए कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

सभी फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरक विनियंत्रित हैं एवं उनकी उपलब्धता मांग एवं आपूर्ति बाजार शक्तियों पर आश्रित है एवं सरकार द्वारा कोई आबंटन नहीं किया गया है।

उपर्युक्त कम्पनियों द्वारा 2000–01 के दौरान की गयी प्रमुख उर्वरकों की आपूर्ति संलग्न विवरण–।। में दी गयी है।

विवरण-।

खरीफ 2000 तथा रबी 2000–01 (31.1.2001 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों को फैक्ट, कृभको आई. पी. एल. यूरिया एन. एफ. एल., आर सी एफ तथा एस पी आई सी द्वारा यूरिया के इ सी ए आबंटन और उपलब्धता यूरिया

(000 टन)

विनिर्माता	राज्य	खरीफ, 2000		रबी, 2000–01	
		इ सी ए	उपलब्धता	इसीए	उपलब्धता (31.1.2001तक)
1	2	3	4	5	6
फैक्ट	आन्ध्र प्रदेश	40.04	30.59	43.56	27.48
	कर्नाटक	42.50	33.58	30.10	18.18

1	2	3	4	5	6
	केरल	48.30	37.60	41.59	30.00
	पांडिचेरी	1.09	1.09	1.50	0.56
	तमिलनाडु	40.17	35.74	60.24	48.10
फैक्ट कुल		172.10	138.60	176.99	124.31
कृभको	आन्ध्र प्रदेश	126.00	135.67	139.97	110.54
	बिहार	22.33	14.75	13.65	15.09
	दिल्ली	6.46	5.46	2.00	2.00
	गुजरात	128.01	128.11	94.10	40.32
	हरियाणा	30.05	38.43	69.83	69.63
	हिमाचल प्रदेश	2.21	2.59	2.38	2.71
	कर्नाटक	74.87	82.00	41.83	36.71
	मध्य प्रदेश	50.90	55.09	28.22	40.96
	महाराष्ट्र	223.01	224.30	67.59	51.74
	पंजाब	56.70	68.70	94.00	95.00
	राजस्थान	14.10	15.59	20.49	28.69
	तमिलनाडु	24.55	27.66	32.11	17.05
	उत्तर प्रदेश	64.00	81.40	163.45	144.88
	वेस्ट बंगाल			12.00	11.72
	चन्डीगढ़			5.22	1.23
	उत्तरांचल			9.04	6.37
कृभको कुल		823.19	879.75	795.88	674.64
आई पी एल	आंध्र प्रदेश	2.24	7.06	1.72	1.72
	हरियाणा	0.44	0.44	0.37	0.37
	पंजाब	1.18	1.18	0.16	0.16
	तमिलनाडु	0.00	7.05	2.03	2.03
आई पी एल कुल		3.86	15.73	4.28	4.27
एन.एफ.एल–भटिन्डा	पंजाब	226.06	240.47	217.47	172.46
	राजस्थान	22.63	24.73	59.65	51.06

1	2	3	4	5	6
एन.एफ.एल.कुल		248.69	265.20	277.12	223.52
एन.एफ.एल. नांगल	चंडीगढ़	0.30	0.00	0.25	0.00
	हिमाचाल प्रदेश	13.73	15.84	9.11	6.08
	जम्मू और कश्मीर	32.16	29.69	26.55	6.87
	पंजाब	161.51	152.22	135.20	97.16
एनएफएल–कुल		207.70	197.75	171.11	110.11
एनएफएल पानीपत	दिल्ली	1.00	0.00	10.00	0.00
	हरियाणा	223.29	223.57	272.95	232.12
	पंजाब	100.00	98.95	44.88	41.26
फएल–कुल		324.29	322.52	327.83	273.38
एनएफएल–विजयपुर	आंध्र प्रदेश	29.57	45.94	78.35	44.20
	बिहार	105.57	117.30	137.82	122.99
	हरियाणा	31.28	30.59	45.03	28.13
	मध्य प्रदेश	403.64	410.39	145.11	183.15
	महाराष्ट्र	176.19	167.15	84.00	56.99
	उड़ीसा	74.37	75.56	21.39	19.05
	राजस्थान	28.06	30.45	65.96	61.93
	चंडीगढ़	149.74	197.26	353.57	264.79
	छत्तीसगढ़			30.14	32.50
	झारखण्ड			13.91	3.25
	उतरांचल			6.45	3.16
एनएफएल–कुल		998.42	1074.64	981.73	820.14
आरसीएफ, थाल	आंध्र प्रदेश	153.00	146.89	185.56	135.79
	बिहार	0.92	0.92	0.02	0.02
	गुजरात	9.20	11.14	14.98	12.45
	हरियाणा	19.00	20.07	37.07	37.70
	कर्नाटक	134.70	124.46	55.48	34.47

1	2	3	4	5	6
	मध्य प्रदेश	33.87	34.56	11.46	12.83
	महाराष्ट्र	444.93	406.67	212.49	121.73
	उड़ीसा	0.03	0.03	0.00	0.00
	पंजाब	15.76	16.83	53.33	44.34
	राजस्थान			0.00	0.00
	तमिलनाडु	22.32	22.95	67.81	26.66
	उत्तर प्रदेश	26.52	25.38	130.38	115.60
	छतीसगढ़			8.38	6.38
	उत्तरांचल			2.00	0.00
आरसीएफ,	कुल	860.25	809.88	778.96	547.96
आरसीएफ, ट्राम्बे	आंध्र प्रदेश	22.60	22.12	16.74	14.82
	बिहार	5.50	5.54	7.09	6.83
	दमन और दीव	0.03	0.02		
	गुजरात	17.16	9.80	9.63	7.57
	कर्नाटक	43.43	43.47	25.73	22.06
	मध्य प्रदेश	11.36	11.08	7.96	7.86
	महाराष्ट्र	91.69	91.66	62.61	63.39
	तमिलनाडु	2.72	2.72	5.45	1.99
	उत्तर प्रदेश	6.64	6.63	22.36	17.33
आरसीएफ–कुल		201.13	193.04	157.57	141.84
आरसीएफ–आयातित	आंध्र प्रदेश	0.67	0.67	0.11	0.11
	हरियाणा	0.63	0.63	0.09	0.09
	कर्नाटक	0.43	0.43	0.03	0.03
	मध्य प्रदेश	2.33	2.33	0.06	0.06
	महाराष्ट्र	1.28	1.28	0.13	0.13
	पंजाब	0.66	0.66	0.66	0.66
	उत्तर प्रदेश	0.40	0.40	0.03	0.03
	वैस्ट बंगाल	0.00	0.11	0.11	0.11
आरसीएफ कुल		6.40	6.51	1.22	1.22

1	2	3	4	5	6
एसपीआईसी	अण्डमान और निकोबार	0.35	0.23	0.31	0.00
	आंध्र प्रदेश	82.99	82.97	50.22	52.78
	कर्नाटक	98.40	103.36	35.46	33.10
	केरल	17.01	17.05	14.87	8.89
	पांडिचेरी	5.50	5.50	4.86	3.74
	तमिलनाडु	175.94	180.51	176.18	175.31
एसपीआईसी कुल		380.19	389.62	281.90	273.83

विवरण-।।

खरीफ–2000 तथा रबी 2000–01 (31.1.2001 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों को फैक्ट, कृभकों, आई पी एल, आर सी एफ तथा एस पी आई सी द्वारा डी ए पी की उपलब्धता।

(000 टन)

विनिर्माता	राज्य	उपलब्धता	
		खरीफ 2000	रबी 2000–01 (तक 31.1.2000)
1	2	3	4
फैक्ट	कर्नाटक	0.271	0.228
आई पी एल	आध्र प्रदेश	1.572	0.485
	असम	0.8	0
	बिहार	3.162	3.115
	गुजरात	16.301	23.578
	हरियाणा	7.005	44.547
	जम्मू और कश्मीर	2.363	0.007
	कर्नाटक	20.932	5.999
	केरल	0.774	0.084
	मध्य प्रदेश	9.565	5.012
	महाराष्ट्र	8.011	2.35
	उड़ीसा	7.349	2.923
	पांडिचेरी	0.102	0
	पंजाब	26.55	66.061
	राजस्थान	31.415	37.482
	तमिलनाडु	3.246	0.289
	उत्तर प्रदेश	9.784	93.55
	वैस्ट बंगाल	0.075	0.075
आई.पी.एल.कुल		149.006	285.557
आरसीएफ	आध्र प्रदेश	0.502	0
	बिहार	0.203	0.004
	हरियाणा	0.604	0.597
	कर्नाटक	0.294	0.008
	मध्य प्रदेश	0.729	0
	महाराष्ट्र	15.808	1.948
	पंजाब	0.02	0.01
	उत्तर प्रदेश	0.002	0.002
	वैस्ट बंगाल	0.764	0.764
आर सी एफ कुल		18.926	3.333
एसपीआईसी	आंध्र प्रदेश	48.204	27.856
	बिहार	2.363	2.356

1	2	3	4
	दिल्ली	0.042	0
	हरियाणा	15.428	6.775
	कर्नाटक	52.434	15.106
	केरल	2.936	2.382
	मध्य प्रदेश	17.132	1.322
	महाराष्ट्र	18.28	23.901
	पांडिचेरी	2.86	2.856
	पंजाब	32.397	21.146
	राजस्थान	0.601	0.064
	तमिलनाडु	87.497	85.916
	उत्तर प्रदेश	8.672	13.341
	वैस्ट बंगाल	0.029	0.029
		288.875	203.05

खरीफ 2000 तथा रबी 2000–01 (31.1.2001 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों को फैक्ट, कृभको, आई पी एल, एन एफ एल, आर सी एफ तथा एस पी आई सी द्वारा यूरिया के इ सी ए आबंटन और उपलब्धता।

(000 टन में)

विनिर्माता	राज्य	उपलब्धता खरीफ 2000	रबी:2000–01 (तक 31.1.2000)
1	2	3	4
फैक्ट	आंध्र प्रदेश	15.08	2.76
	कर्नाटक	13.08	0.21
	केरल	36.22	20.17
	तमिलनाडु	14.94	3.91
फैक्ट कुल		79.33	27.04
आई. पी. एल	आंध्र प्रदेश	57.67	34.02
	आसम	17.43	19.46
	बिहार	14.55	28.02
	गुजरात	37.35	40.70
	हरियाणा	3.96	2.59
	हिमाचल प्रदेश	0.00	2.33
	जम्मू और कश्मीर	1.85	1.02
	कर्नाटक	89.80	28.89
	केरल	24.60	17.41
	मध्य प्रदेश	38.66	16.39
	महाराष्ट्र	92.82	32.95
	मणिपुर	0.02	0.00
	मेघालय	0.03	0.07
	मिजोरम	0.01	0.02
	उड़ीसा	47.88	13.12
	पांडिचेरी	1.92	1.50
	पंजाब	20.64	9.78
	राजस्थान	2.89	2.02
	तमिलनाडु	46.16	45.18
	त्रिपुरा	0.00	0.67
	उत्तर प्रदेश	19.80	42.62
	वैस्ट बंगाल	35.17	60.76
आई पी एल कुल		553.19	399.50
आर सी एफ	आंध्र प्रदेश	2.69	10.91
	बिहार	0.72	7.00
	गुजरात		0.45
	कर्नाटक	3.35	6.99
	महाराष्ट्र	8.99	20.30
	तमिलनाडु	7.14	15.54
	उत्तर प्रदेश	0.24	0.00
	वैस्ट बंगाल	0.00	14.02

1	2	3	4
आर.सी.एफ.कुल		23.13	75.22
एसपीआईसी	आंध्र प्रदेश	14.44	20.24
	बिहार	1.11	10.16
	हरियाणा	2.21	0.95
	कर्नाटक	22.93	7.92
	केरल	6.77	5.72
	महाराष्ट्र	2.29	1.77
	पांडिचेरी	0.52	1.18
	पंजाब	9.50	5.80
	राजस्थान	0.00	0.00
	तमिलनाडु	50.06	65.83
	उत्तर प्रदेश	13.87	20.75
	वेस्ट बंगाल	0.03	6.93
एसपीआईसी कुल		123.74	147.24

एन.एफ.एल. और कृभको एम ओ पी की आपूर्ति नहीं करते।

शिक्षा का निजीकरण

8. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **मानव संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नीति शिक्षा के निजीकरण की ओर उन्मुख है;

(ख) यदि हां, तो इस शिक्षा नीति के प्रति छात्रों और शिक्षकों के संगठनों ने अपनी गहरी आशंका व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक ग्रुपों सहित गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहन देने के साथ ही शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए कदम उठाए जाने का उल्लेख किया गया है।

(ख) से (घ) इस सम्बन्ध में व्यक्त की गई आशंकाओं को सरकार ने नोट कर लिया है।

''सेल'' में वेतन पुनरीक्षा

9. **श्री अशोक ना. मोहोल** :

श्री सुबोध मोहिते :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के कर्मचारियों की वेतन पुनरीक्षा पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो वेतन पुनरीक्षा के आधार पर संयंत्र-वार भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) वेतन पुनरीक्षा को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) के मामले में वैकल्पिक उपाय भी तैयार किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सेल के कर्मचारियों के वेतन संशोधन संबंधी मामले पर समझौता करने के लिए इस्पात उद्योग की राष्ट्रीय समिति, जो कर्मचारियों और प्रबन्धम के प्रतिनिधियों का एक मंच है, में कर्मचारियों की मांगों और कम्पनी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श/बातचीत की जानी है। वेतन संशोधन का कार्य पूरा करने की निश्चित समय सीमा बताना कठिन होगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सीबीएसई के पाठ्यक्रम में रक्षा संबंधी अध्ययन

10. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में रक्षा संबंधी अध्ययन को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या रक्षा विशेषज्ञ इस प्रस्ताव से असहमत है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विमानन मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो एक स्वशासी संगठन है, ने सूचित किया है कि एन. सी. सी. निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर बोर्ड ने वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में अपनी पाठ्यक्रमों में "रक्षा अध्ययन" नामक पाठ्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया है। एन. सी. सी. पाठ्यक्रम, सैनिक इतिहास के विषयों और रक्षा अध्ययन के विषयों जैसे संघटकों वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अध्ययन से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे सैनिक विज्ञान, सैनिक अध्ययन और रणनीति अध्ययन जैसे पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने तथा रक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने में मदद मिलेगी।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि पाठ्यक्रम की रूपात्मकताओं को तैयार करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित सलाहकार समिति में एन. सी. सी. निदेशालय और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ और सैनिक स्कूल/सी.आर.पी.एफ. स्कूल के प्रधानाचार्य शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सौन्दर्य प्रतियोगिता पर प्रतिबन्ध

11. **डा. मन्दा जगन्नाथ** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय महिला संगठनों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि सौन्दर्य प्रतियोगिताओं पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये जैसाकि उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किन-किन अन्य राज्यों ने सौंदर्य प्रतियोगिताओं पर प्रतिबन्ध लगाया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग को सौन्दर्य प्रतियोगिताओं पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में महिला संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है। सौन्दर्य प्रतियोगिताओं के आयोजन अथवा उन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राज्य सरकारों को महिला एवं बाल विकास विभाग का अनुमोदन नहीं लेना पड़ता।

राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

12. **कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने संस्थान की स्थापना हेतु निशुल्क भूमि प्रदान करने की पेशकश/वादा किया है; और

(घ) यदि हां, तो संस्थान को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, हां। राजस्थान सरकार ने एक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए निशुल्क भूमि तथा लगभग 10.00 करोड़ रु. के निवेश की पेशकश की है।

(घ) देश के प्रत्येक प्रमुख राज्य में प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने के मामले पर सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर गठित कार्यबल द्वारा हाल ही में विचार किया गया। कार्यबल ने सिफारिश की है कि सभी प्रमुख राज्यों को राज्य तथा केन्द्रीय वित्तपोषण और उद्योगों के सहयोग से सूचना प्रौद्योगिकी हेतु एक विशेष संस्थान के संवर्धन के लिए सुविधाएं दी जा सकती हैं। हालांकि, इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों हेतु विदेशी सहायता

13. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक और इतालवी सरकार के शिष्टमंडलों से हैदराबाद और सिकन्दराबाद दोनों शहरों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतक बल का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक और इतालवी सरकार दोनों ही परियोजना की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए धनराशि प्रदान करने पर सहमत हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) विश्व बैंक और इटली सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के साथ शहरी गांवों को कम करने की परियोजना की संभावना पर विचार–विमर्श कर रही है, तथापि ...टकों और स्थान के संबंध में परियोजना के कार्यक्रम को अंतिम ...दना बाकी है।

एमसीडी पार्किंग के ठेकेदार

14. **श्री पी. वेत्रिसेलवन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमसीडी के अनेक प्राधिकृत ठेकेदार पुलिसकर्मियों की सांठ–गांठ से लोगों से भारी शुल्क वसूल रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) दोषी पुलिस अधिकारियों/एमसीडी पार्किंग के ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम के पार्किंग स्थलों में ठेकेदारों द्वारा अधिक प्रभार वसूलने के संबंध में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमशः 12 और 3 है। तथापि, ऐसा कोई दृष्टांत ध्यान में नहीं आया है। जिसमें किसी पुलिस कर्मी की ठेकेदार के साथ सांठगांठ हो।

(ग) जबकि दिल्ली नगर निगम ने एक मामले में ठेका रद्द कर दिया है और अधिक प्रभार वसूलने के लिए ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया है, दिल्ली पुलिस ने सभी तीनों ठेकेदारों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं और अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

मामलों की छानबीन में विलंब

15. **श्री शिवाजी माने** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामलों की छानबीन में विलंब हेतु दिल्ली पुलिस की निन्दा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों की वर्ष–वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस को मामलों की शीघ्र छानबीन हेतु क्या टिप्पणी/सुझाव दिये गए हैं;

(घ) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने अपनी हाल की रिपोर्ट में पुलिस द्वारा छानबीन और इसके कार्यकरण हेतु भी कुछ उपाय सुझाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(च) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(छ) सरकार ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 491/2000 में दिल्ली पुलिस को 1993 से 30 जून, 2000 तक की अवधि के उन मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिनकी तहकीकात पूरी नहीं हुई थी।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में अन्य बातों के साथ–साथ, दिल्ली पुलिस में केवल अपराधों की ही जांच–पड़ताल करने के लिए अलग से एक जांच–पड़ताल विंग बनाने का सुझाव दिया था।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की मुख्य सिफारिशों में पुलिस स्टेशन स्तर पर जांच–पड़ताल और कानून और व्यवस्था ड्यूटियों को कार्यात्मक रूप में अलग–अलग करना, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में समर्पित अन्वेषक दल बनाने, जांच–पड़ताल की गुणता सुधारने के लिए जांच–पड़ताल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण देना, अपराध शाखा को एक पुलिस स्टेशन के

रूप में अधिसूचित करना, अन्वेषण अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना, अपराध निगरानी इकाई बनाना, प्रत्येक जिले में और अपराध शाखा के लिए एक चलती–फिरती अपराध टीम बनाना और विशिष्ट उपकरण प्राप्त करना, अपराध रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करना तथा खोजी कुत्ता दस्ते को बढ़ाना शामिल हैं।

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, जिसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी, से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की सलाह दी गई है ताकि सरकार इन सिफारिशों पर समयबद्ध रूप से अंतिम निर्णय ले सकें।

(छ) लम्बित मामलों की जांच पड़ताल शीघ्र पूरी करने के लिए उठाए गए कदमों में प्रत्येक मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रबोधन करना शामिल है।

विवरण

अपराध शीर्ष	1998		1999		2000	
	सूचित किए गए	जांच पड़ताल के लिए लंबित	सूचित किए गए	जांच पड़ताल के लिए लंबित	सूचित किए गए	जांच पड़ताल के लिए लंबित
डकैती	68	1	63	5	70	25
हत्या	658	37	654	86	586	286
हत्या का प्रयास	612	17	581	41	598	318
लूटपाट	822	12	727	30	758	349
दंगा	193	8	199	34	210	148
छीना झपटी	930	3	913	21	816	335
चोट पहुंचाना	2528	6	2200	68	2258	936
सेंधमारी	3765	5	3429	59	3453	1346
वाहनों की चोरी	8557	22	8079	108	8043	2581
अपहरण	942	8	983	90	980	469
व्यपहरण	364	22	391	54	366	173
धोखाधड़ी/जालसाजी	1802	243	1873	433	1940	1357
विविध भारतीय दंड संहिता	43659	325	39055	1446	36171	13680
कुल भारतीय दंड संहिता	64900	709	59147	2475	56249	22003

[हिन्दी]

जिला प्राथमिकी शिक्षा कार्यक्रम

16. श्री पी. आर. खूंटे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जहां इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है और उसके लिए कितना आबंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत शामिल जिलों के नाम	1.11.2000 की स्थिति के अनुसार आबंटित निधि
	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (चरण–1)	
1.	बिलासपुर (जांजगीर और कोरबा समेत)	3331.59
2.	रायगढ़ (जशपुर समेत)	2883.12
3.	सरगुजा (कोरिया समेत)	3241.57
	राजनंदगांव (कावर्धा समेत)	2316.88
	कुल	11773.16
5.	बस्तर (दांतेवाड़ा एवं कांकेर समेत)	2792.16
6.	रायपुर (धमतरी एवं महासमुंद समेत)	2441.49
	कुल	5233.65
	कुल योग	17006.81

[अनुवाद]

कर्नाटक में इंजीनियरिंग कॉलेज

17. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में 36 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कॉलेजों की पाठ्यक्रम–वार प्रवेश क्षमता क्या है;

(घ) क्या राज्य में वर्तमान इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश क्षमता में भी वृद्धि की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) परिषद ने तकनीकी संस्थानों की स्थापना करने तथा वर्ष 2001–2002 के लिए दाखिला क्षमता में वृद्धि करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। आवेदन पत्रों पर निर्णय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के निर्धारित नियमों, विनियमों और मानदण्डों तथा मानकों के अनुसार पूरी की जाने वाली विभिन्न शर्तों पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा में चक्रवात प्रभावित नगरों का विकास

18. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से विश्व बैंक की सहायता से चक्रवात प्रभावित लघु और मध्यम दर्जे के नगरों के विकास हेतु परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन कस्बों के विकास के लिए विश्व बैंक से धन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने ओड़िसा के तूफान प्रभावित छोटे व मझोले कस्बों के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। तथापि, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने सूचित किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आई डी ए) ने ओडिसा से भीषण तूफान प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के लिए 46.00 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। इस आशय के पत्र पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ओडिसा जल संसाधन समेकन परियोजना (उड़ीसा वाटर रिसोर्सेज कंसोलिडेशन प्रोजेक्ट) में संशोधन करते हुए, भारत सरकार ओडिसा सरकार व विश्व बैंक द्वारा 19 दिसम्बर, 2000 को हस्ताक्षर करके पुष्टि की जा चुकी है।

परियोजना में बैंक से वित्त पोषित चालू क्रियाकलापों का मुख्यतया ऋण/उधार प्राप्तियों का पुनर्नियतन के जरिये इस्तेमाल

करके और चालू संविदाओं में संशोधन करके, पुनर्निर्माण कार्य शुरू करके तथा साथ ही मानवीय सहायता कार्यक्रमों को अपनाकर फौरी आपतिक समाधान तलाशकर ओडिसा के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और तूफान प्रशमन कार्य करने का प्रावधान है परियोजना में एक मध्यम अवधि की योजना बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें समुद्र तटीय जोन प्रबंधन, गरीबी उपशमन और आपदा प्रशमन क्रियाकलाप शामिल हैं।

राज्य में पुनर्स्थापन, पुनर्निर्माण और पुर्नवास कार्यों के लिए सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत ओडिसा राज्य आपदा प्रशमन प्राधिकरण (ओडिसा राज्य स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन अथारिटी) नामक एक स्वायत्त एजेंसी का गठन किया गया है। वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) में परियोजना प्रबंध, यूनिट द्वारा ओडिसा राज्य आपदा प्रशमन प्राधिकरण को ओडिसा सरकार को सूचित करते हुए सीधे धन जारी करने का भी प्रावधान है। मानक केन्द्र–राज्य फार्मूला के अनुसार फंड की देनदारियां ओड़िसा सरकार वहन करेगी।

नाइट्रोजनित उर्वरक

19. श्री अनंत गुढ़े : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्यतया यूरिया से संबंधित सीधे नाइट्रोजनित उर्वरकों के उत्पादन में अन्य यूरिया के लिए धारण मूल्य योजना को समाप्त करने के समय की अनिश्चितता को देखते हुए अभी हाल के महीनों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उर्वरक और रसायन क्षेत्र में निजी तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाये गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है और इस उद्योग में विकास की क्या संभावनाएं हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सीधे नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक अर्थात यूरिया का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादित 168.37 लाख टन की तुलना में अप्रैल 2000 से जनवरी 2001 के दौरान 169.01 लाख टन रहा है।

(ग) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं/रियायतें इस समय सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग को उपलब्ध कराई गई हैं:–

i. औद्योगिक नीति संकल्प दिनांक 24 जुलाई, 1991 के अनुसार, पर्यावरण मंजूरी के अलावा उर्वरक संयंत्र को लगाने/विस्तार करने के लिए सामान्य रूप से किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है।

ii. उर्वरक परियोजनाओं को पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं की समनिर्यात लाभ बशर्ते कि अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसी आपूर्ति की जाती है।

iii. प्रतिधारण मूल्य–सह–राजसहायता योजना जो इस समय मौजूदा यूरिया क्षमता पर लागू है, के अधीन उद्यमियों को निवेश पर मुनासिब लाभ।

iv. अनियंत्रित फॉस्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत।

v. नए उर्वरक संयंत्र को लगाने के लिए पूंजीगत माल का आयात/सीमाशुल्क की रियायती दरों पर मौजूदा यूनिटों का आधुनिकीकरण।

vi. सीमाशुल्क की रियायती दरों पर उर्वरक कच्चे तथा मध्यवर्तियों का आयात।

2. रसायनिक क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:–

i. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए ओटोमेटिक रूट तक पहुंच को सुगम बनाया गया है।

ii. कुछ खतरनाक रसायनों को छोड कर रसायनों के निर्माण को लाइसेंस मुक्त किया गया है।

iii. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों के विचारार्थ समय सीमा को सरकार का निर्णय सूचित करने हेतु 6 सप्ताह से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।

iv. भारतीय धारिता वाली विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों की प्राथमिकता के क्रियाकलापों में डाऊन–स्ट्रीम निवेश के लिए एफआईपीडी/सरकार का पूर्व और विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को विशिष्ट शर्तों के साथ समाप्त किया गया है।

v. विदेशी निवेशकों और सरकारीतंत्र, केन्द्रीय और

राज्य दोनों स्तरों, के बीच एकल पटल सुविधा प्रदान करने के लिए विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफआईआईए) की स्थापना की गई है।

राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के लिये भवन

20. **श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिये दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालयों हेतु सरकारी भवन आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उन मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय राजस्तरीय राजनैतिक दलों क नाम क्या हैं जिन्हें अब भी भवन आबंटित नहीं किया गए हैं; और

(घ) उन्हें कब तक भवन आबंटित किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तर की राजनैतिक पार्टियों को कार्यालय वास मुहैया करने का निर्णय किया गया है, बशर्ते कि मंत्रिमंडल की आवास समिति की राय में उसका संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तथा योग्यता आधार पर मंत्रिमंडलीय आवास समिति द्वारा आबंटन के लिए उस मामले पर स्वीकृति दे दी गयी हो।

(ग) और (घ) राज्य स्तरीय राजनैतिक पार्टियों, जिन्हें भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, के अलग-अलग अनुरोध को मंत्रिमंडल की आवास समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

तिहाड़ जेल में नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी

21. **श्री रामचन्द्र पासवान : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिहाड़ जेल में नशीली दवाओं और हथियारों की बेरोकटोक तस्करी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो खामियों और इस तरह की गतिविधियों में जेल अधिकारियों की संलिप्तता की संभावना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में हथियारों की तस्करी का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। यद्यपि, पिछले वर्ष के दौरान, केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में कैदियों द्वारा नशीली दवाईयों की तस्करी के 14 मामलों का पता लगाया गया।

(ख) और (ग) लगभग 1000 कैदियों के सगे-संबंधी, मित्र इत्यादि प्रतिदिन उनसे मिलते हैं जिनसे वे खाने-पीने की वस्तुएं इत्यादि प्राप्त करते हैं। इससे उन्हें खाने-पीने और इसी प्रकार की रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुओं में तम्बाकू, स्मैक इत्यादि जैसी निषिद्ध वस्तुओं को छिपाकर अन्दर लाने का मौका मिल जाता है। तथापि, जेलकर्मी ऐसी घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयत्न करते हैं। पिछले वर्ष के दौरान इस प्रकार की वस्तुओं की तस्करी के किसी भी मामले में जेल कर्मियों की संलिप्तता ध्यान में नहीं आई।

(घ) निषिद्ध वस्तुओं को जेल में ले जाने से रोकने के लिए जेल प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों में जेल परिसर में दाखिले होने और बाहर निकलने से पूर्व स्टाफ और मिलने वालों की तालाशी और जाम-तलाशी लेना, वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में आकस्मिक तलाशियां लेना और जाम-तलाशी दल द्वारा निषिद्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए अतिआधुनिक उपकरणों जैसे मैटल डी-टैक्टर, गहन तलाशी मैटल डीटैक्टर, सैलफोन डीटैक्टर का प्रयोग शामिल है।

अस्पतालों के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि

22. **श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में अस्पतालों के विस्तार हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार योग अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र को तुरंत जमीन आबंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन अन्य अस्पतालों को अतिरिक्त भूमि दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी हां। आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की मार्फत योग परिवर्द्धन और प्रसरण के लिए 5.1.2001 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (आई एस एम व एच विभाग) को गोल मार्केट संस्थाई क्षेत्र में 1.866 एकड़ अतिरिक्त भूमि आबंटित की गई है।

(ङ) इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर

23. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी. एस.आई.आर.) के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर (एस. ई. आर.सी.) की स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संस्थान को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों में एस. ई. आर. सी. ने काफी अनुभव प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो एस. ई. आर. सी. के वर्तमान में मुख्य कार्य क्या हैं;

(ङ) क्या एस. ई. आर. सी. को अपने खर्चों को पूरा करने हेतु निजी कार्य करने के लिए कहने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) चेन्नई तथा गाजियाबाद स्थित दो संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र (एसईआरसी) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की घटक इकाइयां हैं।

(ख) जी हां। सिविल एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी के क्षेत्र से जुड़ी सीएसआईआर की चार राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निष्पादन कार्य की विशिष्ट समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआईआर सोसाइटी ने गाजियाबाद स्थित संरचना अभियांत्रिकी केन्द्र को बंद करने का अनुमोदन प्रदान किया।

(ग) इस समीक्षा समिति ने संरचना अभियांत्रिकी केन्द्रों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई अनुसंधान एवं विकास गतिविधि के एक जीवन्त केन्द्र के रूप में सामने आया है और इसके प्रयासों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है जबकि संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद कौशलों एवं क्षमताओं को स्थापित करने के लिए संघर्ष करता रहा है और यह केन्द्र अब तक कोई महत्वपूर्ण अनुसंधान क्रियाकलाप नहीं कर पाया है। अतः इस समिति का मानना था कि दो संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्रों की कोई आवश्यकता नहीं है और इस समिति ने संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद को बंद करने की सिफारिश की।

(घ) ये संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र मुख्यतः विश्लेषण, डिजाइन, निर्माण तथा संरचनाओं के सभी प्रकारों के परीक्षण विषयक तकनीकी जानकारी विकसित करने एवं संरचना अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में मूल तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करते हैं।

(ङ) जी नहीं,

(च) प्रश्न नहीं उठता।

जैमरों की कमी

24. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा बलों को रिमोट संचालित बमों का प्रभाव समाप्त करने के लिए जैमरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन जैमरों का आयात करने या इनका देश में ही निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) सुरक्षा उपकरण प्राप्त करना एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, सुरक्षा बलों के लिए जैमरों की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) जैमरों का निर्माण भारत में किया जाता है और आवश्यकतानुसार इनका आयात भी किया जाता है। आयात का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ लम्बित नहीं है।

कपार्ट के कार्यकरण की जांच

25. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कपार्ट के कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उधारकर्ताओं ने बड़ी मात्रा में कपार्ट को ऋण का भुगतान नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनसे बकाये ऋण की वसूली हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) कपार्ट की कार्य प्रणाली से संबंधित नीतिगत दिशा निर्देश सरकार के पास विचाराधीन हैं।

(ङ) कपार्ट किसी भी एजेंसी/उधार लेने वाले को ऋण प्रदान नहीं करता है।

आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

26. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में आये भूकम्प को देखते हुए भारतीय दूरसंवेदी संस्थान देहरादून ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फार एरोस्पेस सर्वे एण्ड अर्थ साइसेंज, नीदरलैंड्स के सहयोग से आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय दूर संवेदी संस्थान (आई. आई. आर. एस.) देहरादून तथा दि इण्टरनेशनल इंस्टिटयूट फॉर एयरोस्पेस सर्वे एण्ड अर्थ साइंसेज (आई. टी. सी.),नीदरलैण्ड की भागीदारी से चल रहीं सहयोजित परियोजना के एक भाग के रुप में आई. आई. आर. एस. का एक प्रस्ताव यह है कि 2001 से स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा एम.एस.सी. स्तर पर पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा आपदा प्रबन्धन से जुडे हुए दो नए कार्यक्रम चलाए जाये। पाठ्यक्रम में जो शीर्षक शामिल किए गए हैं उनमें फोटोग्रामीटरी, दूर संवेदन तथा पर्यावरणीय अनुमानन के लिए भूआसूचना और आपदा प्रबन्धन प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

27. श्री अमर रायप्रधान : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 19.12.2000 के अतारांकित **प्रश्न संख्या 4564** के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की जानकारी में लाई गई राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की वर्तमान प्रणाली की खामियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन खामियों को दूर करने हेतु कब तक कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की विद्यमान प्रणाली में सरकार के ध्यान में लाई गई कमियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं;

1. प्रत्यायित संस्थानों (अध्ययन केन्द्रों) के समन्वय कर्ताओं के आवेदकों के साथ व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता है।

2. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा जारी की गई विवरण पत्रिका में और अधिक ब्यौरे होने चाहिए जिससे कि छात्रों को असुविधा न हो।

3. आवेदकों को अपने आवेदन पत्र हिन्दी में भा भरने की अनुमति होनी चाहिए।

(ख) समय–समय पर प्रत्यायित संस्थानों (अध्ययन केन्द्रों) के समन्वयकर्ताओं के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना, विवरण पत्रिका की विषय वस्तु में सुधार करना, अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी छात्रों को आवेदन पत्र भरने की अनुमति देना और कार्य के आधार पर प्रत्यायित संस्थानों के कार्यकरण को सरल बनाना, इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कुछ कदम हैं।

बिहार में तकनीकी संस्थान

28. श्री मंजय लाल :

श्री अरूण कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार से राज्य में कुछ प्रबंधन और तकनकी संस्थान खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) बिहार सरकार से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस समय भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में कोई नया तकनीकी संस्थान स्थापित करने पर विचार नहीं कर रही है।

गोपालपुर से इलाहाबाद तक गैस लाइन

29. **श्री सुनील खां** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने 20 सितम्बर, 2000 को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.) की दुर्गापुर इकाई के महाप्रबन्धक और आयल एण्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात की अल मनहल कंपनी से इस बात के लिए अनुरोध किया है कि वह गोपालपुर से इलाहाबाद की अपनी प्रस्तावित गैस लाइन का मार्ग, दुर्गापुर होते हुए बदले;

(ग) यदि हां, तो एच. एफ. सी. एल. की दुर्गापुर इकाई की अधिकतम आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "अमिगन्वावासी" और पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के बीच आगामी भविष्य में किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) वावासी आयल एण्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा 20 सितम्बर 2000 को एचएफसीएल, दुर्गापुर सहित सम्भावित गैस प्रयोगकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गयी थी।

(ख) अपनी योजनाओं की बैठक के दौरान वावासी आयल एण्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तुतीकरण किया जिसमें यह दर्शाया गया कि प्रस्तावित पाईप लाइन का पुनः मार्गीकरण गोरखपुर से इलाहाबाद तक वाया पश्चिम बंगाल व्यवहारिक होगा, बशर्ते कि कुछ वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर दिया जाये।

(ग) मामले पर ठोस रूप से चर्चा नहीं की गयी थी।

(घ) और (ङ) चूंकि वावासी गैस ऑयल एण्ड प्राइवेट लिमिटेड एक समझौता ज्ञापन का प्रारूप पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को प्रस्तुत किया है, उस पर कोई आगे की कार्रवाही पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अतिरिक्त मंजिल का निर्माण

30. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पहले से निर्मित इमारतों में अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिये विभिन्न क्षेत्रों में मंजूर की गई निर्माण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) इस संबंध में योजना/भवन नियंत्रण मानदंड में किए गए उपांतरण संलग्न विवरण–। और ।। के अनुसार हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण-।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
(शहरी विकास विभाग)
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1998

का.आ. 623 (ई)–यतः भवन निर्माण उप नियम 1983 पिछले कुछ समय में सरकार के विचाराधीन है;

यतः, एकीकृत भवन निर्माण उप नियम तथा दिल्ली की मास्टर प्लान–2001 में तज्जन्य उपांतरणों की, विशेषकर प्रो. वी. के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आलोक में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विस्तृत जांच की गई है।

यतः, दिल्ली मास्टर प्लान 2001, में प्रस्तावित उपांतरणों के बारे में सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा 20.5.98 को सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए थे।

यतः ये नोटिस दिनांक 24.5.98 के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे।

यतः मंत्रालय में प्राप्त 290 आपत्तियों/सुझावों की नगर और ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य नियोजक की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर परिषद के प्रतिनिधि भी शामिल थे, ने जांच की तथा समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.7.1998 को सरकार को प्राप्त हो गई है।

और यतः, मामले के सभी पहलुओ पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान – 2001 में उपांतरण करने का निर्णय लिया है।

अतः, अब, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के खण्ड 11 ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के अनुलग्नक के अनुसार उपांतरण करती है।

(संख्या के – 12016/5/79–डीडी 1ए/वीए/1बी)

सुरेन्द्र मोहन, डेस्क अधिकारी

1. भारत के राजपत्र दिनांक 1.8.90 के पृष्ट 159 (दांयी ओर) तथा 15.5.95 को अधिसूचना के अधिक्रमण में, रिहायशी भूखण्ड-प्लाटबद्ध आवास (001) की तालिका और पाद टिप्पणी को निम्नलिखित प्रकार से उपांतरण किया जाता है:-

क्र.सं.	प्लाटों का क्षेत्र (वर्गमीटर)	अधिकतम ग्राउन्ड कवरेज (प्रतिशत)	फर्शी क्षेत्र अनुपात	रिहायशी मकानों की संख्या	अधिकतम ऊंचाई (मीटर)
1.	32 से कम	75	225	1	12.5
2.	32 से 50 तक	75	225	2	12.5
3.	50 से 100 तक	75	225	3	12.5
4.	100 से 250 तक	66.66	200	3	12.5
5.	250 से 500 तक	50	150	3 (4)	12.5
6.	500 से 1000 तक	40	120	6 (8)	12.5
7.	1000 से 1500 तक	33.33	100	6 (8)	12.5
8.	1500 से 2250 तक	33.33	100	9 (12)	12.5
9.	2250 से 3000 तक	33.33	100	12 (16)	12.5
10.	3000 से 3750 तक	33.33	100	15 (20)	12.5
11.	3750 से अधिक	33.33	100	18 (24)	12.5

टिप्पणी

दिनांक 15.5.95 की अधिसूचना द्वारा स्वीकृत एफ ए आर (फर्शी क्षेत्र अनुपात) बेसमेंट सहित से अधिक, उपर्युक्त तालिका के अनुसार अतिरिक्त एफ ए आर पर शुल्क की अनुमति होगी, और/या भवन निर्माण उप नियमों में निर्दिष्ट दरों पर या समय-समय पर सरकार द्वारा यथा संशोधित आदेशों के अनुसार विकास प्रभार लिये जायेंगे।

(ii) 250 वर्गमीटर से अधिक के प्लाटों के प्रसंग में, जो 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर या इसके सामने पड़ते हैं (क) एफ ए आर का विस्तार अधिकतम ग्राउन्ड फ्लोर कवरेज तक किया जायेगा, (ख) अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर होगी, तथा (ग) रिहायशी मकानों की संख्या वह होगी, जो कोष्ठक में दी गई है।

(iv) (क) बेसमेंट

(1) प्लाटबद्ध के विकास में यदि बेसमेंट का निर्माण हो गया है, तो उसे एफ ए आर में शामिल नहीं किया जाएगा।

(2) बेसमेंट का क्षेत्रफल ग्राउन्ड फ्लोर के कवरेज से अधिक नहीं होगा और यह ग्राउन्ड फ्लोर के नीचे होगा। तथापि, बेसमेंट के क्षेत्रफल को भीतरी आंगन तथा शाफ्ट के नीचे बढ़ाया जा सकता है।

दिनांक 15.5.95 की अधिसूचना की शेष सभी पाद टिप्पणी अर्थात (i) और (v) से (xi) यथावत रहेगी।

2. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र के पृष्ट संख्या 160 (बायीं ओर) पर रिहायशी प्लाट–समूह आवास (002) के नीचे निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्द्धन किए जाते हैं:–

अधिकतम एफ ए आर	167
अधिकतम ऊंचाई	33 मीटर

टिप्पणी

अतिरिक्त एफ ए आर पर शुल्क और/या अतिरिक्त एफ ए आर के लिए विकास प्रभार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर लिया जायेगा।

अन्य नियंत्रण

(i) प्रति हेक्टेयर 175 रिहायशी मकानों की दर से आवास घनत्व की अनुमति होगी, जिसमें 15 प्रतिशत की घट–बढ़ हो सकती है। इसका उल्लेख, क्षेत्र के लिए निर्धारित सकल रिहायशी घनत्व को ध्यान में रखकर, क्षेत्रीय नक्शे/विन्यास में करना होगा। स्वीकृति के स्तर पर घनत्व में अधिकतम घट–बढ़ 5 प्रतिशत की होगी।

बंगला क्षेत्र (भाग डिवीजन घ) तथा सिविल लाइन्स क्षेत्र (भाग डिवीजन ग) के प्रसंग में समूह आवास कालोनियों में रिहायशी घनत्व विस्तृत नक्शों के आधार पर नियत किया जायेगा।

(iv) सामुदायिक/मनोरंजन हाल, क्रैच, पुस्तकालय, वाचनालय तथा सोसायटी कार्यालय जैसी सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए अधिकतम 400 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त एफ ए आर की अनुमति दी जायेगी।

रिहायशी प्लाट–ग्रुप हाऊसिंग (002) के नीचे के भाग में अनुमत्य गतिविधियों के अंतर्गत पृष्ट 155 (बाएं ओर) पर क्रेच तथा डे–केयर सेंटर के अधीन प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

सामुदायिक/मनोरंजन हाल, पुस्तकालय, वाचनालय और सोसायटी कार्यालय के लिए ग्राउंड फ्लोर पर इनकी अनुमति दी गई है।

3. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र में पृष्ठ 166 (बाएं हाथ पर) व्यवसायिक गतिविधियों के अधीन उपबंध को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

रिहायशी प्लाटों तथा फ्लैटों में किसी भी मंजिल पर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जायेगी।

आवास के एक भाग, जो एफ ए आर का अधिकतम 25 प्रतिशत या 100 वर्गमीटर इनमें से जो भी कम हो, को व्यवसायिक कौशल पर आधारित सेवाएं मुहैया कराने के लिए गैर ध्वनि प्रदूषण वाली गतिविधियों के लिए रिहायशी कार्यों से अलग उपयोग किया जा सकता है।

फार्म हाऊस (135)

4. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 164 (आर एच एस) पर सारणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

(i)	फार्म हाऊस का न्यूनतम आकार	0.8 हेक्टेयर
(ii)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	5 प्रतिशत
(iii)	अधिकतम एफ ए आर	5 (अधिकतम 500 वर्गमीटर की शर्त पर फार्म का आकार कितना भी हो)
(iv)	मंजिलों की संख्या	2
(v)	अधिकतम ऊंचा	8 मीटर

बेसमेंट सहित सभी निर्माण, यदि कोई हो, को एफ ए आर में शामिल किया जाएगा।

भूस्वामियों को ले–आउट प्लान के अनुसार परिचालन नेटवर्क पर आधारभूत आवश्यकताओं के लिए मुफ्त में भूमि देनी होगी। इससे उनको कुल क्षेत्र पर एफ ए आर से लाभ प्राप्त होगा।

दिनांक 1.8.00 की भारत सरकार की गजट अधिसूचना के द्वारा उपर्युक्त अनुमत्य के अलावा अतिरिक्त एफ ए आर पर शुल्क और / या विकास प्रभार समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जाएगा।

विवरण - II

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून 2000

का. आ. 557(ई.)–दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 349 ए और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 260 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 483 और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम की धारा 388 में यथा अपेक्षित एकीकृत भवन उप नियम, 1983 उस सीमा तक उपांतरित समझे जाएंगे, जिस सीमा को मंत्रालय की 23 जुलाई, 1998 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुलग्नक के पैरा 1 से 3 में उल्लेख है। संशोधित भवन उप नियमों के अनुसार स्वीकृत किए जाने वाले भवन नक्शे, विन्यास नक्शे और सर्विस नक्शे जो पहले से मंजूर हैं, के अनुसार होंगे और ऐसे कोई भी विन्यास/सर्विस नक्शे तब तक संशोधित नहीं किए जाएंगे जब तक बढ़ी हुई निगम सेवाएं जैसे बिजली, पानी, गन्दे पानी की निकासी सड़क चौड़ाई, परिचालन, वाहन ठहराव स्थल, उद्यान (हरित क्षेत्र) आदि के प्रावधान नहीं किए जाते। किसी भी भू–खण्ड आवास को समूह आवास में नहीं बदला जा सकता।

[सं. के–120[16/5/79–डीडी–1ए/वीए/–1बी (भाग)]

आर. एस. गुसाईं, अवर सचिव

[अनुवाद]

कर्नाटक में आंगनवाड़ी केन्द्र

31. **श्री आर. एस. पाटिल :**

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं में राज्य के 27 जिलों को शामिल करने हेतु 6655 अतिरिक्त आंगनवाडी केन्द्रों को मंजूरी प्रदान करने के लिए एक वर्ष पहले प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण, सरकार प्रस्ताव को मानने में असमर्थ है।

पश्चिम बंगाल के नाम में परिवर्तन

32. **श्री लक्ष्मण सेठ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला रखने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 3(ड) के अन्तर्गत जो भी आवश्यक कदम हो उठाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। राज्य के अनुरोध की जांच की जा रही है।

ब्रिटेन द्वारा वित्तीय सहायता

33. **श्री टी. एम. सेल्वागनपति :**

श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन ने गरीबी दूर करने के प्रयासों में भारत की मदद करने हेतु वित्तीय सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते के नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किये जाने

का प्रस्ताव है और इससे कौन–कौन से उद्देश्य प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को राज्यवार कितना धन प्रदान किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि गरीबी उपशमन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सारी सहायता अनुदान शर्तों पर राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों को दी जा सकती हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सम्भावित धनराशि के ब्यौरों के लिए कृपया विवरण देखें।

(ग) धनराशि का उपयोग गरीब लोगों के लिए बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी एवं सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्राकृतिक एवं वास्तविक पर्यावरण के बेहतर प्रबंध को प्रोत्साहित करने एवं गरीबों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को और अधिक अधिकार देने को बढ़ावा देने जैसे उद्देश्यों को हासिल करने के लिए शुरू की गई सार्वजनिक नीतियों एवं सेवाओं से गरीबी का प्रभाव घटाने में और सुधार लाने के लिए किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

डी. एफ. आई. डी.–यू. के. से सहायता प्राप्त चल रहे स्लम सुधार/गरीबी उपशमन परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	मुहैया करायी जाने वाली सम्भावित राशि	अवधि
1	2	3	4	
1.	आंध्र प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना	आंध्र प्रदेश	94.4 मिलियन ब्रिटिश पौण्ड*	3.6.1999 से 2.5.2006
2.	कलकत्ता स्लम सुधार परियोजना (फेज–। सी)	पश्चिम बंगाल	12.01 करोड़	1.4.1998 से 31.03.2001
3.	कटक शहरी सेवा सुधार परियोजना (मुख्य चरण)	उड़ीसा	67.00 करोड़	1.4.1999 से 31.3.2003
4.	कोचीन शहरी गरीबी न्यूनीकरण परियोजना (मुख्य चरण)	केरल	66.00 करोड़	1.4.1998 से 31.03.2003

*नकद दामो में।

मानवाधिकारों का संरक्षण

34. **श्री विजय हान्दिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पुलिस हिरासत और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे अन्य अभिकरणों के हाथों उत्पीड़न और यहां तक की मृत्यु होने से संबंधित याचिकाएं प्रतिदिन प्राप्त होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार नागरिकों के साथ किए जा रहे बल प्रयोग और अन्य क्रूर और अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध मानवाधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सरकार देश में मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध है। अनेक ऐसे कानूनी और संवैधानिक प्रावधान हैं जो यातना और अन्य क्रूर और अमानवीय व्यवहार सहित मानवाधिकारों के सभी प्रकार के उल्लंघनों के प्रति नागरिकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन को आगे और सुदृढ़ करने के लिए सरकार राज्य पुलिस बलों, सुरक्षा बलों को उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से सुग्राही बनाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई है जिन्हें यातना सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों को सुनने और उनकी जांच करने की शक्तियां प्राप्त हैं। जब कभी भी, यातना देने और मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं सरकार के ध्यान में लायी जाती हैं तो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को कानून के अनुसार दण्ड देने की हर कोशिश की जाती है।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला

35. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों/अपराधियों ने हाल ही में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं;

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में, दो पुलिस कर्मियों से ज्यादा के समूह में गश्त लगाना और अपराधियों की जामा तलाशी और खोज-बीन के आधुनिक तरीकों में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	जिला	प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. और तारीख	धाराएं जिनके अंतर्गत मामला दर्ज किया गया	पुलिस स्टेशन	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
	पूर्वी	24/20.1.2001	324 भा.द.सं.	कल्याण पुरी	1
2.	उत्तर पूर्वी	–	–	–	–
3.	नई दिल्ली	–	–	–	–
4.	उत्तरी	7/7.1.2001	302/307/186/353/34 भा. द. सं. और 27/54/59 शस्त्र अधिनियम	सिविल लाइन	2
5.	उत्तर पश्चिमी	–	–	–	–
6.	केन्द्रीय	32/30/1/2001	186/353/332/34 भा.द.सं.	प्रसाद नगर	2
	केन्द्रीय	48/4.2.2001	186/353/302/34 भा.द.सं. और 25/27/54/59 शस्त्र अधिनियम तथा 68/1/14 उत्पाद-शुल्क अधिनियम	राजेन्द्र नगर	1
7.	दक्षिण पश्चिमी	–	–	–	–
8.	पश्चिमी	–	–	–	–
9.	दक्षिणी	30/18.1.2001	186/353/332/307/34 भा.द.सं.	ओखला	–
	दक्षिणी	49/26.1.2001	186/353/307 भा.द.सं. और 27/54/59 शस्त्र अधिनियम	कालकाजी	1
	दक्षिणी	60/21.1.2001	186/332/353/356/307 भा. द. सं.	कालकाजी	1

एम. एफ. एल. का निजीकरण

36. **श्री रामशेठ ठाकुर :**

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एम. एफ. एल. में अपनी हिस्सेदारी को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त इकाई लाभ अर्जित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त इकाई के निजीकरण के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) विनिवेश आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में सरकार की 58.74 प्रतिशत की शेयरधारिता के हस्तांतरण से प्रबन्ध नियंत्रण के हस्तांतरण सहित अनुकूल बिक्री के माध्यम से अपनी 32.74% साम्य पूंजी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। कंपनी द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान अर्जित किया गया लाभ या उठायी गयी हानि इस प्रकार है:–

	रुपये करोड़ों में
1997–99	(–) 55.35
अप्रैल 98–सितम्बर 99 (18 महीने)	(–) 7.09
अक्तूबर 99–मार्च 2000	(+) 6.33

(घ) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में विनिवेश करने का निर्णय सरकार की इस घोषित नीति के अनुसार है कि सार्वजनिक क्षेत्र के गैर अनुकूल (गैर–महत्वपूर्ण) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में साम्य सामान्यतः 26% या इससे कम किया जाये।

मध्याह्न भोजन

37. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**

श्री निखिल कुमार चौधरी :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं और चावल उठाने में राज्य सरकारों की शिथिलता से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम निष्क्रिय हो गया है;

(ख) क्या यह योजना बीच में ही रुक गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश द्वारा अप्रैल और नवम्बर, 2000 के बीच केवल 6.25 लाख क्विंटल खाद्यान्न उठाया गया जबकि इसे 26 लाख क्विंटल से भी अधिक खाद्यान्न का आबंटन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो यह योजना कौन–कौन से राज्यों में सफल रही है;

(घ) क्या इसने उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है जिसके लिए इसे आरंभ किया गया था;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई नये दिशा–निर्देश तैयार किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषाहार सहायता नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजना योजना) के तहत उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों के बारे में कम अनाज उठाने की बात प्रकाश में आई है। ऐसे राज्यों से सुधार हेतु कदम उठाने के लिए आग्रह किया गया है।

योजना में पका पकाया भोजन/पूर्व पका भोजन वितरित करने की परिकल्पना है। गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश (आदिवासी ब्लाक), उडीसा, तमिलनाडु और पांडिचेरी में पका पकाया भोजन देने का कार्यक्रम अपनाया गया है। दिल्ली में खाने लायक तैयार भोजन वितरित किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। आपरेशन रिसर्च ग्रुप, नई दिल्ली नामक एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा दस राज्यों अर्थात असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम की सक्षमता और कारगरता का आंकलन करने के लिए एक अध्ययन कराया गया है। रिपोर्ट के निष्कर्षों में यह बताया गया है कि इस कार्यक्रम में असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नामांकन को गति प्रदान की है, और 6 अन्य राज्यों में उपस्थिति और छात्रों को स्कूल में बनाये रखने पर इसका अनुरूप असर पड़ा है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

कार्बनिक और जैव-उर्वरक संयंत्र

38. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में कुछ कार्बनिक और जैव–उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में इस समय कितने उर्वरक संयंत्र हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में उर्वरकों के कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने तमिलनाडु में उर्वरक इकाईयों को विकसित करने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करने के लिए समिति गठित की है;

(च) यदि हां, तो इस समिति में कितने सदस्य हैं; और

(छ) समिति ने क्षेत्रवार क्या–क्या कार्य किए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने "जैव उर्वरकों के विकास तथा प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" स्कीम के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित जैव उर्वरक उत्पादन करने वाले संयंत्रों को धन राशि दी है:–

का नाम	क्षमता	दी गयी रकम (लाख रुपये में)	प्रयोग की गयी रकम (लाख रु. में)	वर्ष
कृषि विभाग कुडूमियामालिया	75	13.00	13.00	1990–91
कृषि विभाग सेलम	75	13.00	13.00	1989–90
एसाविन एडवांस टेकनोलोजिज लिमिटेड, चेन्नई	150	10.00	10.00	1998–99
एमएफएल, चेन्नई	75	13.00	13.00	1989–90
सीमा कॉटन डेवलपमेंट रिसर्च एसोसियेशन कोयम्बटूर	75	13.00	13.00	1992–93
सदर्न पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, चेन्नई	75	13.00	13.00	1991–92
दी स्टेन्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड कोयम्बटूर	75	13.00	13.00	1991–92

नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान तमिलनाडु में इस योजना के अन्तर्गत जैव उर्वरक उत्पादन करने वाली एककों को स्थापित करने के लिए कोई अनुदान देने का प्रस्ताव नहीं है।

खाद के रूप में शहरी कम्पोस्ट तैयार करने तथा प्रोन्नत के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम "उर्वरकों के संतुलित तथा एकीकृत उपयोग" के अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका को 20.00 लाख रुपये

की दर से 1993–94 से 1996–97 तक के दौरान विभिन्न नगरपालिकाओं को अनुदान दिए गए थे। इस योजना के अन्तर्गत 90.20 लाख रुपये की धनराशि के अनुदान आठवीं योजना के दौरान तमिलनाडु में 6 एककों को दिए गए हैं। नौवीं योजना 1999–2000 में इस स्कीम के अन्तर्गत तमिलनाडु में एककों को कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में जैव उर्वरकों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है:–

वर्ष	टन
1995–96	1004.0
1996–97	1924.0
1997–98	1671.0
1998–99	1863.00
1999–2000	1409.0

(ङ) सरकार द्वारा देश में ऐसे उर्वरकों के गुणवत्ता की जांच करने के लिए किसी विशेष समिति का गठन नहीं किया गया है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

अपराधियों के साथ आई. एस. आई. के संबंध

39. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 दिसम्बर, 2000 के 'राष्ट्रीय सहारा' में दिल्ली में अपराधियों के साथ संबंधों के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। प्रश्नगत समाचार में उल्लिखित मामले के संबंध में गिरफ्तार किए गए 8 पाकिस्तानी आतंकवादियों की पूछताछ से यह पता नहीं चलता कि उन्होंने अपनी आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए किसी स्थानीय अपराधी से सम्पर्क साधा था सिवाय इसके कि उनमें से एक स्थानीय निवासी के घर पर रह रहा था जिसके साथ उसका सम्पर्क उस समय हुआ जब वे दोनों केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में कैद थे।

(घ) आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में बीट गश्त गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों और आतंकवादियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर निकट से नजर रखना और निरन्तर छापे मारना, भीड–भाड़ वाले बाजारों/मनोरंजन के स्थानों में व्यक्तियों और सामान की छान–बीन, गेस्ट हाउसों और धार्मिक स्थानों की छान–बीन, प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवाद विरोधी प्रकोष्ठ बनाना शामिल है।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में भारतीय शरणार्थियों का आगमन

40. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :**

श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने अफगानिस्तान से आ रहे भारतीय शरणार्थियों की दुर्दशा के संबंध में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने शरणार्थी आ चुके हैं; और

(ग) सरकार ने इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) कोई भी भारतीय शरणार्थी अफगानिस्तान से नहीं आया है। तथापि, 1980 से लेकर अफगानिस्तान में लम्बे युद्ध और जातीय झगड़ों के कारण, बड़ी संख्या में अफगान राष्ट्रिक भारत में प्रवास कर गए। अभिलेखों के अनुसार, ऐसे 12083 पंजीकृत अफगान राष्ट्रिक भारत में रह रहे हैं। भारत में उनके रहने को सुकर बनाने हेतु, वर्तमान नीति के अनुसार, वे अफगान राष्ट्रिक,

जो भारत में वैद्य यात्रा दस्तावेजों/पासपोर्टों पर आए थे, देश में उनके रुकने की अवधि को छमाही रूप से बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाई गई वर्तमान अवधि 30 जून 2001 तक वैद्य है।

राजस्थान में ग्रामीण विकास परियोजनाएं

41. श्री पुष्प जैन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने गत वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास की कई योजनाएं मंजूरी के लिए भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो भेजी गई और मंजूर की गई योजनाओं/परियोजनाओं को वर्ष वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष योजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजी गई परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

प्रस्तुति की तारीख	परियोजना का नाम	धनराशि (करोड़ रु. में)	प्रस्तुति की तारीख	अनुमोदन की तारीख
1998–99	1. आर्नोड पंचायत समिति के लिए नई परियोजना प्रतापगढ़, चितौडगढ़	3.00	04.04.1998	30.3.1999
	2. 10 जिलों में मरूस्थलीकरण को रोकना	153.50	23.07.1998	10.12.1998
1999–2000	जयपुर जिले के डूडू ब्लॉक में समग्र आवास योजना	0.25	15.02.2000	20.03.2000

1997–98 या चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

पश्चिम बंगाल में हत्याएं

42. श्री भर्तृहरि महताब : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हुई हाल की हत्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुछ निर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) से (ङ) हत्याओं के संबंध में केन्द्र सरकार की चिन्ता राज्य सरकार को सूचित कर दी गयी है और उन्हें अत्याधिक सतर्क रहने और उन्हें भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भरपूर एहतियाती उपाय करने की सलाह भेजी गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में कानून व्यवस्था संबंधी स्थिति

43. श्री माणिकराव होडल्या गावित :

कुंवर अखिलेश सिंह :

डा. विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अपराधों में हुई वृद्धि को देखते हुए इस महानगर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक सूचित किए गए विभिन्न अपराधों का अपराध–वार, महीने–वार, जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये/दंडित किये गये;

(घ) क्या इस महानगर में अपराधों में वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए किसी एजेंसी ने कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है; और

(च) सरकार द्वारा महानगर में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्। वास्तव में वर्ष 1999 में सूचित किए गए भारतीय दंड संहिता के 59147 मामलों की तुलना में वर्ष 2000 के दौरान दिल्ली में भारतीय दंड संहिता संबंधी 56249 मामले सूचित किए गए।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 2000 के दौरान, दिल्ली पुलिस ने 47870 व्यक्ति गिरफ्तार किए और 3074 दोषसिद्ध किए गए।

(घ) और (ङ) अपराधों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने हेतु अपराध की प्रवृत्ति का विश्लेषण तथा अपराध बहुल क्षेत्रों की पहचान करने का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया है।

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, बीट गश्त गहन करना; सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती; आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों और आतंकवादियों के छुपने के संदिग्ध स्थानों पर निरंतर छापे मारना और नजर रखना; घरेलू नौकरों के पूर्ववृत का सत्यापन करना; आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाना; पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करना; आवासीय कल्याण संघों के सदस्यों के साथ बैठकें करना; हरेक पुलिस जिले में आतंकवादी–निरोधक प्रकोष्ट बनाना; और चलती बसों, बाजारों, व्यवसायिक स्थानों और अन्य अपराध–बहुल स्थानों में सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती करना शामिल है।

विवरण

वर्ष 2000 और जनवरी 2001 के दौरान सूचित किए गए विभिन्न अपराध के, अपराध–वार और माह–वार ब्यौरे

अपराध	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल	जनवरी 2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उत्तरी जिला														
हत्या	4	3	2	4	5	2	1	3	4	2	2	4	36	1
डकैती	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	3	–
हत्या का प्रयास	3	1	1	3	6	2	4	5	3	1	2	1	32	3
लूटपाट	7	10	9	4	3	3	4	7	3	7	2	6	65	7
दंगा	2	3	–	3	1	1	1	–	1	2	3	1	18	–
बलात्कार	3	5	4	3	2	1	3	2	2	1	1	–	27	2
अपहरण	3	–	2	4	3	2	8	3	7	4	4	6	46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
व्यपहरण	1	4	–	2	3	3	1	2	4	2	5	5	32	1
छीना झपटी	2	4	6	9	7	6	1	2	4	6	5	2	54	1
फिरौती के लिए अपहरण	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	3	–
चोट पहुंचाना	7	12	13	14	25	13	6	14	17	20	16	18	175	8
सेंधमारी	17	18	15	12	11	8	12	13	13	16	14	14	163	18
घर में चोरी	17	21	15	20	19	10	9	15	10	10	11	22	179	15
वाहनों की चोरी	33	46	30	32	39	43	33	31	40	37	34	46	444	46
द्वारा चोरी	1	1	4	2	6	1	4	6	2	2	1	5	35	2
साइकल की चोरी	1	3	4	1	–	2	2	2	4	1	2	3	25	–
धोखाधड़ी	12	19	19	14	19	13	15	10	16	8	9	12	166	12
सी. बी. ट्रस्ट	5	11	9	2	6	6	3	3	11	7	11	6	80	4
कुल दुर्घटनाएं	58	66	73	60	75	77	57	71	88	72	59	77	833	54
दहेज मृत्यु	–	–	–	1	–	–	1	1	3	2	–	–	8	–
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	–	3	2	4	7	4	3	4	6	2	1	2	38	1
498 – क. भारतीय दंड संहिता	5	2	4	1	10	8	2	6	9	6	4	9	66	4
406 भारतीय दंड संहिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छेडछाड़	7	8	9	9	3	5	12	8	11	6	5	4	87	6
कुल भारतीय दंड संहिता	277	357	376	347	354	325	291	315	358	310	353	418	4081	281
शस्त्र अधिनियम	30	27	38	44	30	24	33	35	42	20	18	15	356	32
उत्पाद शुल्क अधिनियम	25	23	54	14	28	28	22	15	28	18	20	18	293	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
द्यूत क्रीड़ा अधिनियम	24	25	55	22	25	16	19	27	16	34	10	12	285	22
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम	11	4	13	10	6	6	6	10	14	5	3	7	95	10
आई. टी. पी. अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दहेज निषेध अधिनियम	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1
कुल अधिनियम	97	87	173	103	98	85	90	95	107	83	52	57	1127	97
उत्तर - पश्चिमी जिला														
हत्या	12	12	12	11	9	13	5	10	15	11	1	14	125	8
डकैती	3	3	1	1	2	–	3	1	–	3	2	1	20	1
हत्या का प्रयास	6	10	11	6	8	10	6	7	7	18	8	5	102	11
लूटपाट	13	15	9	8	4	5	15	12	11	4	9	16	121	18
दंगा	1	5	1	–	1	–	4	3	1	2	5	4	27	2
बलात्कार	10	9	11	9	10	4	13	6	–	10	4	1	87	5
अपहरण	17	16	24	17	23	14	17	13	25	8	18	14	206	26
व्यपहरण	4	4	5	5	5	5	2	8	8	5	1	5	57	7
छीना झपटी	5	4	10	16	21	27	18	29	19	20	11	15	195	16
फिरौती के लिए अपहरण	1	–	1	–	1	1	–	1	2	1	–	–	8	2
चोट पहुंचाना	26	20	35	39	44	22	33	42	48	44	41	36	430	24
सेंधमारी	42	66	32	57	33	41	85	71	50	38	53	78	646	60
घर में चोरी	26	20	24	33	35	46	23	21	19	24	26	13	310	17
वाहनों की चोरी	99	109	100	101	99	113	122	111	113	115	108	146	1336	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
नौकर द्वारा चोरी	8	5	4	4	9	6	10	4	4	3	5	1	63	7
साइकिल की चोरी	10	6	3	6	2	3	4	6	5	1	3	5	54	6
धोखाधड़ी	11	6	16	10	20	9	13	8	8	12	7	15	135	12
सी– बी– ट्रस्ट	4	5	3	6	7	3	2	5	6	7	4	5	57	5
कुल दुर्घटनाएं	136	132	155	163	148	170	166	179	164	170	164	147	1894	110
दहेज मृत्यु	–	1	4	2	3	4	1	2	2	3	3	3	28	4
महिलाओं के उत्पीड़न	6	7	8	5	7	4	8	7	8	13	3	1	77	7
498–क. भारतीय दंड संहिता	10	4	8	10	12	6	17	23	19	14	15	13	151	6
406 भारतीय दंड संहिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छेड़छाड़	4	4	6	6	8	10	6	7	2	4	7	7	71	4
कुल भारतीय दंड संहिता	747	763	766	756	785	855	830	811	805	791	845	835	9589	711
शस्त्र अधिनियम	53	46	30	26	54	67	69	60	66	44	27	30	572	70
उत्पाद–शुल्क अधिनियम	159	148	188	103	138	124	127	138	200	112	145	142	1724	143
द्यूतक्रीड़ा अधिनियम	9	6	6	3	4	6	6	2	3	17	1	4	67	18
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम	9	11	2	3	3	3	3	2	3	2	3	4	48	3
आई–टी–पी– अधिनियम	4	–	2	1	2	–	–	1	–	3	4	–	17	1
दहेज निषेध अधिनियम	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
कुल अधिनियम	239	218	231	137	206	208	212	211	276	191	186	181	2496	238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
केन्द्रीय जिला														
अपराध	3	–	2	3	2	3	2	1	1	1	3	–	21	5
डकैती	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	5	–
हत्या का प्रयास	4	2	1	1	4	2	4	4	5	6	2	1	36	5
लूटपाट	3	–	5	2	4	3	–	4	6	3	7	–	37	8
दंगा	2	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	1	8	–
बलात्कार	3	3	3	3	4	5	4	1	3	2	1	1	33	2
अपहरण	–	1	2	3	5	7	6	1	4	5	3	2	39	1
व्यपहरण	–	–	1	2	1	2	2	4	3	1	4	1	21	1
छीना झपटी	1	5	4	9	3	2	3	7	9	5	–	–	48	–
फिरौती के लिए अपहरण	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–
चोट पहुंचाना	6	15	14	12	12	12	5	10	11	8	8	5	118	9
सेंधमारी	7	14	6	9	10	10	15	19	18	6	11	15	140	17
घर में चोरी	7	15	8	5	4	8	6	8	5	1	8	10	85	8
वाहनों की चोरी	25	55	45	30	34	33	41	42	36	47	56	57	501	73
नौकर द्वारा चोरी	2	–	1	2	4	2	1	3	5	3	2	2	27	4
साइकिल की चोरी	3	1	2	3	2	3	–	3	–	3	1	1	22	5
धोखाधडी	10	10	5	6	13	8	12	7	8	10	11	8	108	7
सी– बी– ट्रस्ट	2	3	5	2	2	5	4	2	4	3	3	2	37	4
कुल दुर्घटनाएं	50	64	60	49	38	58	58	48	52	58	47	46	628	46
दहेज मृत्यु	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	1	–	6	1
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	1	1	3	4	7	4	2	1	2	3	4	2	34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
498–क, भारतीय दंड संहिता	4	4	1	6	4	3	2	7	2	4	5	1	43	3
406–भारतीय दंड संहिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छेडछाड़	6	7	3	7	4	8	7	9	7	3	7	3	71	2
कुल भारतीय दंड संहिता	294	313	314	275	389	339	287	299	272	267	282	321	3652	336
शस्त्र अधिनियम	56	29	25	17	22	10	37	28	52	12	25	15	328	49
उत्पाद–शुल्क अधिनियम	59	35	50	13	15	36	29	23	18	16	20	20	334	29
[illegible]डा अधिनियम	57	22	18	28	11	16	12	2	3	8	9	6	192	35
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम	75	14	13	20	23	17	25	17	17	7	16	15	259	33
आई– टी– पी– अधिनियम	5	2	3	8	1	3	16	5	10	4	2	1	60	6
दहेज निषेध अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
कुल अधिनियम	261	110	115	94	75	90	123	87	104	54	79	60	1252	154
नई दिल्ली जिला														
हत्या	–	–	2	2	–	–	–	1	–	–	1	–	6	–
डकैती	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हत्या का प्रयास	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	3	2	8	–
लूटपाट	–	6	5	–	3	1	3	2	–	–	2	1	23	–
दंगा	–	2	1	3	1	1	2	1	–	1	2	1	15	1
बलात्कार	–	–	2	1	1	3	–	–	–	2	–	–	9	–
अपहरण	1	–	1	2	1	2	2	5	1	–	–	–	15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
व्यपहरण	–	–	1	2	1	1	2	1	1	–	4	–	13	2
छीना झपटी	–	–	4	3	1	2	5	5	5	1	–	1	27	1
फिरौती के लिए अपहरण	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
चोट पहुंचाना	4	2	2	3	4	5	3	4	6	7	3	2	45	1
सेंधमारी	2	4	5	3	14	7	3	5	6	8	9	11	77	6
घर में चोरी	4	–	4	5	7	7	5	2	2	1	3	–	40	1
वाहनों की चोरी	38	36	41	22	28	28	43	35	42	20	36	32	401	24
नौकर द्वारा चोरी	2	2	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	9	–
साइकिल की चोरी	8	1	4	3	5	3	5	2	4	3	–	3	41	–
धोखाधड़ी	15	25	9	12	19	21	17	20	15	12	25	20	210	16
सी–बी– ट्रस्ट	–	3	1	2	4	1	–	1	4	1	3	1	21	4
कुल दुर्घटनाएं	58	62	60	57	49	41	57	53	58	59	54	62	670	51
दहेज मृत्यु	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	1	4	2	–	1	1	2	1	–	2	–	2	16	2
498–क, भारतीय दंड संहिता	–	1	–	1	–	2	–	1	–	1	1	1	8	–
406 भारतीय दंड संहिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छेड़छाड़	5	–	5	3	2	3	3	2	2	3	3	2	33	1
कुल भारतीय दंड संहिता	206	259	241	218	244	241	263	245	243	198	236	232	2826	180
शस्त्र अधिनियम	3	6	1	2	1	1	6	9	9	4	7	–	49	2
उत्पाद–शुल्क अधिनियम	3	8	8	7	6	5	4	4	12	8	4	3	72	3
द्युतक्रीड़ा अधिनियम	–	–	1	–	–	1	–	6	5	4	–	–	17	1
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम	2	–	1	1	–	1	4	3	11	2	4	–	29	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
आई टी पी अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
दहेज निषेध अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल अधिनियम	12	16	15	10	12	13	18	29	44	24	22	6	221	6
पूर्वी दिल्ली														
हत्या	4	5	6	10	3	5	2	2	7	6	4	4	58	6
डकैती	–	–	1	–	–	2	1			2	1	2	9	–
हत्या का प्रयास	3	–	5	7	5	9	4	5	9	5	3	6	61	5
[illegible]	5	8	8	7	9	8	4	7	1	11	5	5	78	1
दगा	3	–	2	–	–	1	2	–	–	3	3	1	15	–
बलात्कार	2	2	1	2	1	3	2	–	3	2	–	–	18	1
अपहरण	10	10	11	12	11	9	9	7	6	14	9	9	117	2
व्यपहरण	4	5	3	4	6	5	5	5	4	3	4	4	52	1
छीना झपटी	2	1	6	6	14	9	7	11	9	4	14	6	89	6
फिरौती के लिए अपहरण	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	2	–	7	1
चोट पहुंचाना	14	9	20	23	24	23	27	33	27	25	17	24	266	15
सेंधमारी	24	28	23	21	32	25	35	37	18	25	25	31	324	24
घर में चोरी	14	18	19	17	9	8	21	23	22	21	16	19	207	17
वाहनो की चोरी	58	69	48	53	51	43	58	49	52	72	75	77	705	67
नौकर द्वारा चोरी	–	3	5	3	2	4	5	2	2	9	3	2	40	2
साइकिल की चोरी	8	3	5	10	2	7	3	5	6	3	4	6	62	–
धोखाधड़ी	5	6	13	8	12	13	5	8	10	6	7	7	100	15
सी– बी – ट्रस्ट	3	–	2	1	4	3	–	2	5	4	6	2	32	6
कुल दुर्घटनाए	60	65	52	58	62	55	73	78	63	75	86	56	783	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
दहेज मृत्यु	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	15	1
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	5	–	3	7	8	5	7	4	10	8	3	4	64	7
498–क, भारतीय दंड संहिता	6	7	2	9	13	10	22	4	2	9	2	9	95	13
406 भारतीय दंड संहिता	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
छेड़छाड़	8	7	3	6	–	10	4	4	19	8	9	4	82	3
कुल भारतीय दंड संहिता	343	326	345	349	382	388	426	373	381	432	373	373	4492	344
शस्त्र अधिनियम	9	8	11	7	12	28	12	18	39	20	17	21	202	16
उत्पाद–शुल्क अधिनियम	37	21	27	23	33	46	36	23	30	32	40	56	404	30
द्युतक्रीड़ा अधिनियम	–	3	3	–	3	10	2	3	5	12	6	5	52	9
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम	–	–	–	1	3	2	2	2	–	–	1	–	11	1
आई– टी– पी– अधिनियम	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
दहेज निषेघ अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल अधिनियम	49	34	43	35	54	99	66	48	86	68	71	89	742	59
उत्तर-पूर्वी जिला														
हत्या	9	6	11	7	12	6	7	4	9	5	9	2	87	6
डकैती	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
हत्या का प्रयास	10	10	7	11	12	3	8	6	7	6	11	11	102	6
लूटपाट	5	9	9	9	9	8	7	9	6	7	9	14	101	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
दंगा	–	1	1	–	–	–	2	3	–	4	13	1	25	2
बलात्कार	3	2	3	5	10	5	2	3	–	3	6	4	46	5
अपहरण	16	9	8	12	9	11	11	9	9	4	8	16	122	11
व्यपहरण	1	8	2	4	3	7	5	5	4	3	1	2	45	3
छीना झपटी	2	–	4	6	5	9	7	17	4	4	3	1	62	1
फिरौती के लिए अपहरण	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	4	–
चोट पहुंचाना	21	24	27	36	34	32	25	40	40	35	29	23	366	15
सेंधमारी	27	33	26	13	23	26	31	16	11	10	27	17	260	23
चोरी	21	26	26	24	24	17	25	21	28	16	19	17	264	14
की चोरी	41	36	41	39	35	31	36	29	29	46	36	51	450	43
नौकर द्वारा चोरी	–	2	2	3	3	1	–	–	–	1	1	1	14	–
साईकिल की चोरी	1	2	–	1	–	1	–	3	4	5	4	4	25	4
धोखाधड़ी	5	6	8	6	4	3	9	7	6	3	9	5	71	4
सी– बी– ट्रस्ट	4	1	1	2	4	3	3	7	3	2	2	5	37	1
कुल दुर्घटनाएं	55	72	49	57	60	48	70	58	59	68	52	49	697	40
दहेज मृत्यु	–	1	–	2	4	–	–	2	2	2	3	2	18	3
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	4	7	4	1	3	1	3	10	8	5	2	1	49	3
498–क. भारतीय दंड संहिता	1	4	12	9	5	5	9	5	10	5	9	9	83	2
406 भारतीय दंड संहिता	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1
छेड़छाड़	7	6	5	8	4	8	1	11	3	9	5	6	73	3
कुल भारतीय दंड संहिता	304	328	306	323	318	296	348	368	319	309	328	409	3956	320
शस्त्र अधिनियम	17	18	20	15	20	52	27	13	18	13	26	70	309	38
उत्पाद–शुल्क अधिनियम	37	17	30	14	19	17	51	26	22	16	13	22	284	41
द्यूतक्रीड़ा अधिनियम	6	1	1	3	3	1	–	2	4	3	1	2	27	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम	–	2	1	–	1	1	2	–	–	1	–	2	10	7
आई– टी– पी– अधिनियम–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	4	–
दहेज निषेध अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल अधिनियम	65	39	57	35	48	73	80	42	47	35	41	98	660	89
दक्षिणी जिला														
हत्या	9	4	9	11	9	7	18	6	8	10	6	5	102	7
डकैती	1	–	1	1	1	1	2	–	–	3	1	–	11	–
हत्या का प्रयास	5	7	5	8	9	10	5	6	8	11	8	9	91	9
लूटपाट	22	13	9	11	6	13	20	14	21	11	20	8	168	12
दंगा	3	4	5	7	2	2	6	4	5	4	1	8	51	4
बलात्कार	3	6	8	6	9	6	3	10	7	6	4	3	71	2
अपहरण	15	14	21	13	20	16	12	17	21	12	22	15	198	16
व्यपहरण	4	5	1	4	7	12	6	6	5	1	7	–	58	5
छीना झपटी	–	2	7	9	12	9	7	10	5	9	8	6	84	6
फिरौती के लिए अपरहण	–	1	–	–	1	1	–	2	–	2	1	–	8	–
चोट पहुंचाना	11	26	23	27	33	22	36	34	39	29	20	22	322	18
सेंधमारी	63	68	58	72	84	103	89	82	57	87	82	82	927	81
घर में चोरी	20	32	41	40	30	28	40	35	40	32	24	35	397	20
वाहनों की चोरी	181	209	179	178	173	165	175	125	184	155	201	184	2109	142
नौकर द्वारा चोरी	10	5	7	7	8	10	8	10	10	9	12	7	103	9
साइकिल की चोरी	6	8	8	13	15	17	9	16	11	11	7	12	133	5
धोखाधड़ी	17	13	16	23	34	32	32	23	36	23	36	37	322	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सी. बी. ट्रस्ट	7	8	9	5	17	10	14	8	7	12	4	5	106	6
कुल दुर्घटनाएं	155	141	172	160	164	161	169	155	197	174	173	138	1959	162
दहेज मृत्यु	3	–	–	–	4	3	2	–	3	2	–	1	18	–
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	6	4	11	12	8	11	8	13	8	11	6	6	104	2
498–क, भारतीय दंड संहिता	13	14	7	12	15	5	7	10	22	12	4	19	140	1 2
406 भारतीय दंड संहिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
[illegible]	2	10	21	12	9	6	20	9	29	13	13	17	161	7
कुल भारतीय दंड संहिता	787	834	857	896	969	971	963	887	1148	970	966	899	11147	888
शस्त्र अधिनियम	40	31	21	32	15	15	43	28	106	41	27	20	419	57
उत्पाद–शुल्क अधिनियम	51	33	74	22	38	29	46	41	102	60	29	113	638	82
द्यूतक्रीड़ा अधिनियम	3	4	3	2	2	1	2	3	14	5	2	2	43	–
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम	3	5	1	1	7	2	3	–	7	4	–	3	36	3
आई–टी–पी अधिनियम	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	4	–
दहेज–निषेध अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
कुल अधिनियम	105	79	105	60	73	67	100	78	239	118	64	142	1230	146
दक्षिण-पश्चिमी जिला														
हत्या	7	3	6	3	2	4	6	9	5	9	10	2	66	–
डकैती	–	2	–	–	–	3	2	1	2	1	1	1	13	–
हत्या का प्रयास	2	5	3	4	3	3	3	7	3	6	4	3	46	2
लूटपाट	6	5	4	5	3	9	9	4	8	5	5	5	68	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
दंगा	7	3	6	2	1	4	2	4	1	1	2	5	38	3
बलात्कार	2	4	8	11	11	9	9	3	3	5	4	2	71	4
अपहरण	6	6	9	14	13	8	4	5	16	9	7	4	101	8
व्यपहरण	6	6	3	3	3	3	1	7	2	1	–	1	36	5
छीना झपटी	3	2	6	8	7	7	6	4	8	5	6	–	62	4
फिरौती के लिए अपहरण	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	3	1
चोट पहुंचाना	9	8	11	10	16	13	15	16	12	17	16	11	154	11
सेंधमारी	48	39	45	33	39	25	39	36	21	39	35	28	427	30
घर में चोरी	19	22	16	19	17	19	26	22	20	33	21	26	260	22
वाहनों की चोरी	54	80	62	64	92	81	74	54	75	70	74	91	871	55
नौकर द्वारा चोरी	3	3	4	11	4	6	2	4	3	2	2	4	48	1
साईकिल की चोरी	5	7	5	8	12	12	8	8	10	10	7	5	97	3
धोखाधड़ी	7	6	23	16	15	9	5	11	9	8	15	1	125	12
सी– बी– ट्रस्ट	–	3	1	3	1	2	4	3	1	3	2	4	27	2
कुल दुर्घटनाएं	93	89	96	113	110	91	92	87	104	93	95	77	1141	79
दहेज मृत्यु	1	3	1	1	1	4	–	–	2	1	2	–	16	2
महिलाओं के साथ छेडछाड़	10	11	10	11	9	5	6	8	7	6	2	4	89	3
498–क, भारतीय दंड संहिता	10	12	7	10	3	9	8	17	16	6	11	8	117	10
406 भारतीय दंड संहिता	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	4	–
छेड़छाड़	10	5	8	9	9	3	19	9	11	16	7	2	108	8
कुल भारतीय दंड संहिता	469	465	528	543	539	469	445	427	483	481	445	455	5749	358
शस्त्र अधिनियम	14	8	8	9	7	13	17	5	12	13	11	9	126	13
उत्पाद–शुल्क अधिनियम	61	33	61	54	41	41	56	56	35	56	52	32	578	55
द्यूतक्रीड़ा अधिनियम	1	1	6	2	1	–	3	1	1	3	1	–	20	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	4	1
आई– टी– पी– अधिनियम–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दहेज निषेध अधिनियम	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–
कुल अधिनियम	83	43	80	70	56	57	76	66	50	76	68	46	771	69
पश्चिमी जिला														
हत्या	5	8	9	5	6	6	5	7	8	7	4	8	78	6
डकैती	1	–	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	7	–
हत्या का प्रयास	5	9	8	16	9	9	11	16	10	7	5	12	117	3
	2	9	5	12	9	12	5	7	3	5	5	6	80	5
	2	2	2	–	1	1	–	–	–	–	3	–	11	–
बलात्कार	4	10	5	1	14	14	5	9	4	–	6	–	72	–
अपहरण	5	10	14	10	9	11	9	18	13	4	10	17	130	13
व्यपहरण	3	4	5	5	4	3	2	4	6	8	4	4	52	4
छीना झपटी	2	4	18	26	21	28	15	13	7	13	15	2	164	2
फिरौती के लिए अपहरण	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	2	6	–
चोट पहुंचाना	16	21	32	36	36	34	31	35	37	38	24	26	366	16
सेंधमारी	47	42	41	50	33	46	39	42	44	26	40	37	487	31
घर में चोरी	12	5	10	13	24	15	20	11	13	18	19	15	175	13
वाहनों की चोरी	94	87	100	85	106	110	119	122	96	97	87	91	1194	81
नौकर द्वारा चोरी	4	5	3	5	8	2	2	3	3	3	4	5	47	1
साइकिल की चोरी	2	3	10	3	1	2	3	4	8	9	9	2	56	2
धोखाधड़ी	18	17	12	12	22	16	21	20	18	9	14	15	194	23
सी– बी– ट्रस्ट	3	3	8	4	7	4	4	12	9	5	4	1	64	1
कुल दुर्घटनाएं	98	129	153	144	117	140	156	128	160	129	127	132	1613	96
दहेज मृत्यु	1	2	4	1	3	1	–	–	1	–	1	2	16	1
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	3	6	7	3	6	8	8	6	8	6	6	5	72	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
498–क, भारतीय दंड संहिता	5	13	25	25	29	36	40	29	22	20	20	14	278	20
406 भारतीय दंड संहिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छेड़छाड़	2	1	6	–	5	2	2	–	3	7	2	–	30	3
कुल भारतीय दंड संहिता	556	629	735	689	672	832	688	737	770	758	672	631	8369	504
शस्त्र अधिनियम	33	36	36	46	57	47	42	39	41	28	41	35	481	41
उत्पाद–शुल्क अधिनियम	107	99	262	177	190	509	132	128	151	184	105	75	2119	120
द्यूतक्रीड़ा अधिनियम	18	20	13	13	19	32	9	14	10	38	17	19	222	13
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम	1	6	2	2	6	4	3	7	4	1	2	2	40	3
आई– टी– पी– अधिनियम–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	3	7	1	
दहेज निषेध अधिनियम	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	–
कुल अधिनियम	163	165	322	246	279	598	192	194	213	274	181	143	2970	180
आई जी आई														
हत्या	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
डकैती	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हत्या का प्रयास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लूटपाट	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	4	–
दंगा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बलात्कार	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
अपहरण	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
व्यपहरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छीना झपटी–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
फिरौती के लिए अपहरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चोट पहुंचाना	–	–		1	–	–	1	2	–	–	–	–	4	1
सेंधमारी	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
घर में चोरी	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वाहनों की चोरी	4	1	–	2	1	2	–	2	1	2	1	–	16	–
नौकर द्वारा चोरी	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
साइकिल की चोरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
धोखाधड़ी	15	36	35	13	34	36	55	35	30	69	53	38	449	34
सी– बी– ट्रस्ट	1	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	6	3
कुल दुर्घटनाएं	3	3	2	4	4	6	4	3	3	5	3	5	45	3
दहेज मृत्यु	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–
भारतीय दंड संहिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
406 भारतीय दंड संहिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छेड़छाड़	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	4	1
कुल भारतीय दंड संहिता	29	47	46	30	43	56	68	49	42	86	65	51	612	50
शस्त्र अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
उत्पाद शुल्क अधिनियम	–	–	1	–	–	1	–	3	–	–	–	–	5	–
द्यूतक्रीड़ा अधिनियम	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
आई– टी– पी– अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दहेज निषेध अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल अधिनियम	7	4	2	4	4	2	1	4	3	0	2	1	34	3
डी आर पी														
हत्या	1	2	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	6	1
डकैती	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
हत्या का प्रयास	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
लूटपाट	–	3	2	1	1	1	1	–	2	1	1	–	13	3
दंगा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
बलात्कार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अपहरण	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	5	–
व्यपहरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छीना झपटी	1	2	–	1	3	3	3	2	5	5	4	1	30	–
फिरौती के लिए अपहरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चोट पहुंचाना	–	–	–	3	2	1	–	1	2	–	3	–	12	–
सेंधमारी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घर में चोरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
वाहनों की चोरी	4	5	–	–	1	1	1	–	–	1	1	2	16	3
नौकर द्वारा चोरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
साइकिल की चोरी	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–
धोखाधड़ी	3	1	3	4	3	2	3	5	2	–	–	2	28	3
सी– बी– ट्रस्ट	1	1	2	–	1	2	–	1	–	1	–	–	9	–
कुल दुर्घटनाएं	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1
दहेज मृत्यु	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–
498–क भारतीय दंड संहिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
406 भारतीय दंड संहिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छेडछाड़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल भारतीय दंड संहिता	105	145	164	144	199	151	151	145	145	132	127	136	1744	112
शस्त्र अधिनियम	10	23	20	11	26	15	14	10	6	3	–	4	142	4
उत्पाद–शुल्क अधिनियम	–	2	5	3	1	3	–	1	1	2	1	4	23	1
द्यूतक्रीड़ा अधिनियम	5	4	5	13	3	4	3	1	5	7	7	28	85	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम	–	1	3	2	2	1	1	2	–	–	–	2	14	3
आई टी पी अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दहेज निषेध अधिनियम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल अधिनियम	16	33	36	32	35	25	18	15	13	13	10	40	286	15

अधिसूचित ज़िलों में साक्षरता अभियान

44. श्री हरिभाई चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिसूचित जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रारंभ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के अन्तर्गत अब तक कौन–कौन से क्षेत्र शामिल कर लिये गये हैं;

(ग) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और किस सीमा तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं; और

(घ) इन अधिसूचित क्षेत्रों में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) देश के 588 जिलों में से 559 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू कर दिया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के 345 जिलों की तुलना में 428 जिलों को शामिल किया गया है। वर्तमान लक्ष्य वर्ष 2005 तक पूर्ण साक्षरता अर्थात 75 प्रतिशत साक्षरता के पोषणक्षम प्रभाव सीमा को हासिल करने का है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण II के अनुसार 1998 में 15–39 आयु वर्ग की साक्षरता दर 66.9 प्रतिशत थी।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रतिमानकों को संशोधित किया गया है कि वित्तीय मानदण्डों में वृद्धि की गई है।

(ii) वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है और राज्य साक्षरता मिशनों को ये अधिकार दिए गए हैं।

(iii) सातत्य, दक्षता और संकेन्द्रण को सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर–साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(iv) सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत नव–साक्षरों को कौशल विकास, वैयक्तिक हित कार्यक्रम तथा आय अर्जित कार्यक्रम के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सतत शिक्षा केन्द्र शेष निरक्षरता को समाप्त करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं।

(v) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जन–शिक्षण संस्थान, व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान कर रहे हैं।

रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

45. श्री जोरा सिंह मान :

श्री नवल किशोर राय :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997 से लेकर वर्ष 2000 तक उपलब्ध कराये गए प्रत्येक रासायनिक उर्वरक का उपभोक्ता मूल्य क्या था;

(ग) वर्ष 1997–98 और 2000–2001 के दौरान सरकार

ने रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और आयात पर कितनी राजसहायता प्रदान की;

(घ) क्या सरकार ने उर्वरकों पर दी गई राजसहायता के बावजूद रासायनिक उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अलग अलग प्रमुख उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

क्र.सं.	उर्वरक का नाम	बिक्री मूल्यों में वृद्धि					
		1997–98		1998–99		1999–2000	
		बिक्री मूल्य	से प्रभावी	बिक्री मूल्य	से प्रभावी	बिक्री मूल्य	से प्रभावी
1.	यूरिया	3660	21.2.1997	4000	29.1.1999	4600	29.2.2000
2.	डी ए पी	8300	1.4.1997	1998–99 के दौरान कोई मूल्य वृद्धि नहीं		8900	29.2.2000
3.	एम ओ पी	3700	1.4.1997	1998–99 के दौरान कोई मूल्य वृद्धि नहीं		4255	29.2.2000

(ग) यूरिया सांविधिक मूल्य, आबंटन और संचलन नियंत्रण के अंतर्गत एकमात्र उर्वरक होने के कारण यूरिया विनिर्माता एककों को राजसहायता की अदायगी प्रतिधारण मूल्य–सह–राजसहायता योजना के अन्तर्गत की जाती है। स्वदेशी यूरिया और आयातित यूरिया पर दी जाने वाली राजसहायता की मात्रा नीचे सारणी में दी गई है:–

अवधि	आबंटित की गई राजसहायता की राशि	
	स्वदेशी	आयातित यूरिया
1997–98	6600	721.96
1998–99	7473	124.22
1999–2000	8670	74.07
2000–2001 (संशोधित अनुमान)	9480	1.00

(घ) और (ङ) रासायनिक उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि संबंधी निर्णय सरकार द्वारा इस देश में राज–कोषीय निरन्तरता और संतुलित पोषक उपयोग से होने वाले सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किए जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बाल-शोषण पर कार्यशाला

46. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में दिसम्बर, 2000 के मध्य में नई दिल्ली में बाल शोषण और बलात्कार पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यशाला इस निर्णय पर पहुंची कि बलात्कार और बाल–शोषण को कानून की भाषा में फिर से परिभाषित करने की नितांत आवश्यकता है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी हाल ही में बलात्कार और बाल शोषण कानून को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता पर बल दिया है और इसने इस बात पर भी विचार किया है कि वर्तमान परिभाषा अत्यधिक संकुचित है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने

'अंगजा फाउन्डेशन' नामक एक गैर–सरकारी संगठन के सहयोग से बाल बलात्कार एवं बाल यौन शोषण के मुद्दे पर न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं पुलिस अधिकारियों में संचेतना पैदा करने के लिए 15-15 दिसम्बर, 2000 को एक कार्यशाला का आयोजन किया।

(ख) कार्यशाला में की गई सिफारिशों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी, हां। वर्ष 1999 के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार से सम्बन्धित कानूनों में संशोधनों पर विचार करने के लिए अधिवक्ताओं, न्यायपालिका के सदस्यों, पुलिस बल और सामाजिक कार्यकर्ताओं, आदि के लिए राज्य–वार कार्यशालाओं का आयोजन किया था। आयोग ने 'बलात्कार–एक कानूनी अध्ययन' एक सार–संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें इन कार्यशालाओं में की गई सिफारिशें शामिल हैं। सिफारिशों में अन्य बातों के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 और उससे जुड़े कानून में सहमति की आयु को एक समान रूप से बढ़ाकर 18 वर्ष करना; 'बलात्कार' शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाकर इसमें विभिन्न प्रकार के यौन आक्रमणों को शामिल करना; भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार से संबंधित अपवाद को समाप्त करना; आदि शामिल थे।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।

तिहाड़ जेल पर रिपोर्ट

47. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानवाधिकार आयोग ने तिहाड़ जेल पर अपनी रिपोर्ट पेश की है या सरकार को इससे अवगत कराया है;

(ख) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर सहमति जतायी है और इसे स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो आयोग द्वारा उजागर की गई खामियों पर सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में दशा और सुविधाओं में सुधार लाने के लिए बहुत से दीर्घावधि और अल्पावधि उपाय शुरू किए हैं। तथापि, चूंकि सामान्य हालत में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है अतः इस बारे में कोई निश्चित समय–सीमा नहीं दी जा सकती।

ग्रामीण विकास और ग्रामीण सड़क योजना

48. श्री पी. सी. थामस : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई ग्रामीण विकास योजनाओं का राज्यों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन योजनाओं और उनके उपयोग का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण सड़कों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाभान्वितों तक यह किस रूप में और किस सीमा तक पहुंचेगी?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं अर्थातः जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित, जारी की गई राशि और उसके इस्तेमाल को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसम्बर, 2000 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई। इसके आवश्यक दिशा–निर्देश 15 दिसम्बर, 2000 को जारी किए गए। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक आबादी वाली बसावटों को वर्ष 2003 तक और 500 से अधिक आबादी वाली बसावटो को वर्ष 2007 तक बढ़िया बारहमासी सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। लगभग, 1,00,000 बसावाटों को सड़कों से जोड़ने के साथ–साथ मौजूदा लगभग 5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को विशिष्टियों के अनुरुप सुधारने का भी लक्ष्य है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आंबंटन (केन्द्र+राज्य)				कुल रिलीज (केन्द्र+राज्य)				उपयोग			
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001*	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001*	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	96300.69	9096.01	84724.27	77782.57	101552.03	99098.15	87526.1	65427.41	113312.24	106550.30	88138.56	39826.67
2	अरुणाचल प्रदेश	7723.18	10682.28	6614.06	9423.90	8575.11	8686.17	6509.9	4756.15	8579.06	7307.39	7909.52	3536.79
3	असम	36449.3	57851.69	53811.42	79958.61	36982.64	63663.19	42470.26	27612.2	37375.21	47312.75	40192.44	19922.62
4	बिहार	140934.76	179042.92	188917.21	114922.22	106682.99	127280.24	142271.74	42057.85	118798.10	138654.87	126962.07	41833.44
5	छत्तीसगढ़	–	–	–	20822.92	–	–	–	17381.97	–	–	–	7247.19
6	गोवा	2039.15	2607.67	2238.58	2999.52	1064.41	1502.19	1870.48	1253.48	2152.35	2469.73	2236.74	1180.48
7	गुजरात	41751.53	44726.14	51555.46	47915.66	42728.62	47530.49	51880.64	35626.9	43852.95	49136.03	61240.28	25332.73
8	हरियाणा	15133.07	18648.18	18189.5	14857.42	15979.21	17352.86	18408.38	10901.2	14798.92	18009.30	19187.70	12271.33
9	हिमाचल प्रदेश	13047.92	15463.67	15993.71	15528.31	12901.88	15692.92	17450.15	13283.13	10124.25	15553.72	17951.66	8978.87
10	जम्मू व कश्मीर	21579	23981.19	17925.3	19200.21	20003.84	22630.77	14881.51	6754.95	20784.96	20805.61	12747.56	2042.97
11	झारखण्ड	–	–	–	47762.59	–	–	–	17924.35	–	–	–	18754.08
12	कर्नाटक	70404.04	67145.69	59581.83	56322.42	67721.74	70443.72	54526.23	28436.7	73960.92	66426.82	57790.24	24023.7
13	केरल	27685.41	30676.69	28291.9	27927.96	25463.4	28515.32	25519.89	11982.45	25409.93	26630.36	25058.20	12176.58
14	मध्य प्रदेश	113799.13	123928.91	106336.99	70074.85	107351.86	119074.16	108995.49	52029.51	121216.96	128026.68	105684.84	37111.88
15	महाराष्ट्र	126303.09	123933.72	177522.04	114946.93	117029.68	116992.89	172693.12	85486.63	125625.61	152754.41	179471.41	69478.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	मणिपुर	4360.36	6207.59	5706.72	7499.75	4206.19	4091.61	3384.83	2032.24	3938.79	3887.29	3376.65	1287.9
17	मेघालय	3495.19	6465.68	6306.89	8639.38	2953.87	6321.2	4637.45	5285.42	3285.80	4684.53	4075.85	898.52
18	मिजोरम	2559.36	3518.53	2442.84	3911.38	2731.61	3914.36	2866.16	2386.16	2546.42	4134.78	2302.50	1161.31
19	नागालैण्ड	4594.58	6693.89	5068.55	6340.8	4483.62	6019.82	4766.75	2570.58	6099.50	5220.52	5116.91	1659.68
20	उड़ीसा	68803.5	75314.37	69164.76	61089.93	80100.21	70946.39	89217.28	52341.9	66798.58	67048.49	59717.01	36721.78
21	पंजाब	9576.81	14386.28	10930.38	10158.13	8873.82	11820.34	9215.41	5923.29	8366.93	9734.59	8641.33	6843.74
22	राजस्थान	72186.16	72214.96	64889.99	66039.22	70034.01	73234.98	62542.98	61677.29	71406.22	74419.24	55679.61	41589.95
23	सिक्किम	1851.3	2609.99	2476.85	2387.72	1951.4	3855.59	3461.53	1592.17	2680.94	3255.74	2772.69	1568.28
24	तमिलनाडु	91769.75	96503.92	73091.55	87932.25	90043.53	96788.93	79792.88	60206.46	115617.91	112140.44	99253.93	56405
25	त्रिपुरा	5118.91	9267.78	8013.26	11403.76	5802.72	11544.26	8584.24	8658.12	7551.68	11585.36	9078.60	3786.07
26	उत्तर प्रदेश	207331.93	240008.44	223493.54	142857.1	200225.06	230373.23	192901.17	61920.04	195800.28	249449.85	163455.82	48704.32
27	उत्तरांचल	–	–	–	42353.8	–	–	–	23174.81	–	–	–	8375.2
28	पश्चिम बंगाल	68822.87	77494.55	79954.62	71912.83	50121.47	55268.44	59744.06	45870.36	55446.52	54646.24	61299.92	33477.54
29	अ. नि. द्वीपसमूह	1310.21	2078.79	1600.82	2025.72	684.3	1400.75	1304.99	369.85	658.69	1403.11	1316.49	353.85
30	चण्डीगढ़	16.59	16.59	24.17	294.17	2.92	0	17.85	286.69	39.01	3.87	10.99	132.86
31	दादरा व नगर हवेली	446.47	654.82	650.4	441.92	419.26	565.98	495.03	38.77	427.33	488.83	424.03	39.89
32	दमन व द्वीव	178.75	303.81	352.77	500.66	236.45	238.93	193.57	1.52	267.31	201.27	166.94	1.1
33	दिल्ली	1031.27	1081.27	1145.66	444.29	748.35	774.91	983.17	43.22	768.19	782.61	945.30	43.22
34	लक्षद्वीप	271.99	348.56	323.94	387.28	197.51	292.94	247.17	172.76	353.71	283.73	256.97	193.83
35	पांडिचेरी	457.75	409.7	538.24	353.95	501.36	322.65	385.31	177.2	370.26	402.68	457.92	180.99
	कुल	1257336.02	1404364.28	1367878.22	1247420.14	1188355.07	1316238.38	1269725.72	755643.73	1258415.53	1383474.14	1222920.68	567142.80

*' अन्तिम

–नवम्बर–दिसम्बर तक अवधि के लिए प्राप्त रिपार्ट के अनुसार.

[हिन्दी]

उर्वरकों का आयात

49. श्री रामशकल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ उर्वरकों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में भिन्न-भिन्न उर्वरकों का आयात किया गया है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। यूरिया एक मात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य और संचलन नियंत्रण के अधीन है और जिसका आयात मै. एमएमटीसी लि. मैं स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. (एमटीसी) तथा मैं. इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) जैसी नामित सारणीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच में अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार के खाते में किए जाते हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया आयातों की मात्रा के साथ-साथ उन पर किए गए खर्च के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	यूरिया (एलएमटी)	खर्च (रुपये करोड़)
1997-98	23.89	721.96
1998-99	5.56	124.22
1999-2000	5.33	74.07

एल एम टी लाख मी. टन

चालू वर्ष 2000-2001 के दौरान आज की तारीख तक सरकार के खाते में यूरिया का कोई भी आयात नहीं किया गया है।

अन्य प्रमुख उर्वरक अर्थात डीएपी और एमओपी को 24.8.1992 सो नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है तथा इनके आयात क्रमशः 17.9.1992 और 17.6.1993 से असरणीबद्ध कर दिए गए थे इन उर्वरकों का आयात निजी व्यापारिक खाते में स्वतन्त्र रूप से किया जाता है। चूंकि ये उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं, उर्वरक विभाग मूल्यों, व्यय और आयातों के स्रतों का ब्यौरा नहीं रखता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर, गत तीन वर्षों के दौरान डीएपी और एमअपी की मात्राएं इस प्रकार हैं:-

(आंकड़े एलएमटी में)

वर्ष	डीएपी	एमओपी
1997-98	14.60	19.00
1998-99	21.05	25.70
1999-2000	32.68	28.98

ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों को धन

50. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विकास की धनराशि को सीधे पंचायतों को मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी नहीं, तथापि गांव में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है और ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार मुहैया कराने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियां जिला परिषदों और पंचायतों/समितियों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश

51. श्री सी. पी. राधाकृष्णन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस असंतुलित विकास से बचने के

लिए विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश का संतुलन बनाये रखने हेतु किसी दिशा–निर्देश को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आतंकवादी गतिविधियां

52. **श्री रामजी लाल सुमन :**

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कई वर्षों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आंतकवादियों द्वारा हिसंक गतिविधियां चलाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी संगठन किस नाम से जाने जाते हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) इस बारे में मुख्य चिन्ता, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में उग्रवादी ग्रुपों की आपस में जुड़ी और बाहर से समर्थित विघटनकारी गतिविधियों पर केन्द्रित रही। ऐसी रिपोर्ट भी है कि कुछ उग्रवादी ग्रुपों पर पंजाब में उग्रवाद को पुनः जागृत करने के लिए दबाव पड़ रहा है। देश में सक्रिय प्रमुख आतंकवादी गुट निम्नलिखित हैं:–

1. हिजब–उल–मुजाहिदीन
2. हरकत–उल–मुजाहिदीन
3. लश्कर–ए–तैयबा
4. अल बर्क
5. जम्मू और कश्मीर लिब्रेशन फ्रन्ट
6. अल जेहाद
7. जमाएत–उल–मुजाहिदीन
8. तेहरीक–उल–मुजाहिदीन
9. तेहरीक–उल–मुजाहिदीन
10. अल–बदर
11. हरकल–उल–जेहाद–ए–इस्लामी
12. अल–उमर
13. बब्बर खालसा इन्टरनेशनल
14. दल खालसा इन्टरनेशनल (डी के आई)
15. इन्टरनेशनल सिक्ख यूथ फेडरेशन (एस वाई एफ–रोड़े और दमदमी टकसाल गुट)
16. खालिस्तान कमाण्डो फोर्स (के सी एफ)
17. कामा गाटा मारू दल इंटरनेशनल
18. खालिस्ताल जिन्दाबाद फोर्स
19. यूनाईटिड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असम
20. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैंड
21. नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा
22. आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स
23. नेशनल सोसलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड (आई/एम एंड के)
24. पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी एल ए)
25. युनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट (यू एन एल एफ)
26. लिब्रेशन टाईगर आफ तमिल ईलम (एल टी टी ई)

[अनुवाद]

देसी रिवाल्वरों की बिक्री

53. **श्री रामजी मांझी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कट्टा (देशी रिवाल्वर) दिल्ली के बाजारों में 350 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक आसानी से उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान आयुध अधिनियम के अंतर्गत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) राजधानी क्षेत्र को रहने योग्य सुरक्षित स्थान बनाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, ऐसे हथियारों की चोरी–छिपे बिक्री को नकारा नहीं जा सकता है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में अवैध/बगैर लाइसेंस के शस्त्रों की बिक्री पर निगरानी रखना, बीट गश्त को गहन करना; सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती; आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना; अपराधियों और आतंकवादियों के छुपने के संदिग्ध ठिकानों पर निरंतर छापे मारना और नजर रखना; घरेलू नौकरों के पूर्ववृत का सत्यापन करना; आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाना; पडोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करना; आवासीय कल्याण संघों के सदस्यों के साथ बैठकें करना; हरेक पुलिस जिले में आतंकवादी–निरोधक प्रकोष्ठ बनाना; और चलती बसों; बाजारों, व्यवसायिक स्थानों और अन्य अपराध–बहुल स्थानों में सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती करना शामिल है।

विवरण

	1999	2000
पकड़े गए व्यक्ति	2663	3043
बरामद किए गए हथियार की कुल संख्या	1572	1739
बरामद किए गए हथियारों की किस्म		
ए.के. 47	1	4
इंगलिस रिवाल्वर/पिस्तौल	43	43
राइफल	–	1
डी बी बी सी गन	–	3
देसी पिस्तौल/कट्टा	279	281
देसी गन	10	1
चाकू/खुकरी/कटार/तलवार/कृपाण	1239	1406

विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा

54. **श्री ए. नरेन्द्र :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार में आरक्षण सहित विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा से संबंधित कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा के लिए चार गैर–सरकारी संगठनों से संबंधित चार प्रस्ताव भेजे हैं। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार में आरक्षण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपरोक्त चार प्रस्तावों पर राज्य सरकार तथा सम्बन्धित गैर–सरकारी संगठनों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

विश्व में इस्पात की खपत

55. **श्रीमती मिनाती सेन :** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्न्तराष्ट्रीय लौह और इस्पात संस्थान, ब्रुसेल्स द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000 में विश्व में इस्पात की खपत में लगभग 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 के दौरान दर्ज की गई वास्तविक वृद्धि की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) वर्ष 2000–2001 के दौरान इस्पात की बढ़ती मांगों के संदर्भ में भारतीय इस्पात उद्योगों को वास्तविक रूप में कितना लाभ पहुंचा है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विश्व में इस्पात की वास्तविक खपत संबंधी आंकड़े संस्थान द्वारा अभी जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, इस्पात की अधिक खपत, इस्पात के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का स्थिरीकरण, वर्धित निर्यात, बिक्री से बेहतर प्राप्ति और बेहतर

क्षमता का उपयोग की दृष्टि से 2000–01 में इस्पात की प्रत्याशित अधिक मांग होने से भारतीय इस्पात उद्योग को लाभ होने की संभावना है।

राम मंदिर का निर्माण

56. **श्री राम मोहन गाड्डे :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रेस और इलैक्ट्रानिक मीडिया में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के संबंध में विश्व हिन्दू परिषद् और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कोई वक्तव्य दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के संबंध में केन्द्र सरकार से वार्ता की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) अनेक संगठन/नेता समय–समय पर राम–जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद मुद्दे पर वक्तव्य देते रहे हैं। संबंधित पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। तथापि, राम–जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित डा. एम. इस्माइल फारूखी आदि बनाम संघ सरकार और अन्य के मामले में दिनांक 24.10.94 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार एक कानूनी रिसीवर के रूप में विवादग्रस्त क्षेत्र में 7.1.1993 की यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए बाध्य है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र

57. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र से कितनी मात्रा में लौह स्क्रैप और अन्य चीजें चुराए गए हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप इस संयंत्र को कुल कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) इन चीजों की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और संयंत्र द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्र से चुराए गए लौह स्क्रैप और अन्य मदों की मात्रा और उनके मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	लौह स्क्रैप		अन्य मदों (तांबा, एल्यूमिनियम पीतल, मशीनी पूर्जे और उपकरण आदि) का अनुमानित मूल्य
	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (लाख रुपये)	
1998	96	4.96	1.95
1999	67	5.71	4.37
2000	72	2.96	10.79

चुराई गई सम्पत्ति पूर्णतः बरामद कर ली गई है। इसलिए संयंत्र को कोई हानि नहीं हुई।

उपरोक्त के अतिरिक्त 9.5.99 को संयंत्र परिसर के बाहर पुलिस द्वारा 18 एस. एस. प्लेटें जब्त की गई थीं। इन प्लेटों का अनुमानित मूल्य 7.6 लाख रुपये है।

(ग) किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:–

(1) सी. आई. एस. एफ. के सहयोग से सुरक्षा उपाय और कड़े करना।

(2) संयंत्र परिसर में अनधिकृत प्रवेश को रोकना।

(3) संयंत्र परिसर में प्रभावी गश्त लगाना।

(4) संयंत्र में मालसूची की प्रभावी मॉनीटरिंग।

इग्नू में बी सी ए पाठ्यक्रम

58. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष इग्नू के बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले वर्षों में बी. सी. ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों में से बहुत कम अनुपात में छात्रों ने बी.सी.ए. की डिग्री हासिल की है; और

(ग) यदि हां, तो कितने छात्रों ने प्रवेश लिया था और कितने छात्रों ने उक्त डिग्री हासिल की तथा उक्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत डिग्री धारकों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2001 के सत्र के दौरान 30,906 नये छात्रों को बी सी ए कार्यक्रम मे प्रवेश दिया गया है। विश्वविद्यालय के 11 वे दीक्षान्त समारोह में 6 छात्रों को बी सी ए डिग्रियाँ प्रदान की गई थीं।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्य करता है जो समय और स्थान के दृष्टिकोण में लचीली है। यह परम्परागत शैक्षिक पद्धति से भिन्न है। जिसके अन्तर्गत छात्र एक विनिर्दिष्ट समय के अंदर अपने कार्यक्रम पूरे करते हैं। बी सी ए कार्यक्रम को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों को 3 से 6 वर्ष का समय दिया गया है।

[अनुवाद]

''उच्च फीडस्टाक लागत''

59. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कच्चे मालों की उच्च लागत (उच्च फीडस्टाक लागत) जिससे भारतीय उर्वरक संयंत्रों को नुकसान हो रहा है के संबंध में भारतीय उर्वरक संघ की ओर कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नाइट्रोजनयुक्त, उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस अन्य फीड स्टॉक की तुलना में विश्व में अत्यधिक वरीय फीड स्टाक है। तथापि, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, उर्वरक संयत्र नेपथा, ईंधन तेल (एफओ)/लौ सल्फर हेवी स्टाक (एलएसएचएस) जैसे अन्य फीड स्टाक का प्रयोग कर रहे हैं। जो उर्वरकों के उत्पादन के लिए अत्यधिक महंगा है। इस समय, देश में यूरिया का उत्पादन प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता योजना द्वारा शासित किया जाता है। इस योजना के विनिर्माता फीड-स्टाक की वास्तविक लागत को वसूल कर सकते हैं और यह योजना सुनिश्चित करती है कि नेपथा तथा एफओ/एलएसएचएस पर आधारित उर्वरक संयंत्र को कोई हानि न हो।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और अधिकार देना

60. श्री नरेश पुगलिया : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सरकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और अधिकार देने की बात कही है क्योंकि यह मानव अधिकार देने की तब कही है क्योंकि यह मानव अधिकार के हनन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) अमनेस्टी इन्टरनेशनल ने भारत में यातना की रोकथाम पर अपनी हाल की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ सिफारिश की है कि सशस्त्र बलों के कार्मिकों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने, राज्य अधिकारियों को पहले प्रकट किए बिना हिरासती संस्थानों का दौरा करने, शिकायत करने की तारीख से एक वर्ष से भी पहले की अवधि में हुई मानवाधिकारों की घटनाओं के आरोपों इत्यादि की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और शक्तियां दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एमनेस्टी इन्टरनेशनल द्वारा संस्तुत सिफारिशों सहित अनेक प्रस्तावित परिवर्तनों को प्रभावी रूप देने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव अलग से भेजा है। इस प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को दिए जाने वाले बजटीय आबंटन को फिर से चालू करना

61. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत राज्य को वर्ष 1999–2000 के दौरान 102.88 करोड़ रुपये और वर्ष 2000–2001 के दौरान 60.8 करोड़ रुपये के केन्द्रीय आबंटन को बढ़ाकर वर्ष 1999–2000 के 167.42 करोड़ रुपये पर पुनः बहाल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सुनिश्चित रोजगार योजना 1 अप्रैल, 1999 से पुनर्गठित की गई है तथा अब यह एक आबंटन आधारित योजना बन गई है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ में को निधियों का आबंटन देश के कुल ग्रामीण गरीबों की किसी राज्य की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, 1999–2000 के योजना के 2040 करोड़ रुपये के आबंटन को घटाकर 2000–2001 में 1300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उपरोक्त कारणों की वजह से आन्ध्र प्रदेश के संबंध में आबंटन को बहाल नहीं किया जा सकता है।

दमन और दीव में प्राथमिक पाठशालाओं का उन्नयन

62. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दमन और दीव में किसी प्राथमिक पाठशाला का उन्नयन नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने दमन और दीप में शैक्षिक सुविधाओं के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए हैं और इस हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री, (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

63. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और दोनों राज्यों के विवाद का ब्यौरा क्या है;

(ख) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) अन्य राज्यों संबंधी सीमा विवाद का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद, कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में हस्तांतरित करने के बारे में महाराष्ट्र के दावे और महाराष्ट्र के कन्नड भाषी क्षेत्रों को कर्नाटक में हस्तांतरित करने के बारे में कर्नाटक के दावों से संबंधित है।

समस्या के समाधान के लिए इससे पहले किए गए प्रयासों के विफल हो जाने के कारण, केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने के लिए एक एक–सदस्यीय महाजन आयोग का गठन किया। जबकि कर्नाटक सरकार ने आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने पर जोर दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। अतः विवाद जारी रहा। केन्द्र सरकार का निरन्तर यह दृष्टिकोण रहा है सीमा विवादों को संबंधित राज्य सरकारों के तत्पर सहयोग से ही हल किया जा सकता है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उड़ीसा–आंध्र प्रदेश, उड़ीसा–पश्चिम बंगाल–बिहार–मध्य प्रदेश, पंजाब–हरियाणा–हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश–बिहार के बीच इस समय सीमा विवाद है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर से प्रवास

64. श्री नवल किशोर राय :

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू–कश्मीर में एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा के बाद राज्य की पाकिस्तान से लगी सीमा पर रहने वाले कई परिवार वहां से चले गए हैं;

(ख) घोषणा के बाद इन गांवों से कितने लोगों ने प्रवास किया है और ये गांव कौन–कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा से पूर्व राज्य के सीमावर्ती गांवों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में शांति पहल की घोषणा करने के बाद से सीमावर्ती गांवों से पलायन करने के बारे में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ–साथ, घुसपैठ निरोधक अभियान जारी है क्योंकि ये अभियान शांति रमजान शांति पहल शुरू किए जाने से पहले से ही चलाए जा रहे थे और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को रोकने के साथ–साथ उग्रवादियों को बाहर जाने से रोकने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर निगरानी कम नहीं की गई है। जहां तक राज्य के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों का संबंध है, सुरक्षा बलों द्वारा अपनाई गई रणनीति और तैनाती परिवर्तनात्मक स्वरूप की है और परिवर्तनशील स्थिति और आंतकवादियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनकी एकीकृत मुख्यालय जैसे विभिन्न मंचों पर इनकी पुनरीक्षा की जाती है। सरकार की शांति पहल की भावनाओं का उल्लंघन किए बिना कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

वीरप्पन को पकड़ने के लिए संयुक्त अभियान

65. श्री के. येरननायडू : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेष कृतिक बल द्वारा वीरप्पन को पकड़ने के लिए आरम्भ किए गए संयुक्त अभियान में क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डा॰ राजकुमार की रिहाई के फौरन बाद वीरप्पन को पकड़ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई बी.एस.एफ. कम्पनियों की सहायता से तमिलनाडु और कर्नाटक की विशेष टास्क फोर्स द्वारा "आपरेशन जंगल स्टार्म।।" चलाया गया। विशेष टास्कफोर्स और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त हमले ने वीरप्पन को अपने जाने–पहचाने क्षेत्र को छोड़कर नए ठिकानों नामतः कोयम्बटूर जिले में बोलूवम्पट्टी आरक्षित वनों और केरल के पालघाट जिले में वालायर आरक्षित वनों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस गिरोह को 2.2.2001 को देखा गया जिस पर पुलिस के साथ उनकी हल्की सी मुठभेड़ हुई। पुलिस दबाव का सामना न कर सकने के कारण विरप्पन और उसका गिरोह अपना व्यक्तिगत सामान छोड़कर बच कर जंगल में निकल गया। मारन, जो कि तमिलनाडु लिब्रेशन आर्मी (टी.एन.एल. एफ.) का मुखिया है और वीरप्पन गिरोह का एक प्रमुख सदस्य है, जो एस. टी. एफ. द्वारा दिनांक 15.2.2001 को कोयम्बटूर जिले के बोलूवम्पट्टी आरक्षित वनों मे सीताईवनम नाम के एक स्थान से गिरफ्तार किया गया। शेष भगौड़ों को पकड़ने के लिए एस. टी. एफ. द्वारा व्यापक तलाश जारी है।

पूर्ण साक्षरता

66. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हार्वर्ड विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में अभी और पचास वर्ष लगेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इसका आधार क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 2005 तक पूर्ण साक्षरता अर्थात 75 प्रतिशत साक्षरता के पोषणक्षम प्रभाव सीमा को प्राप्त करना है।

पुलिस व्यवस्था में सुधार

67. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के तौर–तरीके का अध्ययन करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए वर्ष 1966 से अब तक कई समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों ने अपना प्रतिवेदन और महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सरकार ने पुलिस प्रणाली की राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पुनरीक्षा करने के लिए नवम्बर, 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की थी। आयोग ने आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की जिन्हें सदन के पटल पर रखा गया और विचार और समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी भेजा गया था।

इन रिपोर्टों पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विचार किया गया और उन्होंने जिन सिफारिशों को उचित समझा उनमें से बहुत सी सिफारिशों को लागू करने की कार्रवाई की है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की कुछ निर्णायक सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रश्न भी उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित याचिका की विषय वस्तु बन गई है। माननीय न्यायालय के निर्देशों पर, सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग, विधि आयोग और वोहरा समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की पुनरीक्षा करने के लिए 25 मई 1998 को जे. एफ. रिबेरों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस समिति की रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की गई है।

नई सहस्त्राब्दी में पुलिस के सम्मुख आने वाली चुनौतियों को [illegible] करने और उनकी जांच करने और उनसे निपटने के [illegible] के सुझाने के लिए सरकार ने दिनांक 5 जनवरी, 2000 का भूतपूर्व – गृह सचिव श्री के. पद्मनाभय्या की अध्यक्षता में पुलिस सुधारों पर एक समिति गठित की थी। समिति ने 30.8.2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वे सिफारिशें, जिन्हें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सीधे ही लागू किया जा सकता है, समयबद्ध रूप से कार्यान्वित करने के लिए रिपोर्ट की प्रति सहित उन्हें भेज दी गई है। शेष सिफारिशों की जांच की जा रही है।

आर. सी. एफ. संयंत्रों की क्षमता में कमी किया जाना

68. **श्री किरीट सोमैया : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस आपूर्ति में आई कमी के कारण समूचे देश के आर. सी. एफ. संयंत्रों की क्षमता में तेजी से कमी की गई है;

(ख) क्या मुम्बई स्थित आर. सी. एफ ने अपने संयंत्रों में से एक को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या गैस आपूर्ति और श्रमिक समस्या ने कंपनी के कार्यकरण और लाभप्रदता को प्रभावित किया है;

(घ) क्या सरकार ने गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड से गैस की आपूर्ति को विनियमित और सुचारू बनाने हेतु इस मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित दीर्घावधि योजना क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) गैल से फीड स्टाक की कम आपूर्ति होने के कारण आरसीएफ अपने अमोनिया संयंत्रों, नाइट्रिक एसिड संयंत्रों और मिश्रितों उर्वरक संयंत्रों को जनवरी 2001 से बन्द करने के लिए विवश हो गयी है। इसके अलावा ट्राम्बे (मुम्बई) स्थित शेष कुछ संयंत्र कम भार पर प्रचालन कर रहे हैं। थाल में भी 3 में से एक यूरिया संयंत्र को गैल से फीड गैस की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण बन्द कर दिया गया है जबकि अन्य संयंत्र कम भार पर प्रचालन कर रहे हैं।

(ग) गैल से ग़ैस की कम आपूर्ति ने कंपनी की लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। कंपनी में कोई श्रमिक समस्या नहीं है। तथापि, गैस की कम आपूर्ति के कारण कुछ संयंत्रों को बन्द कर देने से बड़ी संख्या में कर्मचारी बेकार हो गये हैं।

(घ) उर्वरक विभाग ने गैल द्वारा गैस की कम आपूर्ति का मामला कई अवसरों पर पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया है।

(ङ) दीर्घावधि आयोजना के रूप में आर. सी. एफ. ने एलएनजी की आपूर्ति के लिए मै. मेटगैस के साथ आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर किए हैं जो इसके थाल संयंत्रों के लिए 2003 तक उपलब्ध होनी निर्धारित है। तथापि, आर. सी. एफ. के ट्राम्बे संयंत्रों को अपने सुचारू प्रचालनों के लिए पूर्णतः गैल द्वारा आपूर्ति के लिए गैस पर ही निर्भर करना होगा।

[हिन्दी]

ग्राम न्यायालय योजना

69. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में ग्रामीणों के न्यायालय संबंधी मामलों में त्वरित निपटान हेतु ग्राम न्यायालय योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या कतिपय धाराओं के अंतर्गत आने वाले मामलों के समाधान के लिए ग्राम न्यायालयों की एक समिति गठित की गई है;

(ग) क्या ग्राम न्यायालय संबंधी संशोधनों विधेयक केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997 राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित है। इस विधेयक को मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 में संशोधन के लिए प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के कुछ प्रावधानों से संबंधित केन्द्र सरकार के सुझावों पर विचार–विमर्श करने का अनुरोध किया है। इसके बारे में राज्य सरकार को सूचित किया जा चुका है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा है। बाकी मुद्दों को सुलझाने के बाद ही राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाएगी।

[अनुवाद]

साक्षरता दर

70. श्री चिंतामन वनगा : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के बीच साक्षरता दर में वृद्धि के संबंध में किसी देशव्यापी अध्ययन का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछली बार अध्ययन कब किया गया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि लाने हेतु जनजातीय क्षेत्रों में कोई विशेष योजना आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पिछली जनगणना के अनुसार, देश के 134 जिलों की पहचान की गई थी जहां अनुसूचित जनजाति महिलाओं में साक्षरता दर 10% से कम थी। अतः इस स्थिति में सुधार लाने के लिए "जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले इलाकों में शैक्षिक परिसर" नामक एक योजना 1993–94 से जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए इन जिलों के वास्ते आरंभ की गई है। यह योजना अभी भी चल रही है। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य योजनाएं अर्थात् अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास, जनजातीय आवासीय स्कूल, अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर–आवासीय स्कूल भी कार्यान्वित की जा रही है।

भूकम्प ज़ोन संबंधी अध्ययन

71. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अध्ययन के अनुसार भारत एक प्रमुख भूकम्पीय–क्षेत्र बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) महोदय, भारत विभिन्न प्रकार की तीव्रतायुक्त भूकम्पीय गतिविधियों का सम्भावित क्षेत्र है। तथापि, किसी अध्ययन से इस प्रकार की कोई नई जानकारी नहीं मिली है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत एक प्रमुख भूकम्पीय–क्षेत्र बन गया है।

(ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग, जो भूकम्पीय गतिविधियों को मानीटर करने के लिए नोडल एजेन्सी है, द्वारा देश में 57 भूकम्प वैज्ञानिक वेधशालाओं के एक राष्ट्रीय नेटवर्क की देखरेख की जाती है। इसके अतिरिक्त भूकम्प की प्रक्रियाओं को समझने और पहले से तैयार रहने के स्तर में सतत रूप से सुधार लाने के लिए देश में कई संस्थानों द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन एवं अन्य अनुसंधान तथा विकास संबंधी क्रियाकलाप किये जाते हैं।

[हिन्दी]

कोयले का आयात

72. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात शुल्क में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप कोयले के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोयले के आयात किए जाने के संबंध में कोई सीमा निर्धारित करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों में कोयले का कुल आयात और सीमा–शुल्क निम्नप्रकार है:–

वर्ष	कुल आयात (कोककर कोयला+अ–कोककर कोयला (मिलियन टन में)	कोयला आयात पर मूल शुल्क	
		अ–कोककर कोयला	कोककर कोयला (राख तत्व <12%)
1997-98	16.44	10%	5%
1998-99	16.53	10%	5%
1999-00	19.70	15%	5%

कोयला ओपन जनरल लाइसेंस (ओ जी एल) के अंतर्गत आता है, इस समय, कोयले के आयात की कोई सीमा नहीं है। उपभोक्ता, कोयले का विशेषकर कोककर कोयला और बढ़िया किस्म को अ–कोककर कोयले का, देशी स्रोतों से ऐसे कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण, आयात कर रहे हैं। कोयले का आयात इसलिए भी किया जाता है क्योंकि मौजूदा सीमा शुल्क का स्तर और रेल भाड़े का ढांचा ऐसे आयात को कुछ स्थानों पर कैलोरीमान प्रति यूनिट लागत प्रतियोगी बनाता है। फिर भी, सरकार ने चालू वर्ष में अकोककर कोयले पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत कर दिया है।

[अनुवाद]

विद्युत उप केन्द्र

73. श्री अधीर चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री 22 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4610 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली विद्युत बोर्ड ने रिवरसाइड स्पोर्टस एंड रीक्रिएशन क्लब के निकट मयूर विहार फेज–I मे ओ. सी. एफ. (अन्य सामुदायिक सुविधा) में विद्युतीकरण की योजना में कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो विद्युतीकरण योजना को पूरा किए जाने के संबंध में निर्धारित समय–सीमा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विद्युत बोर्ड को विद्युतीकरण योजना हेतु आवश्यक धन जारी किया है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त धन के कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्लब के समीप निर्धारित भूमि पर विद्युत उप केन्द्र के निर्माण एवं उसे चालू करने में कितना समय लगने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मयूर विहार फेज–1 में ओ सी एफ (अन्य सामुदायिक सुविधा) में विद्युतीकरण योजना के लिए मयूर विहार में विद्युत उप–केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि दे दी है। दिल्ली विद्युत बोर्ड ने आवश्यक विद्युतिकरण योजना तैयार कर ली है।

(ख) और (ग) दिल्ली विद्युत बोर्ड ने आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विद्युतिकरण योजना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने हिस्से की राशि जमा करेगा।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने हिस्से की राशि जमा करने की कार्रवाई दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा मांग–पत्र भेजे जाने के बाद की जाएगी।

(ङ) दिल्ली विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि सिविल कार्य, एच टी पेनल, ट्रांसफारमर लगाने, एचटी/एलटी लाइने डालने के कार्य में सामान्यतः छह महीने लग जाते हैं। इसके बाद, लाभ–ग्राहियों को बिजली के कनेक्शन दे दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

बिहार में ग्रामीण विकास कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संगठन

74. डा. मदन प्रसाद जयसवाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में ग्रामीण विकास कार्य में लगे हुए गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी संगठन–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से काली सूची में दर्ज संगठनों की संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में कपार्ट से सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां, कपार्ट में इन संगठनों के कार्यप्रणाली की इस प्रयोजनार्थ पैनल में रखे गए परियोजना मूल्यांक के द्वारा तीन स्तरों पर समीक्षा की जाती है अर्थात परियोजना की स्वीकृति के पहले वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन, पहली किस्त जारी होने के बाद मध्यवर्ती मूल्यांकन और परियोजना के पूर्ण होने के बाद परियोजनात्तर मूल्यांकन।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कपार्ट द्वारा काली सूची में डाले गए संगठनों की संख्या नीचे दी गई है:–

क्रम सं.	वर्ष	संगठनों की संख्या
1.	1997–98	शून्य
2.	1998–99	शून्य
3.	1999–2000	1

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान कपार्ट द्वारा सहायता प्रदान किए गए बिहार के गैर सरकारी संगठनों के नाम और पतों को दर्शाता विवरण

क्रम सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम और पता
1	2
1997-98	
1.	पाटलीपुत्र विकास परिषद/मोहराम मंजिल, चित्रगुप्त नगर, वार्ड सं. 11, अररिया
2.	सेंटर फार रुरल एडवांसमेंट, ग्राम व पो. शमशेर नगर, थाना दाऊदनगर, औरंगाबाद
3.	दाऊदनगर आर्गेनाइजेशन फार रुरल डेवलपमेंट, बड़ी मस्जिद ओल्ड टाऊन, दाऊदनगर, औरंगाबाद
4.	ग्रामीण विकास समिति, ग्रा. व पो. सिलार, औरंगाबाद
5.	भागलपुर विकलांग सेवा केन्द्र, ग्राम व पो. अमरपुर, बांका
6.	बिहार ग्रामीण महिला कल्याण परिषद, ग्राम फतेहपुर, पो. सुधानगर, बेगूसराय
7.	नारी कल्याण निकेतन, ग्राम व पो. तिलकनगर, बेगूसराय
8.	गीतांजली हरिजन महिला विकास समिति, जी बी लेन, मुंदीचक, भागलपुर
9.	जन–जीवन विकास केन्द्र, गांव फतेहपुर, पो. साबोर भागलपुर
10.	ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण समिति, ग्राम व पो. साहपुर, भोजपुर
11.	पहल, ग्राम व पो. कोइलवार, भोजपुर
12.	पिछडा वर्ग विकास संस्थान, ग्राम साहपुर पट्टी, जि. भोजपुर
13.	ग्रामोदय चेतना केन्द्र, ग्राम भभारे, पो. चतरा, चतरा
14.	अभ्युत्थान समाज कल्याण समिति, ग्राम भोर, पो. रसियारी, ब्लाक घनश्यामपुर, दरभंगा
15.	बिहार सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवा केन्द्र, ग्राम पो. लगमा, रवीन्द्रपुर, बाया लोहनारोड, दरभंगा
16.	मिथिला प्रभा जन कल्याण सेवा संस्थान, ग्राम व पो. कोरथू बाया बेनीपुर, दरभंगा
17.	मुंशी प्रेमचंद विकास एवं अध्ययन संस्थान, बाबू साहेब कालोनी पो. लहरिया सराय, दरभंगा
18.	अल कादर एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम मुरली पो. पचपकडी, बाया ढाका, पू. चम्पारन
19.	आजाद खान मुस्लिम एजूकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, ग्राम–पो. अगरवा, मोतीहारी, पू. चम्पारन
20.	चतुरभूज मेमोरियल विकास मंच, ग्राम वरवा, पो. अररजा, पू. चम्पारन

1	2
21.	विकालांग सर्वोदय संस्थान, ग्राम व पो. महूआ, बाया चिरैया, पू. चम्पारन
22.	भालभूमि कृषक उन्नयन समिति, ग्राम व पो. बहारागोश, पू. चम्पारन
23.	जनयोदय विकास परिषद, लखीबाग, बुनियादगंज, गया
24.	महिला बाल कल्याण प्रतिष्ठान, होटल पार्क, आजाद पार्क के पीछे, गया
25.	समग्र सेवा केन्द्र गाम व पो. बाराचटटी, गया
26.	समन्वय तीर्थ, प्रभावती ग्राम (पंडाबिगा) पो. रानीगंज, गया
	यशोदा ग्रामोदय प्रतिष्ठान, ग्राम, लेबाबनवरिया, पो. चंदौरी, गिरडीह
28.	समग्र विकास समिति, स्थान सरेयन काली मंदिर, बार्ड सं. 1 गोपालगंज
29.	महिला शिल्प कला केन्द्र, ग्राम व पो. सायल, हजारीबाग
30.	कौशिक समग्र ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम झूनाठी, पो. करपी, जहानाबाद
31.	सीता ग्रामोद्योग विकास संस्थान, स्थान व पो. उसरी बाजार, जहानाबाद
32.	आकाश गंगा ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम लक्ष्मीपुर पो. गुरूबाजार, कटिहार
33.	लक्ष्मी महिला विकास संस्थान, ग्राम भगाई टोला, पो. माथुरपुर, खगरिया
34.	मसौधी समग्र महिला विकास समिति, ग्राम व पो. नंदनामा, लखीसराय
35.	शिक्षा एवं संस्कृति विकास समिति, पो. लखीसराय, लखीसराय
36.	आर्य समाज शिक्षण विकास परिषद, मधेपुरा
37.	21 वीं सेंरी रूरल डेवलपमैंट इन्स्टीटयूट, ग्राम व पो. सुखेत, बाया झंझारपुर, मधुबनी

1	2
38.	बिहार हस्तकरघा हस्तशिल्प तथा रेशम उद्योग विकास संस्थान, मोहिम मानसील, होस्पीटल रोड़ मधुबनी
39.	गंगा हेमलता, महिला समाज कल्याण संस्थान, गांव बेघमा, पो. सरौती, धोधारडीह, मधुबनी
40.	धोधारडीह, प्रखंड स्वराज विकास संघ, ग्राम व पो. जगतपुर, बाया धोधारडीह, मधुबनी
41.	ग्राम निर्माण परिषद, गांव खरौवा, पो. सिरखरिया, मधुबनी
42.	नव जागरण संघ, कुतुबचेक ग्राम कुतुबचेक, पो. रमजानपुर, बरबीधा, शेखपुरा
43.	मिथिला सेवा समिति ग्राम नवटाली, पो. मधुबनी, मधुबनी
44.	राजलक्ष्मी राष्ट्र सेवा संस्थान, स्थान कीर्तन भवन रोड़, मधुबनी
45.	ग्रामीण मार्गदर्शन केन्द्र, ग्राम व पो. जाला. (दादरी) मंगेर
46.	अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति, ग्राम मणीफुलकाहा पो. राबेसकर्ती, मुजज्फरपुर
47.	अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति, ग्राम मणीफुलकाहा, पो. राबेसकर्ती, मुज्जफरपुर
48.	बहुमुखी विकास सेवा आश्रम, ग्राम व पो. साईन, थाना कांती, मुज्जफरपुर
49.	भूमिहीन किसान मजदूर सेवा संस्थान, ग्राम व पो. मुसाहारी, मुजज्फरपुर
50.	बिहार मुस्लिम अल्संख्यक हरिजन विकास परिषद, मालीघाट, संस्कृत कॉलेज रोड; मुजफ्फरपुर
51.	ग्रामीण हरिजन महिला विकास संस्थान, ग्राम व पो. रामपुर, भेरियाही, मुजफ्फरपुर
52.	हरिजन बहुमुखी विकास संस्थान, ग्राम रेवा डीह पो. रेवा बसंतपुर, मुजफ्फरपुर
53.	महिला विकास समिति, ग्राम दातारी बसंतपुर पट्टी, मुजफ्फरपुर

1	2
54.	मातादीन महिला मंडली, ग्राम व पो. रामनगर, मुजफ्फरपुर
55.	नेशनल इस्टी, फार डेव. आफ ओमन रूरल पूवर एंड चिल्ड्रन, ग्राम व पो. गांगेय, बाया कटरा, मुजफ्फरपुर
56.	नार्थ बिहार समाज कल्याण संस्थान, ग्राम व पो. पेगम्बरपुर, मुजफ्फरपुर
57.	प्रभात विकास मंडल, गांव सोंबरसा, मुजफ्फरपुर
58.	रामेश्वर सेवा संस्थान, ग्राम कंहौली, पो. रमना, मुजफ्फरपुर
59.	रीतुराज हरिजन महिला एव बाल विकास संस्थान, ग्राम व पो. बसंतपुर पट्टी, मुजफ्फरपुर
60.	बसुंधरा सेवा संस्थान, ग्राम व पो. भगवानपुर, चटटी, कुरहानी, मुजफ्फरपुर
61.	अंत्योदय जन कल्याण प्रतिष्ठान, ग्राम गंजपुर, पो. राजगीर नालंदा
62.	अंत्योदय सेवा संस्थान विकास, ग्राम शेखपुरा, पो. बदरवाली, नालंदा
63.	भारतीय जन कल्याण समिति/गांव व पो. कोनांड, नालंदा
64.	चाकराजा ग्रामीण विकास परिषद,गांव व पो. गगोराव नगर, बाया परवालपुर, नालंदा
65.	गौतम बुद्ध शिक्षण समिति, गांव व पो. परशुराई, नालंदा
66.	ग्राम नियोजन केन्द्र, गांव बस्ती पो. हरनोट, नालंदा
67.	ग्राम सभा समिति, गांव व पो. मल्टी, नालंदा
68.	ग्राम विकास संघ, गांव व पो. कराई परशुराई, नालंदा
69.	ग्रामीण बाल वनीता विकास निकेतन, गांव कोरालियन बाया हिल्सा, नालंदा
70.	जनता कराह कल्याण समाज, गांव कमरूद्धीन–गंज पो. बिहार शरीफ, नालंदा
71.	लोक प्रिया कल्याण संस्थान, गांव व पो. सारी, नालंदा
72.	लोक सेवा समिति, गांव धरमौली पो. बेना, नालंदा
73.	लोक–स्वराज्य संघ, गांव व पो. परवालपुर, नालंदा
74.	मगध ग्राम सर्वोथान संस्थान, गांव कानीयावान, पो. भातु थारथाणी, नालंदा
75.	मगध लोक कल्याण परिषद, गांव अवानपुरा, पो. भंडारी, नालंदा
76.	परिवेश मुक्ती संघ, गांव नीमदीह, बाया चांदील, वेस्ट सिंघभूम
77.	महालक्ष्मी सिलाई बुनाई कटाई उद्योग, गांव चौपाहांडीपर, बिहार शरीफ,नालंदा
78.	नालंदा विकास संस्थान, गांव व पो. नूर सराई, नालंदा
79.	नारी शिल्प कला केन्द्र, गांव गरीयापर पो. चांदी, नालंदा
80.	नव ज्योति, गांव मागीदपुर, पो. कावा बाया हिल्स, नालंदा
81.	समग्र ग्राम विकास समिति, गांव पो बिंद, नालंदा–803101
82.	सर्वोदय गांधी सेवा आश्रम, स्थान सैदा बाजार, पो. हिसा, नालंदा
83.	विश्व भारती जन उत्थान केन्द्र गांव व पो. बेना, बिहार शरीफ, नालंदा
84.	आशा दीप महिला सेवा संस्थान, पंपुकल रोड, पो. नवादा, नवादा
85.	दीन सेवा आश्रम गांव–झुनाठी पो. असारी, नवादा
86.	गौतम बुद्धा शैक्षिक विकास संस्थान गांव व पो. सिरदला, नवादा
87.	ज्ञान दीप महिला सिलाई बुनाई खादी केन्द्र कचहरी रोड, नवादा

1	2
88.	मधु महिला शिल्पकला केन्द्र गांव दकोना बाजार, नवादा
89.	विकल्प महिला विकास संस्थान शेखपुर, नवादा
90.	अभियान रामकृष्ण कालोनी, संदलपुर, पो. महेन्द्रु, पटना
91.	आधारशिला ग्रामीण विकास संस्थान कैलाशपुरी, हनुमान नगर, पटना
92.	आधारशिला ग्रामीण विकास संस्थान कैलाशपुरी, हनुमान नगर, पटना
	अम्बेडकर विकास परिषद रविन्द्र पथ, गुरूदेव टोला, पटना
94.	आर्थिक आवाम नवभारत सामाजिक विकास अभिकरण, स्वामी सहजानंद स्मारक भवन, विद्यापीठ मार्ग, पटना
95.	भंगी मुक्ति संस्थान, रोड नं–6, पूर्व पटेल नगर, पटना–800023
96.	भारतीय जन कल्याण परिषद, गांव सलीमपुर अहरा, दलदली रोड़, पो. कदमकुआं, पटना
97.	बिहार विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर, रोड़ नं.11 मकान सं.एम–16/24, पटना
98.	डॉ. अम्बेडकर स्मारक एवं शोध संस्थान, अलीनगर कालोनी, पो. अनीसाबाद, पटना–800002
99.	गौतम बुद्ध हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, एन–38/1, प्रोफेसर कालोनी, चित्रगुप्त नगर, कंकडबाग, पटना
100.	ग्राम प्रौद्योगिकी विकास संस्थान चिरैयातार, पटना
101.	ग्रामीण सह नागरिक विकास मंच योगीपुर, कंकडबाग, पटना
102.	ग्रामोद्योग विकास ज्योति गांव गोविंदपुर, लक्ष्मणटोला, पो. फुलवारीशरीफ, पटना

1	2
103.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट राष्ट्रीय गंज, फुलवारी शरीफ, पटना
104.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट राष्ट्रीय गंज, फुलवारी शरीफ, पटना
105.	जन कल्याण संस्थान, कला मंच, पटना
106.	कर्पुरी ठाकुर ग्रामीण विकास संस्थान स्था॰ व पो॰ पटना देशरत्न मार्ग, पटना
107.	लोक कल्याण समिति कुरकुरी, फुलवारी शरीफ, पटना
108.	महिला बाल युवा केन्द्र गांव कोरहर, पो. आनंदपुर कैम्प, पटना
109.	महिला कला केन्द्र ललिता होटल के समीप, पुनिया चक, पटना
110.	मानव कल्याण संघ गांव बालमीचक, पो. अनीसाबाद पटना–800002
111.	नारी कल्याण सेवा संघ गांव मासूम पुर, फतुहा, पटना
112.	नारी उत्थान, द्वारा–निप्पो बैटरीज, राजेन्द्र पथ, फ्री प्रेस लाइन, पटना
113.	पटना एजुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट, रोड नं. 11 राजेन्द्र नगर, पटना– 800016
114.	प्रमीला ग्रामीण महिला विकास संस्थान, कर्मलीचक, बेगमपुर, पटना
115.	राष्ट्रीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान, स्थान–धरहरा, पो. पालीगंज, पटना
116.	समाज कल्याण परिषद, गंगा महल, फ्लैट सं. 2, नॉर्थ मंदिर, पटना–1
117.	सर्वोदय ग्रामीण कुटीर उद्योग विकास समिति, बीबीपुर, पो. सरसी, पालीगंज, पटना
118.	सेवा भारती श्री अवधेश सिंह भवन, संजय नगर रोड़, लाहिया नगर, पटना

1	2
119.	सुलभ संस्थान, नॉर्थ मंदिर, पटना–800001
120.	नेशनल मल्टीपरपस डेवलपमेंट सोसायटी राम निवास, इंदिरा पथ, शुक्ला कालोनी, पो. हिनु, रांची
121.	श्री नारायण समाज कल्याण केन्द्र, गांव लोकडिहरी, पो. कारूप इन्द्राहियाण, रोहतास
122.	गौतम बुद्ध शैक्षणिक तथा समाज सेवा संघ गांव बेला, पो. रतनपुर बेला, समस्तीपुर
123.	महिला सेवा सदन, समस्तीपुर
124.	समाज कल्याण संघ, गांव व पो. सिंधियाघाट, समस्तीपुर
125.	लोक चेतना अभिकरण केन्द्र स्था. व पो. सारण, सारण
126.	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी गांव प पो. अमनौर सुल्तान (जाने) सारण
127.	सारण खादी सिल्क उद्योग सोसायटी गांव व पो. रहीमपुर, सारण
128.	त्रिगुन सेवा संस्थान गांव व पो. काकराहाट, सारण
129.	हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान शाही निकेतन, पुपारी जनकपुर रोड, सीतामढ़ी
130.	अंजुमन उर्दू हिन्दी साहित्य गांव सुपौल टोली, पो. सिवान, सिवान
131.	सिवान जिला विकास परिषद गांव व पो. धनवती, जिला सिवान–847451
132.	लोक भारती सेवा आश्रम गांव व पो.–कुनौली, सुपौल–847451, सिवान
133.	निर्मली प्रखंड–स्वराज्य सभा, भापतिआही, सुपौल, सिवान
134.	औलिया अध्यात्मिक अनुसंधान केन्द्र गांव पौनी हसनपुर, वैशाली
135.	भारतीय जन मंच, गांव चकमटंडी, वाया सारत, वैशाली
136.	सेवा मानव विकास परिषद गांव मनुवा, पो. इसमालीपुर, वैशाली
137.	शहीद भगत सिंह क्लब, कन्हौली, वैशाली
138.	वैशाली जन सेवा संस्थान, स्थान प्रसिद्ध नगर, पो. अमृतसर, ब्लाक–वैशाली, वैशाली
139.	वैशाली शांति समाज कल्याण संस्थान, एस. डी. ओ. रोड, हाजीपुर, वैशाली
140.	वैशाली शांति समाज कल्याण संस्थान, एस. डी. ओ. रोड़, हाजीपुर वैशाली
141.	ग्रामीण विकास संघ, गांव चोटके पट्टी, पो. बारागांव पश्चिम चंपारण
142.	जिला समग्र विकास संस्थान, गांव व पो. बनुचपरा बतिया, प. चंपारण
143.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्र, सुल्तानपुर, सुतीहर, सारण
144.	पटना एजुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट, रोड नं. 11 राजेन्द्र नगर, पटना
145.	भारती सेवा सदन, श्री निकेतन, अबुलासलेन, मछुआ टोली, पटना
146.	सुलभ पर्यावरण तथा जल संस्थान, कंकड़बाग कालोनी, पटना
147.	विकलांग पुर्नवास सेवा संस्थान, बिरसा नगर, हटिया, रांची
148.	देसी चिकित्सा विकास परिषद, आशीर्वाद, पटना
149.	सोसायटी फॉर रूरल इंडस्ट्रलाइजेशन (एस. आर. आई.), बरियातु, रांची
150.	वनवासी सेवा केन्द्र भभुआ

1	2
1998-99	
1.	भागलपुर अम्बेडकर सेवा केन्द्र, गांव व पो. अमरपुर, बांका
2.	हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे, दिल्ली (बिहार में परियोजना क्षेत्र)
3.	प्रभु पार्वती ग्रामीण विकास संस्थान, गांव व पो. बरहरवा लखन, ढाका पूर्वी चम्पारण
4.	राधिका सेवा संस्थान गांव परतापुर, पो. मेहसिम, पूर्वी चम्पारण
	टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, ई रोड, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम
6.	नवभारत जागृति केन्द्र, गांव बहेरा, हजारीबाग
7.	ग्राम भारती सर्वोदय आश्रम, गांव व पो. सिमुलताला, जमुई
8.	नालंदा ग्रामोत्थान प्रतिष्ठान, इटोरा, गांव–इटोरा, नालंदा
9.	पटना एजुकेशनल डेवल. ट्रस्ट रोड़ नं. 11 राजेन्द्र नगर, पटना
10.	नालंदा कल्याण प्रतिष्ठान, गांव व पो. ब्राण्डी, नालंदा
11.	समग्र लोक सेवा संस्थान, पो. माहिउद्दीनपुर, वाया फतुहा, पटना
12.	अखिल भारतीय ग्रामोभिमुख आंत्योदय संस्थान, गांव–रूपौली, जिला–पुर्णिया
13.	लोहिया जयप्रकाश खादी ग्रामोद्योग मानव विकास संस्थान, गांव व पो. बाघरा, समस्तीपुर
14.	कंसलटेंसी कम गाइडेंस सेन्टर, सी.जी.सी, वैशाली
15.	के.ए.एस.एफ.ए.आर.सी.ए. गांव कमटौलिया, पो. बालूकराम, वैशाली
16.	ग्राम विकास केन्द्र, के–3, 57, हंस टेल्को टाउन, जमशेदपुर, बिहार
17.	छोटानागपुर विकास केन्द्र बारकाथा, हजारीबाग
18.	नव भारत जागृति केन्द्र, चौपारण बेहरा वृंदावन हजारीबाग, बिहार
19.	परोपकार लोक विकास संस्थान, नवादा, बिहार
20.	ग्रामीण महिला एवं युवा विकास समिति, भालनी, मुधबनी, बिहार
21.	सामाजिक कल्याण संस्थान, धनबाद, बिहार
22.	सुलभ बाल तथा नारी ग्रामोत्थान, संस्थान, पटना, बिहार
23.	ग्रामीण भारती सर्वोदय आश्रम, मधेपुरा, बिहार
24.	सोसायटी फॉर रूरल इंडस्ट्रीलाइजेशन, रांची, बिहार
25.	बनवासी सेवा केन्द्र, भभुआ, बिहार
1999-2000	
1.	टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, पूर्वी रोड, जमशेदपुर बिहार, पूर्वीसिहंभूम, जिला
2.	टाटा स्टील रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, ई रोड़, जमशेदपुर बिहार
3.	बनवासी विकास आश्रम, ग्राम व पोस्ट–बगोढ़ा, ब्लॉक हास्पिटल के समीप, गिरिडीह–825322
4.	भारतीय जन कल्याण सेवा समिति, ग्राम मोघलकुंआ, बिहार शरीफ, सोहसरिया, नालंदा
5.	ग्राम निर्माण मंडल, सरोदय आश्रम, शोखोदरा, नवादा
6.	लोक चेतना विकास केन्द्र, कुंज कुटीर, गोला रोड़, नवादा–805110
7.	महिला रक्षा मण्डली, ग्राम–अकबरपुर, पोस्ट–राजघाट, नवादा–805126
8.	बापू बाल महिला विकास केन्द्र, पूर्व बोरिंग कैनाल रोड़, पटना – 800001

1	2
9.	भारत नव निर्माण चेतना विकास संस्थान, बख्तियारपुर, पटना
10.	बिहार ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट–फतुआ, स्टेशन रोड़, पटना
11.	कपार्ट, आर. सी., पटना, बिहार
12.	कपार्ट, आर सी. पटना, बिहार
13.	कपार्ट, आर. सी. पटना, बिहार
14.	सेन्टर फार डवेलपमेंट ऑफ इण्डिया, चित्रगुप्त नगर, पोस्ट–गली कंकडबाग, पटना
15.	ग्राम्य, दीपराज कम्पलैक्स, ए.के.रोड़, मछुआ टोली, पटना
16.	सर्वोदय आश्रम, महावीर कुटी, पुर्णिया
17.	सोसाइटी फार रूरल इण्डस्ट्रीयलाइजेशन, बरियातू, रांची–834009
18.	सखीरी महिला विकास संस्थान, बसंतपुर, सिवान
19.	बीबीपुर एरिया स्माल फॉर्मस एण्ड रिसोर्सलेस कम्युनिटिज एसोसिएशन, ग्राम बीबीपुर, पोस्ट अनिरूद्ध बेलसार, वैशाली
20.	कन्सलटेंसी कम गाईडेंस सेन्टर सी. जी. सी. बानिया, वैशाली
21.	कन्सलटेंसी कम गाईडेंस सेन्टर सी. जी. सी. बानिया, वैशाली
22.	अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद ग्राम गहिरीकोठी, विक्टोरिया मिशन, पश्चिमी चम्पारन
23.	सोसाइटी फार रूरल इण्डस्ट्रीयलाइजेशन, बरियातु एस. आर. आई. रांची, बिहार
24.	ग्रामीण महिला एवं युवा विकास समिति, मधुबनी, बिहार
25.	बिहार नवजीवन ज्योति, प्रतिष्ठान, जुमई, बिहार
26.	ग्रामीण निर्माण मण्डल, सर्वोदय, नवादा, बिहार
27.	ग्रामोदय, पटना, बिहार
28.	बिहार इन्स्टीट्यूट आफ इकोनॉमिक स्टडीज, पटना, बिहार
29	पर्यावरण संरक्षण संस्थान, पटना, बिहार
30.	बिरसा मुंडा कला परिषद, गुमला, बिहार
31.	नेचर एंड इन्वायरमेंट एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, देवघर, बिहार
32.	जन विकास केन्द्र सिंगिरियान्वा, करिया, पर्सवाई, पटना, बिहार
33.	सुभम, फर्दोगेला, रेवा रोड़, मुजफ्फरपुर, बिहार
34.	अविद्या विमुक्ति संस्थान, ग्राम मस्तीपुर, बोधगया, बिहार
35.	लोहिया जयप्रकाश खादी ग्रामोद्योग, मानव विकास संस्थान, बधरा, समस्तीपुर, बिहार

[अनुवाद]

तेजपुर विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रमों को आरंभ किया जाना

75. **श्री एम. के. सुब्बा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेजपुर विश्वविद्यालय में विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ नए पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने हेतु अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सृजित किए जाने वाली सीटों की क्षमता अथवा अतिरिक्त क्षमता संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार वे पाठ्यक्रम जिन्हें शुरू करने के लिए अनुमति मांगी गई थी और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए स्थान क्षमता इस प्रकार है:

(i) पालिमर विज्ञान में एम. टेक (स्थान क्षमता–12)

(ii) कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी तथा इलेक्ट्रानिकी में बी. टेक पाठ्यक्रम (प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्थान क्षमता–30)

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय का दौरा कर चुकी है। परिषद् ने विश्वविद्यालय को बुनियादी सुविधाओं, संकायों इत्यादि से संबंधित विशिष्ट सुझावों को कार्यान्वित करने की सलाह दी है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों के उत्थान हेतु योजनाएं

76. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण लोगों विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के उत्थान के लिए प्रधान मंत्री की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये योजनाएं कौन–कौन से राज्यों में प्रायोजित की गई हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक, वर्ष तथा आज तक इन योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को राज्य–वार कितना आबंटन किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इनके तहत योजना–वार उपलब्धियां क्या रहीं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करता है:–

(i) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

(ii) सुनिश्चित रोजगार योजना

(iii) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

(iv) इन्दिरा आवास योजना

(v) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

(vi) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

(vii) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(viii) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

(ix) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

(x) मरुभूमि विकास कार्यक्रम

(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम को छोड़कर ये योजनाएं सभी राज्यों में कार्यान्वित की जाती हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए इन योजनाओं के अन्तर्गत किए गए राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण–I में दिए गए है।

(घ) उपर्युक्त अवधि के लिए इन योजनाओं की उपलब्धियां संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आबंटन (केन्द्र + राज्य)			
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001*
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	96300.69	90096.01	84724.27	77782.57
2	अरुणाचल प्रदेश	7723.18	10682.28	6614.06	9423.91
3	असम	36449.3	57851.69	53811.42	79958.61
4	बिहार	140934.76	179042.92	188917.21	114922.22
5	छत्तीसगढ़	–	–	–	20822.92

1	2	3	4	5	6
6	गोवा	2039.15	2607.67	2238.58	2999.52
7	गुजरात	41751.53	44726.14	51555.46	47915.66
8	हरियाणा	15133.07	18648.18	18189.5	14857.42
9	हिमाचल प्रदेश	13047.92	15463.67	15993.71	15528.31
10	जम्मू व कश्मीर	21579	23981.19	17925.3	19200.21
11	झारखण्ड	–	–		47762.59
12	कर्नाटक	70404.04	67145.69	59581.83	56322.42
13	केरल	27685.41	30676.69	28291.9	27927.96
14	मध्य प्रदेश	113799.13	123928.91	106336.99	70074.85
15	महाराष्ट्र	126303.09	123933.72	177522.04	114946.93
16	मणिपुर	4360.36	6207.59	5706.72	7499.75
17	मेघालय	3495.19	6465.68	6306.89	8639.38
18	मिजोरम	2559.36	3518.53	2442.84	3911.38
19	नागालैंड	4594.58	6693.89	5068.55	6340.8
20	उड़ीसा	68803.5	75314.37	69164.76	61089.93
21	पंजाब	9576.81	14386.28	10930.38	10158.13
22	राजस्थान	72186.16	72214.96	64889.99	66039.22
23	सिक्किम	1851.3	2609.99	2476.85	2387.72
24	तमिलनाडु	91769.75	96503.92	73091.55	87932.25
25	त्रिपुरा	5118.91	9267.78	9013.26	11403.76
26	उत्तर प्रदेश	207331.93	240008.44	223493.54	142857.1
27	उत्तरांचल	–	–	–	42353.8
28	पश्चिम बंगाल	68822.87	77494.55	79954.62	71912.83
29	अण्ड. निकोबार द्वीप समूह	1310.21	2078.79	1600.82	2025.72
30	चण्डीगढ़	16.59	16.59	24.17	294.17
31	दादरा व नागर हवेली	448.47	654.82	650.4	441.92
32	दमन व दीव	178.75	303.81	352.77	500.66

1	2	3	4	5	6
33	दिल्ली	1031.27	1081.27	1145.66	444.29
34	लक्ष्यद्वीप	271.99	348.56	323.94	387.28
35	पांडिचेरी	457.75	409.7	538.24	353.95
	योग	1257336.02	1404364.28	1367878.22	1247420.14

* अनंतिम

नवंबर – दिसंबर तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार

विवरण-।।

वर्ष 1997–98 से 2000–2001 तक वास्तविक उपलब्धियां

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	वास्तविक उपलब्धियां				इकाइयां
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001	
1	2	3	4	5	6	7
1	जेआरवाई/जे जी एस वाई	3958.00	3766.22	2683.08	807.53	सृजित रोजगार लाख श्रम दिनों में
2	आई ए वाई	770936.00	835407.00	925679.00	498510.00	निर्मित मकानों की संख्या
3	एम डब्ल्यू एस	103499.00	95164.00	0.00	0.00	निर्मित कुओं की संख्या
4	ई ए एस	4717.74	4279.36	2786.17	1040.21	सृजित रोजगार लाख श्रमदिन में
5	आई आर डी पी/एस जी एस वाई	1706609.00	1677182.00	347912	159300	सहायता प्रदत्त परिवारों की संख्या
6	डवाकरा	34445.00	192537.00	0	0	गठित समूहों की संख्या
7	ट्राइसेम	251387.00	222431.00	0	0	प्रशिक्षित युवकों की संख्या
8	टूल किट्स	162412.00	189267.00	0	0	आपूर्ति हुए किटों की संख्या
9	डी पी ए पी	4362.00	5956.00	एन आर	एन आर	वाटरशेडों की संख्या
10	डी डी पी	1747.00	2202.00	एन आर	एन आर	वाटरशेडों की संख्या
11	ए आर डब्ल्यू एस पी	366.15	345.27	257.46	125.05	कवर की गई आबादी (लाख में)
12	ए आर डब्ल्यू एस पी	116994.00	112933.00	74637.00	79468.00	कवर की गई बसावटों की संख्या
13	सी आर एस पी	1387080.00	1631272.00	1079476.00	189568.00	निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संख्या

एन आर – सूचित नहीं

महाराष्ट्र की मलिन बस्तियों पर जी. टी. सी. की रिपोर्ट

77. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मन प्रौद्योगिकी समन्वयन (जीटीसी) विशेषज्ञों ने अपनी हाल की रिपोर्ट में नागपुर नगर निगम के मलिन सुधार विभाग में कर्मचारियों की कमी और मूलभूत सुविधाओं की कमी की ओर संकेत किया है;

(ख) क्या मलिन बस्ती विकास परियोजनाओं पर नागपुर नगर निगम और जर्मन प्रौद्योगिकी समन्वय विशेषज्ञ संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं;

(ग) क्या जर्मन विशेषज्ञों ने इस संबंध में नागपुर नगर निगम और जर्मन प्रौद्योगिकी समन्वय दल के बीच उचित समन्वय के बारे में आशंकाएं जताई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर की लगभग 279 मलिन बस्तियों में कार्य के लिए उचित समन्वय हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। यद्यपि जर्मन प्रोद्योगिकी समन्वयन की, नागपुर में स्लम सुधार परियोजना के बारे में कुछ शर्तें हैं, लेकिन नागपुर नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मौजूदा कार्य भार को संभालने के लिए मौजूदा कर्मचारी पर्याप्त हैं।

(ख) जी, हां। जर्मन प्रौद्योगिकी समन्वयन एकीकृत स्लम सुधार परियोजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में नागपुर नगर निगम की सहायता कर रहा है।

(ग) से च) जी, नहीं। दिनांक 11.10.2000 को सचिव (शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन) की अध्यक्षता में हुई बैठक में सचिव (आवास) महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचित किया था कि परियोजना का चरण–I पूरा हो गया है और चरण– II का वर्तमान में कार्यान्वयन हो रहा है। नागपुर स्लम सुधार परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए संयुक्त सचिव (शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन) की अध्यक्षता में एक अन्य बैठक शीघ्र ही आयोजित की जा रही है।

"पिग आयरन" संयंत्र

78. **श्री जी. एस. बसवराज : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में मंगलौर में 300 करोड़ रुपये के "पिग आयरन" संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संयंत्र संयुक्त क्षेत्र का उद्यम होगा;

(ग) प्रस्तावित संयंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है और इसमें कितना वार्षिक उत्पादन होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार के एक उपक्रम कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड ने मेकॉन लिमिटेड और एम. एस. टी. सी. लिमिटेड के सहयोग से संयुक्त उद्यम के रुप में मंगलौर में एक कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित किया है। कच्चा लोहा और डक्टाइल आयरन स्पन पाइप परियोजना की अनुमानित लागत 328 करोड़ रुपए है (1995 की अंतिम तिमाही में प्रचलित मूल्यों पर आधारित)।

(ग) उत्पादित कच्चा लोहा अति उत्कृष्ट उत्पाद है जिसमें बहुत कम फास्फोरस और सल्फर होता है।

(घ) कच्चा लोहा परियोजना पूरी कर ली गई है और उसे चालू कर दिया गया है। इस संयंत्र से प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख कच्चे लोहे का उत्पादन होने की आशा है।

[हिन्दी]

बिहार में कम्प्यूटर शिक्षा

79. **श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने सैकण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है और इस संबंध में निधियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के 'हाई' स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु अपेक्षित निधियां जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) बिहार के 400 माध्यमिक स्कूलों तथा 89 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 13,20,30,000/–रु. की अनुमानित लागत से कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए दिसम्बर, 2000 में बिहार राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। यह विभाग स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन की योजना को संशोधित कर रहा है अतः भारत सरकार द्वारा अभी किसी नए प्रस्ताव के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

शहरी गांवों में निर्माण कार्य

80. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री 21 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 451 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) आश्वासन को पूरा करने संबंधी उत्तर की प्रति विवरण के रूप में दर्शायी गई है। दिल्ली नगर निगम को गांव सौंपने की प्रक्रिया तेज करने के लिए संबंधित एजेन्सियों को कहा गया है।

(ग) लागू नहीं होता।

विवरण

पूर्ति की तारीख 16.2.2001

संख्या तारीख व सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया	विलंब के कारण
1	2	3	4	5
श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 451 दिनांक 21.11.2000	**शहरी गांवों में निर्माण** पूछा गया कि : (क) क्या शहरी गांवों (जो गांव डी.एम.सी. अधिनियम 1957 की धारा 507 के अंतर्गत अब ग्रामीण क्षेत्र के नहीं रहे) में निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम की स्वीकृति आवश्यक है; (ख) यदि हां, तो अब तक दिल्ली में शहरीकृत घोषित कर दिए गए गांवों का ब्यौरा क्या है; (ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित गांवों, जो अब डी. एम. सी. अधिनियम 1957 की धारा 507 के अनुसार शहर है, में पंचायत	(क) से (ज) तक:– सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) से (ज) तक : सूचना अनुबंध में दी गई है।	दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम से सूचना की प्रतीक्षा थी।

1	2	3	4	5
	विभाग द्वारा बीस–सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित गृह निर्माण स्थल पर निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम से भी अनुमति लेने की आवश्यकता है;			
	(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,			
	(ङ) क्या दिल्ली पंचायत विभाग ने डी. एम. सी. अधिनियम 1957 की धारा 507 के अंतर्गत वर्ष 1994 में शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित 20 गांवों का प्रभार नहीं सौंपा है;			
	(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;			
	(छ) क्या इन गांवों में अवैध निर्माण का कार्य एम.सी.डी./डी.डी.ए. पंचायत विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बेरोकटोक चल रहा है; और			
	(ज) यदि हां, तो डी.डी.ए. ने 1994 में शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित इन गांवों का प्रभार अपने हाथों में लेने के क्या कदम उठाए हैं?			

अनुबंध

शहरी गांवों में निर्माण

(क) जी हां।

(ख) ऐसे शहरी गांवों की कुल संख्या 135 है जो परिशिष्ट–। में दी गई सूची के अनुसार है।

(ग) और (घ) जी हां। भवन क्रियाकलापों पर, भवन उपनियमों/आंचलिक विकास योजना/दिल्ली मास्टर प्लान – 2001 के अंन्तर्गत नियंत्रण रखा जाता है।

(ङ) और (च) दिल्ली सरकार व दिल्ली विकास प्राधिकरण से, 1994 में शहरीकृत रूप में अभिसूचित गांवों के प्रभार का शीघ्रता से लेन/देन करने को कहा गया है।

(छ) दिल्ली नगर निगम अधिनियम और दिल्ली विकास अधिनियम के संगत उपबंधों के अन्तर्गत अवैध और अनधिकृत निर्माण का पता लगाना और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय भी इस संबंध में कारगर कार्रवाई करने की जरूरत के लिए समय–समय पर संबंधित एजेंसियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए निदेश जारी करता रहता है। दिल्ली में सभी प्रकार के अनधिकृत/अवैध निर्माणों के खिलाफ कारगर व नियमित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुनः 28.8.2000 को व्यापक निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों की प्रति परिशिष्ट–।। में संलग्न है।

(ज) उपर्युक्त (ङ) और (च) में उल्लेख किया जा चुका है।

परिशिष्ट-।

1. असालतपुर
2. आजादपुर

3. बंसत गांव
4. बसई दारापुर
5. बेगमपुर
6. बडसराय
7. भरोला
8. भुडेला
9. धीरपुर
10. गढी झरिया मरिया
11. गढ़ी पीरान
    गाजीपुर
13. घोंडा
14. हैदरपुर
15. हरि नगर आश्रम
16. हसनपुर
17. हौजखास
18. हुमायूँपुर
19. झिलमिल ताहिरपुर
20. जाजाबाई
21. ज्वालाहेड़ी
22. कच्चीपुर
23. कालुसराय
24. कढ़कड़डूमा
25. कठवाडिया सराय
26. ख्याला
27. खिड़की
28. खिजराबाद
29. खुरेजीखास
30. किलोकरी
31. किशनगढ़
32. कोटला मुबारकपुर
33. लाडोसराय
34. मादीपुर
35. मकसूदपुर
36. मंगोलपुर खुर्द
37. मंडवली फजलपुर
38. मसीगढ़
39. मस्जिद मोठ
40. मौजपुर
41. महरौली
42. मुनिरका
43. नांगलराया
44. नंगलीजलेब
45. नांगलोई सैयद
46. नारायणा
47. ओखला
48. पीपलथला
49. पीतमपुरा
50. पोसंगीपुर
51. रामपुरा
52. साहीपुर

53. सराय जुलियाना
54. साहपुर जाट
55. शक्करपुर खास
56. शकुरपुर
57. शालीमार
58. शेखसराय
59. तमूरनगर
60. सतारपुर
61. तेखण्ड
62. वजीर नगर
63. अदजिनी
64. अर्कपुर बाग मोची
65. बदरपुर
66. बादली
67. बेहलोलपुर
68. चोखण्डी
69. चिरगदिल्ली
70. ढाका
71. घोंडा नीमका
72. घोडली
73. हौजरानी
74. जसोला
75. जिसासराय
76. कैटवाडा
77. केशोपुर
78. खानपुर राया
79. खानपुर (पार्ट)
80. खरारा
81. कोटला
82. मदनगीर
83. मदनपुर खादर
84. मलिकपुर छावनी
85. मंडोली कच्ची
86. मंगोलपुर कला
87. महिपालपुर
88. मोहम्मदपुर
89. नाहरपुर
90. नंगलीराजापुर
91. राजपुर छावनी
92. रीठाला
93. सबोली
94. सडोरा कला
95. समयपुर
96. सराय कालेखां
97. सराय शाहजी
98. शादीपुर
99. सीलमपुर
100. तिहाड़
101. तुगलकाबाद
102. शाहदरा

103. उस्मानपुर

104. वजीरपुर

105. भूसुफराय

106. जमरूदपुर

107. सडोराखुर्द

108. चौकी मुबारकबाद

109. नीमड़ी

110. सलीमपुर माजरा हादीपुर

111. नजफगढ़

112. मसूदाबाद

[illegible] हैबतपुर

[illegible]डो सराय

115. खिचड़ीपुर

116. पालम

117. मिर्जापुर

118. डाबड़ी

119. नसीरपुर

120. सागरपुर

121. बागडोला

122. साहूपुरा

123. मटियाला

124. बिंदापुर

125. ककरोला

126. लोहारहार

127. टोगनपुर

128. अमराही

129. शाहबाद मोहम्मदपुर

130. भरथल

131. नवादा

132. पोचनपुर

133. बामनोली

134. धूलसिरस

135. बिजवासन

परिशिष्ट-II

सं. जे. 13036/3/96 डीडी II बी

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 28.8.2000

सेवा में,

1. श्री पी.एस. भटनागर,
मुख्य सचिव,
दिल्ली सरकार, दिल्ली।

2. श्री पी. के. घोष
उपाध्यक्ष,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास सदन, आई एन ए, दिल्ली।

3. श्री एस. पी. अग्रवाल,
आयुक्त,
दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल, दिल्ली।

4. श्री वी. पी. मिश्र,
अध्यक्ष,
नई दिल्ली नगर पालिका समिति,
पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।

5. विकास आयुक्त
दिल्ली सरकार, टाउन हाल, दिल्ली।

विषयः दिल्ली में अनधिकृत अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण की समस्या पर भारत सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर विचार किया गया है और इस समस्या को कड़ाई से दूर करने का निर्णय लिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि सभी अवैध निर्माणों/अनधिकृत निर्माणों तथा साथ ही दिल्ली के मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन करके भूमि का दुरुपयोग करने के खिलाफ कड़ाई व तत्परता से कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से निम्नलिखित उपायों को कड़ाई से लागू किया जाना अनिवार्य है:–

(i) सभी प्रकार का अवैध निर्माण यत्र–तत्र न गिरा कर पूरी तरह से हटाया जाए।

(ii) गिराने की लागत अवैध निर्माण करने वाले से गिराने के 15 दिन के अदंर वसूल की जाए। यदि 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो देय राशि भूराजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल की जाए।

(iii) अवैध निर्माण के सभी मामलों में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम आदि के अंतर्गत अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध निरपवाद रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए और उन मामलों को पुलिस प्राधिकारियों/न्यायालय के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए।

(iv) जहां कहीं संपत्ति लीज पर हो उन मामलों में लीज समझौते की शर्तों व निबंधनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और इस प्रकार के लीज समझौते के तहत अनुमेय न्यूनतम अवधि में पुनः प्रविष्टि की जाए। पुनः प्रविष्टि के बाद लोक परिसर बेदखली अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर संपति का वास्तविक कब्जा ले लिया जाए और क्षति की राशि तत्काल ली जाए। क्षतिपूर्ति/दुरुपयोग प्रभारों की दर भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा अनुसरण किए जा रहे तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार ली जाएगी।

(v) डीडीए फ्लैटों के मामलों में जहां अनुमेय सीमा से अधिक निर्माण किया गया है, अतिरिक्त निर्माण गिराने के अलावा आबंटन भी रद्द किया जाए। अनुमेय तथा गैर अनुमेय मदों के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

(vi) जिन मामलों में गिराने के बाद दोबारा अवैध निर्माण किया जाता है उनमें प्रभारी अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निश्चित की जाए और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए।

(vii) ग्रामीण कृषि योग्य भूमि पर अवैध निर्माण के मामले में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए और भूमि का कब्जा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रावधानों के अनुसार ले लिया जाए। इस संबंध में कार्रवाई उसी समय कर ली जाए जबकि कालोनी बनाने वालों द्वारा प्लाट काटे जाते हैं और उस पर चारदिवारी आदि के रूप में निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में अवैध निर्माण शुरू से ही रोक दिया जाए इस संबंध में संबंधित स्थानीय एजेंसियों/डीडीए द्वारा भी नक्शों/सेवा प्लानों आदि के उपनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

(viii) जिन मामलों में पार्टी ने स्थगन/यथापूर्व स्थिति के आदेश लिए हुए हैं उनमें स्थगन आदेश रद्द कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए और जहां कहीं आवश्यक हों उच्चतम न्यायालय में मामला ले जाया जाए।

(ix) सभी सीनियर फील्ड अधिकारियों को उनके प्रभार में क्षेत्र का व्यक्तित्व रूप से निरीक्षण और पर्यवेक्षण अधिकारी को आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधीनस्थ कर्मचारी अवैध निर्माण नियंत्रित करने अथवा गिराने के लिए तत्काल कार्रवाई करते हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर आदि जैसे अधीनस्थ स्टाफ, जो शीघ्र कार्रवाई नहीं करते हैं के विरुद्ध भी निवारक कार्रवाई की जाए।

(x) फील्ड अधिकारियों को फील्ड डायरी रखने और उसे नियमित रूप से पर्यवेक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करने को कहा जाए।

2. यह भी अनुरोध है कि मासिक रिपोर्ट प्रत्येक परवर्ती मास की 5 तारीख तक शहरी विकास मंत्रालय को भेजी जाए।

3. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि संसद और संसदीय परामर्शदात्री समिति ने प्रश्नों और क्षेपकों के जरिए दिल्ली में अनधिकृत निर्माण की बढ़ती समस्या और इस मामले में विभिन्न प्राधिकरणों की संदिग्ध सांठ–गांठ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय में एक उड़न दस्ते का गठन किया गया है और यदि इस दस्ते की जांच के परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि अधीनस्थ स्टाफ ने अपनी डयूटी नहीं की है या उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया तो सरकार द्वारा अधीनस्थ/पर्यवेक्षण स्टाफ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भवदीय

हस्ता/–

(डा. निवेदिता पी हरन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फोन : 3018255

प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. भूमि तथा विकास कार्यालय, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक (निर्माण), निर्माण भवन, नई दिल्ली।

हस्ता/–
(एन एल उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति सूचना हेतु :–

1. सचिव, शहरी विकास के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव (डीएंडएल) के निजी सचिव।

उप सचिव (डीडी)

4. अवर सचिव (डीडी ।ए/ ।बी/।।ए/vए/vi)

कोयला धोवनशालाएं

81. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला धोवनशालाओं की राज्य–वार मौजूदा क्षमता कितनी है;

(ख) क्या कोयला धोवनशालायें कोयले की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश की मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा का कोयला आयात किया जाता है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) वर्तमान में कार्य कर रही कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला धोवनशालाओं (राज्य–वार) की क्षमता नीचे दी गई है:–

क्रम संख्या	धोवनशाला का नाम	क्षमता	
1	2	3	
झारखंड राज्य			
1	दुग्धा–I **बीसीसीएल**	1.8	
2	दुग्धा–II **बीसीसीएल**	2.0	
3	पाथेरडीह, **बीसीसीएल**	1.6	
4	लोडना, **बीसीसीएल**	0.48	
5	सुदामाडीह, **बीसीसीएल**	1.6	
6	मुनोडीह, **बीसीसीएल**	1.6	
7	बरोरा, **बीसीसीएल**	0.42	
8	मोहुदा, बीसीसीएल	0.63	
9	मधुवन, बीसीसीएल	2.5	
10	कथरा, सीसीएल	3.0	
11	स्वांग, सीसीएल	0.75	
12	राजरप्पा, सीसीएल	3.0	
13	केडला, सीसीएल	2.6	
14	करगाली, सीसीएल	2.72	
15	गिडी, सीसीएल	2.0	
16	पीपरवाड़, सीसीएल	6.5	
	योग	33.2	मि. टन. प्रति वर्ष
मध्य प्रदेश राज्य			
1	नंदन, डब्ल्यूसीएल	1.2	
2	बीना, एनसीएल	4.5	
	योग	5.7	मि. टन प्रति वर्ष
पश्चिम बंगाल राज्य			
1	भोजुडीह, बीसीसीएल	1.7	
	योग	1.7	मि. टन प्रति वर्ष
	सकल योग	40.6	मि.टन प्रति वर्ष

(ख) और (ग) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड अपनी कोयला धोवनशालाओं से धुले हुए कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास कर रही है, जैसा कि नीचे ब्यौरे में देखा जा सकता है:–

क्रम संख्या	धोवनशाला का नाम	अंतरगामी (इनपुट) कोयले में राख का प्रतिशत	निर्गत (आउटपुट) साफ कोयले में राख का प्रतिशत
1	दुग्धा–I बीसीसीएल	49 2	35.7
2	दुग्धा–II बीसीसीएल	34.2	19.45
3	पाथेरडीह, बीसीसीएल	29.6	19.83
4	लोडना, बीसीसीएल	31.9	19.93
5	सुदामाडीह, बीसीसीएल	32.4	19.13
6	मुनीडीह, बीसीसीएल	30.4	18.75
7	बरोरा, बीसीसीएल	30.5	18.62
8	मोहुदा, बीसीसीएल	24.1	18.51
9	मधुवन, बीसीसीएल	34.4	19.71
10	कथरा, सीसीएल	31.4	18.89
11	स्वांग, सीसीएल	33.3	18.7
12	राजरप्पा, सीसीएल	34.2	18.9
13	केडला, सीसीएल	32.2	18.9
14	करगाली, सीसीएल	44.0	32.2
15	गिडी, सीसीएल	46.4	33.1
16	पीपरवाड़, सीसीएल	39.0	35.3
17	नंदन, डब्ल्यूसीएल	28.5	18.8
18.	बीना, एनसीएल	ई. एण्ड एफ. ग्रेड	33.57
19.	भोजुडीह, वीसीसीएल	28.1	19.47

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सभी धोवनशालाओं में राख का प्रतिशत कम हो रहा है और इस प्रकार कोयले की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, परिणामतः उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है।

(घ) कोककर और अकोककर कोयला तथा विभिन्न प्रकार के कोक, ब्रिकेट और ऐन्थ्रासाइट आदि का देश में उपभोक्ताओं, व्यापारियों और आयातकों द्वारा आयात नीति के अंतर्गत अलग–अलग मात्रा में आयात किया जाता है। देश में विभिन्न पत्तनों के माध्यम से होने वाले ऐसे आयात (नामतः मात्रा, मूल्य, भुगतान की शर्तें आदि) के ब्यौरे तथा तटवर्तीय और भीतरी प्रदेशों को भेजे गए कोयले पर कोल इंडिया लि. की कोई पहुंच नहीं है। ात तीन वर्षों के दौरान देश में आयात किए गए कोयले के ब्यौरे निम्नवत हैं:–

वर्ष	कुल आयात (मि. टन में)
1997–98	17.21
1998–99	15.64
1999–2000	17.50 (अनंतिम)

देश में विदेशियों को ठगा जाना

82. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क अधिकारी/कर्मचारी और ट्रैवल एजेंट कुछ विदेशी और भारतीय यात्रियों का ठग लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने अधिकारियों/कर्मचारियों और एजेंटों को हिरासत में लिया गया, निलंबित किया और उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए; और

(घ) हवाई अड्डों पर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण

83. **श्री अशोक ना. मोहोल :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए निधियां उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग ने स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए 245.53 करोड़ रुपये की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें से राज्य–सरकारों को राज्य–वार कितनी राशि वितरित कर दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन की योजना में संशोधन कर रहा है। अतः भारत सरकार द्वारा अभी किसी भी नए प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) 16.2.2001 तक वित्त मंत्रालय द्वारा मुक्त की गई राज्यवार राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	2000–05 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राशि	प्रदान की गई राशि 2000–01
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	989	99.44
अरूणाचल प्रदेश	559	56.21
असम	989	99.44
बिहार	1591	159.98
छत्तीसगढ़	688	69.18
गोवा	86	17.30
गुजरात	1075	108.09
हरियाणा	817	82.15
हिमाचल प्रदेश	516	51.88
जम्मू व कश्मीर	602	60.53
झारखंड	774	77.83
कर्नाटक	1161	116.74
केरल	602	60.53
मध्य प्रदेश	1935	194.57
महाराष्ट्र	1505	151.33
मणिपुर	387	38.91
मेघालय	301	30.27
मिजोरम	344	34.59
नागालैण्ड	344	34.59
उड़ीसा	1290	129.71

1	2	3
पंजाब	731	73.50
राजस्थान	1376	138.36
सिक्किम	172	17.29
तमिलनाडु	1247	125.39
त्रिपुरा	172	17.29
उत्तर प्रदेश	3010	302.66
उत्तरांचल	559	56.21
पश्चिम बंगाल	731	147.00
कुल	24553	2550.97

कोयले की रायल्टी दरें

84. डा. जसवंतसिंह यादव :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कोयले की रायल्टी दरों का निर्णय मौजूदा टन आधार की अपेक्षा मूल्यानुसार पर करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयले की रायल्टी दरें मूल्यानुसार कब तक निर्धारित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) से (ग) कोयले पर रायल्टी की दर निर्धारित करने के लिए मूल्यानुसार प्रणाली अपनाने के प्रश्न की जांच करने के लिए अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस बारे में कोई निर्णय समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

उर्दू को प्रोत्साहन

85. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्दू भाषा के शिक्षण और प्रोत्साहन हेतु कोई विशेष योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों मे उर्दू प्रोत्साहन हेतु राज्य–वार कितनी सहायता राशि प्रस्तुत की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने उर्दू प्रोत्साहन हेतु क्या विशेष कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) उर्दू सहित भारतीय भाषाओं के संवर्धन तथा विकास के लिये भारत सरकार कई योजनायें कार्यान्वित करती है। इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित संस्थागत ढांचे का भी सृजन कर लिया गया है। विशेष रूप से उर्दू के संवर्धन के लिए, एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद् कार्य कर रही है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद् उर्दू संवर्धन कार्यकलापों के लिए उर्दू अकादमियों तथा स्वैछिक संगठनों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इनमें कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, उर्दू भाषा में विश्वकोश और द्विभाषी शब्दकोशों का प्रकाशन करना और उर्दू प्रकाशनों के लिए अनुदान देना शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। अपनी स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के आधार पर राज्य सरकारें उर्दू सहित संबंधित भाषा के संवर्धन के लिये विभिन्न कदम उठाती हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा उर्दू अकादमियों की स्थापना की गई है और उर्दू माध्यम स्कूल भी चलाए जा रहे हैं।

भारत सरकार ने उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की है। उर्दू माध्यम से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

विवरण

राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्दू अकादमियों/स्वैछिक संगठनों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	रु. लाख में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	36.61
2.	असम	16.00

1	2	3
3.	त्रिपुरा	5.00
4.	बिहार	20.48
5.	दिल्ली	31.56
6.	गोवा	5.18
7.	गुजरात	0.36
8.	हरियाणा	0.57
9.	हिमाचल प्रदेश	5.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	30.93
	कर्नाटक	16.68
12.	केरल	10.37
13.	मध्य प्रदेश	15.12
14.	महाराष्ट्र	22.50
15.	मणिपुर	8.45
16.	उड़ीसा	5.00
17.	राजस्थान	11.29
18.	तमिलनाडु	5.59
19.	उत्तर प्रदेश	32.80
20.	पश्चिम बंगाल	21.20

[अनुवाद]

अमोनिया का उत्पादन

86. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अमोनिया का मौजूदा वार्षिक उत्पादन और इसकी आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि किसानों को रासायनिक खाद आसानी से उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) वर्ष 1999–2000 के दौरान अमोनिया का अखिल भारत उत्पादन तथा आवश्यकता क्रमशः 12.24 मिलियन टन और 13.35 मिलियन टन थी। शेष 1.11 मिलियन टन की पूर्ति आयातों के माध्यम से की गयी थी। वर्ष 1999–2000 के लिए गैर उर्वरक उपयोग हेतु अमोनिया की आवश्यकता का अनुमान 1.70 लाख टन लगाया गया था।

(ख) और (ग) यूरिया एक मात्र उर्वरक है जो भारत सरकार के मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण के तहत है। अन्य सभी उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं और उनकी उपलब्धता मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्भर करता है। यूरिया के मामले में प्रत्येक राज्य में इसकी मांग का आकलन प्रत्येक फसल मौसम अर्थात खरीफ और रबी के लिए मौसम शुरू होने से पूर्व राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग के परामर्श से किया जाता है। प्रत्येक राज्य को यूरिया का आबंटन पहले स्वदेशी उपलब्धता से किया जाता है और मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच अन्तर, यदि कोई हो, की पूर्ति आयातों से की जाती है। किसी राज्य के भीतर यूरिया का वितरण संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वर्ष 2000–01 के दौरान देश में यूरिया की उपलब्धता संतोषप्रद रही है और राज्य सरकारों से इसके अभाव की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

प्राथमिक शिक्षा

87. श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री रामजीवन सिंह :

श्री पवन कुमार बंसल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यूनेस्को की वर्ष 2000 की रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें बताया गया है कि देश में 5 से 14 वर्ष की आयु के 72 मिलियन बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल सुविधाओं से वंचित 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की अनुमानित संख्या का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने देश में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों में किन–किन परिवर्तनों, यदि कोई हों, पर विचार किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) यूनेस्को की शिक्षा संबंधी विश्व रिपोर्ट 2000 में बताया गया है कि विश्व में प्राथमिक स्कूल में जाने लायक आयु के लगभग 10 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते।

(ख) और (ग) हाल ही में अर्थात वर्ष 1998–99 में 90,000 परिवारों को आधार बनाकर किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के 79 प्रतिशत बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वर्ष 1992–93 में इसी प्रकार के सर्वेक्षण में 68 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते थे।

(घ) सरकार ने अभी हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की है जो प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2003 तक स्कूल/शिक्षा गारंटी योजना/स्कूल में वापसी कैम्पस में शिक्षा प्रदान करने, वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा वर्ष 2010 तक सभी को आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है।

व्यवसाय-पूर्व पाठ्यक्रम

88. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने व्यवसाय–पूर्व पाठ्यक्रम शुरू किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन कौन–कौन से स्कूलों में ये पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्व–व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को प्रदान करने वाले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की सूची विवरण के रूप में दी गई है।

विवरण

पूर्व–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रदान करने वाले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की सूची

1. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, रूप नगर, दिल्ली।
2. राजकीय कम्पोजिट मॉडल स्कूल, शंकराचार्य मार्ग, दिल्ली।
3. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, नं. 3, सरोजनी नगर, नई दिल्ली।
4. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
5. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, रेलवे कालोनी, तुगलकाबाद, दिल्ली।
6. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नं.–1 तिलक नगर, नई दिल्ली।
7. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, रमेश नगर, नई दिल्ली।
8. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, ए–ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली।
9. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, रानी गार्डन, नई दिल्ली।
10. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।
11. ऐलपिन स्कूल, भावना, तह, कालका, अम्बाला सिटी।
12. शिव ज्योति पब्लिक स्कूल, जालंधर सिटी।
13. मानव मंगल हाई स्कूल, सैक्टर 21–सी, चंडीगढ़।
14. ज्ञान निकेतन विट्ठल विहार काम्पलैक्स, पटना।
15. होली क्रास स्कूल, दोनार, दरभंगा।
16. श्री गुरू तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, हल्द्वानी।
17. गुरू नानक इंग्लिश स्कूल, शिवपुरी, वाराणसी।
18. पेस्ट ले वीड कॉलेज, ओक हिल ईस्ट, देहरादून।
19. उत्तर स्कूल फार गर्ल्स, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

एन. एल. सी. में कोयले की चोरी

89. श्री वी. के. पार्थसारथी : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) में कोयले की चोरी की बढ़ रही घटनाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर सर्वेक्षण

90. श्री दिन्शा पटेल :

श्री अधीर चौधरी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का जायजा लेने की दृष्टि से मौके पर अध्ययन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अध्ययन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात में भूकंप से नष्ट हुए क्षेत्रों में पुनर्वास, पुनर्निर्माण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तकनीकी–वित्तीय पैकेज में "हडको" की सहायता भी शामिल है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उन्होंने इस संबंध में जनवरी माह में वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी; और

(ज) यदि हां, तो गुजरात में प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु प्राप्त राहत के समन्वय और इसके उपयोग के लिए योजना तैयार करने संबंधी परियोजना बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जी हां, गुजरात के भूकम्प से बर्बाद हुए क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पुनर्वास, पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए तकनीकी–वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई जिसके अन्तर्गत मकानों और इमारतों को हुई क्षति का शीघ्रता से आकलन करने, वित्तीय सहायता, संगत प्रौद्योगिकी के प्रचार, भूकम्प–रोधी प्रौद्योगिकी सहित आपदा रोधी आवासों की उपयोग के प्रदर्शन के लिये कक्षों, भवनों व सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना, व्यापक विकास के लिए गांव व बस्तियां गोद लेना/तथा भुज और अंजार में हडको के कार्यालय स्थापित का कार्यक्रम है। कार्य योजना के तहत, हडको तथा बी एम टी पी सी राज्य सरकारों की भागीदारी में पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत व नवीकरण, और मौजूदा असुरक्षित मकानों के रेट्रोफिटिंग के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की क्षति का शीघ्रता से आकलन करेगी।

(ङ) जी हां।

(च) राज्य सरकार द्वारा वांछित मदद के दायरे के अनुसार हडको राज्य सरकार को 1500 करोड़ रुपये तक का ऋण देने के लिए तैयार है बशर्ते कि राजकीय एजेंसियां कानूनी व अन्य अपेक्षायें पूरी कर दें। हडको से प्रदत वित्तीय सहायता के साथ संगत टेकनोलोजी पैकेज होगा, जिसकी स्थानीय रूप से प्राप्त मिट्टी, पत्थर ईट, कंक्रीट आदि निर्माण का इस्तेमाल कर भूकंप रोधी, मकानों के बनाने के लिये जरूरत होगी और इसे प्रयोक्ताओं के लिये सरल समझने योग्य भाषा में **"क्या करें, क्या न करें"** के निर्देशों द्वारा प्रचारित किया जाएंगा।

(छ) जी हां।

(ज) भूकंप रोधी मकानों के निर्माण के लिए भारत सरकार बी एम टी पी सी की मार्फत तकनीकी मार्ग दर्शन तथा हडको की मार्फत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। भूकंप रोधी मकान निर्माण तकनीकी के उपयोग की जानकारी निर्मिति केन्द्रों की मार्फत प्रसारित करने का प्रस्ताव है, जहां राजकारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हडको का बुरी तरह बर्बाद हुए एक दो कस्बों को व्यापक विकास हेतु गोद लेने का भी प्रस्ताव है। भूकंपग्रस्त परिवारों के पुनर्वास के लिए राहत सामग्री का व्यापक समन्वय कार्य गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है।

चासनाला - बर्नपुर रोपवे

91. श्री सुशील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चासनाला–बर्नपुर रोपवे की संस्थापना पर कितनी लागत आएगी और इसके क्या लाभ होंगे;

(ख) क्या रोपवे को समाप्त किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इसका विघटन करने के स्थान पर उक्त रोपवे का नवीकरण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) चासनाला बर्नपुर रोपवे पर वर्ष 1968–69 से 1994–1995 तक किए गए निवेश का सकल मूल्य 13.42 करोड़ रुपए था। इस रोपवे ने 1997 में बन्द होने तक कम्पनी के प्रचालनों में मदद की।

(ख) और (ग) रोपवे को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि इसका प्रचालन असुरक्षित और अलाभकारी हो गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) मरम्मत करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम

92. मोहम्मद अनवारूल हक :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे के बारे में नीतिगत विवरण जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान भारतीय इतिहास कांग्रेस में 500 प्रमुख इतिहासकारों द्वारा व्यक्त गम्भीर चिन्ता की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 1986 में बनाई गई तथा 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यापक प्रतिमानकों के भीतर स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा प्रकाशित कराया है। नई पाठ्यचर्या ढांचे की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:– बच्चे को ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में देखना, पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, सर्वधर्म सम्भाव, प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और जीवन कौशलों के साथ शिक्षा को जोड़ना, सूचना और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को पूरा करना, संज्ञान, संवेग और क्रिया के बीच आपसी संबंध को पहचानना तथा मानवोचित, शिक्षु अनुकूल, चूक रहित उत्तरदायित्वपूर्ण तथा पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली का विकास।

(ग) और (घ) इस संबंध में फरवरी 2001 में भारतीय इतिहास कांग्रेस की कार्य संबंधी बैठक में मतदान द्वारा पारित संकल्प की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस संबंध में आपत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है : (i) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा हाल ही में जारी किए गए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में इतिहास के शिक्षण को विकृत करने का प्रयास किया गया है तथा इतिहास की मात्रा बहुत अधिक कम करने का प्रस्ताव है; (ii) मूल्यपूरक शिक्षा के प्रमुख स्रोत के रूप में धर्म पर बल देकर यह भारतीय संविधान में अधिस्थापित उन मूल्यों, खासकर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को क्षति पहुंचाता है, जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986, 1992) में बल दिया गया है, (iii) धार्मिक शिक्षा का संवर्धन करने वाले राज्य के संबंध में संवैधानिक प्रतिबंध को निष्प्रभावी करने का प्रयास करने के उद्देश्य से इसका प्रयोजन 'धार्मिक शिक्षा' तथा 'धर्म की शिक्षा' के बीच स्पष्ट रूप से अन्तर करना है।

(ङ) सरकार का यह अभिमत है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई ये आशंकाएं निराधार हैं। नये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, प्रख्यात शिक्षाविद आदि समेत समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्यापक पैमाने पर परिचालित किया गया है। आमतौर पर इन लोगों का प्रत्युत्तर काफी अनुकूल रहा है।

असम में गुप्त हत्याएं

93. **श्री पवन सिंह घाटोवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र में उल्फा उग्रवादियों के निर्दोष संबंधियों और अन्य लोगों की गुप्त हत्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन घटनाओं के बारे में कोई रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्ति मारे गए हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी हत्याओं की पुनरावृत्ति के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) सरकार को, असम में उल्फा उग्रवादियों के सम्बन्धियों और अन्य की हत्याओं की जानकारी है।

(ख) कलेण्डर वर्ष 2000 ए. डी. के दौरान, असम में उल्फा कार्यकर्ताओं के 5 सम्बधियों सहित 495 लोग मारे गए थे।

(ग) से (ङ) भारत सरकार को राज्य में होने वाली हिंसक घटनाओं के बारे में नियमित आधार पर अवगत रखा जाता है। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में अर्द्ध-सैनिक बलों और सेना की तैनाती, विद्रोह-विरोधी अभियानों के लिए सेना, अर्द्ध-सैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा समन्वित कार्रवाई, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन मुख्य विद्रोही ग्रुपों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करना, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अधीन विद्रोह से प्रभावित राज्यों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करना, राज्य सरकारों को सुरक्षा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति करना तथा राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण/उन्नयन सम्मिलित है। राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों के स्तर पर स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। 8 दिसम्बर, 2000 को दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा राज्यपाल और मुख्य मंत्री के साथ एक आपात बैठक आयोजित की गई थी। स्थिति से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग बच्चों का नामांकन

94. **श्री अनन्त नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग बच्चों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर इसके अन्तर्गत राज्य-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) में यह निर्धारित किया गया कि बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दाखिले पर तथा सामान्य समुदाय के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को जोड़ने पर बल देते हुए माध्यमिक शिक्षा की सुलभता को विस्तृत किया जाएगा। नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को तैयार किया है:

(1) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन और छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(2) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा।

(3) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में शिक्षा जारी रखने के लिए ऐसे बच्चों को आंशिक रूप से शुल्क में छूट की अनुमति है।

(4) नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छात्राओं के लिए सीटों का आरक्षण तथा पूर्ण निःशुल्कता है।

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राज्य सरकारें इस दिशा में विभिन्न उपाय कर रही हैं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, लड़कियों और विकलांग बच्चों के राज्यवार दाखिले संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बालिकाओं और विकलांग बच्चों (कक्षा IX-XII) का राज्यवार दाखिला

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनु. जा.*	अनु.जन जा.*	बालिकाएं*	विकलांग बच्चे**
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	223239	51810	718493	3763
2.	अरुणाचल प्रदेश	115	16799	10711	31
3.	असम	97788	129350	357014	892
4.	बिहार	217094	110854	383287	194
5.	गोवा	734	37	30346	147
6.	गुजरात	119857	138181	571993	4265
7.	हरियाणा	78270	0	259940	1515
8.	हिमाचल प्रदेश	53158	15356	124231	120
9.	जम्मू व कश्मीर	16367	13701	83349	152
10.	कर्नाटक	188332	79702	835361	3789
11.	केरल	130333	9307	660242	922
12.	मध्य प्रदेश	249055	225927	681274	2185
13.	महाराष्ट्र	393601	169029	1383486	9104
14.	मणिपुर	1522	17010	32780	147
15.	मेघालय	1228	36996	23664	153
16.	मिजोरम	21	28597	14263	71
17.	नागालैण्ड	109	40376	18498	29
18.	उड़ीसा	149000	100000	551500	3100
19.	पंजाब	172201	0	342721	423
20.	राजस्थान	141734	93557	320301	1170
21.	सिक्किम	675	3315	4865	0

1	2	3	4	5	6
22.	तमिलनाडु	319695	13689	1005038	7972
23.	त्रिपुरा	13403	16963	35727	113
24.	उत्तर प्रदेश	456420	12272	871432	507
25.	पश्चिम बंगाल	263499	64988	429973	4266
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	1085	7580	157
27.	चंडीगढ़	2415	37	16912	121
28.	दादरा व नगर हवेली	150	1779	1313	0
	दमन और दीव	279	273	1952	0
30.	दिल्ली	176617	713	700068	1621
31.	लक्षद्वीप	18	2617	1257	0
32.	पांडिचेरी	7942	0	22316	333
	भारत	3474871	1394320	10501887	47262

* चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े (1998–99), माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार

** छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, एन.सी.ई.आर.टी.

बिहार में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की सियाल मोर सौघाडीह खान में आग लगना

95. प्रो. दुखा भगत : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छः माह दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में बिहार में हजारीबाग में सियाल मोर सौघाडीह खान में आग लगी है;

(ख) क्या लगभग दस हजार लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया है;

(ग) क्या महानिदेशक, खान सुरक्षा और सेंट्रल कोल–फील्ड्स लि. द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो आग बुझाने और जान–मान बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या घटना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां। अरगदा सीम के पुराने खान नं. 3 आउटक्रॉप के किनारे से धुंआ बाहर निकलता देखा गया था।

(ख) जी, नहीं। आग पर काबू पा लिया गया है।

(ग) सी.सी.एल. द्वारा कार्रवाई की गई है। क्षेत्र में डोजिंग द्वारा आग को कवर किया गया है। भुरकुंडा कोलियरी की छोड़ी हुई खान संख्या 3 में इस समय कोई आग नहीं है। इसके अलावा, आग वाले स्थल को पूर्णतः सील करने के लिए डोजड़ किए गए क्षेत्र में लगभग 500 एम 3 ओ. बी./मिट्टी डाली गई है।

(घ) ऊपर प्रश्न (ग) के उत्तर के अनुसार पहले ही कार्रवाई की गई है।

(ङ) आग के लिए किसी पदाधिकारी को उत्तदायी नहीं ठहराया गया है। आग स्वतः स्फूर्त उष्मण के कारण लगी थी।

(च) आग पर काबू पा लिया गया है।

[हिन्दी]

कोयला उद्योग

96. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उद्योग अपने निजी स्रोतों से अपने व्यय को पूरा करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की आठ सहायक कंपनियों में से कोलफील्ड्स लि. (ई सी एल) और भारत कोकिंग कोल लि. (बी सी सी एल) अपने सम्पूर्ण खर्चे को अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा करने में समर्थ नहीं है।

(ख) ई. सी. एल. और बी. सी. सी. एल. को निरंतर होने वाले घाटे से उनके साधनों में असन्तुलन हो गया है जिसके परिणामतः संसाधनों में काफी अंतर आया है।

(ग) भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (आई. सी. आई. सी. आई.) को सी. आई. एल. द्वारा ई. सी. एल. तथा बी. सी.सी.एल. के लिए पुनरुत्थान पैकेज तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया था। आई.सी.आई.सी.आई की अंतिम रिपोर्ट, जिसमें ई. सी.एल. के पुनरुत्थान पैकेज का सुझाव दिया गया है, कोयला मंत्रालय में प्राप्त हो गई है। तथापि, ई. सी. एल. के पुनरुत्थान पैकेज को, सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए, अभी तक सी. आई. एल. द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बी.सी.सी.एल. के पुनरुत्थान पैकेज पर आई. सी. आई. सी. आई. की रिपोर्ट अभी तक कोयला मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

राजस्थान में आई. एस. आई. गतिविधियां

97. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जनवरी, 2001 के 'द हिन्दु' में 12000 आई. एस. आई. एजेन्ट्स आपरेटिंग इन राजस्थान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई. एस. आई. एजेन्ट देश के विभिन्न राज्यों में भी सक्रिय हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी गतिविधियां रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 13 जनवरी, 2001 के "दी हिन्दु" में प्रकाशित समाचार देखा है। प्रकाशित समाचार में उल्लिखित एजेन्टों आदि की संख्या से संबंधित ब्यौरों की सपुष्टि के लिए कोई विशिष्ट रिपोर्टें नहीं है। तथापि, घुसपैठियों, संदिग्ध व्यक्तियों और संगठनों की गतिविधियों की केन्द्र/राज्य सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा मानीटारिंग की जा रही है।

(ग) से (ङ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद को सहायता देने, दुष्प्रेरित करने और समर्थन देने में संलिप्त है। पंजाब में उग्रवाद को पुनः जागृत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

सरकार ने आई. एस. आई. एजेन्टों/उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए सुसमन्वित और बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, समन्वित आसूचना कार्रवाई द्वारा आई. एस. आई. एजेंन्टों/उग्रवादियों की योजनाओं को विफल करना, सुभेद्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की चौकियों की

स्थापना करना और अति अधुनातम हथियारों और संचार प्रणाली आदि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को आई. एस. आई. एजेन्टों/कार्यकर्ताओं से खतरे की आशंका और गतिविधियों के बारे में सुग्राही बनाती है। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के आदान-प्रदान के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां बनाने के लिए राज्यवार सरकारों के साथ आवधिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। आई. एस. आई. एजेन्टों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र और राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मिलकर कार्य करती रही हैं। समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप विभिन्न आई. एस. आई. मोडसूज को विफल किया गया है।

पुरूलिया में हथियार गिराए जाने का मामला

98. **श्री रामशेठ ठाकुर :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आज तक पुरूलिया में हथियार गिराने वाले मामले के मुख्य अपराधियों का पता लगाने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हथियार गिराए जाने के पीछे मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिसे पुरूलिया में हथियार गिराए जाने के मामले की जांच का काम सौंपा गया है, ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में 14 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। जिनमें से, 7 व्यक्तियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से छः को कलकत्ता में विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया और एक व्यक्ति को अपर्याप्त साक्ष्य के कारण दोषमुक्त कर दिया गया। 7 फरार व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा घोषित अपराधियों के रूप में घोषित कर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध पर, इंटरपोल मुख्यालय ने फरार दोषियों में से तीन के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किए हैं और विश्वव्यापी अलर्ट सूचित कर दिया गया है। दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करा सकने वाली सूचना देने के लिए हरके अभियुक्त पर एक लाख रु. के नकद इनाम की घोषणा की गई है। दोषियों का पता लगाने के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर गत पांच वर्षों के दौरान बहुत से छापे मारे गए हैं। उनका पता लगाने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर और टेलीविजन द्वारा व्यापक रूप से प्रचार किया गया है। विभिन्न देशों में भी अनेक तलाशी और निगरानी अभियान चलाए गए हैं।

[हिन्दी]

चीन द्वारा विकसित किया गया मार्ग

99. **श्री मोहन रावले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने तिब्बत के समीप अरुणाचल प्रदेश की डिवांग नदी की घाटी में केला दर्रे पर खच्चरों पर आने-जाने हेतु मार्ग विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी घुसपैठिए और सैनिक गडरियों और शिकारियों के रूप में यहां आते हैं,

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) चीनियों के केआ ला दर्रे तक अपने क्षेत्र में खच्चरों पर आने-जाने हेतु एक मार्ग का निर्माण किया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

औषध नीति और औषधियों का मूल्य

100. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**

श्री मुद्दागाड़ा पद्मानाभम्:

श्री अनंत गुढे :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में विशेषज्ञ समिति से नई औषध नीति के संबंध में एक रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उभरते हुए वैश्विक परिदृश्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की तर्ज पर अग्रणी स्थान प्राप्त करने हेतु अनुसंधान और विकास सहित भेषज शिक्षा का विस्तार और उन्नयन करने तथा भेषज उद्योग के तीव्र और स्वस्थ विकास हेतु तैयार की गई समयबद्ध कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य उच्चदर पर निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की औषधि निर्माण इकाईयों के बंद होने के परिणामस्वरूप आवश्यक और जीवन–रक्षक दवाइयों की कमी पैदा हो गई है;

(च) बाजार में आवश्यक और जीवन–रक्षक दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या विभिन्न औषधियों का मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार का विचार विभिन्न वृहद् औषधियों का मूल्य संशोधित करने का है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) मूल्य नियंत्रण में होने वाले परिश्रम को कम करने के लिए विद्यमान मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा करने हेतु गठित समिति ने इस दिशा में उपायों का सुझाव देते हुए अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) भेषज उद्योग की स्वस्थ तथा द्रुत प्रगति तथा भेषज शिक्षा के उन्नयन और विस्तार के लिए सरकार ने राष्ट्रीय औषध शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (नाइपर) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य भेषज विज्ञान में उन्नत शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का केन्द्र बनना है।

(घ) औषधियों/सूत्रयोगों का मूल्य निर्धारण औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है जो जीवन रक्षक औषधियों तथा अन्य औषधियों के बीच कोई भेद नहीं करता है।

(ङ) ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(च) समय–समय पर यथासंशोधित औषध नीति का उद्देश्य उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाली औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

(छ) से (ञ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधियों के देशी उत्पादन के संदर्भ में विस्तृत लागत मूल्य अध्ययन किया जाता है। अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधियों के मूल्य नियत/संशोधन करने के लिए लागत मूल्य अध्ययन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

शीरे का वितरण

101. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में शीरे के वितरण और मूल्य के सबंध में कोई मानदंड और नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु की तुलना में वर्तमान में विभिन्न राज्यों द्वारा लागू वर्तमान दरों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान शीरे के निर्यात और आयात सहित इसके कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश के शीरे के अवैध प्रयोग, बिक्री और वितरण को समाप्त करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या देश में शीरे की इस अवैध बिक्री और वितरण को रोकने और नियंत्रित करने हेतु कोई सरकारी एजेंसी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (च) देश में 10 जून, 1993 तक शीरा का मूल्य तथा वितरण शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के अंतर्गत विनियमित

होते थे। भारत सरकार की उदारीकरण नीति के अनुसार, संपूर्ण देश में शीरा के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण हटाने की दृष्टि से 10 जून, 1993 को शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 का रद्द कर दिया गया। शीरा के नियंत्रणमुक्त होने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार शीरा के उत्पादन तथा मूल्य की मानिटरिंग नहीं करती है। शीरा के वितरण तथा बिक्री पर नियंत्रण रखने तथा इसके अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों के अपने–अपने अधिनियम तथा नियम हैं।

देश में शीरा का आयात नहीं किया गया है। वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान शीरा का क्रमशः 73514 मी. टन तथा 9870 मी. टन निर्यात हुआ।

[हिन्दी]

पी. एम. जी. वाई. के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें

02. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :**

श्री सुरेश चंदेल :

श्री रामशकल :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू की गई प्रधान मंत्री सड़क योजनाओं के लक्ष्य और मुख्य विशेषताएं और इसके अंतर्गत निर्माण की जाने वाली प्रस्तावित सड़कों के प्रकार क्या हैं;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी. एम. जी. वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण सड़क सम्पर्क कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार ग्रामीण सड़कों से कितने गांवों को जोड़ने की सम्भावना है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य करने के लिए किस एजेंसी को नियुक्त किया गया है;

(च) राज्य–वार इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(छ) सरकार ने इस योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों की भागीदारी किस तरह सुनिश्चित की है, और

(ज) यदि नहीं, तो प्रधान मंत्री सड़क योजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) का लक्ष्य 1000 लोगों से अधिक आबादी वाली वर्ष 2003 तक तथा 500 से अधिक आबादी वाली बसावटों को वर्ष 2007 तक बढ़िया बारहमासी सड़कों से जोड़ने है। पी एम जी एस वाई की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण– । में हैं:

(घ) ग्रामीण संपर्कता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–II में है। आशा है कि सड़कों से न जुड़े लगभग 1 लाख गांवों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित की गई एक या दो कार्यान्वयन एजेंसियां इस कार्यक्रम के तहत सड़कों का निर्माण कार्य करेंगी।

(च) वर्ष 2000–2001 के लिए ग्रामीण सड़कों के लिए निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–III पर है।

(छ) कार्यक्रम के दिशा निर्देश इस बात पर जोर देते हैं कि स्थानीय संसद सदस्यों तथा विधायकों के सुझावों तथा विचारों को ध्यान में रखते हुए ही जिला ग्रामीण सड़क योजना अनुमोदित की जाए। ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा सभी मुख्य मंत्रियों को इसके संबंध में एक पत्र लिखा गया है।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मुख्य विशेषताएं

* प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 से अधिक आबादी वाली सभी ग्रामीण बसावटों को निधियों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2007 (10 वीं योजना अवधि की समाप्ति) तक अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। इस प्रक्रिया में 1000 से अधिक आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी बसावटों को अगले तीन वर्षों में कवर किया जाएगा।

* इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई सड़कों का निर्माण करना है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा सड़कों के मरम्मत को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी ताकि सभी ग्रामीण बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा सके।

* कुल मिलाकर बनाई जाने वाली ग्रामीण सड़कें सतही सड़कें (तारकोल वाली/सीमेंट कंक्रीट) होगी। इसके अलावा, भू–स्थिति के आधार पर सभी बारहमासी सड़कें ग्रेवल सड़के भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें सभी क्रॉस ड्रेनेज ढांचा होंगे।

* कार्यक्रम को परियोजना आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।

* राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा चिह्नित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पी एम जी एस वाई को कार्यान्वित किया जाएगा।

* जिला स्तर पर तैयार किए गए परियोजनाओं प्रस्तावों पर सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा और इसके अनुमोदन के बाद इसे ग्रामीण विकास मंत्री के पास भेजा जाएगा।

* केन्द्रीय स्तर पर, जरूरत पडने पर एक अधिकार संपन्न् समिति परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैठक करेगी और उसके बाद अधिकार संपन्न समिति की सिफारिशों को अग्रिम आदेश/अनुमोदन के लिए ग्रामीण विकास मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

* सड़कों का निर्माण कार्य परियोजना कार्यान्वयन इकाईया द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और एक विशेष समय के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा।

* पी एम जी एस वाई का लक्ष्य सभी कार्यों का निरीक्षण एवं गहन निगरानी करना होगा तथा यह स्वतंत्र तथा योग्य निगरानीकर्त्ताओं की प्रणाली स्थापित करेगी।

* इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों की देखरेख संबंधित पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत) द्वारा की जाएगी।

* राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं को रख रखाव के लिए अपेक्षित निधियों हस्तांतरित करने के लिए वचनबद्धता देनी होगी।

विवरण-II

सड़कों से जुड़े/नहीं जुड़े गांवों की संख्या (स्रोत : योजना आयोग)

क्र. सं.	राज्य संघ/ राज्य क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या 1991 की जनगणना	1000 और अधिक की आबादी वाले गांवों की संख्या	31.3.97 तक सड़कों से जुड़े गांवों की अनुमानित संख्या	शेष कालम (4–5)	1000 से कम की आबादी वाले गांवों की संख्या संख्या	31.3.97 तक सड़कों से जुड़े गांवों की अनुमानित संख्या	शेष कालम (7–8)	सड़कों से नहीं जुड़े गांवों की कुल सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	26586	14,422	12878	1,544	12164	9954	2210	3,754
2.	अरुणाचल प्रदेश	3649	116	100	16	3533	1380	2153	2,169
3.	असम	23208	3,872	3807	65	19336	13497	5839	5,904
4.	बिहार	67546	17,467	11925	5,542	50079	20391	29688	35,230
5.	गोवा	369	200	200	0	169	168	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	18028	9,507	9409	98	8521	7597	924	1,022
7.	हरियाणा	6759	3,470	3469	1	3289	3209	80	81
8.	हिमाचल प्रदेश	16997	634	407	227	16363	7220	9143	9,370
9.	जम्मू व कश्मीर	6241	1,474	1217	257	4767	2890	1877	2,134
10.	कर्नाटक	27066	9,953	9951	2	17113	17012	101	103
11.	केरल	1731	1,719	1708	11	12	10	2	13
12.	मध्य प्रदेश	65526	8,935	5980	2,955	56591	12626	43965	46,920
13.	महाराष्ट्र	39522	13,275	12615	660	26247	15356	10891	11,551
14.	मणिपुर	2180	346	282	64	1834	720	1114	1,178
15.	मेघालय	5484	144	109	35	5340	2377	2963	2,998
16.	मिजोरम	785	102	102	0	683	552	131	131
17.	नागालैण्ड	1119	281	281	0	838	713	125	125
18.	उड़ीसा	50970	7,173	5723	1,450	43797	19324	24473	25,923
19.	पंजाब	12428	4,978	4978	0	7450	7111	339	339
20.	राजस्थान	37889	10,766	9309	1,457	27123	10404	16719	18,176
21.	सिक्किम	453	112	108	4	341	252	89	93
22.	तमिलनाडु	50837	9,705	9188	517	41132	16830	24302	24,819
23.	त्रिपुरा	7412	400	400	0	7012	3375	3637	3,637
24.	उत्तर प्रदेश	112803	37,937	17105	20,832	74866	39761	35105	55,937
25.	पश्चिम बंगाल	38075	10,429	6918	3,511	27646	11613	16033	19,544
	कुल राज्य	623663	167,417	128169	39,248	456246	224342	231904	271,152
संघ राज्य क्षेत्र									
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	504	56	55	1	448	169	279	280
27.	चण्डीगढ़	22	22	22	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	दा. व न. हवेली	71	38	38	0	33	33	0	0
29.	दमन व दीप	24	15	15	0	9	9	0	0
30.	दिल्ली	171	160	160	0	11	11	0	0
31.	लक्षद्वीप	4	2	0	2	2	0	2	4
32.	पांडिचेरी	264	93	93	0	171	171	0	0
		1060	386	383	3	674	393	281	284
	योग	624723	167,803	128552	39,251	456920	224735	232185	271,436

विवरण - III

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	190
2	अरुणाचल प्रदेश	35
3	असम	75
4	बिहार	150
5	छत्तीसगढ़	87
6	गोवा	5
7	गुजरात	50
8	हरियाणा	20
9	हिमाचल प्रदेश	60
10	जम्मू व कश्मीर	20
11	झारखण्ड	110
12	कर्नाटक	95
13	केरल	20
14	मध्य प्रदेश	213
15	महाराष्ट्र	130
16	मणिपुर	40
17	मेघालय	35
18	मिजोरम	20
19	नागालैंड	20
20	उड़ीसा	175
21	पंजाब	25
22	राजस्थान	130
23	सिक्किम	20
24	तमिलनाडु	80
25	त्रिपुरा	25
26	उत्तर प्रदेश	315
27.	उत्तरांचल	60
28.	पश्चिम बंगाल	135
संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान निकोबार	10
30	दादरा व न. हवेली	5
31	दमन व दीव	5
32	लक्षद्वीप	5
33	पांडिचेरी	5
	कुल	2370

[अनुवाद]

देश में पाकिस्तानी नागरिक

103. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता एजेन्सियों ने पुलिस बलों से देश में अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य–वार कितने पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं;

(ग) क्या ये पाकिस्तानी आई. एस. आई. के सक्रिय सदस्य हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे अपराधियों को पकड़ने और उन्हें वापस उनके देश भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार, 12505 पाकिस्तानी राष्ट्रिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इनमें से 9302, ठहरने की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए और 3203 लापता बताए गए थे। राज्य–वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	राज्य का नाम	निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए	लापता	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	40	8	48
2.	बिहार	24	37	61
3.	महाराष्ट्र	640	1879	2519
4.	पश्चिम बंगाल	308	364	672
5.	दिल्ली	–	85	85
6.	गुजरात	573	9	582
7.	हरियाणा	410	–	410
8.	कर्नाटक	88	8	96
9.	केरल	280	106	386
10.	मध्य प्रदेश	1046	226	1272
11.	उड़ीसा	24	–	24
12.	पंजाब	178	–	178
13.	राजस्थान	4970	75	5045
14.	तमिलनाडु	86	19	105
15.	उत्तर प्रदेश	553	383	936
16.	जम्मू एवं कश्मीर	80	4	84
17.	गोवा	2	–	2
	कुल	9302	3203	12505

इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इन पाक राष्ट्रिकों में से कुछ के आई.एस.आई. से संबंध हों। पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में ऐसे 105 पाक राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया जिनके आई. एस. आई. से संबंध थे। वर्ष–वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

1998	38
1999	40
2000	27

भारत में अवैध रूप से रह रहे पाक राष्ट्रिकों सहित विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के अन्तर्गत निहित शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, उन्हें देश में अवैध रूप से ठहरे हुए पाक राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें तुरन्त वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु समय–समय पर प्रशासनिक अनुदेश भी जारी किए जाते हैं।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क

104. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में "ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पार्कों की विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या ऐसे पार्कों में किन्हीं उद्योगों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक राज्य–वार, स्थान–वार कितने ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क बनाए गए हैं; और

(च) इन पार्कों पर अब तक कितना निवेश किया गया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी, नहीं।

(ख) ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों का उद्देश्य सूचनाएं एकत्र करना तथा उनका प्रचार–प्रसार व सजीव प्रदर्शन करना तथा ग्रामीण जनसंख्या की सरलीकरण, मार्गदर्शन तथा परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) और (च) अभी तक झारखण्ड में रांची जिले के आदिवासी क्षेत्र में एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। तीन प्रौद्योगिकी पार्क कार्यान्वयन के आरम्भिक चरणों में हैं। इन ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

राज्य/संख्या	स्थान	अब तक किया गया निवेश (लाख रुपये में)
1	2	3
झारखण्ड (एक)	ग्राम, चामघाटी, अंगारा ब्लॉक, जिला रांची	9.00
सिक्किम (एक)	रामपुर, पूर्वी जिला	10.00
त्रिपुरा (एक)	अम्बासा, अम्बासा ब्लॉक, जिला–ढलाई	8.00
त्रिपुरा (एक)	कालाछेरा, सतचन्द, जिला कठुआ	10.00

साक्षरता दर

105. श्रीमती रेणूका चौधरी :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991–2000 के दशक में राज्यवार साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें औपचारिक और अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा का कितना योगदान है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1991 की जनगणना तथा 1997 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) 53 वें दौर के आंकड़े दिए गए हैं।

नवम्बर, 2000 में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 के अनुसार 1998 में 15–39 आयु–वर्ग में साक्षरता दर 66.9 प्रतिशत थी।

(ख) औपचारिक, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में की गई बहुसंख्य पहलों ने परिवर्धित साक्षरता दर के प्रति अपना समवेत योगदान दिया है।

विवरण

1991–2000 के दशक में राज्यवार दर्ज की गई साक्षरता दर

क्र.सं.	राज्य	जनगणना 1991	एन एस एस ओ 53 वां* दौर 1997
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.1	54
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.6	60
3.	असम	52.9	75

1	2	3	4
4.	बिहार (झारखंड सहित)	38.5	49
5.	दिल्ली	75.3	85
6.	गोवा	75.5	86
7.	गुजरात	61.3	68
8.	हरियाणा	55.8	65
9.	हिमाचल प्रदेश	63.9	77
10.	जम्मू और कश्मीर	*	59
11.	कर्नाटक	56.0	58
12.	केरल	89.8	93
	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	44.2	56
14.	महाराष्ट्र	64.9	74
15.	मणिपुर	59.9	76
16.	मेघालय	49.1	77
17.	मिजोरम	82.3	95
18.	नागालैंड	61.6	84
19.	उड़ीसा	49.1	51
20.	पंजाब	58.5	67
21.	राजस्थान	38.5	55
22.	सिक्किम	56.9	79
23.	तमिलनाडु	62.7	70
24.	त्रिपुरा	60.4	73
25.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	41.6	56
26.	पश्चिम बंगाल	57.7	72

* जम्मू और कश्मीर में 1991 में जनगणना नहीं हुई थी।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा

106. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में जिन औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) 2000–2001 के दौरान इन राज्यों में सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए प्रति वर्ष कितना शुल्क संग्रह किया गया;

(ग) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा और अधिक इकाइयों को सुरक्षा दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण–। में दिया गया है। निजी क्षेत्र की किसी भी इकाई के सी आई एस एफ की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण – II पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान् निम्नलिखित इकाईयों को सी आई एस एफ सुरक्षा प्रदान किए जाने की संभावना है:–

महाराष्ट्र राज्य

1. औरंगाबाद एयरपोर्ट
2. पुणे एयरपोर्ट
3. नागपुर एयरपोर्ट

उत्तर प्रदेश राज्य

1. वाराणसी एयरपोर्ट
2. आगरा एयर पोर्ट

विवरण-I

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सी. आई. एस. एफ. द्वारा कवर की जाने वाली सरकारी एवं निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयाँ

सरकारी क्षेत्र

महाराष्ट्र राज्य

1. बी.ए. आर सी/टी ए पी एस, तारापुर
2. बी पी सी एल, मुंबई
3. जी ए आई एल, उसर
4. एच ए एल, पिम्परी
5. एच आई एल, रासायनी
6. एच ओ सी, रासायनी
7. एच पी सी एल, मुंबई
8. जे एन पी टी, शेवा
9. एल आई एल, ट्रूबे
10. एम डी एल, मुंबई
11. एम जी सी सी/आई पी सी एल, नगोथाने
12. एल एच ए वी ए यार्ड, मुंबई
13. ओ एन जी सी, मुंबई
14. आर सी एफ एल, चेम्बुर
15. आर सी एफ एल, थाल

उत्तर प्रदेश

1. ए टी पी पी अनपारा
2. ए यू जी पी पी, इटावा
3. बी एच ई एल, जगदीशपुरी
4. बी एच ई एल, झांसी
5. बी पी सी एल, नैनी
6. एफ सी आई, गोरखपुर
7. एफ जी यू टी पी पी, ऊंचाहार
8. जी ओ एफ, गाजीपुर
9. एच टी पी पी, कांसीमपुर
10. इफको, ओनला
11. इफको, फूलपुर
12. आई ओ सी, मथुरा
13. आई एस टी आर ए सी, लखनऊ
14. आई टी आई, मानकपुर
15. आई टी आई, नैनी
16. आई टी आई रायबरेली
17. लखनऊ एयरपोर्ट
18. एन ए पी एस, नरोरा
19. एन सी टी पी पी, दादरी
20. ओ टी एच पी पी, ओबरा
21. पी टी पी एस, पनकी
22. पी टी पी एस, परीचा
23. आर एच ई पी, पिपरी
24. आर एच एस टी पी पी, रिहन्द
25. एस एस टी पी एस, शक्तिनगर
26. टी एस एल, नैनी
27. टी टी पी पी, टांडा
28. यू पी पी सी, पाटा

निजी क्षेत्र : शून्य

विवरण-II

चालू वित्तीय वर्ष 2000–2001 (01 जनवरी तक) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रस्तुत किए गए बिलों और वसूली गई राशि

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	राज्य	प्रस्तुत बिलों की राशि	प्राप्त किया गया भुगतान
2000–2001 (1 जनवरी तक)	महाराष्ट्र	34.03	33.46
	उत्तर प्रदेश	66.42	53.85

भूकम्प की भविष्यवाणी

107. **श्री पी. सी. थामस :**

श्री रामशकल :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूकम्प के संबंध में कोई सार्थक अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या भूकम्प की भविष्यवाणी के संबंध में कोई प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में गुजरात और देश के अन्य भागों के लिए भूकम्प के बारे में पहले किसी वैज्ञानिक प्रयोग से संकेत मिले हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या उक्त में से प्रत्येक हेतु वैज्ञानिक कारणों की पहचान की गई है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) भूकम्प से निपटने हेतु अपनाया गया वैज्ञानिक तरीका क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा") : (क) और (ख) महोदय, भूकम्पों के बारे में अध्ययन भूकम्पविज्ञान के विषय का एक भाग है। देश में भूकम्प वैज्ञानिक अनुसंधान पिछले एक सौ वर्षों या उससे अधिक समय से किया जा रहा है। अतीत के भूकम्पीय इतिहास एवं भू- वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर देश को पांच भूकम्पीय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के भूकम्पीय जोनिंग मानचित्रों का प्रकाशन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इसके अनुसार क्षेत्र IV एवं V में मध्यम से लेकर भारी तीव्रता वाले भूकम्प आ सकते हैं। देश के अन्य भाग जो कि भूकम्पीय क्षेत्र, I, II और III में आते हैं, द्वारा हल्के से लेकर मध्यम तीव्रतायुक्त भूकम्पीय गतिविधियों का अनुभव किया गया है।

(ग) और (घ) महोदय, वर्तमान में विश्व में कहीं भी ऐसी वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है जो भूकम्प के आने के बारे में पूर्वानुमान स्थान, समय और तीव्रता के बारे में युक्तियुक्त ढंग से और सटीकता के साथ पूर्वानुमान कर सके।

(ङ) से (झ) चूंकि वर्तमान में विश्व में कहीं भी ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है जो भूकम्प के आने के बारे में पूर्वानुमान स्थान, समय और तीव्रता का ठीक-ठाक और युक्तियुक्त ढंग से कर सके। अतः गुजरात में आए भूकम्प के बारे में किसी वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा कोई संकेत अथवा पूर्वानुमान नहीं किया जा सका।

(ञ) भूकम्पों के वैज्ञानिक अध्ययन के विभिन्न पहलू हैं। भूकम्प से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों की निगरानी एवं मानीटरन के लिए आई एम डी को नोडल एजेन्सी बनाया गया है जो 57 भूकम्प वैज्ञानिक वैधशालाओं के एक राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से इस कार्य का निष्पादन करता है। भूकम्पों का वैज्ञानिक अन्वेषण बड़ी संख्या में अकादमिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इन अन्वेषणों से हमें भूकम्पीय प्रक्रियाओं की कार्यप्रणाली की जानकारी में सुधार लाने और उप-सतही भूगर्भीय विलक्षणताओं के मानचित्रण में सहायता मिलती है। बेहतर रूप से तैयार रहने के लिए माइक्रो-जोनेशन एवं जोखिम आकलन के लिए भी अध्ययन कार्य किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से पेयजल/स्वच्छता

108. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी सहायता से पेयजल और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो स्थलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) विदेशी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता की परियोजनायें भी विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई नवीनतम सूचना के अनुसार विदेशी सहायता से राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही पेयजल/स्वच्छता परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही पेयजल/स्वच्छता परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों के उपयोग की उपलब्धि (करोड़ रु. में)				ऐसे गांव/ बसावटों की संख्या जिन्हें कवर किए जाने की संभावना है
				1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01 (अनन्तिम)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एजेंसी : नीदरलैंड (हालैंड)								
1.	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम जिले (ए पी–3) में समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति	1.65	शून्य	0.0766	0.56	0.482	23 बसावटें
2.	गुजरात	घोबा क्षेत्रीय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	46.44	शून्य	0.1047	1.4055	0.4243	78 गांव
3.	कर्नाटक	कर्नाटक समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	88.71	4.31	11.60	31.81	6.87	201 गांव
4.	केरल	बी.ए. डब्ल्यू. एस.एस. कुंद्रा तथा आस–पास की पंचायतें	16.06	0.783	1.3249	1.31	असूचित	9 ग्राम पंचायतें
5.	केरल	पारवती क्षेत्रीय डब्ल्यू. एस. एस.	48.00	4.88	2.3250	3.73	असूचित	6 ग्राम पंचायतें
6.	केरल	सामाजिक आर्थिक ईकाई फाउंडेशन	17.56	*	*	*	*	*
7.	उत्तर प्रदेश	उप परियोजना–8	53.68	10.065	9.532	8.825	4.18	3348 गांव
	उत्तर प्रदेश	उप परियोजना–6	37.29	0.057	0.123	शून्य	शून्य	1638 गांव
एजेंसी : दानिदा (डेनमार्क)								
	कर्नाटक	कर्नाटक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	51.00	0.37	1.97	4.13	3.55	105 ग्राम पंचायतें
10.	तमिलनाडु	समन्वित ग्रामीण स्वच्छता तथा जल आपूर्ति परियोजना चरण–2	43.00	0.609	3.595	4.898	5.065	1786 ग्राम पंचायतें

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एजेंसी : ओ डी ए/डी एफ आई जी								
11.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता	74.30	8.50	4.08	5.23	शून्य	187 गांव
एजेंसी : के एफ डब्ल्यू - जर्मनी								
12.	राजस्थान	राजस्थान के तीन जिलों में समन्वित जल आपूर्ति तथा स्वच्छता एवं सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम चरण–1	399.27	19.016 मिलियन डी.एम.	22.102 मिलियन डी.एम	11.931 मिलियन डी.एम.	असूचित	336 गांव
13.	पं. बंगाल	प. बंगाल में ग्रामीण जल आपूर्ति–भोलपुर, रघुनाथपुर जल आपूर्ति स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना	156.00	12.45	7.12	11.87	15.10	274 गांव
एजेंसी : जापान								
14.	केरल	ओ ई सी एफ सहायता वाली जल आपूर्ति परियोजना–आई डी पी–123	1787.45	**	**	**	**	57 गांव
एजेंसी : विश्व बैंक								
15.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	284.93	10.11	19.60	31.46	8.8	1191 गांव
16.	कर्नाटक	कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	500.00 (संशोधित)	35.81	88.75	107.81	50.61	1105 गांव
17.	केरल	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	416.301	***	***	***	***	80 गांव पंचायतें

* राज्य सरकार ने किसी उपलब्धि की सूचना नहीं दी है।

** राज्य ने अभी तक परियोजना के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं की है।

*** परियोजना समझौते पर जनवरी, 2001 में हस्ताक्षर हुए तथा परियोजना का कार्यान्वयन अभी शुरू हुआ है।

जम्मू-कश्मीर से लोगों का पलायन

109. श्री रामजी लाल सुमन :

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंतकवादी हिंसा के कारण जम्मू–कश्मीर से भारी संख्या में लोगों ने पलायन किया है;

(ख) यदि हां, तो 1998, 1999 और 2000 के दौरान पलायन हेतु कितने लोग मजबूर हुए;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश लोग अल्पसंख्यक समुदाय हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इनकी संख्या क्या थी और इन्हें जीविकोपार्जन योग्य बनाने हेतु सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): **(क)** जी हां, श्रीमान। उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर 96 तक 19338 कश्मीरी प्रवासी परिवार दिल्ली और 2710 परिवार अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पलायन कर गए थे। 31490 परिवार जम्मू में ठहरे हुए हैं।

(ख) से (घ) 1996 के बाद, जम्मू तथा कश्मीर से बाहर पलायन करने के बारे में कोई रिपोर्टें नहीं हैं। हालांकि, कुछेक परिवारों, जिनमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समुदाय के लोग हैं, ने राज्य के भीतर ही सुरक्षित स्थानों को पलायन किया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास हेतु केन्द्रीय योजनाएं

110. श्री रामजी मांझी :

श्री एम. के. सुब्बा :

श्री मोइनुल हसन :

प्रो. रासासिंह रावत :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण विकास हेतु चल रही केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और आज तक इस प्रयोजनार्थ राज्य–वार और योजना–वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) केन्द्र और राज्यों के बीच कितने–कितने खर्च की भागीदारी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के संबंध में क्या उपलब्धि रही;

(ङ) आज की तारीख के अनुसार राज्य सरकारों के पास राज्य–वार व्यय न की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कुछ राज्य सरकारें अपना हिस्सा देने में असमर्थ रहने के कारण सरकार द्वारा प्रदत्त पूर्ण धनराशि खर्च करने में असमर्थ हैं;

(छ) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या राज्यों द्वारा धनराशि का ठीक प्रकार से उपयोग न कर पाने के कारण केन्द्रीय योजनाएं लागू नहीं हो पाई हैं;

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ञ) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु धनराशि का ठीक प्रकार से उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ट) क्या सरकार को राज्यों द्वारा धन के अन्यत्र उपयोग के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ड) इन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय सारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। इनमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम और समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना प्रमुख कार्यक्रम हैं।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और

आज की तारीख तक राज्यों को उपलब्ध कराई गई राज्यवार और योजनावार निधियों की राशि संलग्न विवरण–। में दी गई है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम पूर्णतः केन्द्र द्वारा वित्तपोषित हैं। आबंटन आधारित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषण का तरीका केन्द्र और राज्यों के बीच 50 : 50 का है। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत केन्द्र, राज्यों और लाभार्थीगण/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रायोगिक जिलों की परियोजना के घटकों के अनुसार निधिया वहन की जाती हैं। अन्य दूसरी योजना का वित्तपोषण का तरीका केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 का है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू के दौरान कार्यक्रम–वार वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–॥ में दिया गया है।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान जो निधियां राज्य सरकारें के पास अप्रयुक्त रह गयी हैं उन्हें विवरण–। में दर्शाया गया है।

(च) और (छ) सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने यह अभ्यावेदन दिया है कि वे पूरा राज्यांश देने की स्थिति में नहीं है और उसकी वजह से उन्हें आबंटित की गयी धनराशि का कम इस्तेमाल हो पाया है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ञ) राज्यों द्वारा निधियों का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण, क्षेत्र अधिकारी योजना, निष्पादन समीक्षा समिति आदि जैसी विभिन्न प्रणाली के जरिए निगरानी का एक व्यापक तंत्र विकसित किया है। निधियों की रिलीज, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्राप्त होने पर निर्भर होती है। निधियों का कारगर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य मंत्रियों पर समय–समय पर दबाव डाला जाता रहा है।

(ट) से (ड़) राज्यों में निधियों की विपथन संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। जैसे ही ऐसे मामले प्राप्त होते हैं उस पर यथोचित कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें संबंधित राज्यों में उनकी टिप्पणी के लिए भेजा जाता है।

विवरण-।

1997–98 से 2000–2001 के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि और 2000–2001 के दौरान अप्रयुक्त शेष राशि

(लाख रुपये)

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जे जी एस वाई / जे आर वाई				अप्रयुक्त राशि	सूचित माह
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2000–2001	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	16685.84	11702.49	9617.32	8044.52	7522.52	सितम्बर
2	अरुणाचल प्रदेश	102.06	475.26	142.71	204.67	360.33	अक्टूबर
3	असम	5524.15	15112.28	3787.01	0.00	100.79	अक्टूबर
4	बिहार	29332.77	29733.82	28484.06	7583.63	9628.82	अक्टूबर
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	5399.42	6310.97	अक्टूबर
6	गोवा	104.38	103.32	124.11	64.21	0.00	अक्टूबर
7	गुजरात	5747.72	4449.43	3508.03	2644.20	3556.31	अक्टूबर

1	2	3	4	5	6	7	8
8	हरियाणा	1624.75	2591.88	2063.87	966.38	0.00	सितम्बर
9	हिमाचल प्रदेश	403.46	1022.15	1752.41	392.85	105.78	अक्टूबर
10	जम्मू व कश्मीर	974.62	1094.62	897.74	418.13	331.91	अक्टूबर
11	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	5456.48	8076.09	अक्टूबर
12	कर्नाटक	10353.99	10838.13	7037.56	3295.27	3148.57	अक्टूबर
13	केरल	3734.12	3965.65	3157.72	395.26	1491.63	सितम्बर
14	मध्य प्रदेश	18977.15	18314.14	16926.38	4627.31	726.42	अक्टूबर
15	महाराष्ट्र	16816.09	17180.81	13911.47	6513.90	4355.95	अक्टूबर
16	मणिपुर	248.52	501.64	115.54	264.23	259.64	अक्टूबर
17	मेघालय	159.58	951.75	132.18	402.71	536.93	असूचित
18	मिजोरम	102.87	296.89	92.37	177.24	124.33	अक्टूबर
19	नागालैण्ड	243.13	775.99	223.90	305.83	281.12	सितम्बर
20	उड़ीसा	13421.32	13443.31	15974.14	5596.13	2816.25	अक्टूबर
21	पंजाब	892.79	1559.63	975.08	493.36	0.00	अक्टूबर
22	राजस्थान	8351.86	6008.50	5343.85	4779.17	4243.15	अक्टूबर
23	सिक्किम	96.78	288.00	102.45	114.23	38.15	सितम्बर
24	तमिलनाडु	14564.38	10348.85	9163.14	7280.30	4203.56	अक्टूबर
25	त्रिपुरा	476.35	1824.38	487.95	718.51	830.24	अक्टूबर
26	उत्तर प्रदेश	35894.15	42235.90	33593.14	14791.61	31619.28	सितम्बर
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	830.31	1454.25	सितम्बर
28	पश्चिम बंगाल	9066.99	10061.21	10800.26	7674.13	8022.11	अक्टूबर
29	अण्ड. निकोबार द्वीप समूह	50.70	39.70	13.00	11.72	34.34	अक्टूबर
30	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित

1	2	3	4	5	6	7	8
31	दादरा व नगर हवेली	50.22	48.94	30.98	27.94	27.94	असूचित
32	दमन व दीव	16.21	10.06	0.00	0.00	3.03	सितम्बर
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
34	लक्ष्यद्वीप	25.41	35.46	23.53	0.00	17.87	अक्टूबर
35	पांडिचेरी	74.37	82.14	45.96	66.56	33.01	अक्टूबर
	योग	194116.73	205096.33	168527.86	89540.21	100321.29	

1997–98 से 2000–2001 के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि और 2000–2001 के दौरान अप्रयुक्त शेष राशि

(लाख रुपये)

य/संघ राज्य क्षेत्र		सुनिश्चित रोजगार योजना				अप्रयुक्त राशि 2000–2001	सूचित माह
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	16740.00	16740.00	10288.76	4467.74	4467.74	असूचित
2	अरुणाचल प्रदेश	1890.00	2140.00	719.27	662.20	209.55	नवम्बर
3	असम	8592.00	11018.00	4701.11	3372.80	2349.28	अक्टूबर
4	बिहार	18234.00	18596.00	25388.02	4876.98	6555.60	अगस्त
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	3865.66	2793.20	अक्टूबर
6	गोवा	140.00	180.00	55.00	14.03	8.38	दिसम्बर
7	गुजरात	4320.00	4410.00	4301.49	3591.72	3837.23	दिसम्बर
8	हरियाणा	2670.00	1660.00	1981.53	727.83	0.00	दिसम्बर
9	हिमाचल प्रदेश	2550.00	2050.00	945.06	306.58	353.51	दिसम्बर
10	जम्मू व कश्मीर	4760.00	4760.00	2755.00	1851.00	1082.09	अक्टूबर
11	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	2994.81	2958.29	अगस्त
12	कर्नाटक	10600.00	10350.00	6670.05	1918.73	183.69	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
13	केरल	3989.00	3861.00	3486.12	1428.02	1244.61	दिसम्बर
14	मध्य प्रदेश	21507.85	22033.00	17464.11	6977.71	4685.40	नवम्बर
15	महाराष्ट्र	11334.51	8167.17	11002.98	3180.61	6574.73	दिसम्बर
16	मणिपुर	810.00	890.00	307.87	302.89	283.99	जुलाई
17	मेघालय	220.00	610.00	220.74	204.81	204.81	असूचित
18	मिजोरम	800.00	800.00	402.16	130.89	71.82	दिसम्बर
19	नागालैण्ड	2100.00	2100.00	276.09	103.19	161.43	जुलाई
20	उड़ीसा	147.58	12752.00	17621.12	8434.05	6010.42	दिसम्बर
21	पंजाब	1840.00	2720.00	813.98	298.47	451.89	दिसम्बर
22	राजस्थान	9265.00	8935.00	6888.13	2945.93	933.56	दिसम्बर
23	सिक्किम	220.00	320.00	313.10	81.10	0.00	दिसम्बर
24	तमिलनाडु	18720.00	18720.00	10597.49	5383.30	2179.35	अक्टूबर
25	त्रिपुरा	1440.00	1440.00	711.46	510.13	232.28	नवम्बर
26	उत्तर प्रदेश	31448.06	35153.65	36155.49	10290.72	12027.70	दिसम्बर
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	683.69	2325.56	सितम्बर
28	पश्चिम बंगाल	7790.00	8270.00	9483.71	5518.69	8182.91	नवम्बर
29	अण्ड. निकोबार द्वीपसमूह	80.00	40.00	27.36	0.00	44.67	दिसम्बर
30	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
31	दादरा व नगर हवेली	30.00	30.00	27.36	0.00	0.00	असूचित
32	दमन व दीव	0.00	0.00	0.91	0.00	1.62	दिसम्बर
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00		0.00	असूचित
34	लक्ष्यद्वीप	0.00	100.00	1.82	0.00	0.00	असूचित
35	पांडिचेरी	60.00	0.00	34.66	0.00	25.35	दिसम्बर
	योग	182298.00	198845.82	173641.95	75124.28	70440.66	

1997–98 से 2000–2001 के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि और 2000–2001 के दौरान अप्रयुक्त शेष राशि

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	एम.जी.एस.वाई/आई.आर.डी.पी.				अप्रयुक्त राशि	सूचित माह
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2000–2001	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	5434.85	3870.32	6219.57	2864.90	3354.67	दिसम्बर
2	अरुणाचल प्रदेश	424.45	202.78	92.14	25.22	66.92	नवम्बर
3	असम	1728.48	5246.36	3062.36	0.00	3062.36	नवम्बर
4	बिहार	4954.02	6608.31	11918.05	0.00	11918.05	नवम्बर
	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	1027.97	0.00	सितम्बर
6	गोवा	53.97	24.43	59.78	25.00	34.78	दिसम्बर
7	गुजरात	2097.64	1455.67	2340.56	964.28	1376.28	दिसम्बर
8	हरियाणा	593.06	692.00	1784.18	763.34	1020.84	अक्टूबर
9	हिमाचल प्रदेश	225.68	323.26	475.99	220.19	255.8	दिसम्बर
10	जम्मू व कश्मीर	499.90	319.20	411.69	89.23	322.46	अक्टूबर
11	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	अक्टूबर
12	कर्नाटक	2542.58	2439.51	2348.33	850.19	1498.14	अक्टूबर
13	केरल	1249.35	1346.69	2083.35	560.02	1523.33	नवम्बर
14	मध्य प्रदेश	5316.69	6421.25	10013.58	2499.03	7514.55	नवम्बर
15	महाराष्ट्र	4566.80	5772.63	9284.11	3225.16	6058.95	दिसम्बर
16	मणिपुर	206.72	87.76	119.10	0.00	119.1	असूचित
17	मेघालय	186.29	144.49	131.52	0.00	131.52	सितम्बर
18	मिजोरम	140.97	104.25	58.15	0.00	58.15	नवम्बर
19	नागालैण्ड	208.71	86.70	102.09	0.00	102.09	जुलाई

1	2	3	4	5	6	7	8
20	उड़ीसा	3404.37	4384.65	7222.67	2416.48	4806.19	दिसम्बर
21	पंजाब	484.23	416.18	664.98	332.16	332.82	दिसम्बर
22	राजस्थान	2080.12	2084.45	3566.34	1247.80	2318.54	नवम्बर
23	सिक्किम	49.92	90.57	68.38	47.07	21.31	दिसम्बर
24	तमिलनाडु	4959.13	3463.58	6999.46	1906.37	5093.09	दिसम्बर
25	त्रिपुरा	429.01	635.03	488.12	509.02	0.00	दिसम्बर
26	उत्तर प्रदेश	10077.72	13889.50	13337.96	579.60	12758.36	दिसम्बर
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	109.71	0.00	अक्टूबर
28	पश्चिम बंगाल	2383.83	2321.76	3952.84	0.00	3952.84	नवम्बर
29	अण्ड. निकोबार द्वीपसमूह	41.70	63.00	29.90	0.00	29.9	दिसम्बर
30	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
31	दादरा व नगर हवेली	31.13	21.88	29.89	0.00	29.89	दिसम्बर
32	दमन व दीव	28.91	13.72	29.89	0.00	29.89	अक्तूबर
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
34	लक्ष्यद्वीप	17.78	3.43	29.89	0.00	29.89	नवम्बर
35	पांडिचेरी	83.52	29.93	29.89	25.00	4.89	नवम्बर
	योग	54501.53	62563.29	86954.76	20287.74	67825.60	

1997–98 से 2000–2001 के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डवाकरा*		ट्राइसेम*		टूलकिट*		दस लाख कुंओ की योजना	
		1997–98	1998–99	1997–98	1998–99	1997–98	1998–99	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	362.25	2914.29	326.60	226.87	274.00	762.01	3424.74	2530.46
2	अरुणाचल प्रदेश	12.48	10.21	6.12	6.00	34.02	13.51	22.89	82.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	असम	136.16	554.78	104.33	312.64	82.85	673.79	1210.22	3022.39
4	बिहार	226.78	620.08	209.13	392.63	246.81	0.00	4668.92	6203.02
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	3.15	1.51	2.92	0.49	3.15	0.36	10.50	2.92
7	गुजरात	127.64	705.11	119.48	89.58	85.75	394.95	972.94	953.23
8	हरियाणा	63.38	58.73	27.27	38.02	53.55	21.57	180.63	378.40
9	हिमाचल प्रदेश	30.87	28.36	7.72	16.81	36.49	20.52	96.34	162.79
10	जम्मू व कश्मीर	59.97	30.01	40.11	17.64	33.53	17.73	192.94	255.77
11	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नाटक	169.33	635.28	182.04	142.67	164.69	568.96	2040.45	1912.32
13	केरल	88.83	131.66	70.95	68.25	61.43	300.05	823.62	844.07
14	मध्य प्रदेश	332.89	358.22	391.52	291.27	288.02	441.61	3377.12	3521.11
15	महाराष्ट्र	239.15	453.33	258.36	264.07	266.11	256.06	3277.17	3780.18
16	मणिपुर	12.22	4.09	4.20	0.00	7.88	0.00	27.01	95.15
17	मेघालय	16.13	21.92	3.36	5.49	0.00	0.00	33.68	219.83
18	मिजोरम	8.56	7.71	7.49	5.63	9.45	9.45	22.55	56.00
19	नागालैण्ड	8.19	12.00	12.06	8.34	22.05	21.87	57.33	83.49
20	उड़ीसा	179.13	603.80	185.81	194.43	167.22	145.45	2865.29	2896.54
21	पंजाब	60.61	28.74	14.91	21.36	135.55	32.73	86.17	0.00
22	राजस्थान	7.56	0.00	154.37	44.73	132.46	71.12	1304.78	370.45
23	सिक्किम	10.96	5.42	2.07	6.33	6.30	8.30	20.87	62.00
24	तमिलनाडु	245.79	543.41	306.99	169.57	136.44	165.24	3140.18	2239.19
25	त्रिपुरा	11.34	68.04	26.27	31.72	9.45	51.37	59.37	388.93
26	उत्तर प्रदेश	491.27	1504.57	646.37	837.35	613.30	1827.26	7735.53	5957.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	82.03	114.28	217.10	232.26	208.26	144.00	1736.71	1415.80
29	अण्ड. निकोबार द्वीपसमूह	5.29	1.26	5.87	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00
30	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	2.19	1.14	0.00	5.73	13.47
32	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.58	0.55	0.00	0.00	5.29	0.00
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	5.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	2991.96	9416.81	3339.00	3431.71	3082.00	5950.01	37398.97	37447.00

*ये योजनाएं 1.4.99 से बंद हो गई हैं।

1997–98 से 2000–2001 के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि और 2000–2001 के दौरान अप्रयुक्त शेष राशि

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	इंदिरा आवास योजना				अप्रयुक्त राशि	सूचित माह
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001	2000–2001	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	9603.38	9515.81	11095.40	11001.91	7389.37	दिसम्बर
2	अरुणाचल प्रदेश	103.21	118.47	841.47	399.21	306.35	नवम्बर
3	असम	2931.07	5004.32	13820.00	8177.40	7826.63	नवम्बर
4	बिहार	15130.72	23478.11	29527.20	13237.16	15904.65	दिसम्बर
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	1770.23	2831.28	मई
6	गोवा	51.46	29.21	62.26	27.20	43.45	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
7	गुजरात	3424.02	3503.67	3228.33	3243.00	1414.40	दिसम्बर
8	हरियाणा	758.55	2035.25	1447.92	1077.41	200.51	दिसम्बर
9	हिमाचल प्रदेश	467.78	712.84	449.39	271.83	0.00	दिसम्बर
10	जम्मू व कश्मीर	607.12	1079.80	124.01	0.00	0.00	अक्टूबर
11	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	3897.29	4669.70	दिसम्बर
12	कर्नाटक	5820.36	5657.27	4337.38	2949.00	2521.64	दिसम्बर
13	केरल	2148.56	3210.74	3084.84	1776.01	592.38	दिसम्बर
14	मध्य प्रदेश	11695.62	14391.74	9168.49	6372.68	4930.09	नवम्बर
15	महाराष्ट्र	9968.74	13644.95	10435.37	6669.94	3756.65	दिसम्बर
	मणिपुर	56.69	163.08	177.45	267.81	309.97	अक्टूबर
17	मेघालय	46.73	159.16	651.49	498.65	1565.70	असूचित
18	मिजोरम	54.47	85.75	297.05	251.97	131.95	दिसम्बर
19	नागालैण्ड	435.83	454.13	773.28	371.66	0.00	नवम्बर
20	उड़ीसा	7443.57	10225.13	13154.96	15050.28	16038.67	दिसम्बर
21	पंजाब	478.32	950.27	678.66	629.73	346.98	दिसम्बर
22	राजस्थान	3888.40	5221.40	2705.87	3822.29	3037.96	दिसम्बर
23	सिक्किम	41.21	104.13	123.90	199.28	134.95	नवम्बर
24	तमिलनाडु	8708.09	8375.09	6236.91	5846.00	0.00	दिसमबर
25	त्रिपुरा	144.84	654.95	1455.29	1681.23	1234.67	नवम्बर
26	उत्तर प्रदेश	22995.15	32561.68	21682.91	1244.24	2402.28	अगस्त
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	11687.00	20876.59	अगस्त
28	पश्चिम बंगाल	4547.01	6363.00	8209.33	8358.55	7133.57	दिसम्बर
29	अण्ड. निकोबार द्वीपसमूह	47.27	0.00	0.00	38.37	38.47	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
30	चण्डीगढ़	0	0	0.00	0.00	0.00	असूचित
31	दादरा व नगर हवेली	11.63	30.66	34.50	0.00	1.26	अगस्त
32	दमन व दीप	7.49	0.00	0.00	0.00	1.67	अक्टूबर
33	दिल्ली	0	0	0.00	0.00	0.00	असूचित
34	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	1.50	3.00	2.67	दिसम्बर
35	पांडिचेरी	93.85	64.01	33.50	33.50	34.52	दिसम्बर
	योग	111711.14	147794.72	143838.56	110853.83	105678.98	

1997–98 से 2000–2001 के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि और 2000–2001 के दौरान अप्रयुक्त शेष राशि

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम				अप्रयुक्त राशि	सूचित माह
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2000–2001	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	8806.78	9991.36	12534.37	13259.00	3395.00	दिसम्बर
2	अरुणाचल प्रदेश	2476.00	2163.82	1980.80	2182.50	895.79	नवम्बर
3	असम	2376.52	6417.00	2090.00	5459.78	3369.74	दिसम्बर
4	बिहार	0.00	0.00	4690.00	2359.50	6787.84	अक्टूबर
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
6	गोवा	196.50	0.00	0.00	702.00	683.32	सितम्बर
7	गुजरात	5886.62	6951.35	7842.20	7485.00	0.00	अक्टूबर
8	हरियाणा	3259.16	2025.04	3857.67	1899.18	378.09	दिसम्बर
9	हिमाचल प्रदेश	1708.97	2913.27	3107.95	5384.50	3418.03	नवम्बर
10	जम्मू व कश्मीर	4694.00	4659.41	3190.72	3694.00	9781.23	जून
11	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित

1	2	3	4	5	6	7	8
12	कर्नाटक	9927.70	10070.63	11409.40	8419.62	8727.03	सितम्बर
13	केरल	3564.65	4673.49	3446.30	3371.38	2698.95	दिसम्बर
14	मध्य प्रदेश	8345.68	11061.14	12330.44	11109.00	7973.34	अगस्त
15	महाराष्ट्र	12087.19	16384.68	17302.37	16934.00	10747.00	दिसम्बर
16	मणिपुर	907.00	666.74	0.00	0.00	359.12	अक्टूबर
17	मेघालय	743.20	1709.00	779.20	1644.08	1688.33	नवम्बर
18	मिजोरम	583.63	1017.66	696.00	1161.99	1064.80	अक्टूबर
19	नागालैण्ड	211.00	796.90	579.20	822.61	948.40	दिसम्बर
20	उड़ीसा	5038.39	4793.75	4847.93	3106.50	5665.97	नवम्बर
	पंजाब	1713.99	2205.28	2320.64	1783.00	2593.88	दिसम्बर
22	राजस्थान	13783.22	11941.63	15654.37	20512.00	17025.36	दिसम्बर
23	सिक्किम	435.60	1401.12	1045.59	325.00	1027.78	नवम्बर
24	तमिलनाडु	5834.38	10527.51	8958.28	7308.00	0.00	दिसम्बर
25	त्रिपुरा	762.00	2128.95	1662.00	1521.00	913.00	दिसम्बर
26	उत्तर प्रदेश	15182.66	16297.06	14825.12	7387.50	2528.98	नवम्बर
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	2304.00	714.21	नवम्बर
28	पश्चिम बंगाल	4411.46	6426.91	5606.45	7837.31	4945.33	दिसम्बर
29	अण्ड. निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	सितम्बर
30	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
31	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	3.50	61.50	नवम्बर
32	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
34	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	जुलाई
35	पांडिचेरी	10.00	0.00	0.00	0.00	14.07	नवम्बर
	योग	112946.30	137223.70	140757.00	137975.95	98410.49	

1997–98 से 2000–2001 के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि और
2000–2001 के दौरान अप्रयुक्त शेष राशि

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	के. ग्रा. स्व. का.				अप्रयुक्त राशि	सूचित माह
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2000–2001	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	1021.32	1148.93	657.67	583.48	808.91	अक्टूबर
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	15.00	0.00	8.20	नवम्बर
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	111.82	अक्टूबर
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	188.66	सितम्बर
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
6	गोवा	3.75	0.00	0.00	1.16	9.91	नवम्बर
7	गुजरात	215.00	200.00	125.00	0.00	112.79	असूचित
8	हरियाणा	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
9	हिमाचल प्रदेश	50.54	70.77	35.28	12.58	0.00	दिसम्बर
10	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04	असूचित
11	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
12	कर्नाटक	1014.55	498.67	461.14	164.51	0.00	नवम्बर
13	केरल	531.47	731.37	253.03	307.52	564.09	नवम्बर
14	मध्य प्रदेश	506.86	525.48	438.11	156.27	202.18	सितम्बर
15	महाराष्ट्र	1285.38	575.28	724.40	143.55	165.46	सितम्बर
16	मणिपुर	15.00	45.50	8.96	0.00	24.31	सितम्बर
17	मेघालय	15.91	35.00	0.00	9.09	10.96	नवम्बर
18	मिज़ोरम	4.68	21.00	1.89	0.00	2.11	असूचित
19	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	असूचित

1	2	3	4	5	6	7	8
20	उड़ीसा	405.54	315.82	527.98	0.00	1097.65	दिसम्बर
21	पंजाब	0.00	53.35	0.00	0.00	111.43	असूचित
22	राजस्थान	193.76	193.76	223.35	0.00	355.67	असूचित
23	सिक्किम	23.13	28.00	7.45	2.82	0.00	नवम्बर
24	तमिलनाडु	925.93	496.39	538.82	182.41	196.90	नवम्बर
25	त्रिपुरा	48.67	24.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
26	उत्तर प्रदेश	2641.99	1116.49	567.28	333.75	835.04	नवम्बर
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
28	पश्चिम बंगाल	304.21	304.21	0.00	0.00	29.99	नवम्बर
	अण्ड. निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
30	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
31	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	दिसम्बर
32	दमन व दीव	0.00	3.50	0.00	0.00	5.87	दिसम्बर
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	असूचित
34	लक्ष्यद्वीप	2.50	3.50	0.00	0.00	3.50	असूचित
35	पांडिचेरी	2.50	3.50	2.50	0.00	0.21	नवम्बर
	योग	9265.11	6394.52	4587.86	1897.14	4883.27	

1997–98 से 2000–2001 के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम*			
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	2292.5	2290.62	2670.75	1656.83

1	2	3	4	5	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	115.13	238.28	28.50	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	528.48	776.95	878.81	616.75
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	69.50	52.00	90.00	0.00
10	जम्मू व कश्मीर	0.00	40.00	219.56	0.00
11	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	786.39	908.28	659.75	0.00
13	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	892.55	882.51	1362.76	98.56
15	महाराष्ट्र	1986.06	552.00	644.50	0.00
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	63.84	274.55	46.25	0.00
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	419.00	173.50	385.75	90.90
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	707.34	272.71	789.80	107.25
25	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
26	उत्तर प्रदेश	842.06	838.61	958.55	343.21
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	259.67	0.00	209.25	0.00
29	अण्ड. निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	8962.52	7300.01	8944.23	2813.00

* अप्रयुक्त राशि उपलब्ध नहीं

1997–98 से 2000–2001 के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मरूभूमि विकास कार्यक्रम*			
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	422.00	482.62	187.31	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
7	गुजरात	1101.00	860.18	1490.00	891.30
8	हरियाणा	797.00	608.22	216.50	28.68
9	हिमाचल प्रदेश	150.00	30.00	210.00	0.00
10	जम्मू व कश्मीर	225.00	585.00	396.02	0.00
11	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	842.00	350.45	97.88	0.00
13	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	0.00	0 00	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	3464.00	5063.56	2324.77	1362.84
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अण्ड. निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
31	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	7001.00	7980.03	4922.48	2282.82

*अप्रयुक्त राशि उपलब्ध नहीं ।

विवरण-II

वर्ष 1997–98 से 2000–2001 तक वास्तविक उपलब्धियां

क्र.	योजना/कार्यक्रम	वास्तविक उपलब्धियां				इकाइयां
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001	
1	जेआरवाई/जेजीएसवाई	3958.00	3766.22	2683.08	807.53	सृजित रोजगार लाख श्रम दिन में
2	आई ए वाई	770936.00	835407.00	925679.00	498510.00	निर्मित मकानों की संख्या
3	एम डब्ल्यू एस	103499.00	95164.00	0.00	0.00	निर्मित कुओं की संख्या
4	ई ए एस	4717.74	4279.36	2786.17	1040.21	सृजित रोजगार लाख श्रमदिन में
5	आई आर डी पी/ एस जी एस वाई	1706609.00	1677182.00	347912	159300	सहायता प्रदत्तर परिवारों की संख्या
6	डवाकरा	34445.00	192537.00	0	0	गठित समूहों की संख्या
7	ट्राईसेम	251387.00	222431.00	0	0	प्रशिक्षित युवकों की संख्या
8	टूल किट्स	162412.00	189267.00	0	0	आपूर्ति हुए किटों की संख्या
9	डी.पी.ए.पी.	4362.00	5956.00	एन.आर.	एन.आर.	वाटरशेडों की संख्या
10	डी.डी.पी.	1747.00	2202.00	एन.आर.	एन.आर.	वाटरशेडों की संख्या
11	ए आर डब्ल्यू एस पी	366.15	345.27	257.46	125.05	कवर की गई आबादी (लाख में)
12	ए आर डब्ल्यू एस पी	116994.00	112933.00	74637.00	79468.00	कवर की गई बसावटों की संख्या
13	सी आर एस पी	1387060.00	1631272.00	1079476.00	189568.00	निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संख्या

एन. आर–सूचित नहीं

[हिन्दी]

मंदसौर में केन्द्रीय विद्यालय

111. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने मंदसौर में केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण कराने हेतु भूमि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्य हेतु धनराशि कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय, मंदसौर के लिए 15 एकड़ भूमि प्रदान की है तथा इसके लिए पट्टे के कागजात पूरा करने की कानूनी औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं। स्कूल भवन के निर्माण हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर कृतिक बल की रिपोर्ट

112. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री के. येरननायडू :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर कृतिक बल की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कृतिक बल ने कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं;

(घ) क्या सरकार ने इनकी जांच कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इनके लिए आवश्यक धनराशि कितनी है और इन्हें कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) कार्यदल ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए जनशक्ति की पर्याप्त पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 47 विशिष्ट सिफारिशें की हैं। इसका उद्देश्य घरेलू व विश्व-स्तरीय मांगों को पूरा करने के लिए कोटिपरक सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिक उपलब्ध कराना है। देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ तथा प्रोन्नत करके ऐसा किया जायेगा। 'कोटिपरक' संस्थानों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने तथा उनके कार्यक्रमों की कोटि में सुधार करने हेतु उनमें से कुछ को स्तरोन्नत करने पर विशेष ध्यान दिए जाने का प्रस्ताव है। ये सिफारिशें विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी संकाय विकास, सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम सामग्री विकास, कम्प्यूटिंग व नेटवर्किंग सुविधाओं को सुदृढ़ करने, पुस्तकालयों के डिजीटलीकरण और आधुनिकीकरण, प्रशासनिक सहायता सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा उद्योग के साथ तालमेल को बढ़ावा देने से सम्बद्ध है। नेटवर्क के साथ समग्र संस्थानिक विकास हेतु नीति प्रस्तावित की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी संकाय के विकास के लिए अभिनिर्धारित उपायों में संकाय पूर्व प्रवेश कार्यक्रम, कोटि सुधार कार्यक्रमों को बढावा देना और अनुवर्ती स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को आरंभ करना, अंतरण को अनुमति देना तथा परस्पर विषयों में संकाय परिवर्तन करना है। आशा है कि जब इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा तो इसके परिणामस्वरूप देश में कोटिपरक चूना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि होगी इससे भारतीय सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र को अपनी उत्पादकता क्षमता में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में मूल श्रृंखला में ऊपर रहने में मदद मिलेगी जिससे देश सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर व सेवाओं के विश्व बाजार के बड़े भाग पर कब्जा कर सकेगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि विभिन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन यशाशीघ्र हो।

संस्कृत को बढ़ावा देना

113. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में यू. जी. सी. ने देश में संस्कृत भाषा में बोलचाल को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को भी कोई निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्कृत के संवर्धन के लिए योजना बनाई है। इसने चुनिंदा विश्वविद्यालयों में साधारण संस्कृत बोलचाल केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय सिद्धान्त रूप में लिया है ताकि संस्कृत में दिलचस्पी रखने वाले लाभान्वित हो। आगामी शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक विश्वविद्यालयों/कालेजों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए इससे सम्बंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त विश्वविद्यालयों को भेजे जा रहे हैं। प्रारम्भ में यह पाठ्यक्रम केवल विश्वविद्यालयों में ही चलाया जाएगा।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरक यूरिया पर राजसहायता

114. श्री महेश्वर सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों को रासायनिक उर्वरक यूरिया सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने हेतु इन पर दी जा रही राजसहायता और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि यूरिया की ही तरह रासायनिक उर्वरक डी.ए.पी. पर भी राजसहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे कि ये भी किसानों को सस्ते दामों पर मिल सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन दामों पर उपलब्ध कराई जा रही राजसहायता में कोई भेदभाव किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) यूरिया देश के किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित मूल्य पर बेचा जाता है जो उत्पादन की लागत से बहुत कम है। प्रतिधारण मूल्य (उत्पादन लागत जमा कुल लागत पर 12% कर पश्चात लाभ) तथा विक्रय मूल्य की बीच के अन्तर को अर्थ सहायता के रूप में संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है। चूंकि स्वदेशी और आयातित यूरिया दोनों के बिक्री मूल्य समान रूप से निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए अर्थ सहायता आयातित उर्वरकों पर भी दी जाती है। इस समय संघ सरकार द्वारा यूरिया पर वहन की जाने वाली औसतन 4000/– रुपये प्रति टन से अधिक की अर्थ सहायता की राशि है।

(ख) और (ग) डी.ए.पी. सहित अनियंत्रित पी एण्ड के उर्वरकों की रियायत योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फुटकर मूल्यों पर किसानों को ऐसे उर्वरकों को उपलब्ध करने के लिए विनिर्माताओं तथा आयातकर्त्ताओं को भारत सरकार द्वारा अर्थ सहायता प्रदान की जाती है। 2000–2001 के लिए डीएपी पर इस रियासत योजना के अन्तर्गत अनुमानित अर्थसहायता 1300 करोड़ रुपये है।

2000–2001 के दौरान डीएपी के रियायत की अन्तिम दरें निम्नलिखित सारिणी में दी जाती हैं:–

आन एकाउंट	आन एकाउंट रेट	रियायत की अन्तिम दरें		
		प्रथम तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
		1.4.2000 से 30.6.2000	1.7.2000 से 20.9.2000	1.10.2000 से 31.12.2000
स्वदेशी डीएपी	2850	4450	3700	3900
आयतित डीएपी	950	1050	1350	1550

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में शैक्षिक पुनर्गठन योजना

115. श्री नरेश पुगलिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 26 जनवरी, 2001 को आए भूकंप के कारण गुजरात में शैक्षिक संस्थानों को पहुंचे नुकसान को देखते हुए राज्य में शैक्षिक पुनर्गठन योजना के लिए धनराशि आबंटित करने हेतु उनके मंत्रालय ने कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सरकार ने गुजरात शिक्षा पुनर्गठन योजना के तहत 150 करोड़ रुपये विनिर्धारित किए हैं। इस योजना में ऐसे सामूहिक अध्ययन केन्द्र खोलने का प्रावधान है जो प्रभावित बच्चों की मनोवैज्ञानिक पीड़ा से संबद्ध नोडल केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे बच्चों के लिए इन केन्द्रों में शिशु गृह और अनेक नये आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे।

इन उपायों में विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण, उन विश्वविद्यालयों और कालेजों जो भूकम्प में क्षतिग्रस्त हो गए हैं के लिए अलग से योजना के साथ –साथ उपस्कर और कंप्यूटर इत्यादि प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी परिषद से सहायता भी शामिल है। मौजूदा नियमों में छूट देकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त तकनीकी संस्थानों को किराये के परिसरों में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

बच्चों पर बस्ते का बोझ

116. श्री बसुदेव आचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रतिदिन विद्यालय जाने वाले बच्चों द्वारा ढोये जा रहे भारी बस्ते की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यशपाल समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने हेतु अभी तक क्या प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 50 वीं बैठक में राज्य सरकारों ने यशपाल समिति की सिफारिशों पर व्यापक सहमति व्यक्त की। सरकार ने इन सिफारिशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर राज्य सरकारों से आग्रह किया है। अधिकांश राज्य और केन्द्रीय एजेन्सियां इन सिफारिशों का कार्यान्वयन आरंभ कर चुकी हैं।

तकनीकी संस्थाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

117. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों जैसी संस्थाओं का उन्नयन करके उन्हें विश्वस्तरीय संस्थाओं में बदलने हेतु भारत को ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस संबंध में विश्व बैंक और भारत किसी समझौते पर पहुंचे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व बैंक की सहायता से किन संस्थाओं को विकसित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवासों का आबंटन

118. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2000–2001 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दो लाख अतिरिक्त आवासों के लिए आबंटन करने पर विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) आंध प्रदेश सरकार ने सूचित किया था कि पिछले पांच वर्षों के दौरान चक्रवात/बाढ़ के कारण 10 लाख से अधिक आवास क्षतिग्रस्त

(पूर्णरूप/आंशिक रूप से) हुए थे और चक्रवात पीड़ितों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने और चक्रवात प्रवण जिलों और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000–2001 में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दो लाख आवासों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की थी।

चूंकि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 के दौरान निर्धारित मानदंडों के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निधियां आबंटित कर दी गई हैं, अतः इंदिरा आवास योजना के अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करना संभव नहीं पाया गया। राज्य प्राधिकारियों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

नए प्रौद्योगिकी मिशन

119. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ नए प्रौद्योगिकी मिशनों की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो: चालू वर्ष के दौरान किए गए आबंटनों और इसके लक्ष्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) हालांकि कोई नया प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित नहीं किया गया है परन्तु प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाईफैक) द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्टों के आधार पर जिन्हें "दि टैक्नोलौजी विजन फॉर इण्डिया 2020" कहा गया है, मिशन मोड प्रौद्योगिकी निदर्शन परियोजनाएं विकसित करने के लिए वर्ष 2000–2001 के दौरान टाइफैक के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। इस समय परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए छः क्षेत्रों का पता लगाया गया है, ये हैं:–

(क) कृषि तथा कृषि खाद्य प्रसंस्करण

(ख) सड़क निर्माण एवं परिवहन उपकरण

(ग) वस्त्र मशीनरी का स्तरोन्नयन

(घ) स्वास्थ्यरक्षक उपकरणों की सेवाएं व अनुरक्षण

(ङ) विज्ञान तथा इंजीनियरी कॉलेजों का स्तरान्नयन

(च) अन्य क्षेत्रों जैसे विद्युत शक्ति, ग्रामीण संयोजकता हाइड्रोजन ऊर्जा, लघु एवं मध्यम उद्यमों इत्यादि दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्षित कार्यक्रम।

इन मिशनमोड परियोजनाओं के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा "जयविज्ञान मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के तहत् निम्नलिखित परियोजाएं शुरू की गई हैं:–

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

1. दृष्टिहीनों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन।
2. प्राकृतिक आपदाओं के प्रावधानों के विशेष सन्दर्भ में हिमालयी भौमिकी के लिए प्रौद्योगिकी मिशन।
3. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए क्षेत्र विकास मिशन।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जय विज्ञान स्वास्थ्य परियोजना– एक दूरस्थ चिकित्सा नैदानिक प्रणाली।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

1. नई पीढ़ी के टीकों का विकास तथा उत्पादन।
2. कहवे में सुधार के लिए जैवप्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण।
3. जड़ी–बूटियों से बनी वस्तुओं के विकास के प्रति जैवप्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण।
4. जीनोमिक अनुसन्धान के लिए मिरर साइटों की स्थापना।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद

1. हल्के परिवहन विमान (एल.टी.ए.) का डिजाइन व विकास, संरचना एवं हवाई योग्यता सम्बन्धी परीक्षण कार्य।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद

1. निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करते हुए घरेलू भोजन तथा पौष्टिकता की सुरक्षा करना

   (क) जनजाति, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्र।

   (ख) दालों की उत्पादकता में वृद्धि।

2. वहनीय पादप जननिक संसाधन सवर्धन नीतियां: बहिस्थाने तथा फार्म के अन्दर संवर्धन।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

1. नोएडा वानस्पतिक उद्यान

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास।

2. सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करते हुए ब्रेल साक्षरता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।

3. कैंसर उपचार के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित समेकित चिकित्सा लाइनेक के फैलाव के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।

महासागर विकास विभाग

1. महासागर ताप ऊर्जा का रूपान्तरण।

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद

1. थलसैमिया के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन मोड कार्यक्रम।

2. सन्धिवातीय बुखार/सन्धिवातीय हृदय रोगों की रोकथाम के लिए जय विज्ञान राष्ट्रीय मिशन।

अन्तरिक्ष विभाग

1. रिमोट सैंसिंग तथा जी. आई. एस. का इस्तेमाल करते हुए फसल प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन कार्य।

2. आपदा प्रबन्धन।

3. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उपग्रह दूर संवेदन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली को इस्तेमाल करते हुए भूदृष्य स्तर पर जैविक विविधता का लक्षण–वर्णन।

परमाणु ऊर्जा विभाग

1. औषधियों में नाभिकीय प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।

पुलिस सुधार समिति

120. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस सुधारों संबंधी पद्मनाभैया समिति ने अक्टूबर, 2000 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इन पर की गई कार्यवाही की स्थिति सहित समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) नई सहस्त्राब्दि में पुलिस के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तौर–तरीके सुझाने हेतु एक समिति श्री के. पद्मनाभैया की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 30.8.2000 को प्रस्तुत की।

(ख) से (ङ) समिति ने 240 सिफारिशें कीं, जिनमें से 154 सिफारिशें भर्ती, प्रशिक्षण, पदों का आरक्षण, अपराध निवारण में जनता का शामिल होना, प्रतिबद्धता, पुलिस कर्मियों की भर्ती, पुलिस में नीचे के रैंकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, बीट प्रणाली को पुनः शुरू करना, पुलिस के काम के बोझ को कम करने के लिए गांव के परंम्परागत कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल, राष्ट्रीय और राज्यमार्गों पर पुलिस की गश्त, पुलिस स्टेशनों के डिजाइन और उन्हें सुसज्जित करना, पुलिस अधीक्षक और उसके ऊपर के अधिकारियों की तैनाती और तबादला करना इत्यादि से संबंधित है जिन्हें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सीधे क्रियान्वित किया जा सकता है। तद्नुसार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इन सिफारिशों को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं। शेष सिफारिशों की आगे और जांच करने की आवश्यकता है और उनके क्रियान्वयन के तौर तरीके निकालने की आवश्यकता है, जिस पर कार्य चल रहा है।

नेपाल से भारत-विरोधी गतिविधियां

121. **श्री अनंत गुढ़े :**

श्री शिवाजी माने :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आई एस आई) ने नए विवाद पैदा करने के लिए नेपाल में एम.टी.वी. को बॉलीवुड सितारा ऋतिक रोशन द्वारा दिए गए तथाकथित साक्षात्कार के ऐसे

वीडियो कैसेट्स वितरित किये थे जिसमें तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यगत स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नेपाल से आई. एस. आई. की भारत–विदेशी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा फिल्म सितारे ऋतिक रोशन के साक्षात्कार वाले तथ्यों को तोड़–मोड़ कर पेश करने वाले वीडियों कैसेट्स परिचालित करने के संबंध में सरकार को जानकारी है। इन घटनाओं की जांच–पड़ताल के लिए महामहिम नेपाल की सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया है।

(ग) द्विपक्षीय संस्थागत ढांचे के माध्यम से नेपाल के सहयोग बढाने और अधिक प्रभावी सीमा प्रबन्धन के लिए उपाय किए गए हैं।

राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए निधियों में कमी करना

122. श्री रघुनाथ झा : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि कई राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास हेतु रखे गए बजट में अत्यधिक कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ग्रामीण विकास हेतु बजट में कटौती की है; और

(ग) ग्रामीण विकास हेतु धन की कटौती न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय को राज्यों में ग्रामीण विकास के बजट में भारी कटौती किए जाने से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) हालांकि ग्रामीण विकास योजनाओं में निधियों के आबंटन पर उचित ध्यान दिया जाता है फिर भी कुल आबंटन, कुल उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। राज्य सरकारों के बजट में निधियों का आबंटन पूरी तरह संबंधित विधानमंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पाठ्यक्रमों में सीटों का बढ़ाया जाना

123. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से अगले शैक्षिक सत्र से सभी विश्वविद्यालयों/अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाने का निवेदन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विस्तार के अंतर्गत किन–किन विश्वविद्यालयों और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को शामिल किया जाना है तथा विश्वविद्यालयों और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अलग–अलग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार कितनी सीटें बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने शैक्षिक वर्ष 2001–2002 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बंधित पाठ्यक्रमों में दाखिला क्षमता बढ़ाने/अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/इंजीनियरी कालेजों/एम.सी.ए. संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदनों पर निर्णय इस बात पर निर्भर है कि वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के निर्धारित नियमों, विनियमों और मानदण्डों तथा मानकों के अनुसार विभिन्न शर्तें पूरी करते हो।

[हिन्दी]

मकानों की कमी

124. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश में मकानों की कमी के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल कितने मकानों की आवश्यकता होगी;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य–वार कुल कितने मकानों का निर्माण किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार मकानों की कमी को

पूरा करने के लिए सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) नवीं पंचवर्षीय योजना कार्य दल द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार मकानों की कमी को पूरा करने के लिए नवीं योजनावधि (1997–2002) के दौरान शहरी क्षेत्रों में 16.76 मिलियन मकानों का निर्माण करना होगा। (इसमें नवीं योजना के प्रारंभ में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के 7.57 मिलियन मकानों की कमी का बैकलॉग भी शामिल है)

(ग) शासन के राष्ट्रीय एजेण्डे के अनुसार सरकार ने दो मिलियन आवास कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार शहरों में 7 लाख मकानों के निर्माण में सहायता दी जाएगी। तदनुसार, आशा है कि नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सरकार शहरी क्षेत्रों में 28 लाख मकानों के निर्माण में मदद कर पाएगी। दो मिलियन आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में बनाए जाने वाले 7 लाख मकानों के संबंध में राज्य वार लक्ष्य विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। राष्ट्रीय आवास तथा पर्यावास नीति, 1998 के अनुसार देश में मकानों की कमी को पूरा करने के लिए सहकारी आवास क्षेत्र को विशेष कार्य सौंपा गया है। केन्द्र सरकार ने अपने 2 मिलियन आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत हर वर्ष एक लाख मकानों के निर्माण का कार्य सहकारी आवास क्षेत्र को सौंपा है।

विवरण

दो मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्रों में मकानों का राज्यवार लक्ष्य

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	लक्ष्य मकान
1	2
आन्ध्र प्रदेश	93260
अरुणाचल प्रदेश	1701
असम	13609
बिहार	38275
गोवा	851
गुजरात	29769
हरियाणा	11057
हिमाचल प्रदेश	851
जम्मू और कश्मीर	10207
कर्नाटक	39125
केरल	29769
मध्य प्रदेश	34022
महाराष्ट्र	72190
मणिपुर	2552
मेघालय	851
मिजोरम	851
नागालैंड	851
उड़ीसा	23815
पंजाब	15310
राजस्थान	23815
सिक्किम	200
तमिलनाडु	87506
त्रिपुरा	2552
उत्तर प्रदेश	81452
पश्चिम बंगाल	48481
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	300
चंडीगढ़	2552
दादरा एवं नगर हवेली	80
दमन एवं दीव	100

1	2
दिल्ली	30620
लक्षद्वीप	106
पाण्डिचेरी	3402
योग	700000

[अनुवाद]

पारे से विषाक्त जल

125. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका से प्रयुक्त और विषाक्त पारे की एक बडी खेप गुप्त रुप से आने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में दिनांक 4 जनवरी, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'मरकरी पायजनिंग आफ वाटर पोजिंग ए सीरियस थ्रैट' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगा लिया है कि महाराष्ट्र में न्यू मुम्बई के निकट भूमि के फैलाव का क्या हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अभियोजन शाखा की जवाबदेही

126. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अभियोजन शाखा को दिल्ली पुलिस के प्रशासनिक नियंत्रण में लोन का विचार है ताकि पुलिस के प्रति इसे जवाब देह बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में दिल्ली सरकार से सलाह ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

कर्नाटक को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय राशि जारी किया जाना

127. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से का 3036 लाख रुपये और राज्य हिस्से का 1012 लाख रुपये का प्रस्ताव केन्द्र के पास प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने अब तक अपना हिस्सा जारी कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस धनराशि के कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) का वित्तपोषण केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 आधार पर किया जाता है। स्कीम के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2000–2001 के लिए 1150.40 लाख रुपयों के अनन्तिम केन्द्रीय आबंटन के बारे में राज्य सरकार को अवगत कराने वाले शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के दिनांक 21 जुलाई, 2000 के उत्तर में राज्य सरकार ने अपने दिनांक 4 सितम्बर, 2000 के पत्र में बताया है कि उसने 3036.00 लाख रुपयों के केन्द्रीय आबंटन के अनुरूप 1012.00 लाख रुपयों का बजट प्रावधान किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिसम्बर, 2000 को समाप्त अवधि हेतु राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उसके पास 4679.80 लाख (केन्द्रीय+राज्य निधि) रुपये की खर्च नहीं की गई धनराशि अधिशेष थी इसलिए धनराशि जारी नहीं की जा सकी।

(घ) राज्य सरकार से और प्रगति की सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है ताकि केन्द्र सरकार 31 मार्च, 2001 से पहले धनराशि जारी करने की संभावना को परख सके।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय खोला जाना

128. श्री राजो सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य में नवोदय विद्यालय खोलने के संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बिहार के 37 जिलों में से 34 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहे हैं। शेष तीन जिलों अर्थात रोहतास, शिवहर और लखीसराय के संबंध में प्रस्ताव अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।

अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश

129. डा. जसवंतसिंह यादव :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु राज्य सरकारों को दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने पी.एम.टी. और पी.ई.टी. के पूर्व परीक्षा की पद्धति को हटाकर अंक आधारित नामांकन पद्धति को अपनाया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछेक राज्यों, अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, सिक्किम आदि को छोडकर अधिकांश राज्य इंजीनियरी कालेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का पालन करते हैं।

[अनुवाद]

भूकम्प प्रवण क्षेत्रों की पहचान

130. श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री अजय सिंह चौटाला :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

श्री त्रिलोचन कानूनगो :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री रामजीवन सिंह :

डा. संजय पासवान :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

श्री रामशकल :

श्री वी. एम. सुधीरन :

श्री रामजी लाल सुमन :

श्री के. मुरलीधरन :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री शिवाजी माने :

श्री नरेश पुगलिया :

श्री नवल किशोर राय :

डा. विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री अशोक एन. मोहोल :

डा. (श्रीमती) सुधा यादव :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन–कौन से हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली में उन भवनों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण कराने का है जिनकी भूकंप से बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दिल्ली में अब तक भूकंप संबंधी भवन संहिता कोड को कड़ाई से न क्रियान्वित किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पहले से ही बने भवनों को भूकंप रोधी बनाया जा सकता है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है और भूकंप से भवनों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये गए/उठाये जा रहे हैं;

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने भवन संबंधी मौजूद उप नियमों के परिवर्तन हेतु राज्य सरकारों को पहले दिशानिर्देश जारी किये थे अथवा नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(झ) केन्द्र सरकार द्वारा भवन निर्माण संबंधी खामियों के लिए भवन निर्माताओं और संबंधित व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और भवन संबंधी उप नियमों के उल्लंघन हेतु उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) देश में भूकंप प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और इन्हें राष्ट्रीय भवन संहिता (नेशनल बिल्डिंग कोड) में शामिल किया गया है। भूकंपीय अंचलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण –। में दर्शायी गयी है।

(ख) से (घ) इस समय दिल्ली में भवनों का निर्माण भवन उपनियमों द्वारा अधिशासित है जिसमें निर्मित/निर्माण प्रस्तावित भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा का यथोचित ध्यान रखा जाता है। ये भवन उपनियम डीडीए, दि.न.नि. और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा अधिशासित और कार्यान्वित होते हैं। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय भी किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा भवन उपनियमों के उल्लंघन से सख्ती से निपटने की जरूरत पर जोर देता रहा है और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ नियमों और अधिनियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों पर जोर देता रहा है। तथापि, भविष्य में भवनों को भूकंपरोधी और संरचनात्मक दृष्टि से ज्यादा सुदृढ़ बनाने पर अधिक जोर देने के लिए मंत्रालय ने 01 फरवरी, 2001 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसका प्रयोजन भवन उपनियमों के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना है जिससे भवनों की और ज्यादा संरचनात्मक सुरक्षा हो सके। सार्वजनिक सूचना की प्रति संलग्न विवरण–II में है। जाहिर है कि इस उपांतरण से यह अनिवार्य हो गया है कि नींव की डिज़ाइन, चिनाई, टिंबर, प्लेन कंक्रीट आदि की संरचनात्मक डिजाइन भवनों की भूकंप से सुरक्षा के लिए भारतीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और इस आशय के प्रमाणपत्र पर भवन मालिक और वास्तुकार दोनों के हस्ताक्षर होंगे।

(ङ) जी, हां। इन्हें भूकंपरोधी बनाया जा सकता है।

(च) भूकंप से सुरक्षा के लिए मौजूदा भवनों को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी का ब्यौरा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय मानक विनिर्देशनों में उपलब्ध है। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भवनों और मकानों के निर्माण के लिए भूकंप सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए मौजूदा भवन उपनियमों को संशोधित करने की सलाह दी गई है।

(छ) और (ज) जी, हां। मई 1998 में इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखा था जिसमें विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट का कार्यकारी सार दी गई थी जिसमें अन्य के साथ–साथ वास्तविक योजना प्रक्रिया, विकास नियमन नियमावली, नगर और ग्राम नियोजन अधिनियमों, तथा स्थानीय निकायों के भवन उपनियमों और नियमनों में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए सिफारिशें शामिल है। राज्य सरकारों को बाद में अनुस्मरण कराया जाता रहा है।

(झ) आवास राज्य का विषय है तथा इस मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के आलोक में, उनके भवन उपनियमों और विनियमनों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

विवरण-I

राज्यवार भूकम्प क्षेत्र

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	तीव्रता एम एस के	भूकम्प क्षेत्र
1	2	3
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	एम एस के IX या अधिक	अंचल V
अरुणाचल प्रदेश	एम एस के IX या अधिक	अंचल V
असम	एम एस के IX या अधिक	अंचल V
बिहार	एम एस के V से IX या अधिक	अंचल V
गुजरात	एम एस के VI से IX या अधिक	अंचल II, III और V
हिमाचल प्रदेश	एम एस के VIII से IX या अधिक	अंचल IV और V
जम्मू व कश्मीर (जे. के.)	एम एस के VIII से IX या अधिक	अंचल IV और V
मणिपुर	एम एस के IX या अधिक	अंचल V
मेघालय	एम एस के IX या अधिक	अंचल V
मिजोरम	एम एस के IX या अधिक	अंचल V
नागालैंड	एम एस के IX या अधिक	अंचल V
त्रिपुरा	एम एस के IX या अधिक	अंचल V
उत्तर प्रदेश	एम एस के V से IX या अधिक	अंचल II, III, IV & V
पश्चिम बंगाल	एम एस के VI से IX या अधिक	अंचल II, III, IV & V
चंडीगढ़	एम एस के VIII	अंचल IV
दिल्ली	एम एस के VIII	अंचल IV
हरियाणा	एम एस के VI से VIII	अंचल II, III & IV
महाराष्ट्र	एम एस के V से VIII	अंचल II, III & IV
पंजाब	एम एस के VI से VIII	अंचल II, III & IV
राजस्थान	एम एस के V से VIII	अंचल II, III & IV
सिक्किम	एम एस के VIII	अंचल IV
आंध्र प्रदेश	एम एस के V से VII	अंचल II, III

1	2	3
दादरा व नगर हवेली	एम एस के VII	अंचल III
दमन व दीव	एम एस के VII	अंचल III
गोवा	एम एस के VI से VII	अचल II, III
कर्नाटक	एम एस के V से VII	अंचल II, III
केरल	एम एस के VI से VII	अंचल II, III
लक्षद्वीप	एम एस के VII	अंचल III
मध्य प्रदेश	एम एस के V से VII	अंचल II, III
उड़ीसा	एम एस के V से VII	अंचल II, III
पांडिचेरी	एम एस के VI से VII	अंचल II, III
तमिलनाडु	एम एस के V से VII	अंचल II, III

पांच अंचलों के लिए मोडिफाइड मरकेली स्केल पर अधिकतम तीव्रता इस प्रकार है:–

अंचल V में एम एस के IX या अधिक

अंचल IV में एम एस के VIII

अंचल III में एम एस के VII

अंचल II में एम एस के VI

वर्ष 2000 में भूकंप क्षेत्रों के संशोधन करते हुए वीआईएस सीजमिक जोनिंग कमिटी द्वारा भूकंप अंचल–I को अंचल–II में मिला दिया गया है, इसलिए अब केवल चार अंचल हैं अर्थात II, III, IV और V।

विवरण-II

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, दिनांक 01 फरवरी, 2001

दिल्ली में बनाए जाने वाले भवनों में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के बारे में अपेक्षित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए भवन उपनियम 1983 में उपयुक्त प्रावधान बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन रहा है। इस बारे में भवन उपनियम, 1983 में केन्द्र सरकार का जिन उपांतरणों/परिवर्द्धनों को करने का प्रस्ताव है उन्हें एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा सुझाव को लिखित रूप में इस नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अवर सचिव, दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011 को भेज सकता है। आपत्ति अथवा सुझाव भेजने वाला व्यक्ति अपना नाम तथा पता भी दें।

उपांतरण

(i) भवन उपनियम, 1983 के भाग–III के खण्ड–18 (संरचनात्मक सुरक्षा और सेवाएं) को इस प्रकार उपांतरित किया जाएगा।

'18 नींव चिनाई, टिम्बर, प्लेन कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, प्री–स्टैस्ड, कंक्रीट और संरचनात्मक इस्पात का संरचनात्मक डिजाइन, भवनों की भूकंप सुरक्षा के लिए अनुबंध 'क' में दिए गए भारतीय मानको को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग VI संरचनात्मक डिजाइन, खण्ड 1–भार, खण्ड 2–

नींव, खण्ड–3 लकड़ी, खण्ड–4 चिनाई, खण्ड–5 कंक्रीट, खण्ड–6 इस्पात के अनुसार किया जाएगा।

(टिप्पणी : जब कभी मानक अथवा राष्ट्रीय भवन संहिता का उल्लेख किया जाता है तब भारतीय मानक के अद्यतन प्रावधान को माना जाए।

(ii) भवन उपनियम के खण्ड 6.2.9 (भवन निर्माण परमिट के लिए आवेदन के साथ लगाए जाने वाले कागजात) में एक अतिरिक्त उप खण्ड निम्नलिखित अनुसार जोड़ने का प्रस्ताव है।

(i) अनुलबंध–'ख' में यथानिर्दिष्ट प्रमाण पत्र मकानमालिक (ओनर) और वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

सं. के–12016/5/79/डीडी ।ए V ए/। बी
हस्ताक्षरित/–
आर. सी. नायक, अवर सचिव

अनुबंध–क

आपदा सुरक्षा के लिए भारतीय मानकों/दिशानिर्देशों की सूची

भूकंप सुरक्षा के लिए

1. भामा : 1893–1984 "संरचनाओं के भूकंपरोधी डिजाइन के लिए मानदंड (चौथा संस्करण)" जून, 1986
2. भामा : 13920–1993 "डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टु सीस्मिक फोर्सेस–कोड ऑफ प्रैक्टिस" नवम्बर 1993
3. भामा : 4326–1993 "भूकंप रोधी डिजाइन और भवनों का निर्माण–कोड ऑफ प्रैक्टिस (दूसरा संस्करण)" अक्टूबर 1993
4. भामा : 13828–1993 "इम्प्रविंग अर्थक्वेक रसिस्टेंस ऑफ लो–स्ट्रैन्थ मैसनरी बिल्डिंग्स–गाइड लाइन्स" अगस्त 1993
5. भामा : 13827–1993 "इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रसिस्टेंस ऑफ अर्दन बिल्डिंग्स–गाइडलाइन्स" अक्तूबर, 1993
6. भामा 13935–1993 रिपेयर एण्ड सीस्मिक स्ट्रैन्थनिंग ऑफ बिल्डिंग्स–गाइडलाइन्स, नवम्बर, 1993

अनुबंध-ख

प्रमाण पत्र : योजना प्रस्तुत करते समय नक्शों के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं:–

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत भवन योजनाएं पैरा 18 में यथा निर्धारित अनुसार सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करती हैं और दी गई सूचना के तथ्य हमारी जानकारी और ज्ञान के अनुसार सही है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा सहित संरचनात्मक डिजाइन योग्यता प्राप्त संरचना इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया है।

भवन मालिक के हस्ताक्षर तारीख सहित (स्पष्ट अक्षरों में) नाम.....	वास्तुकार के हस्ताक्षर तारीख सहित (स्पष्ट अक्षरों में नाम.....
पता.....	पता.....

.....

असम में कपार्ट द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं

131. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक असम के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) द्वारा कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई;

(ख) उन एजेंसियों के स्थान और परियोजना–वार नाम क्या हैं जिन्हें कपार्ट द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के समयानुसार क्रियान्वयन हेतु कोई नियंत्रक एजेंसी है;

(घ) यदि हां, तो तंत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आज की तारीख में राज्य के कपार्ट के पास कितने प्रस्ताव स्वीकृत हेतु लंबित पड़े हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक असम राज्य में कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की वर्ष बार संख्या संलग्न विवरण–। में दी गई है।

(ख) जिन एजेंसियों को कपार्ट के जरिए (परियोजना–

बार) सहायता प्रदान की गई है; उनके नामों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) और (घ) इन संगठनों की निगरानी परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों अर्थात् परियोजना स्वीकृत करने से पहले वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन के रूप में, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान मध्य अवधि मूल्यांकन के रूप में और परियोजना पूरी होने पर परियोजना पश्चात् मूल्यांकन के रूप में। चूंकि परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं अतः उपलब्धियां भी भिन्न–भिन्न हैं।

(ङ) आज तक असम राज्य के 19 परियोजना प्रस्ताव कपार्ट में लंबित हैं।

(च) एक समय सीमा तय नहीं की जा सकती है क्योंकि परियोजनाओं की मंजूरी निर्धारित मानदण्डों के अनुसार परियोजना औपचारिकताओं को पूरा करने पर निर्भर करती है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक असम राज्य में कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या

क्रम संख्या	वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1.	1997–98	35
2.	1998–99	28
3.	1999–2000	25
4.	2000–2001 (आज तक)	16

विवरण-II

क्रम सं.	संगठन का नाम और पता	योजना का पता
1	2	3
1997-98		
1.	एकार्ड ग्राम–हरपुरचौक, पो. ओ. पाठशाला, असम	ओ.बी.
2.	आंचलिक ग्राम उन्नयन परिषद ग्राम और पी.ओ. जनिया, ब्लाक मंडिया	पी.आर
3.	बजानी गांव डननयन समिति ग्राम–भाटी डल्वा, पी.ओ. नित्यानन्द	सी.आर.एस.पी.
4.	देश भक्त रूरल डेवलपमेंट ग्राम–मकलरदाबा बाजार, पी. ओ. नाली गांव	सी.आर.एस.पी.
5.	डायनामिक रूरल वेलफेयर एशोसिएशन एच.ओ.उत्तर कल्जीहर, पी. ओ. सुकमना, होअली	ओ.बी.
6.	नवजागरण संस्था एच.ओ. बंगलिपारां, पो.ओ. जनिया मंडिया	ओ.बी.
7.	गांव उन्नयन समिति बरेंगा, कच्छार	एस.ए.टी.
8.	दूनी कृषि संघ ग्राम–पो.ओ. दूनी सिपाझार	सी.आर.एस.पी.
9.	सीमपाझार डिम्ड क्लब सामुदायिक केन्द्र पी.ओ. ग्राम अकाजन, ब्लाक सिपाझार	एस.ए.टी.
10.	रूरल वालंटीयर केन्द्र पी.ओ.ग्राम अकाजन, सीसी बोरगांव	वही
11.	पीस फाउंडेशन सेन्टर नौजान, पो.ओ. नौजान द. गोलाघाट विकास खण्ड	एस.ए.टी.
12.	करंगा भक्त चीनी जुकब संघ मच्छायं जोरहाट	सी.आर.एस.पी.
13.	उत्तर –पूर्व प्रस्तावित क्षेत्र विकास पी.ओ. ह कियाखिओ, कामरूप	पी.सी.
14.	कपाट (एन.ई.जैड) अशोक पथ, बेशिष्ठ रोड सर्वे गुवाहाटी	ओ.बी.
15.	वही	ओ.बी.

1	2	3
16.	सेंटर फार डैवलपमेंट एक्शन एंड मनालीशा पथ जू नारेंगी रोड़ गुवाहाटी	सी.आर.एस.पी.
17.	मिमताली संघ हैड आयतपुर, पी.ओ. गुवाहटी	
18.	नवीनल इन्सिट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट, एन. आई. आर. डी. लेन एन. एस 37, गुवाहटी	ओ.बी.
19.	वही	एस.ए.टी.
20.	मार्डन खादी और ग्रामोद्योग समिति, ग्राम और पो. आ. इरालिग्ल	सी.आर.एस.पी.
21.	डी.ओ.एन.वाई. आई.पी.ओ. एल.ओ. यूथ सोसायटी, वाई संख्या 5 निकट कोजी बिला	ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी.
22.	कारदुंगपुली (के.) सोसायटी ग्राम और पो.आ. चबाटी	सी.आर.एस.पी.
23.	नारायणपुर आंचलिक ग्रामोदन संघ चरेदलानी, पी.ओ. मधमपुर	ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी.
24.	अल्नुडे विकास समिति ग्राम और पो.आ. जलगीमकल गांव मयम मारीगांव	पी.सी.
25.	जलगुटी अग्रगामि महिला समिति ग्राम और पो.आ. जलगुटी	ए.आर.डब्लू.एस. पी.
26.	ग्लोबल हैल्थ इम्यूनाइजेशन एंड रंगाल् पी. आ. जुमरेमुर नागौ	वही
27.	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी असम ग्राम्य उन्नयन भवन अमतोला होजड़	सी.आर.एस.पी.
28.	बरखेतरी उन्नयन समिति मुकलमुआ बरखोतरी, नलबाडी	सी.आर.एस.पी.
29.	बरनारडी ग्राम्य उन्यन समिति बरनारडी	वही
30.	ग्राम लोक सेवा संघ घमघमा घमघमा, पी.आ. एन.आइ.जैड़ घमघमा	वही
31.	मानव शक्ति जागरण गोपाल बाजार, नलबाड़ी	वही
32.	वही	ओ.बी.
33.	तमुलपुर आंचलिक ग्रामसदन संघ पो.ओ. कुमारकिटा	पी.सी.
34.	कोकिल विकास आश्रम पी.ओ. सोनापुर	ए.आर.डब्लू. एस.पी.
35.	प्रंजल मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट ग्राम और पो.ओ. गौहपुर	सी.आर.एस.पी
1998-99		
1.	स्कार्ड, गांव हरपुरचौक पो.बा. पथशाला	पी.आर
2.	देशबंधु क्लब बिहारा, पो.बा. बेहारा बाजार	सी.आर.एस.पी.
3.	रूरल बालेंटियर सेंटर पो.बा. और गांव अकाजन सिसी बोरगांव	एस.ए.टी.
4.	गौरीपुर विवेकानन्द क्लब पो.बा. गौरीपुर	पी.सी.
5.	रूपशी डेवलपमेंट वेल्फेयर आ. आर दा डी. वूमैन इनफेटस एण्ड पी.ओ. लक्शीरबांड, अलगापुर	पी.सी पी.सी.
6.	एक्सटेंशन एजूकेशन डेस्टीटयूट जोरहाट	एस.ए.टी.
7.	ब्लू क्रास सोसाइटी, गोवाहटी	–वही–
8.	कपार्ट (एन.ई.जे.डी., गोवाहटी)	ओ.बी.
9.	इंडियन इस्टीटयूट ऑफ आन्ट्रप्रनशिप वशिष्ठा, चारेली, गोवाहटी	एस.ए.टी

1	2	3
10.	–वही–	–वही–
11.	कस्तूरबागांधी नेशनल मैमोरियाल ट्रैस्ट, सरानिया	–वही–
12.	एन.आई.आर.डी. एन एच. 37 गुवाहटी	–वही–
13.	नार्थ ईस्टर्न इस्टीट्यूट ऑफ बैंक, जवाहर नगर, खानापाड़ा गुवाहटी	एस.ए.टी.
14.	शांति साधना आश्रम शांतिवन, पो.बा. बेलटोला, गुवाहटी	डवाकरा
15.	–वही–	आई.आर.डी.पी
	–वही–	एस.ए.टी.
17.	चन्नमसरी यूथ क्लब पो.बा. लीलायिला, गांव चन्माटी	सी.आर.एस.पी.
18.	रघुटुक क्लब लाइब्रेरी पथारथाडी, करीमंगन	पी.सी.
19.	टुकुर बाजार महिला समिति पी.बा. अशल थांडी	–वही–
20.	सेंटर फार यूथ एण्ड रूरल डेल्पमेंट पो.ओ. एण्ड गांव वेंगटोल	ए.आर.डब्ल्यू. एस.पी.
21.	डू : एन.वाई.आईपो.बा.एल.ओ. यूथ सोसाइटी, वार्ड. 5 समीप कोसी विला	ओ आर पी
22.	नारायणपुर आंचलिक, ब्रामधन संघ संघ चारेदालानी, पी.ओ. माघंमपुर	पी.सी.
23.	बिवरी जोगाफ् अफाई, अदला, गांव बार अदला पो. बा. बांगनपाड़ा धमधमा	सी.आर.एस.पी.
24.	गांव उन्नयन संघ दक्षिण बिजेरा, पो.बा. जानीगोग	वही
25.	ग्राम लोक सेवा संघ, धमधमा पोश्बा, एन.आई.जेड धमधमा	ओबी

1	2	3
26.	मानव शक्ति जागरण गोपाल बाजार, नालबेसी	जे.आर.बाई.
27.	टोटल रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देवचारा, ब्रमा डेवलपमेंट ब्लाक, नालबेरी	ए.आर.डब्ल्यू.एस. पी.
28.	–वही–	पीसी.

1999-2000

1.	आंचलिक ग्राम उन्नयन परिषद गांव एण्ड पो.बा. जलिया ब्लाक मंडिया	पी.सी.
2.	अटा भोकामरी, पोबा, सरूतपा पाकाबेट, बारी डेव ब्लाक	–वही–
3.	देश भक्ति रूरल डवेलपमेंट गांव भक्तरडाबा बाजार पो. बाजाली गांव	–वही–
4.	पहुमारा आंचलिक रूरल डेवलमेंट खर्मा बाजार, पो.बा. सरूतपा भवानीपुर डेवलपमेंट ब्लाक	
5.	सिपाझर डिमनो क्लब कम्यूनिटी सेंटर पो. बा. सिपाझर	ओ.बी.
6.	–वही–	पी.सी.
7.	ल्यूटो आंफ इंटीग्रेडिट रूरल डेवलपमेंट जिला कमरूप असम	ओबी
8.	–वही–	ओ.आर.पी.
9.	कपार्ट (एन ई जेड) गुवाहाटी	ओ.बी.
10.	–वही–	–वही–
11.	–वही–	–वही–
12.	–वही–	ओ.आर.पी.
13.	–वही–	पी.सी.

1	2	3
14.	सेन्टर फार डेवलपमेंट एक्शन एण्ड मनालिशा पथ जू नारेंगी रोड़ गुवाहटी	ओ.बी.
15.	इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ इण्टरप्रेनरशिप वशिष्ठ चरैली गुवाहाटी	ओ.आर.पी.
16.	–वही–	–वही
17.	नार्थ इस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक जवाहर खानपाड़ा गुवाहटी	ओ.आर.पी.
18.	सोद् असम पठार परिचालाना समिति उलूबारी प्रिमिसेस आफर एक्जीक्यूटिव इंजिनियर (एग्री) बी के ककाटी रोड गुवाहटी–7	पी.सी.
19.	मार्डन खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्र समिति ग्राम एवं पोस्ट इंरालगूल	–वही–
20.	सेंटर फार यूथ एण्ड रूरल डेवलपमेंट पो.और. गांव बेंगतांल वाया बिंगाईगांव	–वही–
21.	डी ओ एन वाई आई पी ओ : लो ओ यूथ सोसाइटी वाई सं. 5, नजदीक जूमरयूंर	–वही–
22.	ग्लोबल हैल्थ इम्यूनाइजेशन एण्ड रंगालू पोस्ट जामनगर	आर टी
23.	तामूलपुर आंचलिक ग्रामदान संघ पो. कुमारीकटा 781360	पी.सी.
24.	तेजपुर जिला महिला समिति पो. तेजपुर जिला सोनीतपुर	–वही–
25.	सेल्सियन फांरडांन बांस्को सैक्रेड हर्ट कौलेज, मौलाई	–वही–

2000-2001

1	2	3
1.	असम रूरल डेवलपमेंट एशोशियेशन ग्राम एवं पोस्ट गोलीबंधा	ओ.बी.
2.	ए टी ए भौकामारी सोसाइटी डेवलपमेंट एसोशियेशन, ग्राम ए टी ए भीकामारी पो सारूतपापा पाका बेट बाड़ीदेव ब्लाक	पी.सी.
3.	वही	वही
4.	बजली गांव उन्नयन समिति ग्राम भाटी ऊलूवा पो. नित्यानंद	वही
5.	लूची महिला उन्नयन समिति ग्राम बमुमारी पो. सीएएम सी ओ रोड	ओ.बी.
6.	पीस फाउंडेशन सेन्ट असम	ओ.बी.
7.	नार्थ ईस्ट एफैक्टेड एरिया डेवलमेंट सोसाइटी पो. धेकियाखडवा	पी.सी.
8.	कपार्ट (एनईजेड) गुवाहटी	ओ.बी.
9.	सोसाइटी फांर द प्रोमोशन आफ यूथ एण्ड मासेज डब्ल्यूवाड़ी गुवाहटी–7	पी.सी.
10.	आदिवासी बैप्टिस्ट चर्चेज एशोसिएशन आंफ असम, ब्लाक सिदली	पी.सी.
11.	मारी गांव महिला समिति ग्राम एवं पोस्ट मारीगांव	–वही–
12.	एडुकेशनल फाउंउेशन साउथ हैबरगांव, नागांव	वही
13.	ग्राम विकास नागांव, ग्राम रंगूला	आंटस
14.	मर्कज्ल मारिफ ग्राम एव पोस्ट होजाई नांगांव	पी.सी.
15.	गांव उन्नयन संघ पो. जानीगोंग	ओ.बी.
16.	जनकल्याण तोठा बिकलांग लोकोरसेवा आरू गोवेसना केन्द्र, सोनीपुर	पी.सी.

इस्पात का उत्पादन

132. **श्री अनन्त नायक :** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में विविध प्रकार के इस्पात के उत्पादन में संयंत्र–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और उपलब्धि हासिल की गई;

(ख) क्या सरकार इन इस्पात संयंत्रों में विशेषकर वी. एस.पी. और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2001–2002 के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) सामान्यतः उत्पादन लक्ष्य विक्रेय इस्पात के संबंध में निर्धारित किया जाता है। 1998–99 से 2000–2001 तक विक्रेय इस्पात–संयंत्र–वार लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार है:

इकाई:एम टी

संयंत्र	1998–99		1999–2000		2000–2001	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	वार्षिक लक्ष्य	वास्तविक (जनवरी, 01 तक)
बी एस पी	3.615	3.352	3.270	3.411	3.500	2.774
डी एस पी	1.588	1.319	1.532	1.402	1.520	1.228
आर एस पी	1.390	1.114	1.238	1.170	1.490	1.066
बी एस एल	3.062	2.541	3.210	3.246	3.430	2.757
ए एस पी	0.145	0.099	0.070	0.083	0.090	0.065
एस एस पी	0.225	0.119	0.120	0.148	0.120	0.107
वी आई एस एल	0.072	0.057	0.060	0.069	0.065	0.069
इस्को	0.327	0.285	0.242	0.250	0.305	0.228
वी एस पी	2.580	1.933	2.305	2.382	2.217	2.400*

*वर्ष के लिए प्रत्याशित

(ख) उत्पादन की मात्रा संयंत्रों द्वारा बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए विनियमित की जाती है। फिर भी विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र सहित सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में सुधार करने के लिए उनके उत्पादन निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा विक्रेय इस्पात के लिए निर्धारित अस्थायी लक्ष्य निम्नानुसार है:–

इकाई : हजार टन

संयंत्र	विक्रेय इस्पात
1	2
बी एस पी	3400
डी एस पी	1542

1	2
आर एस पी	1532
बी एस एल	3250
ए एस पी	80
एस एस पी	120
वी आई एस एल	80
इस्को	319
वी एस पी	245

[हिन्दी]

देश में भूमि वितरण

133. **श्री रामदास आठवले** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एकसमान भूमि वितरण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में एकसमान भूमि वितरण सुनिश्चित करने के लिए भूमि के राष्ट्रीयकरण हेतु कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और छोटे धारकों को वितरित की जाती है। भूमि की किस्म/गुणवत्ता, सिंचाई सुविधाओं, फसल की किस्म, भूमि की स्थलाकृति संबंधी विशेषताओं पर निर्भर करते हुए भूमि का वितरण राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न है। अतः पूरे देश में भूमि का एक समान वितरण नहीं हो सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि के वितरण का विषय अन्नय रूप से राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केन्द्र सरकार इस क्षेत्र में केवल एक सलाहकारी और समन्वयकारी भूमिका निभा रही है।

[अनुवाद]

पनधारा विकास हेतु जनता के बीच जागरूकता पैदा करना

134. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी संभावित स्थानों पर पनधारा विकास हेतु ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) यदि नहीं, तो पनधारा विकास का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंचाने हेतु किन तरीकों का उपयोग किया गया;

(घ) क्या क्षेत्रीय भाषा में कोई मीडिया अभियान भी शुरू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) भूमि संसाधन विभाग द्वारा वाटरशेड परियोजनाएं तीन कार्यक्रमों नामतः सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. डी. पी.) के अंतर्गत वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत स्वीकृत की जा रही है। 31.3.2000 तक कुल 78.37 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं और ये परियोजनाएं तीन कार्यक्रमों के अंतर्गत 400 से अधिक जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से स्वतः ही इन क्षेत्रों की ग्रामीण जनता में जागरूकता पैदा होती है।

वाटरशेड कार्यक्रमों में शामिल विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के लिए वाटरशेड विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके वाटरशेड विकास से होने वाले लाभों का प्रचार किया जा रहा है। परियोजना लागत का 5 प्रतिशत भाग प्रशिक्षण और लोगों को प्रेरित करने हेतु निश्चित किया जाता है। इसके अलावा भागीदारों को वाटरशेड कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने तथा वाटरशेड परियोजनाओं के लाभों को उजागर करने हेतु जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर काफी संख्या में कार्यशालाएं/सगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

वाटरशेड विकास के संबंध में पोस्टकार्डों, अन्तर्देशीय पत्रों और कुछेक क्षेत्रों में लेटर बॉक्सों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी संदेश लिखे गए हैं।

आकाशवाणी से जिंगल्स/आडियो स्पॉट्स का भी प्रसारण किया जाता है। वाटरशेड के लाभों को "जागे जन–जन जागे गांव", "मिट्टी की महक" और "चौपाल" कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी कवर किया गया है। वाटरशेड की विषय वस्तु को कृषि दर्शन के अंतर्गत भी शामिल किया गया है।

वास्तव में उपर्युक्त सभी उपायों से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता बढ़ी है।

ऊसर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाना

135. **श्री रामशेठ ठाकुर :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 175 मिलियन हैक्टेयर के ऊसर भूमि (डिग्रेडेड वेस्टलैण्ड) को पुनः उपजाऊ बनाने हेतु नेटवर्क तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) इस दिशा में कितने राज्यों ने कार्य शुरू कर दिया है;

(ङ) क्या उक्त कार्य में स्वैच्छिक संगठनों को भी लगाए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संगठनों को राज्य–वार कितना प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद के सहयोग से दूर संवेदी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशित किए गए भारत की बजंरभूमि संबंधी एटलस, 2000 (वेस्टलैण्ड एटलस ऑफ इंडिया, 2000) के आदेशानुसार देश में बंजरभूमि (वनीय बंजरभूमि सहित) का कुल क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टेयर है। भूमि संसाधन विभाग देश मे वनेतर/अवक्रमित बंजरभूमि को विकसित करने हेतु तीन मुख्य कार्यक्रमों नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। 1.4.1995 से इन कार्यक्रमों को वाटर–शेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुसार वाटरशेड पद्वति के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। तब से सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 4.1.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने केलिए 8335 वाटरशेड परियोजनाएं, मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18.47 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 3694 परियोजनाएं और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18.22 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 192 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मामले में वर्ष 1995–96 से लेकर 1999–2000 तक की अवधि के दौरान क्रमशः 1.02 लाख हैक्टेयर और 5.19 लाख हैक्टेयर बंजरभूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 9 परियोजनाएं और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 1037 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। महाराष्ट्र में मरूभूमि विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2000–2001 के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 480.00 करोड़ रुपये जिसमें सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत चालू वाटरशेड परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने हेतु 350.00 करोड़ रुपये शामिल है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 190.00 करोड़ रुपये और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 135.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी।

(घ) जबकि मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 7 राज्यों में 140 जिलों में 227 खण्ड शामिल हैं, तथापि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 16 राज्यों में 179 जिलों के 947 खण्ड शामिल हैं। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं सामान्यतः उन खण्डों को छोड़कर जिनमें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, समग्र देश में स्वीकृत की जाती है। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जहां पर 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार इन तीन कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) इन तीन कार्यक्रमों के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाएं जिला परिषदों/जिलों ग्रामीण विकास एजेंसियों के पक्ष में स्वीकृत की जाती हैं। वाटरशेड विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए स्वयंसेवी एजेंन्सी को भी कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि, वाटरशेड विकास

संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वाटरशेड विकास परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्ति के लिए किसी स्वयंसेवी एजेंसी की उपयुक्तता के संबंध में या अन्यथा निर्णय लेने के लिए जिला परिषदें/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां सक्षम प्राधिकरण हैं।

विवरण

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जहां पर 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं, निम्नानुसार दिया जाता है।

क्रम सं.	कार्यक्रम	राज्यों के नाम
1.	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल एवं पश्चिम बंगाल
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं पश्चिम बंगाल
3.	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, एवं उत्तरांचल

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में विदेशियों द्वारा अनधिकार शिकार

136. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विदेशियों द्वारा किये गये समुद्री सम्पदा के अनाधिकार शिकार के मामले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने पिछले वर्ष के दौरान 784 विदेशी शिकारियों को पकड़ा।

(ग) विदेशी शिकारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की गई और यदि न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध किया गया है तो सजा की अवधि पूरी कर लिए जाने पर उन्हें उनके मूल देशों को भेज दिया जाता है।

वाराणसी का नवीनीकरण

137. श्री चन्द्र भूषण सिंह :

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वाराणसी के पुनर्विकास और नवीनीकरण के लिए व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे पूरा करने के लिए समय सीमा यदि कोई हो, सहित कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य उन शहरों विशेषकर आंध्र प्रदेश के संदर्भ में उन शहरों का निर्धारित धनराशि सहित ब्यौरा क्या है जिनके ब्लूप्रिंट तैयार किए गये हैं या तैयार किए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) जी हां, वाराणसी के पुनर्विकास और कायाकल्प करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। सरकार ने "सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में कायाकल्प" हेतु प्रस्तावित केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के लिए दिशा–निर्देशों का मसौदा भी तैयार

कर लिया है, जिसके लिए योजना आयोग की मंजूरी मांगी गई है।

जैसा कि पहले बताया गया है कि "सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों के कायाकल्प" हेतु एक योजना तैयार की जा रही है। प्रस्तावित स्कीम के दिशा–निर्देश का मसौदा तैयार कर लिया गया है और योजना के विस्तृत प्रावधानों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले योजना आयोग के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सांस्कृतिक महत्व के ये नगर न केवल नागरिक जीवन के जीवंत केन्द्र बन सके अपितु आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के भी महत्वपूर्ण केन्द्र बने। योजना में शामिल किए जाने वाले शहरों का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किया जाएगा लेकिन सामान्य प्रस्ताव यह कि प्रत्येक छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कम से कम एक और बड़े राज्य से दो सांस्कृतिक महत्व के शहरों का चयन किया जाए। योजना में शामिल किए जाने वाले शहरों की औपचारिक घोषणा योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद की जाएगी। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों के कायाकल्प की प्रस्तावित योजना का ब्यौरा और प्रत्येक शहर पर खर्च की जाने वाली धनराशि योजना आयोग के परामर्श से तय की जाएगी। जहां तक आंन्ध्र प्रदेश राज्य से शहरों के चयन का संबंध है वह योजना आयोग के परामर्श से योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद राज्य सरकार के परामर्श से तय किया जाएगा।

ऐसे शहरों जिनके विकास के लिए खाका (ब्लूप्रिन्ट) अपेक्षाकृत काफी अग्रिम स्थिति में है वे हैं; वाराणसी, उज्जैन, इन्दौर, मदुरै और त्रिची।

जेलों में बंद वरिष्ठ नागरिक

138. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण देश की जेलों में बन्द वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए एक समान नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "जेल" राज्य का विषय है। अतः जेलों में वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने सहित जेल प्रबन्ध की नीति का निर्माण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

महिलाओं के लिए जैवप्रौद्योगिकी पार्क

139. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं के लिए अलग जैवप्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से महिलाओं के लिए ऐसे पार्क आरक्षित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य में ऐसे पार्कों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में महिलाओं के लिए जैवप्रौद्योगिकी पार्क विकसित करने की समय–सीमा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) जी हां।

(ख) महिला समुदाय के लिए स्वर्ण जयंती जैवप्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना सीरूसेरी, चेन्नई में बायोटेक्नोलॉजी विभाग और तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की गई है।

(ग) महिला समुदाय के लिए स्वर्ण जयंती जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना विशेष रूप से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त महिलाओं को अवसर प्रदान करने के लिए की गई है ताकि वे पारिस्थितिकी अनुकूल जैवप्रौद्योगिकीय उद्यमों के माध्यम से लाभकारी स्वरोजगार शुरू कर सकें और समाज में समान साझेदार के रूप में महिलाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग भी हो सके।

(घ) और (ङ) अभी तक बायोटेक्नोलॉजी विभाग के समक्ष केवल महिलाओं के लिए पार्कों की स्थापना हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जैवप्रौद्योगिकी पार्क या ऊष्मायित्र की स्थापना करने के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव बनाए गए हैं।

प्राथमिक शिक्षा

140. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान शिक्षा के सार्वभौमिकरण की योजनाएं, विशेषकर शिक्षित हुए बच्चों और निर्मित प्राथमिक पाठशाला भवनों की संख्या के रूप में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन वर्षों के दौरान राज्यों में सबके लिए प्राथमिक शिक्षा पर कितना व्यय हुआ और इसमें केन्द्रीय अंशदान कितना था?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1998–99 में सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में कक्षा I–V में दाखिला अनुपात प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 1999–2000 की पृष्ठ संख्या 172 में दिया गया है। हाल ही में अर्थात 1998–99 में 90,000 परिवारों को आधार बनाकर किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 6–14 आयु वर्ग के 79 प्रतिशत बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चूंकि प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण विभिन्न विभागों की अनेक योग्यताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए निधियों से किया जाता है, राज्य–वार समेकित ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ख) प्रारंभिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से पिछले तीन वर्षों में प्राप्त केन्द्रीय अंशदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

1997–98 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत केन्द्रीय अंशदान

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आपरेशन ब्लैक बोर्ड	अनौपचारिक शिक्षा	डी.पी.ई.पी.	लोक जुंबिश	शिक्षक शिक्षा
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	1036.01	3034.37	3418.00		
2	अरुणाचल प्रदेश	64.95				450.00
3	असम	3517.64	528.53	3037.00		
4	बिहार	1547.20	3727.45	1802.00		
5	गोवा					28.56
6	गुजरात	3564.52	60.81	1056.00		418.55
7	हरियाणा	29.39	54.69	3667.00		
8	हिमाचल प्रदेश	1010.35	20.85	1874.00		640.57
9	जम्मू और कश्मीर	1952.00	75.35			
10	कर्नाटक	3532.00	45.69	6018.00		1139.73
11	केरल	310.84		3013.00		340.60
12	मध्य प्रदेश	3000.00	2525.52	11784.00		

1	2	3	4	5	6	7
13	महाराष्ट्र	4746.84	134.01	5033.00		78.10
14	मणिपुर	180.20	311.26			
15	मेघालय	175.92	17.35			
16	मिजोरम	39.52	8.70			84.72
17	नागालैण्ड	3.61				140.05
18	उड़ीसा	548.83	1243.68	2115.00		352.00
19	पंजाब	333.55				330.42
20	राजस्थान	400.00	1486.95	50.00	1633.00	1379.42
21	सिक्किम					
22	तमिलनाडु	725.00	246.30	4340.00		869.43
	त्रिपुरा	287.15	13.49			136.85
	उत्तर प्रदेश	2280.66	4239.65	5449.00		461.00
25	पश्चिम बंगाल	203.82	80.90	1900.00		
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18.00				
27	चण्डीगढ़		0.14			
28	दादरा और नागर हवेली	18.50	5.06			
29	दमन और दीव	20.25				
30	दिल्ली	210.00	54.63			298.00
31	लक्षद्वीप	2.00				
32	पांडिचेरी	10.00				
	कुल सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	29768.75	17915.38	54556.00	1633.00	7148.00

1998–99 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत केन्द्रीय अंशदान

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आपरेशन ब्लैक बोर्ड	अनौपचारिक शिक्षा	डी.पी.ई.पी.	लोक जुंबिश	शिक्षक शिक्षा
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	840.00	991.00	2300.00	0.00	1080.35

1	2	3	4	5	6	7
2	अरुणाचल प्रदेश	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	756.19	2000.00	0.00	598.17
4	बिहार	0.00	1249.07	3494.00	0.00	0.00
5	गोवा	9.00	0.00	0.00	0.00	62.91
6	गुजरात	873.28	7.48	8400.00	0.00	681.83
7	हरियाणा	460.00	0.00	2600.00	0.00	150.00
8	हिमाचल प्रदेश	45.00	0.00	1700.00	0.00	520.85
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	151.91	0.00	0.00	30.25
10	कर्नाटक	4455.31	0.00	500.00	0.00	857.19
11	केरल	0.00	0.00	1476.00	0.00	461.13
12	मध्य प्रदेश	1194.00	2869.85	16040.00	0.00	2557.27
13	महाराष्ट्र	2299.00	0.00	2349.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	141.94	0.00	0.00	65.57
15	मेघालय	120.00	7.70	0.00	0.00	25.00
16	मिजोरम	249.28	8.29	0.00	0.00	23.00
17	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
18	उडीसा	3838.70	489.84	1500.00	0.00	475.80
19	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	559.93
20	राजस्थान	0.00	1554.47	1918.21	3750.00	1624.77
21	सिक्किम	49.10	0.00	0.00	0.00	96.72
22	तमिलनाडु	209.40	25.63	8950.00	0.00	2468.68
23	त्रिपुरा	20.74	0.00	0.00	0.00	35.25
24	उत्तर प्रदेश	6948.60	3695.62	1302.79	0.00	1288.82

1	2	3	4	5	6	7
25	पश्चिम बंगाल	1042.40	0.00	250.00	0.00	0.00
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	चण्डीगढ़	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
28	दादरा और नगर हवेली	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
29	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	दिल्ली	23.02	0.00	0.00	0.00	488.27
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पांडिचेरी	0.80	0.00	0.00	0.00	20.00
	कुल सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	22756.20	11957.32	54780.00	3750.00	14258.26

1999–2000 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत केन्द्रीय अंशदान

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आपरेशन ब्लैक बोर्ड	अनौपचारिक शिक्षा	डी.पी.ई.पी.	लोक जुंबिश	शिक्षक शिक्षा
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	1800.00	2001.36	26600.00	0.00	698.63
2	अरुणाचल प्रदेश	11.50	0.00	0.00	0.00	167.34
3	असम	1141.03	515.10	4413.00	0.00	482.17
4	बिहार	0.00	1513.82	2400.00	0.00	0.00
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	49.48
6	गुजरात	0.00	1.49	1500.00	0.00	704.99
7	हरियाणा	0.00	0.00	1000.00	0.00	1233.87
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	1400.00	0.00	526.75
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
10	कर्नाटक	8850.65	0.00	3410.00	0.00	1097.79
11	केरल	0.00	0.00	900.00	0.00	505.78
12	मध्य प्रदेश	5856.16	2578.35	8500.00	0.00	1954.90
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	3900.00	0.00	1177.04
14	मणिपुर	0.00	152.70	0.00	0.00	123.76
15	मेघालय	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	125.00	8.76	0.00	0.00	0.00
17	नागालैण्ड	29.00	0.00	0.00	0.00	108.00
18	उडीसा	1263.30	1267.03	850.00	0.00	487.39
19	पंजाब	830.54	0.00	0.00	0.00	652.53
20	राजस्थान	1612.75	1219.51	3050.00	2000.00	2204.92
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	98.93
22	तमिलनाडु	1751.59	314.19	1925.00	0.00	9.00
23	त्रिपुरा	248.85	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	6372.00	1720.04	4800.00	0.00	1184.66
25	पश्चिम बंगाल	957.00	0.00	2700.00	0.00	424.83
26	अडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	चण्डीगढ़	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
28	दादरा और नागर हवेली	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
29	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	318.55
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	पांडिचेरी	8.79	0.00	0.00	0.00	31.42
	कुल सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	30858.16	11338.10	67348.00	2000.00	14242.73

भूकंपरोधी घरों का निर्माण

141. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री अधीर चौधरी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के गढ़वाल, लातूर तथा भुज जैसे भूकंप संभावित क्षेत्रों में भूकंपरोधी घरों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने भूकंप, बाढ़ तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता तथा तकनीकी मार्ग दर्शन के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर सदैव अनुकुल रुख अपनाया है। भारत सरकार के उपक्रम आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) ने निम्नलिखित प्रकार से निर्माण/मरम्मत के लिए तकनीकी वित्तीय सहायता दी है:–

* ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता।
* प्रान्तीय भाषाओं में "क्या करे–क्या न करे" दरशाने वाले परचों (पैम्फलेट्स) के जरिये आपदा रोधी निर्माण तथा मरम्मत के बारे में तकनीकी परामर्श का प्रसारण।
* स्थानीय कारीगरों तथा पर्यवेक्षकों को यथोचित टेक्नोलाजियों में प्रशिक्षण।
* सस्ती निर्माण सामग्रियों के उत्पादन के साथ–साथ समुचित प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना के प्रसार के लिए निर्मिति केन्द्रों की स्थापना।
* भूकंप प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रदर्शनीय भवनों (डिमांन्स्ट्रेशन यूनिट्स) का निर्माण
* भूकंपग्रस्त लोगों के पुनर्वास के लिए यथोचित आवास डिजाइन के लिए परामर्शी सेवाएं देना

वेतन संशोधन और मजदूरी प्रस्ताव

142. **श्री पी.सी. थामस :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और कर्मचारियों और अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों तथा अन्य बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित विशेषकर हिन्दुस्तान आर्गेनिक लिमिटेड, अरुणामंगलम, कोचीन, केरल के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) ब्यौरेवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	स्थिति	कारण/टिप्पणी
1	2	3	4
1.	पीपीसीएल	अनुमोदित नहीं	कम्पनी को एस.आई.सी.ए. के अन्तर्गत बी.आई.एफ.आर. द्वारा रुग्ण घोषित किया गया है। कम्पनी में मजदूरी का संशोधन वर्तमान नीति के अनुसार इसके पुनरुद्धार पर आधारित है।

1	2	3	4
2.	पीडीआईएल	वही	वही
3.	एचएफसी	वही	वही
4.	एफसीआई	वही	वही
5.	आरसीएफ	अनुमोदित और कार्यान्वित	–
6.	एमएफएल	वही	–
7.	एनएफएल	वही	–
8.	पीपीएल	अनुमोदित नहीं	वेतन संशोधन का प्रस्ताव कम्पनी से प्राप्त नहीं हुआ है।
9.	एफएसीटी	अनुमोदित नहीं	कम्पनी से प्राप्त वेतन संशोधन के प्रस्ताव पर सरकार का ध्यान है।
10.	एचओसीएल	अनुमोदित	अधिकारियों और कामगारों का वेतन संशोधन 1.1.1997 से इस शर्त पर अनुमोदित किया गया है कि संशोधित वेतन 1.5.2000 से देय होगा और बकाया राशि 1.1.1997 से तभी देय होगी जब कम्पनी विकसित उत्पादकता और लाभदेयता के माध्यम से पर्याप्त अधिशेष संसाधन जुटा लेती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की नाजुक वित्तीय स्थिति के मद्देनजर संशोधित वेतन का वास्तविक संवितरण फिलहाल, वीआरएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों तक ही परिसीमित कर दिया गया है।
11.	एच आई एल	अनुमोदित नहीं	वेतन संशोधन का प्रस्ताव कम्पनी से प्राप्त नहीं हुआ है।
12.	आईपीसीएल	अनुमोदित	अधिकारियों के वेतन संशोधन का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कामगारों के वेतन संशोधन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी इस मामले में निर्णय लेने में सक्षम है। प्रबन्धन और यूनियनों के बीच कामगारों के वेतनमान में संशोधन के लिए बातचीत चल रही है।
13.	आईडीपीएल	अनुमोदित नहीं	एस.आई.सी.ए. के अन्तर्गत बी.आई.एफ.आर. द्वारा कम्पनी रुग्ण घोषित की गई है। कम्पनी में वेतन संशोधन वर्तमान नीति के अनुसार इसके पुनरुद्धार पर आधारित है।

1	2	3	4
14.	एचएएल	वही	वही
15.	एचएसपीएल	वही	वही
16.	बीआईएल	वही	वही
17.	बीसीपीएल	वही	कम्पनी से प्राप्त वेतन संशोधन के प्रस्ताव पर सरकार का ध्यान जा रहा है।

शीर्षक

पीपीसीएल	–	पायराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि.
पीडीआईएल	–	प्रोजेक्ट् एंड डेवलेपमेंट इंडिया लि.
एचएफसी	–	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.
...आई	–	फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
...फ	–	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.
एमएफएल	–	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
एनएफएल	–	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
पीपीएल	–	पाराद्वीप फास्फेट्स लि.
एफएसीटी	–	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.
एचओसीएल	–	हिन्दुस्तान ओर्गेनिक केमिकल्स लि.
एचआईएल	–	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.
आईपीसीएल	–	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि.
आईडीपीएल	–	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.
एचएएल	–	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि.
एसएसपीएल	–	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.
बीआईएल	–	बंगाल इम्यूनिटी लि.
बीसीपीएल	–	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.

[हिन्दी]

डिनेच्युअर्ड एल्कोहल का आयात

143. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में शुल्क मुक्त डिनेच्युअर्ड एल्कोहल के आयात को अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से विचार–विमर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में राज्य सरकारों के दृष्टिकोण के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत-ओमान यूरिया उद्यम

144. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विवादास्पद भारत – ओमान यूरिया उद्यम के लिए इंजीनियरिंग खरीद तथा निर्माण संविदा मूल्य को 19 मिलियन डालर घटाकर 950 मिलियन डालर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इंजीनियरिंग खरीद तथा निर्माण संविदा को देने के मामले में दुविधा की स्थिति में है चूंकि इटली और जर्मनी दोनों इस परियोजना को पाने के लिए जुगत बिठा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन दोनों बोलीदाताओं ने उपर्युक्त विनिर्धारित इंजीनियरिंग खरीद तथा निर्माण संविदा मूल्य से अधिक रियायत देने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) अनुबंध की प्रभावी तारीख को अमेरिकी डालर से यूरो मुद्रा में विनिमय दर के आधार पर परियोजना लागत को 969 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिकतम 14 मिलियन अमेरीकी डालर और न्यूनतम 7 मिलियन अमेरीकी डालर की कमी आ गयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में संशोधन

145. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय महिला अयोग अधिनियम, 1990 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समान ही अतिरिक्त शक्तियां देने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्रों के लिए कृतिक बल

146. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री शिवाजी माने :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मई, 1999 में प्रो. गौड़ की अध्यक्षता में एक भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र की स्थापना के संबंध में अध्ययन करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त कृतिक बल गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कृतिक बल की रिपोर्ट मिल गई है;

(घ) यदि हां, तो कृतिक बल ने क्या मुख्य सुझाव दिया है;

(ङ) क्या इन सुझावों की जांच की गई है और उनका कार्यान्वयन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ग) जी, हां। सरकार द्वारा मई 1999 में प्रो. वी. के. गौड़ की अध्यक्षता में एक भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र (ई आर ई सी) स्थापित करने की रीतियों के बारे में कार्य करने हेतु एक कृतिक बल गठित किया गया था। कृतिक बल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(घ) कृतिक बल द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) के अधीन एक स्वायत्तशासी केन्द्र की स्थापना किये जाने का सुझाव दिया गया है। ई आर ई सी का प्राथमिक दायित्व नामित किये गये क्षेत्रों/स्थानों के लिए भूकम्प जोखिम मानचित्र एवं आंकड़े उपलब्ध कराने का होगा।

(ङ) और (च) कृतिक बल की रिपोर्ट की जांच सचिवों की समिति द्वारा की गई है और 19.9.2000 को सम्पन्न इसकी बैठक में इसे अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु आरम्भिक कार्रवाई शुरू की गई है।

(छ) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि

147. श्री महेश्वर सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कतिपय शहरों में परिवहन से संबंधित परियोजनाओं को चलाने के लिए एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि का सृजन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला भाड़ा की दरें

148. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय घरेलू कोयले को आयातित श्रेणियों के कोयले के सामन प्रतियोगी बनाने के लिए रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए दो टियर ढुलाई श्रेणियों के लिए दबाव डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को 450 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए कोयले की भाड़ा दरें और उसकी ढुलाई घटाने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) बहुत दूर –दराज के स्थानों में विशेषकर तटवर्ती क्षेत्रों घरेलू कोयले की ढुलाई कुछ कारणों से, जिसमें रेलवे का उच्च ाा भी शामिल है, आयातित कोयले की तुलना में अप्रतियोगी होती है। कोयला मंत्रालय ने घरेलू कोयला को सस्ता बनाने के उद्देश्य से रेलवे मंत्रालय को रेलवे भाड़े के स्वरूप को युक्तिसंगत बनाने के लिए विगत में कई बार लिखा है। अभी तक, रेल मंत्रालय ने कोयले पर भाड़े की दरों को घटाया नहीं हैं।

आंध्र प्रदेश में पनधारा विकास कार्यक्रम

149. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में डी.पी.ए.पी. के तहत पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक किसी पनधारा को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पनधारा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान धनराशि दी गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार अगले वर्ष के दौरान राज्य में डी.पी.ए.पी. के तहत पनधारा कार्यक्रमों को मंजूरी देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष (2000–2001) में अभी तक सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई वाटरशेड परियोजनाओं की संख्या निम्नानुसार है:–

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1997–98	321
1998–99	700

इसके अलावा, मार्च , 1999 में भी 896 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं परन्तु पर्याप्त प्रावधान न होने के कारण निधियां जारी नहीं की जा सकीं। इनमें से 764 परियाजनाओं के लिए निधियों की प्रथम किस्त निम्नानुसार जारी की जा चुकी है:

1999–2000	567
2000–2001	177

(ग) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अलावा आंध्र प्रदेश इस मंत्रालय के मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) और सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अंतर्गत भी वाटरशेड विकास हेतु निधियां प्राप्त कर रहा है। गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य को जारी की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्र द्वारा जारी निधियां			
	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डी.पी.ए.पी.)	मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.)*
1997–98	22.93	4.22	10.75	–
1998–99	22.91	4.83	9.81	–
1999–2000	26.71	4.37	9.49	52.37
2000–01 (आज तक)	39.86	5.25	16.86	56.87

* सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अंतर्गत वर्ष 1999–2000 के पूर्व स्वीकृत की गई परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं को वर्ष 1999–2000 से भूमि संसाधन विभाग द्वारा पूरा किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) देश के कार्यक्रम वाले राज्यों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत 2001–2002 के लिए 1200 नई वाटरशेड परियोजनाएं (प्रत्येक परियोजना में लगभग 500 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है) स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को कार्यक्रम वाले राज्यों में उनके सापेक्ष कार्य निष्पादन, कार्यक्रम के तहत पहले शामिल किए जा चुके क्षेत्र, कार्यक्रम के तहत विकसित करने के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्र, आदि के आधार पर बांटा जाएगा।

महिला अधिकारिता

150. श्री अनंत गुढे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यमान कानूनों और केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा करने और 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने के लिए कोई कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो महिला अधिकारिता और उनके सामाजिक–आर्थिक उद्धार के लिए नई पहलों/प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र में महिलाओं कल्याण के लिए आरम्भ की गई केन्द्रीय योजनाओं के तहत योजनावार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महिलाओं के कल्याण के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) एक ब्यौरा संलग्न विवरण–। में संलग्न है, जिसमें महिला सशक्तिकरण वर्ष, 2001 के दौरान चलाई जाने वाली प्रस्तावित नई स्कीमों/कार्यक्रमों का उल्लेख है। एक अन्य नई पहल महिलाओं पर घरेलू हिंसा संबंधी प्रस्तावित विधेयक है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान स्कीम/कार्यक्रम–वार किया गया व्यय संलग्न विवरण–II में दर्शाया गया है। पिछले वर्ष दी गई राज्य–वार सहायता संलग्न विवरण–III में दर्शायी गई है। महाराष्ट्र को 383.79 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई।

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) में बताया गया है।

विवरण-।

महिला सशक्तिकरण वर्ष, 2001 के दौरान प्रस्तावित नई स्कीमें/कार्यक्रम

1. समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

इन्दिरा महिला योजना को पुनर्निरूपित करके महिला सशक्तिकरण का एक समेकित कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसका नाम समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा। नौंवी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त (अर्थात् 31.3.2002) तक इसका विस्तार करके इसे मौजूदा 238 खण्डों से बढाकर 650 खण्डों में लागू किया जाएगा। संशोधित स्कीम के अंतर्गत, 53100 स्व–सहायता दल गठित किए जाएंगे, जिनमें 9 लाख से भी अधिक महिलाएं होंगी। कुल परियोजनाओं लागत (6 वर्षों के लिए) 116.30 करोड़ रुपए होगी। महिला समृद्धि योजना का समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में विलय कर दिया जाएगा तथा महिला समृद्धि योजना के खाताधारियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे या तो अपने खाते बन्द कर दें अथवा खातों को डाकघर बचत बैंक खातों में परिवर्तित करवा दें।

समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्देश्य सशक्त महिलाओं को संगठित तथा विकसित करना है, जो :

* परिवार, समुदाय तथा सरकार से अपने अधिकारों की मांग करेंगी;
* भौतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक संसाधनों तक उनकी अधिक पहुंच और नियंत्रण होगा;
* अधिक जागरूक एंव कौशल सम्पन्न होंगी; तथा
* संघटन तथा नेटवर्किंग के माध्यम से सामान्य हित के मामलों को उठाने में सक्षम होंगी;

राज्य सरकारों के समग्र नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन सरकारी विभाग/अभिकरण दोनों तथा गैर–सरकारी संगठनों के साथ–साथ जिला/मध्य स्तरीय पंचायती संस्थाएं भी इन परियाजनाओं को खण्ड स्तर पर चलाने के लिए पात्र होंगी। प्रत्येक खण्ड–स्तरीय परियोजना 4–5 वर्षों के लिए एक मिश्रित परियोजना होगी, जिसमें निम्नलिखित चार घटक शामिल होंगे:–

* दल गठन/संघटन कार्यकलाप;

* समुदाय–उन्मुख नवीन कार्यक्रम

* महिला एवं बाल विकास विभाग की अन्य स्कीमें, नामतः मोराठ, स्टेप, सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम, जागरूकता विकास कार्यक्रम तथा ऐसी अन्य स्कीमें भी, जिनकी आवश्यकता महसूस की जाए; और

* भारत सरकार के निर्देशों अथवा राज्य सरकार के कार्यक्रमों में शामिल अन्य विभागों की स्कीमें।

2. महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु जिला-स्तरीय समितियों की स्थापना

महिलाओं पर अत्याचारों के मामलों का चाहें ये जांच, अभियोजन अथवा सुनवाई किसी भी स्तर पर हों, तुरन्त निपटान करने के लिए जिला समाहर्ता अथवा जिला दण्डाधीश की अध्यक्षता में जिला–स्तरीय समितियों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। इन समितियों के माध्यम से सभी सम्बन्धितों को यह भली–भांति विदित हो जाएगा कि सरकार महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के प्रति कितनी गम्भीर है तथा इन अपराधों को रोकने एवं अपराधियों को शीघ्र सजा दिलवाने के लिए कितनी दृढ़–संकल्प है।

यह प्रस्ताव रखा गया है कि प्रारम्भ में 100 जिलों को ही कवर किया जाए तथा प्रत्येक जिले को 1.00 लाख रुप की राशि प्रदान की जाए।

3. कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्कीम

अप्रैल, 2001 में शुरू की जाने वाली एक स्कीम का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में रहने वाली विभिन्न प्रकार की महिलाओं, जैसे विधवाओं/परित्यक्त महिलाओं, महिला कैदियों, शरणार्थी तथा प्रवासी महिलाओं, जिन्हें किसी प्रकार की सामाजिक अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हैं, बेची गई महिलाओं/वेश्यालयों से मुक्त कराई गई लड़कियों तथा यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं, जिन्हें उनके परिवार वालों ने अस्वीकार कर दिया है, को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित सहायता में तत्काल पुनर्वास से लेकर मध्यमावधि और दीर्घावधि पुर्नवास शामिल हैं।

इस स्कीम के लिए वर्ष 2001–02 के दौरान किया जाने वाला अस्थाई आबंटन 6.00 करोड रुपए है।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान (वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000) महिला कार्यक्रमों पर हुआ व्यय

	कार्यक्रम का नाम	व्यय (करोड़ रु. में)
1.	कामकाजी महिला होस्टल	22.21
2.	प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र (नोराड)	43.66
3.	प्रशिक्षण–सह–रोजगार सहायता कार्यक्रम (स्टेप)	44.04
4.	इन्दिरा महिला योजना	–
5.	महिला समृद्धि योजना	19.43
6.	राष्ट्रीय महिला कोष	–
7.	अल्पावास गृह	12.22
8.	सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम	2.67
9.	शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम	15.43
10.	महिला विकास तथा सशक्तिकरण हेतु दूरस्थ शिक्षा	0.90
11.	महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षात्मक कार्य	0.61
12.	जागरूकता विकास कार्यक्रम	5.12
13.	समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	0.27
14.	राष्ट्रीय महिला आयोग	8.50
15.	राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र	–
16.	बालिका समृद्धि योजना	142..63
17.	ग्रामीण महिला विकास तथा सशक्तिकरण परियोजना	8.00
18.	स्व–शक्ति परियोजना	13.00
	जोड़	338.69

विवरण-III

महिला एवं बाल विकास विभाग तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के सम्बन्ध में वर्ष 1999–2000 के दौरान दी गई राज्य–वार सहायता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि (लाख रुपये में)
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	487.94
2. अरुणाचल प्रदेश	56.68
3. असम	100.09
4. बिहार	66.11
5. गोवा	11.41
6. गुजरात	200.84
7. हरियाणा	79.98
8. हिमाचल प्रदेश	86.18
9. जम्मू व कश्मीर	35.15
10. कर्नाटक	229.82
11. केरल	148.32
12. मध्य प्रदेश	354.34
13. महाराष्ट्र	383.79
14. मणिपुर	90.19
15. मेघालय	25.93
16. मिजोरम	33.06
17. नागालैण्ड	63.45
18. उड़ीसा	362.26
19. पंजाब	54.04
20. राजस्थान	72.94
21. सिक्किम	20.12
22. तमिलनाडु	372.10
23. त्रिपुरा	60.34
24. उत्तर प्रदेश	258.33
25. प. बंगाल	229.31
26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	21.16
27. चण्डीगढ़	14.06
28. दादरा व नगर हवेली	8.58
29. दमन व दीव	–
30. दिल्ली	116.48
31. लक्षद्वीप	0.45
32. पाण्डिचेरी	32.88
योग	4076.33

खाद का उत्पादन

151. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य तथा क्षेत्र–वार परम्परागत खादों की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) राज्य तथा क्षेत्र–वार परम्परागत खादों की उपयोगिता का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में खादों की वर्तमान क्षमता के पूर्ण उपयोग तथा परम्परागत खादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) यद्यपि अब तक कोई योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी यह अनुमान है कि देश में ग्रामीण और शहरी कम्पोस्ट का उत्पादन क्रमशः लगभग 133.8

मिलियन टन और 5.25 मिलियन टन है। ग्रामीण और शहरी कूड़ा खाद की राज्य–वार तथा क्षेत्र–वार उपलब्धता दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–। में दिया गया है।

(ग) और (घ) कम्पोस्ट खाद का उपयोग मृदा उत्पादकता को बनाये रखने और फसल उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। भारत सरकार ग्रामीण और शहरी कम्पोस्ट जैसी परम्परागत खाद तथा जैव खाद के अन्य स्रोतों के उत्पादन प्रोन्नयन तथा उपयोग को प्रोत्साहित करती है। नौवीं योजना (अक्तूबर, 2000 तक) के दौरान उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग संबंधी योजना लागू की गई थी जिसमें शहरी जैव अपघटीय ठोस अवशिष्ट पदार्थ से कूड़ा खाद बनाने को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान की गई थी। आठवीं योजना के दौरान 21 काम्पोस्ट एककों के लिए सरकार द्वारा 390.20 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी। इसके अतिरिक्त, नौवीं योजना के दौरान, 11 कम्पोस्ट एककों हेतु 339.52 लाख की राशि जारी की गई। इस योजना के कार्यान्वयन के मक्रो न प्रक्रिया के अन्तर्गत अक्तूबर, 2000 में यह योजना राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1998–99 के दौरान ग्रामीण और शहरी कम्पोस्ट के राज्यवार उत्पादन (लाख मी. टन)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	ग्रामीण कम्पोस्ट	शहरी कम्पोस्ट
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	135.000	3.150
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.151	–
3.	असाम	–	–
4.	बिहार	27.655	0.017
5.	गोवा	2.375	–
6.	गुजरात	–	–
7.	हरियाणा	57.200	0.350
8.	हिमाचल प्रदेश	33.486	0.693
9.	जम्मू और कश्मीर	–	–
10.	कर्नाटक	268.460	22.016
11.	केरल	4.500	0.020
12.	मध्य प्रदेश	32.357	2.213
13.	महाराष्ट्र	12.700	12.000
14.	मणिपुर	–	–
15.	मेघालय	–	–
16.	मिजोरम	0.167	–
17.	नागालैंड	0.002	–
18.	उड़ीसा	89.908	0.011
19.	पंजाब	328.000	2.100
20.	राजस्थान	51.520	6.720
21.	सिक्किम	0.020	–
22.	तमिलनाडु	–	–
23.	त्रिपुरा	13.412	0.160
24.	उत्तर प्रदेश	13.412	0.160
25.	वैस्ट बंगाल	275.000	0.160
26.	अंडमान और निकोबार	–	–
27.	चंडीगढ़	0.002	–
28.	दादर और नगर हवेली	0.011	–
29.	दमन और दीव	–	–
30.	दिल्ली	0.040	0.050
31.	लक्ष्यद्वीप	0.005	–
32.	पाण्डिचेरी	1.900	0.750
	कुल	1347.283	50.570

[हिन्दी]

पायराजिनामाइड का उत्पादन

152. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**

श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान पायराजिनामाइड का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उसकी कुल वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) उक्त उत्पादन की उत्पादन लागत तथा बाजार मूल्य क्या है;

(घ) क्या इस औषधि का विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त दवाई की कोई कमी है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त दवाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) पायराजिनामाइड का उत्पादन अधिकांशतः लघु क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया जाता है, जिनके उत्पादन का अनुवीक्षण इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। जहां तक सूचना उपलब्ध है, संगठित क्षेत्र की इकाइयों का पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन निम्नानुसार हुआ है;

वर्ष	उत्पादन मात्रा (टन)
1998–99	1.25
1999–2000	0.01
2000–2001 (अप्रैल–दिसंबर, 2000)	शून्य

(ख) औषधों और भेषजी संबंधी कार्य दल ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विगत तीन वर्षों के लिए पायराजिनामाइड हेतु मांग का निम्नलिखित अनुमान लगाया है;

वर्ष	मांग (टन)
1998–99	333
1999–2000	366
2000–2001	403

(ग) से (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अनुसार पायराजिनामाइड एक गैर अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषध है। तथापि, इसका बाजार मूल्य लगभग 1800.00 रुपए प्रति कि.ग्रा बताया गया है।

(च) और (छ) इस औषध की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

सुरक्षा उपायों संबंधी अध्ययन

153. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई, 2000 में केन्द्र सरकार को भूकंप की अग्रिम चेतावनी और राजधानी में ऊंची इमारतों का निर्माण करते हुए अपनाये जा रहे सुरक्षा उपायों संबंधी अध्ययन कराने के लिए कहा था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के ऐसे निर्देशन की इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

कर्नाटक में भू-अभिलेख के संबंध में निगरानी सेल

154. **श्री जी. एस. बसवराज :**

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में भू–अभिलेखों की देखरेख के लिए एक निगरानी सेल की मंजूरी देने हेतु केन्द सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक की राज्य सरकार ने कम्प्यूटरीकरण के जरिए भूमि अभिलेखों की योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तर पर एक कारगर मानीटरिंग प्रणाली विकसित करने हेतु 32.00 लाख रुपये की राशि जारी करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) चूंकि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है अतः कोई निश्चित तारीख बता पाना संभव नहीं है।

पी. आई. ओ. कार्ड

155. **डा. जसवंतसिंह यादव :**

श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार कितने पी.आई.ओ कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) क्या पी.आई.ओ. कार्ड की लागत कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी लागत कम करने का निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार 1003 पी.आई.ओ. कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

(ख) से (घ) पी.आई.ओ. कार्डों के लिए शुल्क पुनर्निधारित करने का मामला विचाराधीन है और जल्दी ही निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।

शिक्षा में सुधार हेतु नीति की रूपरेखा

156. **श्री अनन्त नायक :**

श्री वी.एम. सुधीरन :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यापार और उद्योग के संबंध में प्रधान मंत्री के विशेष कार्य–दल द्वारा तैयार 'शिक्षा में सुधार हेतु नीति की रूपरेखा' के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, हां। रिपोर्ट में शिक्षा के सभी क्षेत्रों के लिए अनेक सिफारिशें की गई हैं। सरकार को इस मामले में अभी अन्तिम निर्णय लेना है।

[हिन्दी]

अयोध्या के संबंध में लिब्रहान आयोग

157. **श्री रामदास आठवले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अयोध्या के संबंध में लिब्रहान आयोग किस तारीख को गठित किया गया था और इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कितनी समय–सीमा तय की गई थी;

(ख) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क)

से (ङ) लिब्रहान अयोध्या जांच आयोग का गठन 16.12.1992 को किया गया था। भारत सरकार, गृह मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना सं. का. आ.–1108 (अ) दिनांक 12 दिसम्बर 2000 में निहित शर्तों के अनुसार, लिब्रहान अयोध्या जांच आयोग से अपनी रिपोर्ट 30 जून, 2001 तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। तथापि, आयोग की कार्यवाहियां चल रही हैं और साक्ष्यों की परीक्षा/प्रतिपरीक्षा अभी भी जारी है। अतः सरकार द्वारा इस अवस्था में, आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में कोई समयावधि नही बताई जा सकती है।

अवैध हथियारों की आपूर्ति

158. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान में पेशावर के निकट 'दर्रा आदम खेल' नामक जनजातीय कस्बे से राजस्थान, गुजरात और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में एके-47 रायफल जैसे हथियारों की अवैध आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) समय–समय पर राजस्थान, गुजरात और पंजाब सीमाओं के पार से हथियारों की तस्करी की घटनाएं हुई हैं। बताया गया है कि दर्रा आदम खेल और पाकिस्तान में निकटवर्ती क्षेत्र, इन हथियारों की आपूर्ति के केन्द्रों में से हैं।

ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमाओं पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था का काम शुरू किया है। सीमा पार से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सीमा गश्त को बढ़ाने नाईट विजिन डिवाइसिस, हैंड सर्च लाईट आदि जैसे उपकरण शामिल करने, जैसे कदम भी उठाए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, सुरक्षा बलों ने समय–समय पर हथियार गोला–बारूद और नशीली दवाएं जब्त की हैं।

विदेशों में कारखाने

159. श्री राजो सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में पिछले पांच वर्षों के दौरान उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उन कारखानों का ब्यौरा दें जिनमें उत्पादन चल रहा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) विदेश में भारतीय उर्वरक कम्पनियों/सहकारी समितियों की भागीदारी के साथ विगत पांच वर्षों में स्थापित किये गए/ स्थापना के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम उर्वरक संयंत्रों के अपेक्षित विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	परियोजना/ देश का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत (मिलियन अमेरीकी डालर में)	भारतीय भागीदार/ प्रायोजक	क्षमता लाख मी. टन में	अवस्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	इंडो–जोर्डन केमिकल्स लिमिटेड जोर्डन	168	स्पिक	2.24 फॉस, एसिड	मई 1997 से प्रचालन में हैं।
2.	इंडो–मारोक फास्फेट सा, मोरक्को	228	चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लि.	3.30 फॉस, एसीड	अक्टूबर 1999 से प्रचालन में है।

1	2	3	4	5	6
3.	इंडस्ट्रीज चीमक्यूस डी सेनेगल का विस्तार, सेनेगल	250	भारत सरकार/ स्पिक/इफको	3.30 फॉस, एसीड	मार्च 2001 से आरम्भ होने की आशा है।
4.	स्पिक फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, यूएई	170	स्पिक	4.0 यूरिया	परियोजना के आरम्भण की 2002 के प्रथम तिमाही में आशा है।
5.	ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी एस एओसी ओमान	969	इफको, कृभको	16.52 यूरिया 2.48 मर्चेन्ट अमोनिया	संशोधित परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जून 2000 में अनुमोदित किया गया था।
6.	इंडो–ईरान संयुक्त उद्यम परियोजना ईरान	470	इफको, कृभको	7.26 यूरिया	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुका है। परियोजना विचार के अत्यन्त प्रारंभिक चरण में हैं।

[अनुवाद]

भविष्योन्मुखी आपदा प्रबंधन प्रणाली

160. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

डा. विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भूकंप–विज्ञान के अध्ययन हेतु कोई बजटीय आबंटन निर्धारित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में भूकंप–विज्ञान के अध्ययन हेतु वर्ष 2000–2001 के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में राज्य–वार, स्थान–वार भूकंप के खतरे के आकलन संबंधी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में राज्य–वार और स्थान–वार ऐसे केन्द्र स्थापित करने की सरकार की भविष्य की क्या योजना है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों की आशंका है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(छ) क्या सरकार ने भूकंप–प्रवण क्षेत्रों में निर्माण की दोषपूर्णता को कम करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) लोगों को सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी देने तथा भविष्योन्मुखी आपदा प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) महोदय, देश में भूकम्प विज्ञान तथा उससे जुड़े पहलुओं के क्षेत्र में अनुसन्धान तथा विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2000–2001 के लिए 7.25 करोड़ रुपए का बजट आबंटन बिनिर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियों/संस्थानों जैसे आई. एम. डी., जी. एस. आई. तथा एन. जी. आर. आई. भी अपने योजना आबंटनों के अन्तर्गत भूकम्प–विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन कार्यों के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उत्तरी क्षेत्र में भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र (ई.आर.ई.सी.) स्थापित किए जाने के लिए कार्यपद्धतियां सुनिश्चित करने हेतु मई, 1999 में प्रोफेसर वी. के. गौड़ की अध्यक्षता में एक कृतक बल का गठन किया था। इस कृतक बल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर सचिवों की समिति द्वारा 19 सितम्बर, 2000 को आयोजित उसकी बैठक में विचार किया गया। यह सिफारिश की गई थी कि आरम्भ में भारत मौसम विज्ञान विभाग में ई.आर.ई.सी. स्थापित किया जाए। इस दिशा में प्रारंभिक कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है। इस समय ऐसे केन्द्रों की राज्यवार स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) और (च) भारतीय मानकीकरण ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए भूकम्पीयता का मण्डलन करने वाले मानचित्र के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भूकम्पीयता के अंचल–चार में पड़ता है। इस वर्गीकरण के अनुसार यह क्षेत्र संशोधित मेरकॉली तीव्रता मापनी पर 8 तीव्रता वाले भूकम्प से सीधा जुड़ा हुआ है।

(छ) और (ज) जी, हां। भारतीय मानकीकरण ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने भूकम्प रोधी ढांचों का निर्माण करने के बारे में दिशानिर्देश/मानदण्ड प्रकाशित किए हैं।

(झ) लोगों को सुरक्षा संबंधी मामलों तथा आपदा प्रबन्धन के दूसरे पहलुओं के बारे में शिक्षित करने की प्राथमिक भूमिका कृषि एवं सहयोग मंत्रालय की होती है जो कि आपदा प्रबन्धन के सभी पहलुओं के मामलों में नोडल एजेंसी है। तथापि, अपनी–अपनी भूमिका के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय तथा भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन परिषद (बी.एम.टी.पी.सी.) तथा अन्यों ने सामान्य जागरूकता में सुधार लाने के लिए भूकम्प से जुड़े विनाशों के विभिन्न पहलुओं पर कुछ सामग्री का प्रकाशन तथा वितरण किया है जिनमें भवनों के निर्माण में सुरक्षा के उपाय, विद्यमान ढांचों की रेट्रो–फिटिंगक करना इत्यादि शामिल है।

छोटे और मझोले शहर एकीकृत विकास योजना

161. **श्री चन्द्र नाथ सिंह :**

श्री एस. पी. लेपचा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे और मझोले शहर एकीकृत विकास योजना (आई डी एस एम टी) के अंतर्गत कस्बों और शहरों के चयन हेतु क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) आई डी एस एम टी योजना के अंतर्गत विकास हेतु चयन किये गये राज्य–वार कस्बे/शहर कौन–कौन से हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य को उक्त योजना के अंतर्गत कितनी राशि आबंटित की गई और उस पर क्या प्रगति हुई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपयोग किए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों के ऐसे कस्बों/शहरों में किए गए विकास की कोई निगरानी की गई है;

(च) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) आई डी एस एम टी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कस्बों/शहरों के विकास हेतु केन्द्र सरकार से विशेष/अतिरिक्त सहायता की मांग करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ज) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को आई डी एस एम टी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वर्षवार और राज्यवार प्रदान की गई विशेष/अतिरिक्त सहायता का ब्यौरा दें?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) छोटे व मझोले दर्जे के कस्बों के समेकित विकास की योजना (आईडीएसएमटी) के संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार 5 लाख तक की आबादी वाले कस्बे, जिनकी क्षेत्रीय विस्तार केन्द्रों के रूप में विकास की क्षमता है, चयन के पात्र होते हैं। वरीयता जिला मुख्यालयों को दी जाती है और इसी क्रम में मंडी कस्बों, औद्योगिक विकास केन्द्रों, पर्यटन स्थलों तथा तीर्थ स्थानों आदि का चयन किया जाता है। राज्य सरकारें कस्बों का निर्धारण राज्य शहरी विकास नीतियों के अनुसार करके उन्हें प्राथमिकता देती हैं। तदनंतर निम्नलिखित मानकों को ध्यान में रखकर विस्तृत विश्लेषण के बाद कस्बों का चयन किया जाता है।

(i) आबादी और प्रशासनिक स्थिति,

(ii) कस्बे का आर्थिक आधार,

(iii) अवस्थापना सुविधाएं और सेवाएं,

(iv) स्थानीय वित्त, तथा

(v) स्थानीय निकाय की कार्यान्वयन क्षमता।

इसके अलावा, यह योजना उन्हीं कस्बों में लागू होती है, जहां स्थानीय निकायों के चुनाव हो चुके हैं और निर्वाचित निकाय कार्यरत हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण–I में हैं।

(ग) और (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में हैं।

(ङ) और (च) भारत सरकार/नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन केन्द्रीय स्तर पर आईडीएसएमटी योजना की निगरानी करते हैं तथा संबंधित राज्य सरकारें और राज्य एवं कस्बा स्तर पर योजना की निगरानी के लिये उत्तरदायी होती हैं। चुने गए कस्बों को केन्द्रीय सहायता की किश्तें योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर दी जाती हैं। विगत प्रत्येक तीन वर्षों में किए गए राज्य–वार व्यय ब्यौरे संलग्न विवरण–II में हैं।

(छ) और (ज) कस्बों का चयन और केन्द्रीय सहायता का ा (निधीयन पद्धति सहित) आई डी एस एम टी के मौजूदा ादेशनिर्देशों के आधार पर किया जाता है। योजना के अन्तर्गत विशेष/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का दिशानिर्देशों में कोई प्रावधान नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र को कोई विशेष/अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई।

विवरण-I

नगर और ग्राम नियोजन संगठन

आईडीएसएमटी के तहत शामिल कस्बों की राज्यवार संख्या (1979–80 से 14 फरवरी, 2001 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शामिल कस्बे
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	81
2.	अरुणाचल प्रदेश	7
3.	असम	23
4.	बिहार	42
5.	गोवा	8
6.	गुजरात	58
7.	हरियाणा	14
8.	हिमाचल प्रदेश	11
9.	जम्मू और कश्मीर	8
10.	कर्नाटक	83
11.	केरल	35
12.	मध्य प्रदेश	78
13.	महाराष्ट्र	102
14.	मणिपुर	11
15.	मेघालय	8
16.	मिजोरम	8
17.	नागालैंड	7
18.	उडीसा	46
19.	पंजाब	30
20.	राजस्थान	45
21.	सिक्किम	7
22.	तमिलनाडु	104
23.	त्रिपुरा	12
24.	उत्तर प्रदेश	93
25.	प. बंगाल	72
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1
27.	दादरा और नगर हवेली	2
28.	दमन और दीव	1
29.	लक्षद्वीप	1
30.	पांडिचेरी	7
	कुल योग	1005

विवरण-।।

1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान आईडीएसएमटी के अंतर्गत प्रदत्त केन्द्रीय सहायता तथा सूचित व्यय का राज्य वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	1997–98		1998–99		1999–2000	
		केन्द्रीय सहायता	व्यय	केन्द्रीय सहायता	व्यय	केन्द्रीय सहायता	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	164.62	1037.24	942.87	1379.14	552.79	1414.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.00	115.00	4.00	–	33.00	–
3.	असम	51.86	62.91	15.00	1.90	80.11	88.69
4.	बिहार	–	194.07	20.00	239.24	–	10.82
5.	गोवा	–	–	–	–	29.50	–
6.	गुजरात	362.55	528.67	167.95	828.17	453.17	1215.55
7.	हरियाणा	22.00	–	128.00	106.62	–	24.73
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00	137.01	26.00	153.30	113.00	18.66
9.	जम्मू और कश्मीर	19.00	87.44	70.00	162.51	–	–
10.	कर्नाटक	163.89	432.50	246.04	687.97	578.17	386.63
11.	केरल	232.41	167.84	110.63	244.24	120.79	232.62
12.	मध्य प्रदेश	207.94	105.11	416.42	353.28	263.35	223.16
13.	महाराष्ट्र	556.23	1073.61	446.84	1708.42	722.81	1099.73
14.	मणिपुर	20.00	19.61	10.50	14.00	–	55.19
15.	मेघालय	19.60	–	–	39.30	61.80	–
16.	मिजोरम	24.00	73.00	34.40	279.72	74.00	–
17.	नागालैंड	9.00	45.30	–	–	–	51.68
18.	उड़ीसा	48.00	126.91	124.34	91.13	174.00	73.95

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	पंजाब	39.00	88.52	53.00	86.91	238.99	65.86
20.	राजस्थान	162.50	354.23	187.31	419.90	92.00	92.47
21.	सिक्किम	12.00	–	–	69.75	30.00	–
22.	तमिलनाडु	149.40	340.22	172.73	367.59	278.26	318.50
23.	त्रिपुरा	42.00	63.70	46.00	57.01	55.06	–
24.	उत्तर प्रदेश	116.00	776.18	101.00	335.75	68.00	539.02
25.	प. बंगाल	146.50	338.31	191.97	336.59	297.20	263.17
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीव	–	–	–	–	–	–
27.	दादरा और नगर हवेली	–	–	12.00	–	–	–
28.	दमन और दीप	10.00	–	8.00	–	–	–
29.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
30.	पांडिचेरी	–	0.01	–	–	30.00	–
	योग	2601.50	6167.29	3535.00	7962.44	4346.00	6175.39

[हिन्दी]

वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खानों का निर्माण

162. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तीन खुले मुहाने वाली खानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्रत्येक खान से कितने कोयले का उत्पादन हुआ है;

(ग) उस पर कितना खर्च हुआ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन खानों से कोयले की बिक्री से कितनी राशि अर्जित की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी, हां। गत तीन वर्षों में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में उकनी ओ.सी.पी. (1.10 मि.टन प्रति वर्ष) मुगोली ओ.सी.पी. (0.80 मि.टन प्रति वर्ष) और गोड़े ओ.सी.पी. (0.75 मि.टन प्रति वर्ष) का निर्माण गांव कार्य पूरा कर दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रत्येक परियोजना के संबंध में गत तीन वर्षों के और आज तक (दिसंबर, 2000) के ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	कोयला उत्पादन (मी. टन)	पूंजी व्यय (करोड़ रु.)	राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	कुल बिक्री (निवल) (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
उकनी ओसीपी	1997–98	1.156	08.83	37.05	71.58
	1998–99	1.208	04.85	42.27	68.93
	1999–2000	1.278	01.84	47.30	86.14

1	2	3	4	5	6
	2000–01 (दिसंबर, 2000 तक)	0.968	01.60	38.41	65.82
मुगोली ओसीपी	1997–98	0.771	27.10	24.36	37.66
	1998–99	0.950	08.94	29.46	61.03
	1999–2000	1.006	05.72	32.51	64.29
	2000–01 (दिसंबर, 2000 तक)	0.765	01.95	26.88	44.96
गोंडेगांव ओसीपी	1997–98	0.377	22.06	15.74	29.29
	1998–99	0.619	07.93	23.90	48.37
	1999–2000	0.701	06.25	37.85	50.39
	2000–01 (दिसंबर, 2000 तक)	0.576	05.23	30.21	39.02

[अनुवाद]

उर्वरकों का उत्पादन

163. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नौवीं योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के लिए तैयार की गई नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उर्वरक उत्पादन के संबंध में उक्त नीति ढांचे से राज्य सरकारों की उत्पादन और मांग का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या नौवीं योजना नीति की विफलता का ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार राज्य की आवश्यकता पूरी करने के लिए उर्वरकों के अधिक उत्पादन हेतु दसवीं योजना अवधि के लिए नई योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितनी नई उर्वरक इकाइयां स्थापित की जायेंगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार नौवीं योजना के दौरान नाइट्रोजनयुक्त तथा फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में लगातार वृद्धि रही है:–

(लाख मी. टनों में)

वर्ष	नाइट्रोजन	वृद्धि प्रतिशत	फॉस्फेट	वृद्धि प्रतिशत
1997–98	100.86	17.3	29.76	16.4
1998–99	104.80	3.9	31.41	5.5
1999–2000	108.90	3.9	33.99	8.2
2000–2001 (अनुमानित)	111.85	2.7	39.71	16.8
2001–2002 (अनुमानित)	116.71	4.4	49.30	24.2

(ग) इस समय यूरिया एक मात्र नियंत्रित उर्वरक है जिसकी मांग आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसीए के अन्तर्गत आबंटन के माध्यम से की जाती है। सभी अन्य पोटाशिक और फॉस्फेटिक उर्वरक अनियंत्रित है, जिनकी उपलब्धता मांग व आपूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। देश में पोटाश में वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य संसाधन नहीं है और इसलिए सम्पूर्ण मांग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।

सी. आई. एल. द्वारा कोयले के मूल्यों में वृद्धि

164. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कोकिंग और नॉन–कोकिंग कोयले का मूल्य कितना है;

(ख) क्या सी. आई. एल. द्वारा 1 फरवरी, 2001 से दोनों प्रकार के कोयले के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कोयले के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित कोककर कोयला और अकोककर कोयले के मूल्यों को 1 फरवरी, 2001 से बढ़ाया गया है, सिवाय नार्थ इस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा उत्पादित कोयले के मूल्यों को छोड़कर जो कि कोल इंडिया लि. के सीधे नियंत्रण में है, इनके मूल्य में पिछली बार 21.11.2000 को वृद्धि की गई थी। कोककर तथा अकोककर कोयले का सहायक कंपनी–वार मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोककर कोयले और अकोककर कोयले के मूल्यों को निम्नलिखित कारणों से प्रभावी किया गया है:–

(i) डीजल पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, कलपुर्जों, उपभोग्य स्टोर, लकड़ी, इस्पात, बिजली आदि आधारभूत आदानों के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि होना;

(ii) राष्ट्रीय कोयला वेतन करार–VI के अंतर्गत वेतन में संशाधन के कारण वेतन–बिल में वृद्धि होना; और

(iii) कोल इंडिया लिमिटेड को सरकार से कोई बजटीय सहायता न मिलने के कारण उसे अपनी योजनागत व्यय के वित्त पोषण के लिए पूर्णतः अपने आन्तरिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा 1.1.2000 से कोयले के मूल्यों को पूर्णतः विनियंत्रित किया गया है। कोयला कंपनियां उनके द्वारा उत्पादित कोयले के मूल्यों को बाजार की स्थिति के अनुसार निर्धारित करने के लिए स्वयं सक्षम हैं, इसलिए इस प्रकार के विनियंत्रण के परिणामतः बाजार का दबाव कोयले के मूल्यों को नियंत्रित करता है।

विवरण

1.2.2001 से आर ओ एम कोयले का मूल्य

1. क. अकोककर कोयला

(रु. प्रति टन में)

ग्रेड	डब्ल्यूसीएल		एसईसीएल			सीसीएल			एनईसीएल			एमसीएल	
	एल एफ	एनएलएफ	कुछ विनिर्दिष्ट खानों में	एल एफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
क	1083	1017	1100	999	934	1177	1100	1121	1047	1147	1072	979	912
ख	1022	956	1034	939	872	1065	989	1014	942	1039	964	885	819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ग	955	890	862	784	717	890	813	847	774	867	792	740	674
घ	902	835	736	669	600	758	680	722	648	740	664	633	566
ङ		708			497		539		514		527		445
च		590			396		431		410		420		351
छ		445			283		308		294		300		250

नोट :

"एलएफ" का आशय ऊंची लपेटों (लौंग फलेम) से है।

"एनएलएफ" का आशय है : ऊची लपटों का न होना। उक्त सूची केवल अप्रसाधित कोयला अयस्क के लिए है। स्टीम, रबल (मलवा) और स्लैम कोयले के लिए अलग दरें विद्यमान है:

1.2.2001 से ईसीएल हेतु अप्रसाधित अयस्क (आरओएम) कोयले का मूल्य

1. ख. गैर कोककर कोयला (रु. प्रति टन में)

ग्रेड	कुछ विनिर्दिष्ट एसपी खानों में दरें	रानीगंज की कुछ विनिर्दिष्ट खानों में दरें	एसपी खाने एवं मुगमा		राजमहक परियोजना		सालनपुर एनएलएफ	रानीगंज की अन्य कोलियरियों में उत्पादित कोयला	
			एलएफ	एनएलएफ	एलएफ	एनएलएफ		एलएफ	एनएलएफ
क	1319	1388	1199	1120			1177	1263	1184
ख	1192	1312	1085	1007			1059	1192	1115
ग	996	1118	905	828			870	1018	939
घ	810	905	735	660	915		694	824	748
ङ				524		703	524		524
च				417		597	417		417
छ				298		479	298		298

"ईसीएल" का आशय है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1.2.2001 से कोयला (अप्रसाधित अयस्क) का मूल्य

2. कोककर कोयला (रु. प्रतिटन)

ग्रेड	बीसीसीएल		ईसीएल मुगमा	सीसीएल	एसईसीएल	डब्ल्यूसीएल	बीसीसीएल ईसीएल और सी सी एल के अलावा सहायक कंपनियां
	कुछ विनिर्दिष्ट खानों में दरें	विनिर्दिष्ट खानों के अलावा					
1	2	3	4	5	6	7	8
स्टील ग्रेड–I	1914	1695					
स्टील ग्रेड–II	1598	1416					

1	2	3	4	5	6	7	8
वाशरी ग्रेड–I	1385	1227	1312	1287	1096	1075	
वाशरी ग्रेड–II	1147	1016	1087	1067	907	890	
वाशरी ग्रेड–III	848	751	803	789	671	803	
वाशरी ग्रेड–IV	789	699	747	734	625	659	
अर्द्ध–कोककर ग्रेड– I	1335	1183	रानीगंज 1360	1241			1096
अर्द्ध–कोककर ग्रेड–II	1106	979	रानीगंज 1126	1027			907

3. **कुछ विनिर्दिष्ट खानें** खानों में कोककर कोयले की सीधी आपूर्ति (फीड) 1899 (राख 20 प्रतिशत से अधिक लेकिन 21 प्रतिशत से अधिक नहीं)

4. **पूर्वोत्तर कोलफील्ड्स**

	असम का कोयला	कोयला ग्रेड और यूएचवी रेंज	अप्रसाधित अयस्क रु./प्रति टन
	क	6200–6299	998
	ख	5600–6199	741

1. ग्रेड क. में प्रति कि.ग्राम 6299 किलो कैलोरी से अधिक प्रति कि.ग्रा. 100 किलो कैलोरी की प्रत्येक युनिवर्सल उष्मा मान (यूएचवी) के लिए ग्रेड के मूल्य में प्रति मी.टन अतिरिक्त 65 रु. जोड़ा जाता है।

2. 7099 किलो कैलोरी प्रति कि.ग्राम से अधिक युनिवर्सल उष्मा मान (यूएचवी) के लिए अप्रसाधित कोयला अयस्क (आरओएम) के लिए मूल्य 1836 रु. है।

भूकंपरोधी भवनों का निर्माण

165. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचे–ऊंचे भवनों के चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भवन योजना को स्वीकृति देते समय भूकम्प रोधी भवन बनाने के लिए मूलभूत सुविधाएं और प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समय दिल्ली में भवन नक्शों की मंजूरी दिल्ली में लागू भवन निर्माण उपनियम, 1983 के अनुसार दी जाती है। भवन नक्शों की मंजूरी करते समय दिल्ली सरकार के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दिल्ली नगर कला आयोग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी मंजूरी ली जाती है और जहां कहीं कब्जा प्रमाण पत्र जारी करना जरूरी होता है तो ऐसा मौजूदा प्रावधान के अनुसार ही किया जाता है।

तथापि, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में दिल्ली में भवनों के निर्माण में अपेक्षित सुरक्षा उपाय के प्रावधान के लिए दिनांक 1.2.2000 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है जिसमे भवन निर्माण उप नियम, 1983 के भाग–।।। (संरचनात्मक सुरक्षा और सेवाएं) के खंड–18 में उपयुक्त उपांतरण/परिवर्द्धन करने का प्रस्ताव है। इसकी प्रति संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

विवरण

संख्या के 12016/5/79–डीडीआईए/Vए/आईबी
भारत सरकार
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 1 फरवरी, 2001

सेवा में,

मीडिया आफिसर,
डीएवीपी,
पी.टी.आई. बिल्डिंग्स,
संसद मार्ग, नई दिल्ली।

विषय : सरकारी सार्वजनिक सूचना को प्रकाशित करने हेतु अनुरोध

महोदय,

कृपया दैनिक समाचार पत्रों जैसे हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता में तत्काल प्रकाशित करने के लिए सरकारी सूचना की प्रति इसके साथ संलग्न है।

संलग्न : यथोपरि (3 प्रतियां)

भवदीय
हस्ता/–
(आर.सी.नायक)
अवर सचिव (डीडी Vए)

प्रति :

1. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, आई एन ए नई दिल्ली।
2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाऊन हॉल, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (यूडी), दिल्ली सरकार आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।

हस्ता/–
(आर.सी.नायक)
अवर सचिव (डीडी Vए)

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, दिनांक 01 फरवरी, 2001

दिल्ली में बनाए जाने वाले भवनों में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के बारे में अपेक्षित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए भवन उपनियम 1983 में उपयुक्त प्रावधान बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन रहा है। इस बारे में भवन उपनियम, 1983 में केन्द्र सरकार का जिन उपांतरणों/ परिवर्द्धनों को करने का प्रस्ताव है उन्हें एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा सुझाव को लिखित रूप में, इस नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अवर सचिव, दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को भेज सकता है। आपत्ति अथवा सुझाव भेजने वाला व्यक्ति अपना नाम तथा पता भी दें।

उपांतरण

(ii) भवन उपनियम, 1993 के भाग – III के खण्ड–18 (संरचनात्मक सुरक्षा और सेवाएं) को इस प्रकार उपांतरित किया जाएगा;

"18. नीवं, चिनाई, टिम्बर, प्लेन कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड, कंक्रीट, प्री–स्टैस्ड कंक्रीट और संरचनात्मक इस्पात का संरचनात्मक डिजाइन, भवनों की भूकम्प सुरक्षा के लिए अनुलग्नक "क" में दिए गए भारतीय मानकों को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग–VI संरचनात्मक डिजाइन, खण्ड 1 – भार, खण्ड 2–नींव, खण्ड–3 लकड़ी, खण्ड – 4 चिनाई, खण्ड 5–कंक्रीट, खण्ड 6–इस्पात के अनुसार किया जाएगा।

(टिप्पणी : जब कभी भी मानक अथवा राष्ट्रीय भवन संहिता का उल्लेख किया जाता है तब भारतीय मानक के अद्यतन प्रावधान को माना जाए)

(ii) भवन उपनियम के खण्ड 6.2.9 (भवन निर्माण परमिट के लिए आवेदन के साथ लगाए जाने वाले कागजात) में एक अतिरिक्त उप खण्ड निम्नलिखित अनुसार जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ii) अनुलग्नक –"ख" में यथानिर्दिष्ट प्रमाण पत्र पर मकानमालिक (ओनर) और वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

(सं. के–12016/5/79/डीडी Iए/Vए/ Iबी)
हस्ताक्षरित/–
आर.सी.नायक, अवर सचिव

अनुलग्नक क

आपदा सुरक्षा के लिए भारतीय मानकों/दिशानिर्देशों की सूची

भूकंप सुरक्षा के लिए

1. भामाः 1893–1984 "संरचनाओं के भूकंपरोधी डिजाइन के लिए मानदंड (चौथा संस्करण)" जून, 1986
2. भामाः 13920–1993 "डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टु सीस्मिक फोर्सेस–कोड ऑफ प्रैक्टिस" नवम्बर, 1993
3. भामाः 4326–1993 "भूकंप रोधी डिजाइन और भवनों का निर्माण–कोड ऑफ प्रैक्टिस (दूसरा संस्करण)" अक्टूबर, 1993
4. भामाः 13828–1993 "इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रसिस्टेंस ऑफ लो–स्ट्रैन्थ मैसनरी बिल्डिंग्स–गाइड लाइन्स" अगस्त, 1993

   भामाः 13827–1993 "इम्प्रूविंग अर्थक्वक रसिस्टेंस ऑफ अर्दन बिल्डिंग्स–गाइडलाइन्स" अक्टूबर 1993
6. भामाः 13935–1993" रिपेयर एण्ड सीस्मिक स्ट्रैन्थनिंग ऑफ बिल्डिंग्स–गाइडलाइन्स, नवम्बर, 1993

अनुलग्नक - ख

प्रमाण पत्र : योजना प्रस्तुत करते समय भवन नक्शों के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं :–

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत भवन योजनाएं, पैरा 18 में यथा निर्धारित अनुसार सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करती हैं और दी गई सूचना के तथ्य हमारी जानकारी और ज्ञान के अनुसार सही हैं।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा सहित संरचनात्मक डिजाइन योग्यता प्राप्त संरचना इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया है।

भवन मालिक के हस्ताक्षर तारीख सहित	वास्तुकार के हस्ताक्षर तारीख सहित
(स्पष्ट अक्षरों में) नाम.....	(स्पष्ट अक्षरों में) नाम.....
पता.....	पता.....

चल अपराध विज्ञान एककों की स्थापना

166. **डा. जसवंतसिंह यादव :**

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की प्रत्येक पुलिस रेंज में चल अपराध विज्ञान एककों और प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की प्रत्येक पुलिस रेंज में इन एककों/प्रयोगशालाओं की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो समग्र अभियोजना द्वारा सीरम विज्ञानी रिपोर्ट अथवा रसायन विश्लेषण उपलब्ध कराने में अत्यधिक विलम्ब के मद्देनजर इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) अपराधों की वैज्ञानिक और प्रभावी जांच के लिए, 11वें वित्त आयोग ने देश के 415 जिलों, जहां वर्तमान में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, में मोबाइल फोरेन्सिक यूनिटें स्थापित करने के लिए 49.80 करोड़ रु. की व्यवस्था की है। इस संबंध में आगे कार्रवाई राज्य सरकारों को करनी है।

[हिन्दी]

मानवाधिकारों का उल्लंघन

167. **श्री रामदास आठवले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर देश में दलित और आदिवासी बहुल क्षेत्रों से मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) :

(क) से (ग) जी हां, श्रीमान। वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान, अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के व्यक्तियों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त शिकायतों का एक राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जब कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसे दर्ज किया जाता है और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार उसकी जांच की जाती है। आयोग अपने निष्कर्षों के आधार पर समुचित सिफारिशें करता है।

विवरण

वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान अनु. जाति/अनु. जनजाति के व्यक्तियों से संबंधित दर्ज मामलों का राज्य–वार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या		
		1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1.	असम	–	–	2
2.	आंध प्रदेश	–	6	19
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	–	–
4.	बिहार	22	29	48
5.	छत्तीसगढ़	4	1	2
6.	गुजरात	4	6	15
7.	हरियाणा	15	12	21
8.	हिमाचल प्रदेश	–	2	2
9.	जम्मू और कश्मीर	1	1	–
10.	झारखण्ड	14	5	10
11.	कर्नाटक	7	–	9
12.	केरल	5	2	3
13.	मध्य प्रदेश	56	17	34
14.	महाराष्ट्र	12	8	17
15.	मिजोरम	1	–	–
16.	मणिपुर	–	1	–
17.	उड़ीसा	5	3	12
18.	पांडिचेरी	4	–	1
19.	पंजाब	2	1	2
20.	राजस्थान	30	49	65
21.	तमिलनाडु	49	21	42
22.	त्रिपुरा	–	1	3
23.	उत्तर प्रदेश	163	158	305
24.	उत्तरांचल	13	9	33
25.	पश्चिम बंगाल	5	6	3
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15	–	1
27.	चंडीगढ़	–	–	1
28.	दिल्ली	19	7	11
29.	दादरा एवं नगर हवेली	–	1	1

[अनुवाद]

लश्कर-ए-तोइबा की गतिविधियां

168. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री राम पाल सिंह :

डा. अशोक पटेल :

श्री के. पी. सिंह देव :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री सुशील कमार शिंदे :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन माह के दौरान देश में कतिपय स्थानों लश्कर–ए–तोइबा के उग्रवादी हमलों के पश्चात् सुरक्षा बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो देश में उनके छिपने के स्थानों से उग्रवादियों का सफाया करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन हमलों में दुर्घटना–वार कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(घ) दिल्ली में कितने पाकिस्तानी एजेंट रह रहे हैं और लाल किले की घटना के पश्चात् अब तक उनमें से कितने निरुद्ध किए गए;

(ङ) पर्याप्त सत्यापन के बिना इन उग्रवादियों को मकान किराए पर देने के लिए कितने मकान मालिकों पर आरोप लगाए गए हैं;

(च) क्या कुछ उग्रवादी ग्रुपों ने कुछ और वी.आई.पी. पर हमले करने की धमकी दी है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ज) सरकार द्वारा ऐसे वी.आई.पी. स्थानों को सुरक्षा प्रदान करने और इन उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(झ) क्या राज्यों की मदद से आई.एस.आई. सहित आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सरकार, आतंकवादी गतिविधियों के बारे में सभी राज्य सरकारों और सम्बधित एजेंसियों को नियमित रूप से सुग्राही बनाती रही हैं। आसूचना का निरन्तर आधार पर आदान–प्रदान किया जाता है और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय मदद देकर और आवश्यकता के आधार पर केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बल तैनात करके सहायता की जाती है।

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी एजेन्टों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। लाल किले की घटना के बाद, एक लश्कर–ए–तैयबा आतंकवादी और एक पाकिस्तानी नागरिक, जो इस घटना में संलिप्त थे, गिरफ्तार किए गए। इसी मामले में संलिप्त एक अन्य लश्कर–ए–तैयबा और पाकिस्तानी नागरिक, पुलिस मुठभेड में मारे गए।

(ङ) एक मकान मालिक के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है जिसने लाल किले की घटना में संलिप्त आतंकवादी को अपना मकान किराये पर दिया था।

(च) से (ज) 22.12.2000 को लाल किला परिसर में आतंकवादी कार्रवाई के लिए जिम्मेवारी लेते हुए, लश्कर–ए–तैयबा ने प्रैस को दिए बयान के माध्यम से दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय पर फिदायिं (आत्महत्या) हमले करने की धमकी दी थी। विभिन्न सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं।

(झ) और (ञ) सरकार, समय–समय पर राज्य सरकारों को आई एस आई एजेन्टों/कार्यकर्ताओं से खतरे की आशंका और गतिविधियों के बारे में सुग्राही बनाती रही है। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के आदान–प्रदान के साथ–साथ ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाती है। आई एस आई एजेन्टों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र और राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंन्सियां मिलकर कार्य करती हैं। समन्वित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप, विभिन्न आई एस आई मोडयूल्ज को विफल किया गया है।

जय विज्ञान स्वास्थ्य परियोजना

169. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए "जय विज्ञान स्वास्थ्य परियोजना" शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना से ग्रामीण जनता कब तक लाभान्वित होगी;

(घ) कितने राज्यों में यह परियोजना शुरू की गई है; और

(ङ) इस परियोजना पर खर्च हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ङ) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के तहत गठित किया गया प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी. डी. बी.) निजी क्षेत्र की

एक कम्पनी को उनकी परियोजनाः 'ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जय विज्ञान स्वास्थ्य परियोजना–विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश में तथा उसके आसपास एक दूरस्थ चिकित्सा नैदानिक प्रणाली की स्थापना'' के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है।

इस परियोजना में विजयवाड़ा के आसपास के पांच जिलों में स्थापित किए जाने वाले पांच क्षेत्रीय नैदानिक केन्द्रों (आर.डी.सीज) के माध्यम से 100 सामान्य चिकित्सकों को आपस मे जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इन आर. डी. सीज को विजयवाडा स्थित एक अस्पताल में कोर केन्द्र से जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत कुल लगभग 10 लाख की जनसंख्या को शामिल किए जाने की संभावना है और यह परियोजना दस महीनों की समय सीमा के अन्तर्गत पूरी कर लिए जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।

आर. डी. सीज/कोर केन्द्र के माध्यम से ग्रमीण क्षेत्रों में सामान्य चिकित्सकों को निर्णय सहायक प्रणालियों तथा उपचार संलेखों के माध्यम से ऑनलाइन नैदानिक परामर्श उपलब्ध कराए जाएंगे।

परियोजना की कुल लागत 998 लाख रुपए है जिसमें से टी. डी.बी. 480 लाख रुपए की राशि ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है। शेष राशि कम्पनी द्वारा जुटाई जाएगी। अब तक टी.डी.बी. इस परियोजना के लिए 300 लाख रुपए की राशि संवितरित कर चुका है।

ग्रामीण विकास योजनाओं को एक साथ मिलाना

170. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छः योजनाओं को एक साथ मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त छः योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को किया गया आबंटन वर्तमान की अपेक्षा अधिक था;

(ग) यदि हां, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान राज्य–वार कितना आबंटन किया गया है;

(घ) क्या कुछ राज्यों जिनके शेयर में कमी आई है, निधियों के पूर्व आबंटन को बहाल करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1.4.1999 को शुरू की गई थी। वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां। कुछ राज्यों में निधियों के पूर्व आबंटन को बहाल करने का अनुरोध किया है।

(ङ) राज्य सरकारों को यह सूचित किया जाता है कि निधियों के आबंटन की बहाली युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बिल्कुल ही एक नई योजना है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999–2000	केन्द्रीय आबंटन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2000–2001
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	6219.55	5303.03
2	अरुणाचल प्रदेश	136.74	276.91
3	असम	3553.09	7195.18
4	बिहार	20374.56	12616.76
5	छत्तीसगढ़		2800.88
6	गोवा	59.78	50.00
7	गुजरात	2341.15	1996.15
8	हरियाणा	1377.36	1174.37
9	हिमाचल प्रदेश	580.06	494.67
10	जम्मू व कश्मीर	717.90	612.10

1	2	3	4
11	झारखंड		4755.33
12	कर्नाटक	4696.65	4004.53
13	केरल	2107.37	1796.82
14	मध्य प्रदेश	10327.33	6004.58
15	महाराष्ट्र	9284.11	7915.98
16	मणिपुर	238.19	482.36
17	मेघालय	266.87	540.42
18	मिजोरम	61.75	125.06
	नागालैंड	183.06	370.70
	उड़ीसा	7113.90	6065.56
21	पंजाब	669.38	570.73
22	राजस्थान	3566.34	3040.77
23	सिक्किम	68.38	138.45
24	तमिलनाडु	5499.44	4689.03
25	त्रिपुरा	430.08	870.92
26	उत्तर प्रदेश	22422.38	18163.60
27	उत्तरांचल		954.45
28	पश्चिम बंगाल	7905.68	6740.66
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	59.78	50.00
30	दमन व दीव	59.78	50.00
31	दादरा व नगर हवेली	59.78	50.00
32	लक्षद्वीप	59.78	50.00
33	पांडिचेरी	59.78	50.00
	कुल	110500.00	100000.00

टिप्पणी : छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों का गठन 2000-2001 में हुआ।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना

171. कुंवर अखिलेश सिंह :

श्री एस. पी. लेपचा :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत राज्यों को आज की तिथि तक राज्य–वार शीर्ष–वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई;

(ख) सरकार इस प्रयोजनार्थ धनराशि की किस तरह व्यवस्था करेगी;

(ग) योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके अतिरिक्त राज्य–वार अब तक कितनी उपलब्धि हासिल की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के लिए जारी की गई तथा आबंटित की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए आबंटित की गई निधियां अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में है जिसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से संबंधित पांच क्षेत्र विशेष के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सिफारिशों तथा दिशा निर्देशों के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जानी होती हैं।

(ग) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के क्षेत्र विशेष के लिए दिशा निर्देशों को जुलाई–अगसत, 2000 तक सभी पांच क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया एवं अंतिम रूप दिया गया था। अतिरिक्त केंन्द्रीय सहायता की पहली किस्त जो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के कुल आबंटन का 37.5 प्रतिशत है राज्यों को जुलाई, 2000 में जारी की गई थी।

(घ) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, राज्यों में योजना का कार्यान्वयन तेजी से चल रहा है।

विवरण

2000–2001 के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया आबंटन

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पी एम जी वाई के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	75% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में से जारी की गई 50% राशि
1	2	3	4
गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य			
1	आंध्र प्रदेश	14206	5327.25
2	बिहार	28725	10771.88
3	गोवा	78	29.25
4	गुजरात	6479	2429.63
5	हरियाणा	1678	629.25
6	कर्नाटक	7513	2817.38
7	केरल	6908	2590.50
8	मध्य प्रदेश	11377	4266.38
9	महाराष्ट्र	9913	3717.38
10	उड़ीसा	9855	3695.63
11	पंजाब	4040	1515.00
12	राजस्थान	9640	3615.00
13	तमिलनाडु	10479	3929.63
14	उत्तर प्रदेश	34891	13084.13
15	प. बंगाल	16782	6293.25
विशेष श्रेणी के राज्य			
1	अरुणाचल प्रदेश	6817	2556.38
2	असम	17957	6733.88
3	हिमाचल प्रदेश	7061	2647.88
4	जम्मू व कश्मीर	17158	6434.25
5	मणिपुर	4856	1821.00
6	मेघालय	4059	1522.13
7	मिजोरम	4041	1515.38
8	नागालैंड	4113	1542.38
9	सिक्किम	2811	1054.13
10	त्रिपुरा	5083	1906.13
संघ राज्य क्षेत्र			
1	दिल्ली	1105	414.38
2	पांडिचेरी	477	178.88
3	अंडमान व निको. द्वीप समूह	1027	
4	चंडीगढ़	456	
5	दादरा व न. हवेली	132	
6	लक्षद्वीप	177	
7	दमन व दीव	106	
	कुल योग :	250000	

[अनुवाद]

मस्जिदों और मदरसों का निर्माण

172. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के एक दल ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से 20 कि.मी. तक के क्षेत्र के अन्दर मस्जिदों और मदरसों के निर्माण को विनियमित करने के लिए कानून बनाए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमाओं के बेहतर प्रबंध के लिए सुरक्षा और आसूचना को सुदृढ़ बनाने हेतु किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कानून कब तक बनाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) इस प्रयोजनार्थ गठित मंत्रियों के ग्रुप ने, सीमा प्रबंधन पर टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशों पर अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है।

विदेशी विश्वविद्यालय

173. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को नियमित करने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में प्रवेश के इच्छुक ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों के लिये जरूरी दिशा निर्देश और मानक तैयार करने की प्रक्रिया में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम फैसला ले लिये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में कितने विदेशी विश्वविद्यालयों ने अपनी रुचि दर्शाई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वह भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन एवं कार्यकरण से संबंधित विनियम तैयार कर रहा है। इस प्रयोजन से इस मामले को आयोग के समक्ष 25.1.2001 को आयोजित उसकी बैठक में रखा गया था। इस बैठक का कार्यवृत्त अभी परिचालित नहीं किया गया है।

(घ) इस मामले से संबंधित विभिन्न पहलू हैं जिन पर व्यापक विचार विमर्श किया जाना है। इस मामले के लिए इस स्तर पर कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय विद्यालयों में कर्मचारियों की संख्या

174. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी मण्डल ने 22.8.1990 को केन्द्रीय विद्यालयों के लिए कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने हेतु मानदण्ड स्वीकृत किये थे;

(ख) यदि हां, इन मानदण्डों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन मानदण्डों को कितनी बार रद्द/संशोधित किया गया और उन में क्या परिवर्तन किये गए?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) 22.8.99 को शासी बोर्ड की कोई बैठक आयेजित नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तलाशी के उपायों में पुलिस का पुनर्प्रशिक्षण

175. **श्री सईदुज्जमा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तलाशी के उपायों में पुलिस कार्मिकों का पुनर्प्रशिक्षण करने का है जैसाकि दिनांक 6 फरवरी 2001 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अभ्यास पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के लिए ऐसे कदम उठाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी और जामाः तलाशी पर नए रंगरूटों सहित अपने 1214 व्यक्तियों को उपलब्ध बजटीय आबंटन के भीतर विशेष प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण मोडयूल्ज में तलाशी और जामाः तलाशी सहित सुरक्षा के सभी पहलुओं को पहले ही शामिल किया गया है।

दिल्ली में पड़ोसी राज्यों की बसों का चलना

176. **श्री सईदुज्जमा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पड़ोसी राज्यों की बहुत सी बसें दिल्ली में सरकार की अनुमति के बिना चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली में इन बसों को चलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रीतिभोज-कक्षों को अवैध रूप से चलाया जाना

177. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी भूमि पर बने विभिन्न पार्कों में अस्थायी पंडाल लगाकर बड़ी संख्या में प्रीतिभोज–कक्ष अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी भूमि पर इन प्रीतिभोज–कक्षों को अवैध रूप से चलाए जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने कहा है कि उनके क्षेत्राधिकार के किसी पार्क में कोई बैंकट हाल अवैध रूप से नहीं चल रहा है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सामाजिक समारोहों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए एक माह में केवल 10 दिनों के लिए निर्धारित स्थलों पर पार्क आबंटित कर रहा है।

(ग) सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये हैं कि कोई भी जिला पार्क/मास्टर प्लान/आंचलिक हरित क्षेत्र किसी भी प्रायवेट पार्टी को आबंटित नहीं किया जाए क्योंकि यह पार्क/हरित क्षेत्र आम जनता के लिए है, प्रतिबंधित सामाजिक उपयोग के लिए नहीं।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हमले

178. **कुमारी भावना पुंडलिक राव गवली** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंतकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में हाल ही में सिखों की हत्या की है और अनेक व्यक्ति घायल किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर में अल्प संख्यक समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दिनांक 3 फरवरी, 2001 को शाम के लगभग 1830 बजे 5 से 6 की संख्या में आतंकवादियों ने दो अलग–अलग ग्रुपों में, बाहरी श्रीनगर में स्थित महजूर नगर, बंद और महजूर नगर मोहल्ला में हमला किया और वहां से गुजर रहे सिख समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध गोलिया चलाईं। इस घटना में सिख समुदाय के 6 पुरुष सदस्य मारे गए और 2 महिलाओं सहित 5 लोग जख्मी हुए।

(ग) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान, यद्यपि जम्मू और कश्मीर में सक्रिय पान–इस्लामिक गुट, अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों की सामूहिक हत्या करके, साम्प्रदायिक विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा करके वे उनकी जातियों का सफाया करने के उद्देश्य से और उन्हें पलायन के लिए विवश करने हेतु खौफ का माहौल बना रहे हैं। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ने उनमें विश्वास पैदा करने के उपायों के साथ–साथ विभिन्न निवारक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैः–

** ग्रामीण रक्षा समिति प्रणाली को प्रशिक्षण एवं उन्नत हथियार तथा संचार उपलब्ध कराकर मजबूत करना।

** अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों के इर्द–गिर्द सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना।

** सुरक्षा बलों द्वारा संवेदनशील एंव असुरक्षित क्षेत्रों की गश्त संख्या को बढ़ाना।

** राज्य सरकार एवं सुरक्षा बल अधिकारियों द्वारा दूर–दराज और अल्पसंख्यकों से बसे गांवों का दौरा करना।

महजूर नगर की घटना के बाद राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों और दूरदराज तथा बिखरी हुई आबादी के सुरक्षा प्रबन्धों की और पुनरीक्षा की है। इसके अतिरिक्त, आतंकवादियों की विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के इरादे से सुरक्षा बलों द्वारा परिवर्तनात्मक तैनाती और रणनीतियां अपनाने के लिए जम्मू और श्रीनगर में संबधित एकीकृत मुख्यालय के साथ–साथ विभिन्न निम्न स्तरों पर आप्रेशन ग्रुपों में सुरक्षा स्थिति का लगातार प्रबोधन किया जा रहा ... सरकार, राज्य सरकार और सुरक्षा बलों को उनके ... सहायता उपलबध करा रही है।

बिना बिका इस्पात का भंडार

179. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात के मूल्यों में विनियंत्रण के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के समेकित इस्पात एककों में बिना बिका इस्पात का भंडार जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्यों के विनियंत्रण से पहले और इसके बाद में इस्पात के भंडार का मूल्य कितना है और इस पर अनुमानतः कितना मासिक ब्याज दिया जा रहा है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस समय इस्पात की भिन्न–भिन्न मदों का मूल्य कितना है और मूल्यों के विनियंत्रण से पहले मूल्य कितना ...

(ङ) देशी और विदेशी बाजारों में इस्पात की विभिन्न मदों का तुलनात्मक मूल्य कितना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) इस्पात का मूल्य निर्धारण तन्त्र सरकार द्वारा 1992 में समाप्त कर दिया गया था। संयंत्रों में इस्पात का माल–सूची स्तर विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ उत्पादन की मात्रा, मांग, निर्यात, आयात और प्रचलित मूल्य आदि शामिल हैं। उपरोक्त नियंत्रण तन्त्र को समाप्त किए जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात का असामान्य स्टॉक नहीं था।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा गुरूवार, 22 फरवरी, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 22 फरवरी, 2001/3 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।